दशम माला, खंड 40 अंक 21

बुधवार 10 मई, 1995
20 वैशाख, 1917

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 40 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय-सूची

दशम माला, खंड 40, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 26, बुधवार, 10 मई, 1995/20 वैशाख, 1917 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख		1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		2-30
* तारांकित प्रश्न संख्या :	501-504	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	505-520	30-45
अतारांकित प्रश्न संख्या :	5215-5352	45-168
शुक्रवार, 12 मई, 1995 को सभा की बैठक का रद्द किया जाना		
चरार-ए-शरीफ में आग लगने की घटना के बारे में मंत्री द्वारा वक्तव्य		168-193
राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड समूह के आधुनिकीकरण हेतु पैकेज श्री जी. वेंकटस्वामी		193-206
सभा पटल पर रखे गए पत्र		207-209
राज्य सभा से संदेश		210
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
चालीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत		210
संचार संबंधी स्थायी समिति		
अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत		210
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन-संबंधी स्थायी समिति		
तेईसवां प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया		211
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति		
सोलहवां प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया		211
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
कार्यवाही-सारांश—सभा पटल पर रखे गये		211
नियम 377 के अधीन मामले		212
(एक) पश्चिम बंगाल में दिघा को उड़ीसा में जलेश्वर से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता डा. कार्तिकेश्वर पात्र		212

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

पृष्ठ

(दो) हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को आयकर से छूट दिए जाने की आवश्यकता
डा. पी. वल्लल पेरूमान 212

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रस्तावित विश्वविद्यालय को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थापित करने का आवश्यकता
डा. रमेश चन्द तोमर 212-213

(चार) असम के करीमगंज जिले में करीमगंज दुल्लभ चेरा सेक्शन में दुल्लभचेरा से रनपुर तक रेल मार्ग का विस्तार करने की आवश्यकता
श्री द्वारका नाथ दास 213-214

(पांच) उड़ीसा के नयागढ़ जिले में गनिया और नौगांव प्रखंडों को एम्पलायमेंट एश्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता
श्री शिवाजी पटनायक 214

(छः) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता
श्री हरि केवल प्रसाद 214

(सात) किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए शहरी भूमि अधिकतम सीमा में संशोधन करने की आवश्यकता
श्री श्रवण कुमार पटेल 215

नियम 377 के अधीन मामले उठाने के लिए सूचनायें देने के संबंध में घोषणा 215

सामान्य बजट 1995-96—अनुदानों की मागें

रक्षा मंत्रालय

मेजर डी.डी.खनोरिया 216-221
श्री लाईता उम्ब्रे 221-225
श्री राम नगीना मिश्र 225-229
श्री याइमा सिंह युमनाम 229-231
श्री मणि शंकर अय्यर 231-241
प्रो. रासा सिंह रावत 241-246
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 246-249
श्री शरत पटनायक 249-251
प्रो. प्रेम धूमल 261-256
श्री मोहन रावले 256-261
श्री चन्द्रजीत यादव 261-262

लोक सभा

बुधवार, 10 मई, 1995 / 20 वैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजकर 1 मिनट म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे हमारे पूर्व सहयोगी श्री के. सूर्यनारायण के दुखद निधन की सूचना देनी है ।

श्री के. सूर्यनारायण 1967 से 1979 तक चौथी, पांचवी और छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के इलूरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । पहले, 1952-58 के दौरान वे राज्य सभा के सदस्य थे ।

वे एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने राष्ट्रपिता द्वारा दिए गए उद्घोष का अनुसरण किया और अपनी पढ़ाई को छोड़कर 1921 में भारत के स्वंतत्रता आन्दोलन में कूद पड़े । उन्हें अपने देशभक्ति के कारनामों के लिए कई अवसरों पर कैद की सजा भुगतनी पड़ी।

पेशे से वे एक कृषक थे । आन्ध्र प्रदेश के सहकारी आन्दोलन में वे एक लोकप्रिय कार्यकर्ता थे वे आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ और ईलुरू केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति के निदेशक थे ।

उन्होंने 1949-52 के दौरान पश्चिम गोदावरी जिले की जिला परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया ।

इस सदन की सदस्यता के दौरान, उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों की सलाहकार समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया था । वे राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण परिषद के सदस्य भी थे ।

उन्होंने विस्तृत भ्रमण किया । वे 1977 में कैनबरा में आयोजित अन्तर संसदीय संघ बैठक के भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे।

वे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे । उन्होंने ग्रामीण लोगों खासतौर पर कृषि मजदूरों और अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया ।

श्री के. सूर्यनारायण का निधन 88 वर्ष की आयु में 6 मई, 1995 को गुन्टूर में हुआ ।

हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं । मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है ।

अब यह सभा दिवंगत आत्मा को सम्मान देने के लिए खड़ी होती है ।

11.02 म.पू.

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.04 म.पू.

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी

*501. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस द्वारा भारत को अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का अन्तरण किये जाने की संभावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस अन्तरिक्ष के मामले में भारत को सहयोग तो अधिक देगा किन्तु वह भारत को विकसित अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी की सप्लाई नहीं करेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या रूस 1991 के समझौते के समय किए गये वायदों को कार्यान्वित करने पर सहमत हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो पहले किए गये वायदों सहित इन वायदों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ङ). इस संबंध मे लोक सभा के पटल पर विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) रूस और भारत ने बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में 1994 में एक दीर्घकालीन करार किया है । इस संबंध में सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण किया जा रहा है ।

(ग) से (ङ) क्रायोजेनिक चरणों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण को छोड़कर भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.-1 सी.) उपग्रह संबंधी प्रमोचन करार सहित अन्य सभी वायदे पूरे किए जा रहे हैं।

आई.आर.एस-1 सी. उपग्रह को समयानुसूची के अनुसार इस वर्ष के उत्तरार्ध में छोड़ा जाएगा तथा ठेके पर दिए गए सात क्रायोजेनिक चरणों में से, प्रथम क्रायोजेनिक चरण की आपूर्ति 1996 के अन्त तक तथा शेष छः चरणों की आपूर्ति छः-छः महीने के अन्तराल से की जाएगी ।

श्री डी. वेंकटेश्वर राव : भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

और रूस में इसके सहयोगी ग्लावकोसमोस के बीच 1991 में एक समझौता हुआ था लेकिन 1993 में इस समझौते से वे मुकर गए और इसको संशोधित कर दिया । जिसमें उन्होंने प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण और भारतीय कर्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम देने से भी इन्कार कर दिया। क्या इस प्रकार का संशोधित समझौता जी एस एल वी, दि जियो सेटलाइट लांच वेहिकल, को छोड़ने या बनाने के कार्यक्रम और जैसे इनसेट-2 के क्रम अर्थात् इनसेट 2सी, 2डी, 2ई और पी एस एल वी जी-2 जैसे अन्य कार्यक्रमों जो हमारे अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा शुरू किए जा रहे हैं, को प्रभावित करेगा ।

ये सभी बहुत महत्वपूर्व कार्यक्रम हैं । भू-उपग्रह प्रक्षेण कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भू-उपग्रह कक्षा में स्लॉट की कमी होती जा रही है क्योंकि भू-कक्षा में आबंटन पहले आओ पहले पाओ, के आधार पर है । 1991 में किए गए समझौते से इस प्रकार मुकर जाने से क्या भारत के इन सभी कार्यक्रमों को शुरू करने पर प्रभाव पड़ेगा?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : महोदय, इस परियोजना पर पीछे नहीं जाया जा रहा है । हम स्वेदशी माल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं । हमें आशा है, हम ऐसा करने में समर्थ होंगे । कुछ विलम्ब हो सकता है लेकिन परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री डी. वेंकटेश्वर राव : यह विशिष्ट समझौता 1991 में हुआ था । रूस के प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली (एम टी सी आर) में प्रवेश करने के बाद यह परिवर्तन हुआ है । पहले, रूस एम टी सी आर में शामिल नहीं था । रूस के एम टी सी आर में शामिल होने के फलस्वरूप भूतलक्षी प्रभाव से हम क्यों सहमत हों ? मैं सभा के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि रूस ने ईरान जैसे देश को तीन अलग-अलग रिऐक्टर दे कर समझौते का उल्लंघन किया है । इसलिए सर्वप्रथम क्यों हम इस समझौते में इस प्रकार के भूतलक्षी परिवर्तनों से सहमत हों ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अपरिहार्य घटना का खंड का सहारा भू-राजनीतिक कारणों से किया गया था । 1991 से अक्टूबर, 1993 तक समझौता ठीक-ठाक चल रहा था और निरंतर लागू था । लेकिन भू-राजनीतिक कारणों से उक्त खंड को लागू करने के पश्चात्, समझौते में संशोधन हुआ था । अत: समझौते को तोड़ने का कोई प्रश्न नहीं था । किसी भी स्थिति में, दो देशों या दो एजेंसियों के बीच यह समझौता हुआ था, अत: इसे तोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समझौते और बाद में हुए समझौतों की प्रतिबद्धताएं क्या हैं । प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और प्रशिक्षण के लिए समझौते के अन्तर्गत इन प्रतिबद्धताओं का पालन न करने के लिए रूस द्वारा बताए गए कारण क्या हैं ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मैंने पहले ही बता दिया है कि भू-राजनीतिक बाध्यताओं के कारण एक विशेष खंड का सहारा लेकर समझौते में संशोधन किया गया था, तकनीकी जानकारी देने के लिए उन्होने कुछ संशोधन किए हैं । और दो भू-स्तरों के बजाए हम अब सात स्तर प्राप्त कर रहे हैं । इसके कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है । प्रशिक्षण कार्यक्रम को छोड़कर, कुछ भी संशोधन नहीं हुआ है ।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : प्रतिबद्धताएं क्या हैं । मेरा प्रश्न था, समझौते की विस्तृत प्रतिबद्धताएं क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पूरा समझौता बताने की आवश्यकता नहीं है ।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष जी, जैसा कि बताया गया है कि प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के अलावा बाकी की सारी बातों में हमें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति होने वाली नहीं है । निश्चित रूप से भारत और रूस का यह जो अंतरिक्ष का अभियान है यह महत्वपूर्ण अभियान है और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है । मैं पूछना चाहूंगा कि यह जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम है इसकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास क्या कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है ? यदि है, तो क्या हम इस प्रकार से सक्षम होंगे कि अंतरिक्ष के कार्यक्रमों से हमारे कार्यक्रम प्रभावित नहीं होंगे तथा हम अपने कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चला लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वही बताया है । वह सब तो हो गया ।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि रूस से हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में जो समझौता हुआ था, अमेरिकी के दबाव के कारण रूस ने उससे इंकार कर दिया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होने कह दिया है कि जिओ-पोलिटिकल रीजन्स के कारण ऐसा हुआ है, जिसमें सब कुछ आ जाता है । पूरे संसार की जिओ-पालिटिकल सिचुएशन ऐसी है सिर्फ अमेरिका का कारण नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास : महोदय, मैं सरकार से इस बारे में जानना चाहूंगा कि क्या हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की रूस के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ क्रायोजनिक सौदे के प्रश्न पर बातचीत हुई थी। यदि हां, तो क्या मैं उस बातचीत के ब्यौरे के परिणाम के बारे में जान सकता हूं ।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : महोदय, हम निरंतर उनसे संपर्क बनाए हुए हैं, हमारे वैज्ञानिक रूस के वैज्ञानिकों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए हुए हैं । हम अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का शान्तिपूर्ण प्रयोग करने के समझौते से बंधे हुए हैं । हम उनसे निरंतर सम्पर्क बनाए हुए हैं। उसमें कोई व्यवधान नहीं है ओर उसमें निरंतरता बनी हुई है ।

नकली दवाएं

*502. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय नकली औषधियों और दवाओं की बिक्री बहुत अधिक हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य में नकली औषधियों और दवाओं के कितने मामलों का पता चला;

(ग) सरकार द्वारा दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) नकली औषधियों और दवाओं के निर्माण और बिक्री को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1992-93 में 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार परीक्षण किए गए 22,236 नमूनों में से 30 औषध नमूने नकली पाए गए थे । वर्ष 1993-94 के दौरान 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परीक्षण किए गए 31,924 नमूनो में से 82 औषध नमूने नकली पाए गए थे । वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान सूचित औषधों के नकली नमूनों का राज्य-वार ब्यौरा उपाबंधित है ।

(ग) सरकार ने राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे औषध व प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके तहत बने नियमों के उपबंधों के अनुसार दोषी कंपनियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने सहित उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई करें ।

(घ) सरकार ने नकली औषधों तथा दवाइयों के विनिर्माण तथा बिक्री से बचने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी औषध परीक्षण की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता दी है । आठवीं योजना के अंतर्गत गुवाहटी, हैदराबाद तथा चंडीगढ़ में तीन क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

अनुबंध

वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 के दौरान नकली पाए गए नमूनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	अनु.	14
2.	असम	शून्य	शून्य
3.	अरूणाचल प्रदेश	अनु.	शून्य
4.	बिहार	अनु.	अनु.
5.	गोवा	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	8	8
7.	हरियाणा	9	48
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	शून्य	शून्य
11.	केरल	अनु.	अनु.
12.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	अनु.	शून्य
14.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य
15.	मणिपुर	शून्य	शून्य
16.	मेघालय	शून्य	शून्य
17.	मिजोरम	शून्य	शून्य
18.	नागालैंड	शून्य	शून्य
19.	उड़ीसा	2	शून्य
20.	पंजाब	अनु.	4
21	पांडिचेरी	शून्य	शून्य
22.	राजस्थान	7	5
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य
24.	तमिलनाडु	2	1
25.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	अनु.	अनु.
27.	प. बंगाल	अनु.	शून्य
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
29.	चण्डीगढ़	शून्य	शून्य
30.	दिल्ली	शून्य	शून्य
31.	दादरा व न. हवेली	शून्य	अनु.
		30	82

अनु. - अनुपलब्ध

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 1992-93 से 22,236 नमूने परीक्षण किये गये जिनमें से 30 औषध नमूने नकली पाये गये वर्ष 1993-94 में 31,924 नमूनों में से केवल 27 नमूने नकली पाये गये जो बहुत नगण्य है । आजकल अखबारों में रोज छपा रहता है कि अस्पतालों में घटिया किस्म की दवायें मिलती हैं। ऐसे भी तथ्य सामने आये हैं कि जब डाक्टर मरीजों की जांच-पड़ताल करते हैं तो दवाओं की सप्लाई न मिलने के कारण घटिया किस्म की दवायें ही दे देते हैं । इसके पीछे लाइसेंस देने में सरकारी प्रक्रिया का पालन न करना ही एकमात्र कारण है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको अपना प्रश्न पूछना है, आप प्रश्न पर आईये, इतनी लम्बी प्रस्तावना ठीक नहीं ।

श्री राम प्रसाद सिंह : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कम्पनियों के लाइसेंस को रद्द किया जायेगा जिनके पास

अपनी पर्याप्त प्रयोगशालाएं नहीं हैं और जो लाइसेंस लेकर घटिया किस्म की दवायें बना रहे हैं । सरकार ने कुछ समय पहले एक राष्ट्रीय दवा नियंत्रण प्राधिकरण के गठन की घोषणा की थी, मैं जानना चाहता हूं कि वह प्राधिकरण कब तक गठित कर दिया जायेगा ।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, औषध निर्माण के लिए लाइसेंस देने हेतु कुछ पूर्व शर्तें है । नकली औषधियों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इस बारे में पहले ही आंकड़े दे दिये हैं कि कितने परीक्षण किए गए और उनमें से कितने नकली पाये गये हैं । सरकार को जब कभी भी नकली औषधियों के बारे में मालूम चलता है, तो राज्य सरकारों को उन कम्पनियों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए सलाह दी जाती है ।

वर्तमान में परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाना आवश्यक नहीं है । अब सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी है कि प्रत्येक औषध निर्माता को अपनी परीक्षण प्रयोगशाला बनानी चाहिये ।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : पूरे मुल्क में 20 हजार दवा निर्माण करने वाली कम्पनियां हैं और लगभग दो लाख दवा विक्रेता हैं । सरकारी प्रावधान के अनुसार उनके उचित नियंत्रण के लिए कम से कम 2,689 नियंत्रण निरीक्षक होने आवश्यक हैं जबकि सरकार के पास केवल 664 नियंत्रकण निरीक्षण ही हैं । उनकी संख्या बहुत कम होने के कारण ठीक तरह से जांच-पड़ताल नहीं हो पाती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या निकट भविष्य में सरकार नियंत्रण निरीक्षकों की संख्या बढ़ायेगी? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे कौन सी कम्पनियां हैं, जैसे अभी दिल्ली में एक घटिया किस्म की दवाओं का प्रकरण सामने आया, ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिनके नमूने गलत पाये गये हैं और उन कम्पनियों के खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की गयी है तथा उस कानूनी कार्यवाही का क्या परिणाम निकला है ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, कृपया बताएं कि क्या यह सही है कि आपके स्वास्थ्य विभाग के पास पांच वर्षों से औषधि-सलाहकार ही नहीं है? जिस विभाग के पास औषधि-सलाहकार ही नही हो, वह विभाग कि प्रकार से सुनिश्चित कार्य करता होगा, इसका अनुमान आप स्वयं लगा लीजिए?

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार भी इस बात को मानती है, माननीय मंत्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नयी औषधि-नीति के बाद औषधियों की कीमतें शत-प्रतिशत अधिक बढ़ी हैं । मेरा यह कहना है कि एक तरफ तो बेहतर दवाएं नहीं मिल रही हैं, दूसरी तरफ महंगी दवाएं मिल रही हैं और तीसरी बात यह है कि दवाएं घटिया स्तर की मिल रही हैं । मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इसके कारण पीछे सारे देश में मलेरिया का प्रकोप हुआ, तो दवाएं, शुद्ध और सही कीमत पर मिल सके इसके लिए मंत्रालय क्या कर रहा है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जैसे क्लोरोक्वीन की गोली को काले रंग के रैपर में सप्लाई करने की सिफारिश की गई है ताकि धूप से औषधि की प्रभावकारिता घट न जाए, लेकिन आज पूरे देश में कहीं भी क्लोरोक्वीन की गोली को काले रैपर में बंद करके नहीं बेचा जा रहा है, तो क्या विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई समुचित कार्रवाई की है, यदि हां, तो वह क्या है ? जब क्लोरोक्वीन जैसी साधारण दवाई को भी काले रंग के रैपर में देश में सप्लाई नहीं करवा सकते हैं, तो फिर आप पूरे देश में किस प्रकार से औषधियों की सप्लाई करेंगे ? आपके पास औषधि-नियंत्रक ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आयुर्वेद, तो बहुत सौम्य होता है ।

डा. जी.एल. कनौजिया : अध्यक्ष महोदय, अभी जिक्र आया है कि आयुर्वेदिक औषधियों जिनका उत्पादन होता है, उनको टैस्ट करने के लिए सरकार के पास साधन नहीं हैं । इसके लिए मैंने मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी कई बार जिक्र किया है कि न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में इन दवाओं की जांच के लिए आपके पास कोई मानदंड नहीं है, तो मंत्री जी बताएंगे कि इसके लिए क्या मानदंड बनाए गए हैं, यदि हां, तो कहां-कहां रीजनल लेब्रोरेट्रीज कायम की गई हैं? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आपके संज्ञान में यह भी है कि गाजियाबाद और इसके आसपास बहुत बड़ी संख्या में सब-स्टेंडर्ड कैप्सूल भरे जाते हैं जिनको पूरे उत्तर प्रदेश में सप्लाई किया जाता है और मेरा तीसरा प्रश्न यह है.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप एक बार में सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं ।

डा. जी. एल. कनौजिया : आयुर्वेदिक औषधियों की जांच के लिए जब आपके पास कोई लेबोरेट्री नहीं है, तो इनकी जाँच के लिए आपके पास क्या मानदंड हैं ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, आयुर्वेदिक औषधियों के लिए एक पृथक मानदंड है ।

माननीय सदस्य को यह सब मालूम है । सरकार ने प्रो. नामजोशी की अध्यक्षता में आयुर्वेदिक औषध कोश बनाने हेतु एक समिति नियुक्त की है हम कोशिश कर रहे हैं । देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति का विकास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अलग विभाग गठित किया है ।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए फंड नहीं दिया है ।

प्रधानमंत्री (श्री पी.वी.नरसिंह राव) : वह फंड मिल जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या तरीका है ? आप जब चाहेंगे बीच में उठकर बोलेंगे ? ऐसा नही चलेगा ।

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 1992-93 में 30 मामलों का पता चला था और 1993-94 में 82 मामलों का पता चला था तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा सिर्फ निर्देश ही जारी किये गए हैं अथवा कोई दंडात्मक कार्यवाही भी की गई है अथवा क्या उनके खिलाफ अभ्यारोपण कार्यवाही भी शुरू की गई है ? अगर अभ्यारोपण कार्यवाही शुरू की गई है तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, यह विषय राज्य सरकारों के अध्यधीन आता है ।

हमने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से अनुरोध किया है और उन्होंने नकली औषधियों को बनाने वालों के विरुद्ध दांडिक मामले शुरू किये हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेडिसन जानने वालों को प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति भारतवर्ष की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है । यह औषधियां सस्ती एवं गुणकारी तथा भारत की जलवायु के अनुसार हैं । इन औषधियों में मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए च्यवनप्राश एक मूल औषधि है । इसमें मुख्य रूप से आंवला एवं बंसलोचन मुख्य तत्व हैं किन्तु आजकल इन औषधियों में आंवले की जगह शकरकंद तथा बंसलोचन की जगह खड़िया मिट्टी डाली जा रही है । इसी प्रकार जीवन रक्षक औषधियों में बंसत कुसमाकर एवं मकरध्वज होते हैं जो कि कोरामिन के तरीके पर स्वास्थ्य की रक्षा के समय काम आते हैं । उनमें सोना पड़ता है लेकिन इन औषधियों में सोना नहीं डाला जा रहा है जिनके कारण यह औषधियां लाभप्रद नहीं हैं । इस प्रकार की औषधियां आजकर हम सांसदों को राजकीय डिस्पेंसरियों से प्राप्त हो रही हैं । इसके संबंध में मैंने आपको शिकायत भी भेजी थी । क्या माननीय मंत्री महोदय को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इन औषधियों की जांच करवायेंगे?

श्री पवन सिंह घाटोवार : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी तक इस प्रकार की कोई कम्पलेंट नहीं मिली है ।

श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी : मैंने आपको शिकायत भेजी थी ।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अगर हमें ऐसी कुछ कम्पलेंट्स मिलेंगी तो हम उसकी जरूर जांच करवायेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यदि आंकड़े देखे जायें तो 22 हजार और 21 हजार में केवल 30 और 82 नमूने जाली पाये गये हैं। यह इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं लेबोट्री का जो टेस्टिंग सिस्टम है, उसमें कहीं न कहीं खामी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नकली दवाओं की जो शिकायत होती है तो क्या कोई ऐसी निष्पक्ष एजेंसी है, या सरकारी लेबोट्रीज है, जहां इसकी जांच कराई जाती है? क्या मंत्री महोदय को यह शिकायत मिली है जैसे किसी आदमी को नकली दवाई दी गयी तो वह डाक्टर को कम्पलेंट करता है, अस्पताल को कम्पलेंट करता है । जब वह डाक्टर उसकी शिकायत करता है तो निर्णय देने से पहले उससे कन्सर्न नहीं किया जाता है और रिपोर्ट लिखकर भेज दी जाती है कि वह दवाई नकली नहीं थी, वह सही दवाई थी ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए किसी इंडीपेंडेट लेबोरेट्री की स्थापना करने पर विचार कर रही है तथा जो डाक्टर यह कम्पलेंट करता है कि वह दवाई नकली है, उन डाक्टरों से क्या बातचीत की जाती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृप्या, सभा में व्यवस्था बनाये रखिये ।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, दवाइयों की 3-4 श्रेणियां हैं । ये हैं अवमानक औषधियाँ, नकली औषधियाँ, मिलावटी औषधियां तथा अद्यापदार औषधियाँ । इन औषधियों के लिये विशिष्ट अनुदेश हैं तथा इन्हीं के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है । केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को प्रयोगशालाएँ विकसित करने हेतु सहायता दे रही है । हम चंडीगढ़, गुवाहटी तथा हैदराबाद में क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाएँ बनाने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है और उसी का पालन किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आजकल तो पानी भी शुद्ध नहीं मिलता, पानी की बोतल में भी मिलावट होती है ।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को विशेषकर स्वास्थ्य मंत्रालय को कुछ संसदीय समितियों द्वारा नकली औषधियों के खतरों, इनकी उपलब्धता और उनके उत्पादन इत्यादि की जांच किए जाने की जानकारी है ।

कुछ संसदीय समितियों ने सरकार की औषध नीति की जांच के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को मॉनीटर करने, उसको कैसे व्यापक बनाया जाए और सुधारा जाए तथा वर्तमान अपर्याप्त प्रणाली के बारे में क्या किया जाना चाहिए के सम्बन्ध में कुछ कतिपय सिफारिशें दी हैं मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के ध्यान में संसदीय समितियों

द्वारा दी गई क्या अनुशंसायें आई हैं? यदि हां तो इन समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम होगा कि ऐसी सिफारिशों पर कार्यवाही करने हेतु एक निर्धारित प्रक्रिया है । सरकार इनकी जाँच करती है तथा एक की गई कार्यवाही सम्बंधी प्रतिवेदन देती है । इसका इस प्रकार से उत्तर नहीं दिया जा सकता है । यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत मामला बन जाता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करिये, मैं सरकार से आशा नहीं करता हूं कि वह इस प्रकार से विचार किये जा चुके पहलुओं पर उत्तर दे ।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि सरकार की नाक के सामने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चर्म रोग विभाग में कुछ नकली दवाइयां बनाने और उनको इस्तेमाल करने का मामला प्रकाश में आया था ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : अध्यक्ष महोदय, नाक के सामने या आंख के सामने ।

अध्यक्ष महोदय : नाक और आंख एक दिशा में ही जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मेरे विचार से सरकार के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत का मामला नहीं आया है । अगर ऐसा मामला प्रकाश में आता है तो नि:संदेह उपयुक्त कार्यवाही की जायगी, सरकारी अस्पतालों में दवाइयों को क्रय करने के सम्बंध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का अपना मेडिकल स्टोर विभाग उपयुक्त जांच-पड़ताल के पश्चात् ही सरकारी अस्पतालों को दवाइयां सप्लाई की जाती हैं ।

[हिन्दी]

डा. जी. एल. कनोजिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांइट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न मत उठाइए।

[हिन्दी]

आप क्वश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

डा. परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि पिछले दो वर्षों में नकली दवाइयों के 30 और 82 मामले पकड़े गए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने मामले आयुर्वेद के थे, कितने यूनानी थे, कितने एलोपैथी के थे और कितने होम्योपैथी के थे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको मालूम है तो बता दीजिए नहीं तो लिखकर भेज दीजिए ।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को सूचित करूँगा।

मेडिकल डिग्री

*503. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने कुछ ब्रिटिश मेडिकल डिग्रियों की मान्यता समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन ब्रिटिश मेडिकल डिग्रियों की मान्यता समाप्त करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). मई, 1975 में यूनाइटेड किंगडम की सामान्य चिकित्सा परिषद ने सभी भारतीय चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता एकपक्षीय रूप से वापस ले ली । भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता 11 नवम्बर, 1978 से वापस ले ली गई है तथा वे अब भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रयोजन से मान्यता प्राप्त नहीं है चाहे वे भारतीय नागरिकों द्वारा प्राप्त की गई हो ।

(घ) भारतीय चिकित्सा परिषद ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को धारा 12(2) के अंतर्गत डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता का नवीकरण करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की सामान्य चिकित्सा परिषद के साथ बातचीत शुरू की है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे में सिर्फ दो ही प्रश्न कर सके हैं।

[अनुवाद]

आपको यह बात भी समझनी होगी ।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले एक सवाल उठाया था जिसमें यह बताया था कि स्पैशलाईज्ड ट्रीटमैंट के लिए हिन्दुस्तान

से पौलीटीशियन्स भी इलाज के लिए वहां गए थे जिन पर एक साल में हमारा 20 करोड़ रुपये का फौरन एक्सचेंज खर्च हुआ था ।

हमारे जो स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, एम.बी.बी.एस. होने के बाद भी उन्हें वहां एण्ट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और उन्हें डिग्री मिल जाती हैं । भारत सरकार उन्हें यहां आने के लिए अपील करती है कि आपको यहां वापस आना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वह उनकी डिग्री को रिकगनाइज नहीं कर रही है । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि विश्व भर में ऐसे कितने देश हैं, उनकी कौन-कौन सी डिग्रीज को हमने यहां मान्यता नहीं दी है? आप अमेरिकन डिग्री को मान्यता देते हैं और ब्रिटिश डिग्री को मान्यता नहीं देते हैं । वहां की नई टैक्नोलोजी, नया एडवांस सिस्टम अपनाने के बाद वह हिन्दुस्तान आते हैं तो हमारे यहां बाहर के लोग इलाज कराने के लिए आने लगे हैं, उससे हमारी फारेन एक्सचेंज अर्निंग भी बढ़ सकती है तो आप यह मान्यता उनको क्यों नहीं देते हैं ?

[अनुवाद]

डा. सी. सिल्वेरा : महोदय, ब्रिटेन के दो विश्वविद्यालय अभी भी ऐसे हैं, जिनकी डिग्रियों को अभी हमें मान्यता देनी है । चूंकि उन्होंने सभी भारतीय संस्थाओं की डिग्रियों को मान्यता नहीं दी है, अत: यह सरकार की जवाबी कार्यवाही है । दोनों देशों की डिग्रियों को आपस में मान्यता प्रदान करने के लिए भारत तथा ब्रिटेन की चिकित्सा परिषदों में बातचीत चल रही है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : हमे फारेन एक्सचेंज भी नहीं बचानी है । मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं । अभी हिन्दुस्तान में जो मैडीकल काउंसिल आफ इंडिया है, वह जो स्पेशलाइज सबजैक्ट्स रहते हैं, नैफ्रोलोजी रहती है, कार्डियोलोजी रहती है, न्यूरोलोजी रहती है, प्लास्टिक सर्जरी रहती है, उनको अभी तक आपने मान्यता दी है या नहीं दी है ? अगर नहीं दी है, तो क्या वह इल्लीगल ट्रीटमैंट दे रहे हैं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं ? जो सिर्फ एम.बी.बी.एस होता है, उसे रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, लेकिन इन सबजैक्ट्स को यह रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं और उन्हें मान्यता भी नहीं देते हैं, यह सही है या गलत है ?

[अनुवाद]

डा. सी. सिल्वेरा : नवम्बर, 1978 के बाद से भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा ब्रिटेन के सभी विश्वविद्यालयों, केवल दो को छोड़कर, से प्राप्त डिग्रियों को भारतीय चिकित्सा परिषद् ने मान्यता नहीं दी है ।

श्री मोहन रावले : यह उत्तर संतोषजनक नहीं है ।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहिये अथवा प्रधान मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करके कुछ बताना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह एक मुश्किल प्रश्न है और आपको इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ेगा ।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं चलेगा ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : परिषद् इस पर विचार करेगी ।

डा. कृपासिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने निम्नलिखित उत्तर दिया है :

> "भारतीय चिकित्सा परिषद ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 12 (2) के अन्तर्गत आपस में डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के नवीकरण के लिए ब्रिटेन की जनरल मेडिकल काउंसिल के साथ बातचीत शुरू की है।"

चिकित्सा परिषद् अधिनियम में प्रशिक्षण, परीक्षा, नियमित चिकित्सा शिक्षा अथवा प्राथमिक चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था है । लेकिन उन भारतीय राष्ट्रिकों के संबंध में जो ब्रिटेन में अध्ययन कर रहे हैं और जो चिकित्सीय दवाओं के विशेषज्ञ हैं, यह धारा पर्याप्त नही है । चिकित्सीय शब्दावली में चिकित्सीय दवाओं से तात्पर्य केवल दवाइयों से ही नहीं है बल्कि सभी दवाइयों में दक्षता प्राप्ति से है । चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक वर्ष 1989 में राज्य सभा में पेश किया गया था । वर्तमान अधिनियम में पृष्ठ 27 पर एक उपबंध है और मैं उसको उद्धृत करता हूं ।

> "परिषद् संपूर्ण सूक्ष्म परीक्षण तथा अन्य असाधारण परीक्षण करेगी तथा स्वयं संतुष्ट होगी ।"

जब तक इस नियमित चिकित्सा शिक्षा विधान में संशोधन नहीं किया जाता और हमारे देश में कुकुरमुत्ते की भांति बढ़ रहे चिकित्सा कालेजों की संख्या पर रोक नहीं लगाई जाती तब तक ब्रिटेन की परिषद् के साथ तर्क करना और उनके चिकित्सा मानकों की बराबरी करना व्यर्थ होगा । अत:, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ब्रिटेन में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे हमारे छात्रों के लाभ के लिए वह संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रस्तावित चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक को, जो राज्य सभा में लंबित पड़ा है, पुर:स्थापित करेंगे और पारित करेंगे तथा दूसरे, क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हमारे विशेषज्ञ तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् इस मामले पर विचार करके ब्रिटेन की जनरल मेडिकल काउंसिल के साथ बातचीत करेंगे ताकि चिकित्सा शिक्षा का मानकीकरण हो सके और अंतत: ब्रिटेन में इस प्रवेश परीक्षा पर रोक लग सके ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का जवाब संक्षेप में ही दीजिये । क्या आप इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कानून में परिवर्तन करना चाहते हैं ?

डा. सी. सिल्वेरा : भारतीय चिकित्सा परिषद ने यह प्रस्ताव रखा है कि विदेश से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकरण से पहले संपूर्ण सूक्ष्म परीक्षण कराया जाए । यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

डा. वसंत पवार : महोदय, जवाब में यह बताया गया है कि ब्रिटेन की चिकित्सा परिषद् ने 1975 में भारतीय डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने से मना कर दिया था । यह इकतरफा कार्यवाही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है हमारी डिग्रियों को इकतरफा रूप में मान्यता प्रदान करने से इंकार करने के क्या कारण थे ? दूसरे, क्या जनरल मेडिकल काउंसिल ने भारत में पढ़ाये जाने वाले चिकित्सा पाठ्यक्रमों, मेडिकल कालेजों का यह पता लगाने के लिए कि यह ब्रिटेन की डिग्रियों के समान है अथवा नहीं निरीक्षण करने हेतु कोई शर्त रखी है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रतिभा पलायन को मद्दे नजर रखते हुए क्या सरकार ब्रिटेन की डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने हेतु सरकार को दिशा निर्देश देगी ।

डा. सी. सिल्वेरा : महोदय, ब्रिटेन की जनरल मेडिकल काउंसिल द्वारा भारतीय डिग्रियों को मान्यता प्रदान न करने के कारण नहीं बताए गए हैं।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, मंत्री जी ने जो कुछ कहा है वह गलत है कि ब्रिटेन की कुछेक विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त डिग्रियों को हमारे देश में मान्यता दी जाती है जबकि लिखित जवाब में उन्होंने बताया है कि भारतीय राष्ट्रिकों की डिग्रियों को भी मान्यता प्रदान करने से साफ-साफ इन्कार कर दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें न तो गुमराह होना चाहिये और न ही किसी को हमें गुमराह करना चाहिये ।

डा. मुमताज अंसारी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है : ब्रिटेन से प्राप्त कितने डिग्री-धारक भारतीय राष्ट्रिक इस अमान्यीकरण से प्रभावित हुए हैं ? भारत द्वारा मान्यता प्रदान न करने से कितने ब्रिटेन के नागरिक प्रभावित हुए हैं ? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां गंवाने वाले कितने और डाक्टरों को सरकार ने पुनर्वासित किया है ? और उनके पुनर्वास के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कितने लोग प्रभावित हुए हैं और आप किस प्रकार से उनकी मदद करने जा रहे हैं ?

डा. सी. सिल्वेरा : महोदय, प्रभावित लोगों की संख्या ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इनकी संख्या के आंकड़े भेज सकते हैं।

डा. मुमताज अंसारी : जी नहीं, जी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं यह कहूं कि इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, आपका धन्यवाद । आपने मेरा बचाव किया है ।

डा. सी. सिल्वेरा : महोदय, 23 मार्च, 1995 को भारतीय चिकित्सा परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने विचार किया था कि परिषद् ने दोनों देशों द्वारा दी गई डिग्रियों और डिप्लोमों को मान्यता प्रदान कराने के लिए ब्रिटेन की जनरल मेडिकल काउंसिल के साथ आदान-प्रदान की नीति स्थापित करने के लिए और उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने तथा ब्रिटेन की जनरल मेडिकल काउंसिल के साथ बातचीत शुरू करने के लिए समिति ने 24.3.95 को कार्यकारिणी समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया है । भारतीय चिकित्सा परिषद् ब्रिटेन की परिषद् के साथ बातचीत शुरू करने जा रही है ।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, कृपया मेरा बचाव कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही जवाब दे चुके हैं । वे उनसे बात कर रहे हैं।

मलेरिया नियंत्रण

*504. **श्री राम नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत दवाइयों और कीटनाशकों की सप्लाई अनियमित तथा अपर्याप्त है ;

(ख) उपरोक्त वस्तुओं में से प्रत्येक की राज्यवार मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मलेरिया ग्रस्त राज्यों द्वारा खरीदी गई दवाओं पर हुए खर्च के मामले में 50 प्रतिशत की राजसहायता हेतु उनके द्वारा जो अनुरोध किए गए थे, उन पर राज्यवार क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, नहीं ।

(ख) सूचना अनुबंध में दी गई है ।

(ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50:50 लागत वहन करने के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है ।

अनुबन्ध

1994-95 के दौरान पेस्टीसाइडों की मांग एवं आपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	डी.डी.टी. 50%		बी.एच.सी. 50%		मैलाथियान 50%	
		मांग	आपूर्ति मात्रा (मी.ट.में)	मांग	आपूर्ति मात्रा (मी.ट.में)	मांग	आपूर्ति मात्रा (मी.ट.में)
1.	आंध्र प्रदेश	904.00	463.00	429	250	-	
2.	असम	1400.00	800.00	80	80	-	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	90.00	180.00	--	-	-	-
4.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	30.00	68.00	-	-	-	
5.	बिहार	1536.50	400.00	-	-		
6.	चण्डीगढ़	7.00	7.00		-	-	
7.	गुजरात	1740.00	900.00	-	-	5300	350
8.	जम्मू व कश्मीर	60.00	88.00		-	-	-
9.	महाराष्ट्र	920.00	916.00	640	640	-	-
10.	मणिपुर	36.00	90.00	-	-	-	-
11.	मध्य प्रदेश	1723.62	1101.00	3189.5	3060	-	-
12.	मिजोरम	105.00	165.00	-		-	-
13.	नागालैंड	100.00	200.00	-	-	-	-
14.	उड़ीसा	120.00	120.00	135	108	-	-
15.	पंजाब	378.00	279.00	450	70	50	50
16.	पांडिचेरी	1.00	1.00	-	-	-	-
17.	राजस्थान	353.00	523.00	1995	550	-	-
18.	त्रिपुरा	300.00	210.00	-	-	-	-
19.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-
20.	प. बंगाल	486.00	480.00	244	488	-	-
21.	कर्नाटक	350.00	349.00	50	50	60	60
22.	उत्तर प्रदेश	742.00	537.50	1500	426	-	-
23.	मेघालय	85.00	100.00	-	-	-	-
24.	हिमाचल प्रदेश	200.00	180.00	30	30	-	-
25.	गोवा	-	5.00	-	-	-	-
26.	केरल	13.75	18.75	-	-	-	-
27.	दमन व द्वीप	-	-	5	8	-	-
28.	हरियाणा	-	-	760	495	1835	200
29.	तमिलनाडु	-	-	30	50	-	-
30.	दादरा व नगर हवेली	-	-	-	-	50	40
		11680.87	8181.25	9537.5	6305	7295	700

वर्ष 1994-95 के दौरान क्लोरोक्विन फास्फेट गोलियों एवं एमोडिक्विन की आपूर्ति की स्थिति

क्रम. सं.	राज्य/सं.रा.क्षेत्र	क्लोरोक्विन फास्फेट (मात्रा लाखों में)		एमोडीक्वीन (मात्रा लाखों में)	
		मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1.	आंध्र प्रदेश	400.00	443.20	5.00	3.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	20.00	3.00	1.00
3.	असम	130.00	105.00	30.00	13.20
4.	बिहार	160.00	85.00	10.00	---
5.	गोवा	2.00	4.00	---	---
6.	गुजरात	350.00	451.00	10.00	---
7.	हरियाणा	95.00	95.00	---	---
8.	हिमाचल प्रदेश	15.00	15.00	---	---
9.	जम्मू व कश्मीर	8.00	8.00	---	---
10.	कर्नाटक	200.00	400.00	---	---
11.	केरल	25.00	25.00	---	---
12.	मध्य प्रदेश	400.00	505.00	15.00	13.00
13.	महाराष्ट्र	675.00	830.00	10.00	8.00
14.	मणिपुर	20.00	20.00	10.00	5.00
15.	मेघालय	----	5.50	7.00	9.00
16.	मिजोरम	10.00	10.00	4.00	3.00
17.	नागालैंड	0.40	0.40	5.00	5.00
18.	उड़ीसा	185.00	240.00	---	10.00
19.	पंजाब	150.00	150.00	---	---
20.	राजस्थान	175.00	345.00	---	---
21.	सिक्किम	1.00	1.00		---
22.	तमिलनाडु	100.00	150.00	--	---
23.	त्रिपुरा	30.00	25.00	---	---
24.	उत्तर प्रदेश	700.00	480.00	---	---
25.	प. बंगाल	80.00	8.00	---	---
विधान मंडल वाले सं.रा.क्षेत्र					
1.	दिल्ली	30.00	47.00	---	---
2.	पांडिचेरी	2.00	2.00		---
विधान मंडल रहित सं.रा.क्षेत्र					
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7.00	7.00	1.50	4.00
2.	चण्डीगढ़	2.00	2.00	--	--
3.	दादरा व नागर हवेली	3.00	3.00	---	
4.	दमन व दीव	1.00	1.00	---	---
5.	लक्षद्वीप	---	0.20	---	---
		3966.40	4483.30	110.50	74.20

1994 के दौरान प्राइमाक्वीन गोलियों की मांग और आपूर्ति

लाख रुपयों में

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षेत्र	मांग		आपूर्ति	
		2.5 मि.ग्रा.	7.5 मि.ग्रा.	2.5 मि.ग्रा	7.5 मि.ग्रा.
1.	आंध्र प्रदेश	2.00	2.00	2.00	2.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.00	3.00	1.20	3.50
3.	असम	5.00	15.00	--	3.60
4.	बिहार	2.00	3.00	1.98	3.00
5.	गोवा	0.20	0.50	--	0.06
6.	गुजरात	15.00	40.00	29.00	20.80
7.	हरियाणा	6.00	--	5.50	0.85
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	--	--
9.	जम्मू व कश्मीर	0.05	0.10	0.10	--
10.	कर्नाटक	5.00	5.00	7.50	15.50
11.	केरल	--	--	1.00	1.00
12.	मध्य प्रदेश	40.00	20.00	15.00	11.00
13.	महाराष्ट्र	60.00	18.00	14.20	18.40
14.	मणिपुर	0.25	10.00	0.16	3.85
15.	मेघालय	0.50	शून्य	--	1.00
16.	मिजोरम	2.00	3.00	--	--
17.	नागालैंड	0.05	0.20	0.04	0.20
18.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	2.00	1.00
19.	पंजाब	शून्य	शून्य	---	---
20.	राजस्थान	4.02	7.75	---	41.30
21.	सिक्किम	0.01	शून्य	---	---
22.	तमिलनाडु	5.00	10.00	---	---
23.	त्रिपुरा	5.00	6.00	0.40	0.10
24.	उत्तर प्रदेश	20.00	20.00	1.00	9.00
25.	प. बंगाल	2.50	3.00	3.00	4.00
	कुल राज्य	177.58	166.55	84.08	139.66
विधान मंडल वाले सं.रा.क्षेत्र					
1.	दिल्ली	1.10	1.15	2.00	8.53
2.	पांडिचेरी	0.03	0.07	0.04	0.07
	कुल विधान मंडलों वाले सं.रा.क्षेत्र	1.13	1.22	2.04	8.60
विधान मंडल रहित सं.रा.क्षेत्र					
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.50	0.60	0.40	0.60
2.	चण्डीगढ़	2.00	3.00	---	---
3.	दादरा व नागर हवेली	0.35	0.45	--	--
4.	दमन व दीव	0.10	0.02	--	--
5.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	--	--
	कुल विधान मंडल रहित सं.रा.क्षेत्र	2.95	4.07	0.40	0.60
	महायोग	181.66	141.84	86.52	148.86

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत दवाइयों और कीटनाशकों की सप्लाई अनियमित तथा अपर्याप्त है । इस प्रश्न का मंत्री जी ने उत्तर दिया है, नहीं । इसका मतलब है सप्लाई नियमित तथा पर्याप्त है, ऐसा आपका कहना है । अब कीटनाशकों में डी.डी.टी. का एक महत्वपूर्ण स्थान है और आपने पेज नं. 2 पर जो जानकारी दी है वह यह है कि उसकी कुल मिला कर मांग 11680 टन है और सप्लाई 8181 टन है । इसका मतलब 3500 टन की कमी है । क्या यह इनएडीक्वेट नहीं लगता है, यह आपको कैसा लगता है मुझे पता नहीं चल रहा है । अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जो सरकार के पास है वह भी ठीक प्रकार से वितरित नहीं होता हैं । आपने जो आंकड़े दिए हैं उनसे पता चल रहा है । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे ही प्रश्न पर आ सकते हैं ।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं ।

[हिन्दी]

इसमें दिखाई देता है कि असम ने 1400 टन मांगे है और आपने उनको केवल 800 टन दिए हैं । इसका मतलब 56 परसैंट कम दिए हैं । अरूणाचल ने 90 टन मांगे हैं उनको 180 टन दिए हैं, मतलब डबल दिए है । राजस्थान ने 353 टन मांगे हैं और आपने उनको 523 टन दिए हैं, मतलब 55 परसैंट ज्यादा दिए हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से कम ज्यादा क्यों कर रहें हैं ? क्या इस सप्लाई को कुछ मानिटर करने की आपकी कोई व्यवस्था है, यह कम-ज्यादा सप्लाई क्यों हुई है यह मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, यह सच है कि राज्य सरकारें अपनी मांगे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करती हैं और राष्ट्रीय मलेरिया निदेशालय में हमारे विशेषज्ञ उनके साथ चर्चा करते हैं ।

यह भी सही है कि हमने कुछ राज्यों को अधिक आपूर्ति की है । महामारी का अनुमान लगाने और अन्य अध्ययन करने के बाद हमने पाया है कि उनकी जरूरत अधिक थी । अत: हमने उन्हें अधिक आपूर्ति की कुछ मामलों में हमने पिछले वर्ष का स्टॉक लिया हमने यह देखा कि क्या वे स्टॉक का ठीक से उपयोग कर रहे हैं या नहीं। हम इन सब बातों पर निगरानी रखकर ही उन्हें आपूर्ति करते हैं ।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मंत्री जी कहते हैं कि मानिटर कर रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वह मॉनिटर कर रहे है । मेरा दूसरा सवाल यह है कि अंतिम पेज में प्राइमाक्वीन गोलियां बताई गई हैं जो मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण है । इसमें सब लोगो ने मिल कर 181 लाख रुपये की मांग की है और आपने सप्लाई 86 लाख रुपये किये हैं, मतलब 50 प्रतिशत । अब इसका भी बंटवारा कैसे हो रहा है । महाराष्ट्र ने 60 लाख मांगा है लेकिन उनको 14 लाख दिया है, मतलब 25 प्रतिशत । गुजरात ने 15 लाख मांगा है उनको 29 लाख दिया है, मतलब डबल दिया है और असम ने 5 लाख मांगा है लेकिन उनको कुछ नहीं दिया है । असम, गुजरात और महाराष्ट्र में यह मांग और सप्लाई मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, ये जो स्थितियां तीन राज्यों में हुई हैं, ऐसा क्यों हुआ है यह पता नहीं चल रहा है। क्या इसकी जानकारी आप देंगे ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, प्राइमाक्वीन टैबलेट्स केवल कुछ ही क्षेत्रों में दी जाती है । लेकिन क्लोरोक्वीन टैबलेट्स औषधि प्रतिरोध और अन्य बातों के अनुसार सभी राज्यों को दी जाती है । हम इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही प्राइमाक्वीन टैबलेट्स की आपूर्ति करते हैं। हम प्राइमाक्वीन टैबलेट्स सभी राज्यों को समान रूप से नहीं देते हैं ।.....(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : असम में आपने कुछ नहीं दिया है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बहुत ही तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से उत्तर दिया ।

श्री किरिप चलिहा : महोदय, असम में मलेरिया उन्मूलन विषय एक बहुत बड़े विवाद का विषय है विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि असम में मलेरिया ने गंभीर महामारी का रूप ले लिया है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई है और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं ।

क्या मंत्री महोदय हमें बताएंगे कि क्या असम में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया गया है । यदि किया गया है तो राज्य में इस बीमारी का अनुपात इतना अधिक क्यों है ? यदि नहीं किया गया है तो अपना यह सुनिश्चित करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई करने का विचार है कि इस तरह की बातें फिर न हों ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने पिछले दिसम्बर में हमारे देश में मलेरिया की स्थिति के बारे में एक समीक्षा बैठक की थी। महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कठिन तराई और स्थिति पर विचार करते हुए सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को शतप्रतिशत सहायता देने पर सहमत हुई थी क्योंकि उन क्षेत्रों में मलेरिया होने के बहुत से मामले प्रकाश में आए थे। असम में इस वर्ष बरसात कुछ जल्दी शुरू हो गई थी और इस प्रकार मलेरिया की बीमारी भी कुछ पहले ही उभर आई थी।....(**व्यवधान**)

श्री किरिप चलिहा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या असम में डी.डी.टी और दवाओं का छिड़काव किया गया था और क्या वहां पर

अन्य कारगर निरोधक कदम भी उठाए गए थे । असम में लोग इस तरह से क्यों मर रहे हैं ? आप इस स्थिति को कब तक बने रहने देंगे ?.....(व्यवधान)

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेदारी है।.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको कोई निर्णय नहीं लेना है । आप अपने ढंग से चालिए ।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, केन्द्र सरकार की ओर से हमने सभी कदम उठाए हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री पवन सिंह घाटोवार : हमने सभी अनुदेश दे दिए हैं। .....(व्यवधान)

श्री किरिप चलिहा : फिर यह बीमारी क्यों हो रही है ? अभी भी लोग क्यों मर रहे हैं ?.....(व्यवधान)

श्री पवन सिंह घाटोवार : यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मर रहे हैं । हम राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं ।.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। आप मेरी बात सुनिए ।

श्री पवन सिंह घाटोवार : हम राज्य सरकार को अपेक्षित तकनीकी, चिकित्सीय और व्यक्तिगत सहायता दे रहे हैं । हम राज्य सरकार को हर संभव सहायता दे रहे हैं ।

डा. वसंत पवार : अध्यक्ष महोदय, डी.डी.टी, बी.एच.सी. और मालाथियन जैसे कीटनाशक हैं । मेरा प्रश्न डी.डी.टी, बी.एच.सी. और मालाथियन के प्रति और प्लाज्मोडियन विवेक्सिन प्लाज्मोडिकन फालसीपैरम से मच्छर में जो प्रतिरोधी क्षमता पैदा हो गयी है उससे संबंधित है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत किस तरह का अनुसंधान किया है । हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं एक चिकित्सक हैं और मुझे विश्वास है कि वह मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे ।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं चिकित्सक नहीं हूं । .....(व्यवधान)

डा. वसंत पवार : आप एक चिकित्सक की तरह बोल रहे हैं।..(व्यवधान)

श्री पवन सिंह घाटोवार : प्रधान मंत्री जी के निर्देश के बाद हमने राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए अपने देश के प्रसिद्ध मलेरिया विशेषज्ञ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है । कई क्षेत्रों में प्रायोगिक अध्ययन किया गया है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि यह एक विश्वव्यापी घटना है कि कुछ विशेष क्षेत्रों में मौजूदा औषधियों के प्रति प्रतिरोध क्षमता बढ रही है । हम इस बारे में चिन्तित हैं और सरकार भी इन समस्याओं की ओर ध्यान दे रही है ।

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनौजिया : मैं प्रधान मंत्री जी जो यूनियन मिनिस्टर आफ हैल्थ हैं, उनको दो बार पत्र लिख चुका हूं ।.....(व्यवधान)..... जो हमारे आईसीएमआर जनरल बाडी के चेअरमैन हैं, इनके अलावा और कोई उसकी चेअरमैनशिप नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी मीटिंग नहीं हो सकी है । मैं आपको दो बार लिख चुका हूं । जो मलेरिया प्रोग्राम है उसका जैट व्हाइट एलीफेंट इंडियन कौंसिल आफ मेडीकल रिसर्च है, जिसके बहुत से डायरेक्टर्स हैं और उनके महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं । जैसे एक एडीशनल डायरेक्टर जनरल आफ मेडीसन।

अध्यक्ष महोदय : देखिए कहीं से कहीं जा रहा है यह मामला।

डा. जी.एल. कनौजिया : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो पद टाप लेवल पर खाली पड़े हुये हैं, इनको भरने के लिए आपने क्या किया है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह के प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

डा. जी. एल. कनौजिया : मलेरिया के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय : आप मलेरिया के संबंध में पूछिए, मैं मौका दे रहा हूं । आप अपायंटमेंट्स के ऊपर जा रहे है ।

[अनुवाद]

कृपया गौर करें कि यह उन क्षेत्रों में औषधि आपूर्ति से सम्बन्धित विषय है जहां मलेरिया फैला है ।

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनौजिया : देखिए मलेरिया के डायरेक्टर जो हैं, वही नहीं हैं तो नीचे लोग क्या करेंगे। 4 साल से पद खाली पड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई प्रश्न है तो पूछिए, मैंने खासकर के आपको समय दिया है ।

डा. जी. एल कनौजिया : थैंक्यू वैरी मच सर । यूनियन हैल्थ मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और कुछ जनरल बाडीज को ये ही प्रिसाइड कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत समय ले रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जनरल बाडी में मलेरिया पर कैसे रोकथाम की जाए, इसकी चर्चा ही नहीं होती । जगह खाली पड़ी है और जो जगह खाली है, उसको मच्छर भर रहे हैं ।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : मैंने ऐसा उनसे कभी

नहीं कहा है कि मेरे पास जनरल बाडी में जाने और उसकी अध्यक्षता करने के लिए समय नहीं है । हो सकता है कि जनरल बाडी की बैठक नियत न की गई हो । परन्तु यह मेरी गलती नहीं है कि बैठक नियत नहीं की गई । ऐसा हो सकता है । मैं देखूँगा कि क्या जनरल बाडी की बैठक बुलाने की आवश्यकता है । हालांकि मैं प्रधान मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री हूँ फिर भी मैं नि:संदेह इसके लिए समय निकालूंगा । जैसा कि मेरे साथी ने कहा है कि मैंने देश में विभिन्न संक्रामक रोगों के बारे में विशेष बैठकें की हैं क्योंकि मैं स्वयं इस मामले में रुचि रखता हूं ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : वर्ष 1984 के उपरांत मलेरिया के रोगियों की संख्या में कमी नहीं आई है । यह बीमारी कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे जनजातीय क्षेत्रों में पनप रही है । मंत्री जी द्वारा दिये गए आँकड़ों से पता चलता है कि न केवल सिर्फ असम अपितु मणिपुर, त्रिपुरा इत्यादि को भी पर्याप्त मात्रा में दवाइयां नहीं मिल रहीं हैं । मांग और आपूर्ति में काफी अंतर है । मलेरिया रोकथाम कार्यक्रम में दो अन्य रोगों को शामिल किया गया है । पहला रोग है कालाजार तथा दूसरा फिलेरिया, अगर इन सबको एक साथ लिया जाए तो मालूम चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में मलेरिया रोकथाम कार्यक्रम हेतु आबंटन में कोई बढ़त नहीं की गई है । कभी पैसा फिलेरिया के लिए और कभी कालाजार के लिए दे दिया जाता है । मलेरिया की तरह यह भी घातक रोग हैं । परन्तु जब तक मलेरिया के लिए आबंटन बढ़ाया नहीं जाता है मेरे विचार में इस समस्या का हल ढूँढना मुश्किल है। इसलिये मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मलेरिया रोकथाम कार्यक्रम तथा फिलेरिया रोकथाम कार्यक्रम के लिए अलग-अलग आबंटन किया जायेगा?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुये पिछले दिसम्बर से केन्द्र सरकार शत-प्रतिशत सहायता दे रही है । यह सच है कि जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया फाल्सीपरूम के मामले अधिक होते हैं । मलेरिया की रोकथाम के लिये भारत सरकार जनजातीय क्षेत्रों में एक पृथक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है तथा उनको सीधे सहायता देने के उद्देश्य से एक विशेष परियोजना भी शुरू करने जा रही है ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, फिलेरिया और कालाजार के बारे में भी बताइये । क्या इनके लिये भी अलग से आबंटन किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इन दोनों क्षेत्रो के लिए अलग-अलग आबंटन किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : मलेरिया, कालाजार तथा फिलेरिया के लिये अलग-अलग आबंटन किया जाता है । बिहार राज्य में कालाजार की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार को पिछले वर्ष विशेष आबंटन किया गया था । पूरे देश में यह 50 : 50 के अनुपात में दिया जाता है । अन्य मामलों में भी सरकार देखेगी कि वित्तीय सहायता की कमी के कारण देश के नागरिकों को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े ।

डा. मुमताज अंसारी : जहां तक बिहार का प्रश्न है राज्य को कोई पृथक आवंटन नहीं किया गया है ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मलेरिया का प्रकोप गंदी बस्तियों और बाढ़-पीड़ित एरिया में अधिक होता है । जब उससे लोगों की मृत्यु हो जाती है तब उनको सरकार की तरफ से राहत की और दवा की व्यवस्था की जाती है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं सरकार पहले से ही गंदी बस्तियों और बाढ़-पीड़ित एरिया से सचेत रहे और वहां समुचित व्यवस्था करे ताकि मलेरिया का प्रकोप ही न रहे ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा सुझाव है इस सुझाव को आप नि:संदेह स्वीकार करेंगे ।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है ।

कुमारी फ्रिडा तोपनो : महोदय, मैं आपके माध्यम से, पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उड़ीसा का जनजातीय जिला, सुदंरगढ मलेरिया अधोगामी क्षेत्र है तथा प्रत्येक वर्ष जनजातीय लोग इस रोग के शिकार होते हैं। जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है मैं आपके माध्यम से, जानना चाहता हूं कि क्या राऊरकेला में कार्यरत मलेरिया अनुसंधान केन्द्र उड़ीसा से हटाकर राजस्थान स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हाँ, तो ऐसे प्रस्ताव पर क्यों विचार किया जा रहा है जबकि सुदंरगढ़ जिला मलेरिया अधोगामी क्षेत्र है ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : नए प्रस्ताव में सरकार ने उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों को भी शामिल किया है । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि स्थिति क्या है ? मै माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में जानकारी दे दूँगा ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वक्तव्य से मालमू चलता है कि वर्ष 1994-95 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने 80 लाख क्लोरोक्वीन फास्फेट की गोलियां उपलब्ध कराने की मांग की थी । जबकि सिर्फ 8 लाख गोलियां की ही आपूर्ति की गई है । पश्चिम बंगाल में मलेरिया का प्रकोप देखते हुये क्या सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार को मांग के अनुसार अधिक गोलियां आबंटित करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ सामंजस्य बनाये हुए है और 50 : 50 के अनुपात की परिसीमा में केन्द्र सरकार नि:संदेह पश्चिम बंगाल की सरकार के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा करेगी ।

श्री मृत्युन्जय नायक : मलेरिया के टीके की वस्तु स्थिति क्या है? हाल ही में कोलम्बिया में अत्याधुनिक उपाय अथवा मलेरिया के

टीके की सफलतापूर्वक खोज की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस मलेरिया के टीके को अपनायेगी ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : कोलम्बिया में मलेरिया के टीके की खोज का दावा किया गया है परन्तु अभी इसका परीक्षण जारी है । भारत सरकार ने इसओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है क्योंकि अभी वह अंतिम रूप से तैयार नहीं हुआ है ।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : मलेरिया की बीमारी पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले लोगों के बीच ज्यादा फैलती है .....

अध्यक्ष महोदय : जहाँ बारिश होती है, वहां भी फैलती है ।

श्री सूरज मंडल : हमारे यहाँ पहाड़ियों की आबादी तीन लाख थी । मलेरिया की बीमारी से उनकी मृत्यु होने लगी और अब उनकी आबादी सिर्फ 65,000 रह गई है, जब-जब बीमारी फैलती है, सरकार तभी ध्यान देती है.....

अध्यक्ष महोदय : आपने सुना नहीं, ट्राइबल्स के लिए खास प्रोग्राम बनाया है ।

श्री सूरज मंडल : मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्या वह कोई ऐसा प्रोग्राम बनायेगी...

अध्यक्ष महोदय : वह बना रहे हैं । उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया है।

श्री सूरज मंडल : जब हम डीडीटी मांगते हैं 1526 मीट्रिक टन वह नहीं मिलता है, फिर कैसे मलेरिया का उन्मूलन होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इन सबका जवाब आ गया है, आप पढ़ लीजिए।

श्री सूरज मंडल : राज्य सरकार को जो 50 प्रतिशत अंश देना होता है, वह देती है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : अगर सूचना है तो दीजिए, नहीं है तो मंगाकर दे दें।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : नि:संदेह, केन्द्र राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये हुये है । केन्द्र सरकार उनको हमेशा कहती रहती है कि वे मलेरिया कार्यक्रम के अपने दायित्वों को पूरा करें ।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : मलेरिया के मच्छरों को डीडीटी पाउडर से, फॉग मशीन से और कीटनाशक दवा का स्प्रे करके नियंत्रित किया जा सकता है । सरकार इन पर करोड़ों रुपया खर्च करती है। मैं अपने क्षेत्र में कमेटी का चेयरमैन था, मैने देखा है कि इन तीनों कीटनाशकों का असर मच्छरों पर कम होता है । इस पर मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या जुवेनल मलेरिया को काबू में रखने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक कीटनाशक ढूंढा गया है ? अगर नहीं, तो क्या सरकार इस पर सोच रही है, जिससे उस पर इसका असर हो?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैने पहले ही कह दिया है कि सरकार ने विख्यात मलेरिया विशेषज्ञ, डा. एस. पटनाइक, की अध्यक्षता में मलेरिया की समस्या तथा देश में कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बेअसर प्रतिरोध की समस्या का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की है।

12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि मानव ने मलेरिया की रोकथाम के लिये जितने प्रयत्न किये हैं, वे सब असमर्थ और असहाय सिद्ध हुये हैं । डीडीटी समाप्त हो गयी। मंहगी दवा बीएचसी मंगायी गयी, वह बेअसर हुई, गमेक्सिन मंगायी गयी, वह बेअसर हो गयी और मैनराथियान, जो दस गुना अधिक मूल्य पर मंगायी गयी, वह भी बेअसर हो गयी । तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो आयुर्वेदिक थ्योरी मे कहा गया है ।

मिथ्याहार विहारल्यां दोषाहया माशयाजमा:
वर्हिनिरस्थ कोष्ठाग्नि ज्वरादा: स्युरसानुगा:

अर्थात् मिथ्या आहार विहार के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं, क्या उनको उपयोग में लेने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि ऐसी सारी दवाईयां मलेरिया में फेल हो गयी हैं, वैज्ञानिक सिस्टम समाप्त हो गया है, यह मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें ।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : दवा की प्रभाविता खत्म नहीं हुई है । माननीय सदस्य, श्री जोशी जी, का सुझाव अच्छा है और भारत सरकार आयुर्वेदिक पद्धति को भी शामिल कर रही है । माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि मलेरिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने करीब 2 करोड़ 'आयुष- 64' गोलियों का क्रयादेश दिया है ।

महोदय, आपको मालूम होगा कि 'आयुष-64' एक आयुर्वेदिक उत्पाद है। मलेरिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार 'धुपम सामग्री' के प्रयोग पर भी विचार कर रही है ।

इस प्रकार सरकार इस रोग के रोकथाम में भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी शामिल कर रही है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयोडीन युक्त नमक

*505. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अधिकांश जनसंख्या को आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस समय आयोडीन-युक्त नमक की मांग कितनी है और इसका वर्तमान उत्पादन कितना है ; और

(घ) सन् 2000 ईसवी तक देश के सभी लोगों को ऐसा नमक उपलब्ध कराने के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने आयोडीन-युक्त नमक की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने हेतु उपाय आरंभ किए हैं ।

(ग) आयोडीन-युक्त नमक की प्रति वर्ष 50 लाख टन की आवश्यकता है । कम मांग के कारण इसका उत्पादन 34 लाख टन है ।

(घ) निजी क्षेत्र की 641 इकाइयों को नमक उत्पादन शुरू करने हेतु लाइसेंस दिए गए हैं जब वे इकाईया अपनी उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेगी तब इससे देश की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए ।

मानसिक अस्पताल

***506. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है ; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). निजी और राजकीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के कार्यकरण की कोई व्यापक समीक्षा की नहीं गई है । तथापि कुछ मानसिक संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलूर के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मानव आचरण एवं सहायक विज्ञान संस्थान, शाहदरा, रांची मानसिक आरोग्यशाला, रांची, ग्वालियर मानसिक अरोग्यशाला, ग्वालियर, आगरा मानसिक अरोग्यशाला, आगरा और लोकप्रिय गोपीनाथ बार्दोलाई मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के कार्यकरण की समीक्षा की गई है ।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलूर को विश्वविद्यालय स्तर का दर्जा प्रदान कर दिया गया है । मानव आचरण और सहायक विज्ञान संस्थान, शाहदरा को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है और अधिक वित्तीय आबंटन किया गया है । रांची मानसिक आरोग्यशाला, रांची, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर, आगरा मानसिक आरोग्यशाला, आगरा को स्वायत्त संस्थान, बना दिया गया है। लोकप्रिय गोपीनाथ बार्दोलाई मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर को स्वायत्त संस्थान, बनाने के लिए प्रशासकों के एक अन्तरिम बोर्ड का गठन किया गया है ।

सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन

***507. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और विश्व बैंक ने देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोई समझौता किया हैं ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा भारत को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की जाएगी ; और

(ग) इसकी शर्तें क्या-क्या हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). भारत सरकार ने भारत पुन: प्रयोज्य संसाधन विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण के रूप में 11 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है । यह परियोजना भारतीय पुन: प्रयोज्य ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । इस परियोजना में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा से 26 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान भी शामिल है।

तीन क्षेत्रों, अर्थात् पवन, लघु पन-बिजली तथा सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियों में पुन: प्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारतीय पुन: प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से आई आर आर डी पी की उदार ऋण दिया जाना भी शामिल है । इस परियोजना में आई.आर.ई.डी.ए. के संस्थागत विकास तथा पुन प्रयोज्य ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता भी शामिल है। धन-राशि का उपयोग 1993 से 1999 की अवधि के दौरान किया जाना है ।

भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण की अदायगी 25 वर्षों में करनी है जिसका आरंभ सन् 2003 से होगा । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण एक अनुषंगी ऋण समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आई.आर.ई.डी.ए. की 12.5 प्रतिशत का ब्याज दर पर आगे दिया जाता है तथा ऋण की अदायगी के लिए अधिस्थगन की भी व्यवस्था है ।

मेडिकल शिक्षा

***508. श्री सुकदेव पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अल्पावधि का मेडिकल शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा बनाने का है जो देश की वर्तमान आवश्यकता के अधिक अनुरूप हो ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) स्नातक पूर्व चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने और इसे संशोधित करके आवश्यकता के अधिक अनुरूप बनाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा अगस्त, 1992 में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी । भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने संशोधित पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया है जिसमें सामुदायिक आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि चिकित्सा छात्र समुदायोन्मुख डाक्टर बनने के लिए अपेक्षित दक्षता प्राप्त कर सकें । इसी प्रकार से इंटर्नशिप कार्यक्रम में भी संशोधन किया गया है । भारतीय वायुर्विज्ञान परिषद द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम को अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा गया था । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के साथ परामर्श करके संशोधित पाठ्यक्रम पर विचार किया गया और कुछ टिप्पणियों के साथ दस्तावेज को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को लौटा दिया गया है और उनसे कहा गया है कि वे विनियम के रूप में तैयार करके दस्तावेज को भारत सरकार के अनुमोदन के लिए पुनः प्रस्तुत करें ।

[हिन्दी]

फोटो पहचान-पत्र

***509. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :**

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह कार्य आगामी आम चुनावों से पूर्व पूरा कर लेने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) सभी मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र कब तक दे दिये जायेंगे ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । फिर भी, निर्वाचन आयोग ने बताया है कि वह इस बात पर बल देगा कि आगामी लोक सभा के साधारण निर्वाचनों से पूर्व पहचान-पत्र जारी करने के कार्य को कर लिया जाए।

आयुर्वेदिक औषधियां

***510. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ आयुर्वेदिक औषधियों पर प्रतिबंध लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों के नाम क्या हैं ;

(ग) इन औषधियों पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इन औषधियों पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व विशेषज्ञों की राय ली गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

***511. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानक मानदंडों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है तथा इसके वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और इसे देश तथा विदेशों से प्राप्त हुए क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को कुछ प्रोत्साहन एक साथ देने का विचार है ताकि वह ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा सके ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पूंजीगत माल के आयात पर सीमा शुल्क में हाल ही में दी गई छूट से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यहि हां, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की विविधीकरण योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है तथा इसकी निर्यात क्षमता में वृद्धि हेतु दिए जाने वाले विशेष प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकस विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1994-95 और 1993-94 में भेल के निष्पादन-संकेतक तथा 1995-96 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार हैं :-

(करोड़ रुपए में)

निष्पादन	1993-94 वास्तविक	1994-95 वास्तविक (अनंतिम)	1995-96 लक्ष्य
कारोबार	3554	4011	4350
कर पश्चात् निवल लाभ	137	140	145
वर्द्धित मूल्य	1535	1685	1740
बुक किए गए क्रयादेश	3120	4660	5000

दिनांक 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार 7660 करोड़ रुपए के क्रयादेश बकाया हैं जिनमें माने गए निर्यातों सहित 1910 करोड़ रुपए के निर्यात क्रयादेश हैं ।

(ख) और (ग) इस संबंध में भेल सहित, भारतीय उद्योगों को निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :-

(1) निर्यात के लिए पूंजीगत उपकरण, आवश्यक कच्चे माल तथा कल-पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क में राहत ।

(2) निर्यात के लिए उत्पादन पर उत्पाद शुल्क में राहत ।

(3) निर्यात के लिए निर्यात-आयात बैंक/बैंकिग प्रणाली से रियायती वित्त ।

(4) निर्यात से हुए लाभों पर कर में राहत ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

खादी के कपड़ों का उत्पादन/निर्यात

***512. श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान अब तक खादी के कपड़ों का कितना उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या खादी के कपड़ों/तैयार वस्त्रों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने की भारी संभावनाएं हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग ने इस दिशा में कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आठवीं योजना के लिए इस हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) :

(क) 8वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में खादी वस्त्रों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :-

वर्ष	खादी का उत्पादन
1992-93	105.26 मिलियन वर्ग मी.
1993-94	98.43 मिलियन वर्ग मी.
1994-95 (अनन्तिम)	110.00 मिलियन वर्ग मी.

(ख) खादी वस्त्रों/तैयार परिधानों के उत्पादन और निर्यात बढ़ाने की गुंजाइश है ।

(ग) और (घ) जी, हां । खादी वस्त्रों/तैयार परिधान के उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए के.वी.आई.सी. (खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा किये गए कुछ उपाय निम्नलिखित है :-

1. प्रति कारीगर उत्पादन बढ़ाने के लिए हाई स्पीड चर्खों की शरुआत की गई हैं ।
2. केन्द्रीय स्लीवर प्लांटों की स्थापना की गई है।
3. नई संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया ।
4. रुग्ण संस्थाओं का पुनर्जीवन ।
5. खादी उत्पादों का अधिक प्रदर्शन ।
6. खादी के डिजाइन और गुणवत्ता में सुधार किया गया।
7. उन्नत करघों की शुरूआत की गई है ।
8. बढ़िया कच्चे माल की आपूर्ति की गई है ।
9. खादी उत्पादन आदि की बिक्री के लिए नये भवन/भण्डार बिक्री काउण्टर खोले गए हैं ।
10. निर्यात योग्य खादी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए खादी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया है ।

(ङ) आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए 160 मिलियन वर्ग मीटर का लक्ष्य रखा गया है ।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिको को पेंशन

***513. श्री अमर पाल सिंह :**

श्री राजेश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)30 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों और मृतक सैन्य कर्मियों की विधवाओं को पेंशन मंजूर किए जाने के संबंध में राज्य-वार कितने आवेदन पत्र रक्षा मंत्रालय में लम्बित पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या गत कई वर्षों से सैन्य कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन देने के संबंध में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिनांक 30-4-1995 की स्थिति के अनुसार सेवानिवृत्त/सेवामुक्त रक्षा कर्मियों के पेंशन के 5302 दावे और भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के परिवार पेंशन के 2262 दावे लम्बित पड़े थे । सेवा पेंशन के दावे का जो सबसे पुराना मामला लम्बित है वह मार्च 1995 का है। परिवार पेंशन के दावे का जो सबसे पुराना मामला लम्बित है वह फरवरी 1995 का है ।

पेंशन संबंधी मामलों का राज्यवार विवरण नहीं रखा जाता ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड को देय बकाया राशियां

*514. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम की ओर 31 मार्च, 1995 तक कोल इंडिया लिमिटेड की कुल कितनी विवादित राशि बकाया थी ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने अपने ऐसे संयंत्रों के लिए भी कोयला साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स से नहीं मंगाया है, जो इसके आस-पास स्थित हैं ;

(घ) इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड को देय बकाया राशियों का भुगतान न कर पाने के कारण भारतीय सीमेंट निगम ने कोयले का आयात करने के लिए कार्यवाही आरंभ की है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (सीसीआई) ने बताया है कि 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार, सीसीआई द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को किसी विवादित धनराशि का भुगतान नहीं किया जाना है। तथापि, सीसीआई द्वारा 14.38 करोड़ रुपये नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स को देय हैं,

(ग) और (घ). साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स (एसईसीएल) के समीप सीसीआई के दो एकक, एसईसीएल से कोयले की पूरी मात्रा प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उन्हें घाटे को न्यूनतम रखने की दृष्टि से उत्पादन नियमित करना था ।

(ङ) और (च) अधिक अनुकूल शर्तों पर कोयला प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने की दृष्टि से, सीसीआई ने 30,000 मीट्रिक टन गुणवत्तायुक्त भाप वाले कोयले के आयात के लिए एक विश्वव्यापी निविदा जारी की है ।

[हिन्दी]

बायो-गैस संयंत्र

*515. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई गाँवों में नये प्रकार के कम खर्चीले बायोगैस संयंत्रों को स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं अथवा दिए जाएंगे?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना "राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एन.पी.बी.डी)" के अंतर्गत निर्धारित किए गए 1.6 लाख संयंत्रों के समग्र अनंतिम लक्ष्य के अंतर्गत ही कम लागत वाले परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों नामत: दीनबंधु और जनता माडल -II एवं अन्य अनुमोदित डिजाइनों का संवर्द्धन किया जा रहा है । नए मॉडलों के लिए कोई अलग राज्यवाह लक्ष्य नहीं हैं। तथापि, सभी अनुमोदित मॉडलों के लिए समग्र राज्य वार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) बायोगैस संयंत्रों के लिए वर्तमान केन्द्रीय आर्थिक राजसहायता योजना द्वारा लाभार्थियों को कम लागत वाले अनुमोदित मॉडलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है । केन्द्रीय आर्थिक राजसहायता निर्धारित राशि, के रूप में दी जाती है जो प्रतिशत की दृष्टि से अन्य मॉडलों की तुलना में सस्ते मॉडलों के लिए अपेक्षाकृत अधिक बैठती है । मिस्त्रियों और उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण और नए मॉडलों के लिए प्रचार पर बल दिया जा रहा है ।

विवरण

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1995-96 में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए अनंतिम लक्ष्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेन्सी	संयंत्रों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	15000
अरूणाचल प्रदेश	25
असम	500
बिहार	1500
गोआ	100
गुजरात	20000
हरियाणा	1500
हिमाचल प्रदेश	1000
जम्मू एवं कश्मीर	50
कर्नाटक	24000
केरल	1200
मध्य प्रदेश	15000
महाराष्ट्र	10000
मणिपुर	100
मेघालय	100
मिजोरम	100
नागालैंड	100
उड़ीसा	11000
पंजाब	3000
राजस्थान	3000
सिक्किम	150
तमिलनाडु	7000
त्रिपुरा	50
उत्तर प्रदेश	10000
पश्चिम बंगाल	6000
अंडमान एवं निकोबार	50
चण्डीगढ़	5
दादरा एवं नगर हवेली	3
दिल्ली	7
पांडिचेरी	5
के वी आई सी, बम्बई	25000
एन डी डी बी, आनन्द	500
अन्य	4000
जोड़	160000

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

*516. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम के वित्त पोषण के मानक वर्षों पूर्व प्रचलित खर्च के स्तर पर आधारित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) समिति ने इन मानदंडों के अंतर्गत किए जाने वाले खर्च में वृद्धि करने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो एन.डी.सी. समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जनसंख्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति ने उपकेन्द्रों के औषधों की आपूर्ति के लिए प्रतिमान को बढ़ाने की सिफारिश की । कार्यान्वयन के लिए इस सिफारिश पर विचार किया जा सकता है लेकिन यह अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

[हिन्दी]

कश्मीर में सैनिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

*517. **श्री अरविंद त्रिवेदी :**

श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में तैनात सैनिकों को सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा कश्मीर में तैनात सैनिकों को आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). जम्मू-कश्मीर में तैनात सभी सैन्य अफसरों, जूनियर कमीशन अफसरों तथा अन्य रैंकों की खाद्य सामग्री संलग्न विवरण में दी गई मात्रा के अनुसार तथा दवाइयाँ जैसी सभी प्रकार की अनिवार्य सामग्री और जूनियर कमीशन अफसरों/अन्य रैंकों को वैयक्तिक वस्त्र, देश के अन्य स्टेशनों में तैनात अफसरों आदि की भांति ही बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मदों का अग्रिम भंडारण निर्धारित स्थानों पर प्राधिकृत आरक्षित भंडार का रखरखाव, कम उपलब्धता वाली मदों को वायुयान से मंगाने जैसे अपेक्षित उपाय अधिकारियों द्वारा समय पर किए जाते हैं ताकि यह सामग्री सैनिकों

को पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध कराई जा सके । नियमित संविदा के अंतर्गत आपूर्ति न होने की स्थिति में स्थानीय खरीद करने के लिए भी निचली विरचनाओं में सैन्य प्राधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है ।

विवरण

शांति/फील्ड/उच्चतुंगता वाले क्षेत्रों में सैना अफसरों/जूनियर कमीशन अफसरों/अन्य रैंको को दिए जाने वाले राशन की मात्रा
(ग्राम प्रति दिन)

क्रम. सं.	मद	जूनियर कमीशन अफसर/अन्य रैंक		अफसर	
		शांति क्षेत्र/ फील्ड क्षेत्र	उच्चतुंगता क्षेत्र	शांति क्षेत्र/ फील्ड क्षेत्र	उच्चतुंगता क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	आटा/चावल	620	570	450	450
	चावल अथवा	--	--	220	--
	ब्रेड	--	--	230	--
2.	दाल	90	85	40	40
3.	चीनी	90	140	90	168
4.	मांस	110	110	260	260
5.	आलू	110	140	110	138
6.	ताजी सब्जी	170	170	170	170
7.	प्याज	60	60	60	60
8.	ताजा दूध	250 मिलि.	-	250 मिलि.	250 मिलि और 28 ग्राम सूखा दूध
9.	हाइड्रोजनीकृत तेल अथवा परिष्कृत तेल	80	85	80	85
10.	नींबू जाति के अथवा	110	60	-	-
	गैर-नींबू जाति के फल	230	110	160	230
11.	मसाले	16	16	20	20
12.	चाय	9	14	9	14
13.	नमक	20	21	20	20
14.	बेसन	-	30	-	30
15.	डिब्बा बंद मक्खन	-	14	-	-
16.	अंडा	-	1 अदद	2 अदद	3 अदद
17.	डिब्बा बंद दूध	-	100	-	-
18.	सूखा दूध	-	28	-	-
19.	गरी	-	4	-	4
20.	किशमिश	-	4	-	4
21.	जैम	-	14	30	14
22.	विटामिन "सी" गोलियां	-	100 मि.ग्रा.	-	-
23.	अचार	-	15	-	15
24.	दूध-टाफी अथवा	-	40	-	-

1	2	3	4	5	6
	चाशनी से तैयार गोलियां	-	80	-	-
25.	दलिया	-	-	20	20
	अथवा				
	कार्नफ्लैक	-	-	30	-
26.	साबूदाना	-	-	7	7
	अथवा				
	मक्की का आटा	-	-	7	7
	अथवा				
	जेली	-	-	7	-
	अथवा				
	आइसक्रीम पाउडर	-	-	7	7
	अथवा				
	कस्टर्ड पाउडर	-	-	7	7
27.	मक्खन	-	-	20	34
28.	लकड़ी	-	-	-	1400
शाकाहारियों के लिए अतिरिक्त सामग्री					
29.	पनीर	25	25	50	-
	अथवा				
	न्यूट्रामूल	30	30	60	-

राइफलों की बिक्री

***518. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय आयुध कारखानों में निर्मित एन.पी. बोर मार्क वाली राइफलें, रिवाल्वर तथा बन्दूकें सामान्य लाइसेन्सधारी भारतीय नागरिकों को बेचती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). अप्रतिबंधित बोर शस्त्र अर्थात् आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा निर्मित .315 स्पोर्टिंग राइफल और 12 बोर डबल बैरल ब्रीच लोडिंग गन भारतीय नागरिकों को बाजार में अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं के माध्यम से बेचे जाते हैं । इनकी कुछ मात्रा कुछ विशिष्ट श्रेणी के भारतीय नागरिको को आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा सीधे भी बेची जाती है । .32 रिवाल्वर का उत्पादन सीमित मात्रा में होने के कारण इसे खुले बाजार में बेचने की अभी अनुमति नहीं दी गई है ; यह शस्त्र सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होने पर कुछ विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को ही उपलब्ध कराया जाता है ।

[अनुवाद]

माध्यस्थम् कानून

***519. श्री पी.सी. थामस .:**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आधुनिक वाणिज्य और व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने हेतु माध्यस्थम् कानूनों में संशोधन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र और विश्व के अन्य निकायों ने इस संबंध में मार्गनिर्देश तैयार किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). जी, हां ।

सरकार शीघ्र ही, माध्यस्थम् और सुलह से संबंधित एक नई विधि के अधिनियमित किए जाने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने जा रही है ।

(ग) और (घ). संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने 1985 में अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के संबंध में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग आदर्श विधि अंगीकृत की है। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने, 1980 में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग सुलह नियम भी अंगीकृत किए हैं। प्रस्तावित नई विधि व्यापक रूप से उपर्युक्त संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग आदर्श विधि और संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग सुलह नियमों पर आधारित होगी ।

पेस प्लस का विकास

*520. **डा. पी. वल्लल पेरूमान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अडवान्सड न्युमेरीकल रिसर्च एण्ड एनालाइसेस ग्रुप (अनुराग) ने ''पेस प्लस'' नामक पैरलल प्रोसेसिंग कम्प्यूटर्स विकसित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनका उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) ''पेस-प्लस'' एक पैरलल प्रोसेसिंग कम्प्यूटर है जो कम्प्यूटिंग नोडों के रूप में वाणिज्यिक तौर पर उपलब्ध उन्नत माइक्रो-प्रोसेसरों से बनाया गया है । इसका 32 नोडीय संरूपण एयरो-डाइनामिक संगणनाओं में प्रयुक्त प्रोग्रामों में लगभग 960 मेगाफ्लॉप्स का अविच्छिन्न कार्य निष्पादन मुहैया करता है।

(ग) ''पेस-प्लस'' मुख्य रूप से कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डाइनामिक्स अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया है । वैज्ञानिक मॉडलिंग, कम्प्यूटर सिमुलेशनों, इमेज प्रोसेसिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक तथा गणितीय संगणना संबंधी उच्च कार्य-निष्पादन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है ।

[हिन्दी]

गैर-पारम्परिक ऊर्जा केन्द्र

5215. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में गैर-पारंपरिक ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर की जायेगी ; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). सरकार को उत्तर प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि यह मंत्रालय वर्तमान संस्थाओं में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दे रहा है ।

स्कूली इमारतों को क्षति

5216. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण गत दो वर्षों के दौरान कई स्कूल और कालिज क्षतिग्रस्त कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्य में स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

संयुक्त रूप से गश्त लगाना

5217. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पश्चिमी समुद्री तटों और अन्य क्षेत्रों से शस्त्रों, नशीली दवाओं और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के आगमन पर रोक लगाने की दृष्टि से सरकार द्वारा गठित संयुक्त गश्ती दल में सुरक्षा कर्मियों को शामिल किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सुरक्षा कर्मी किस विंग के हैं ;

(ग) संयुक्त गश्त के उद्देश्य क्या हैं ;

(घ) क्या गश्त के दौरान भारतीय मछुआरों को तंग किए जाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारतीय नौसेना और तटरक्षक राज्य सरकार के साथ समन्वय करके हथियारों, स्वापक पदार्थों तथा अन्य निषिद्ध मदों

को देश में लाए जाने से रोकने के लिए पश्चिमी तट पर संयुक्त रूप से गश्त लगाते हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (च) लागू नहीं होता ।

हृदय रोग विज्ञान पर सेमिनार

5218. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न हृदय रोग विज्ञानियों द्वारा हृदय रोग विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता और अद्यतन प्रगति के आदान-प्रदान हेतु अप्रैल, 1995 के दौरान हृदय रोग विज्ञान पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सेमिनार में क्या संकल्प पारित किए गए ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). जी, हां । भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ कालेज ने 14 से 16 अप्रैल, 1995 को दिल्ली में अपनी दूसरी वार्षिक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में प्रतिनिधियों द्वारा कोरोनरी रोगों, अतिरिक्त दाब तथा हृदवक्ष रोग की विभिन्न उपचार विधियों की नवीनतम विचारधाराओं पर विचार-विमर्श किया । कोई विशिष्ट संकल्प पारित नहीं किया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

मस्तिष्क ज्वर

5219. श्री एन. जे. राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मस्तिष्क ज्वर से कितनी मौतें होने की सूचना मिली है;

(ख) क्या इस संबंध में गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के आठ आदिवासी जिलों में मस्तिष्क ज्वर के कारण सूचित मौतों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	मौतें
1992	9
1993	5
1994	5

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान

5220. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान को वर्षवार कितनी सहायता अनुदान की राशि दी गई तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इसका बजट क्या है ;

(ख) चालू वर्ष में कर्मचारी, भवन-उपस्कर, दवाई तथा अस्पताल सुविधा के लिए अलग-अलग बजट क्या है ;

(ग) क्या अधिशासी निकाय ने संस्थान को दीर्घावधि को कोई विकास योजना प्रस्तुत की है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

	वर्ष	नान प्लान	प्लान	कुल
पिछले तीन	1992-93	194.00	शून्य	194.00
वर्ष	1993-94	200.00	शून्य	200.00
	1994-95	270.00	27.00	297.00
चालू वर्ष				
में आबंटन	1995-96	242.16	30.00	272.16

(ख) 1995-96 के बजट का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ). वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान ने अनुसंधान, स्नातकोत्तर शिक्षण/प्रशिक्षण तथा क्लीनिकल अनुसंधान केन्द्र को बनाए रखने की आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं केआधुनिकीकरण के लिए एक विकास योजना प्रस्तुत की है । 1994-95 के दौरान कार्य आरंभ करने के लिए संस्थान को 27 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी और 1995-96 के दौरान इस योजना के लिए 30 लाख रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है ।

विवरण

1995-96 के दौरान वल्लाभाई पटेल वक्ष संस्थान (दिल्ली विश्वविद्यालय) के लिए की गई बजट व्यवस्था का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

	नान प्लान	प्लान
1. स्टाफ		
वेतन जिसमें छुट्टी यात्रा रियायत/ गृह नगर यात्रा रियायत, अंशदायी भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, छुट्टी के बदले वेतन, तथा पोषाक, वर्दी, आकस्मिक खर्च आदि जैसी विविध मदें शामिल हैं	208.91	स्थाई वित्त समिति द्वारा प्लान योजना के अनुमोदन के बाद
2. भवन		
बिजली, पानी, टेलिफोन, डाक खर्च, आवश्यक मरम्मत आदि	20.00	प्लान योजना के लिए रखी गई धनराशि जारी की जाएगी
3. उपकरण	5.00	
4. चिकित्सा तथा अस्पताल सेवाएं और पुस्तकालय		
रोगी परिचर्या, एक्स-रे फिल्म, दवाइयां, आक्सीजन प्रयोगात्मक पशु सुविधा का रख-रखाव, राशन, प्रयोगशाला नैदानिक सुविधा (सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोलाजी, वाइशराजी, पैथालाजी, क्लीनिकल, जैव रसायन, एलर्जी, इम्यूनोलाजी आदि), जिनमें रसायन, नि:संक्रामक, कांच का सामान आदि शामिल है ।	8.25	
कुल	242.16	30.00

विकिरण संबंधी खतरे

5221. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित एक्स-रे प्रयोगशालाएं भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी) के विकिरण सुरक्षा एकक द्वारा निर्धारित मानदंडों का खुला उल्लंघन कर रही हैं और इस प्रकार आस-पास के लोगों के लिए विकिरण संबंधी खतरे पैदा कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रयोगशालाओं के निकट रहने वाले व्यक्तियों को विकिरण के अल्पकालिक प्रभाव से बचाने तथा अस्पतालों में एक्स-रे एवं सी.टी.स्कैन मशीनों के साथ कार्य करने वाले सभी कर्मियों की जांच करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). परमाणु ऊर्जा विभाग ने सूचित किया है कि अन्य बातों के साथ-साथ उपकरण लगाने की योजना में कुछ कमियां, सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी, प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी रही है। इसके बावजूद कार्मिकों के लिए औसतन विकिरण मात्रा काफी कम है। इनके विपरीत सी.टी. स्कैन यूनिटों के विनिर्माता उपस्कर की सप्लाई के साथ-साथ संतोषजनक स्थापन योजनाएं प्रदान करते हैं ।

एक्स-रे संस्थापन पर औपचारिक विनियामक नियंत्रण लगाने के लिए परमाण्विक ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने अनेक उपाय शुरू किए हैं। बोर्ड ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ एक समझौता किया है । इन संगठनों के अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ इस समय स्थापन की रूपरेखा, उपस्कर का प्रकार, सुरक्षात्मक उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता संबंधी सूचना एकत्र कर रहे हैं ।

बोर्ड ने निम्नलिखित दस्तावेज अनुमोदित एवं जारी किए हैं :-

1. विकिरण के चिकित्सीय इस्तेमाल के लिए विकिरण निगरानी प्रक्रियाएं (1989) ।

2. चिकित्सीय नैदानिक एक्स-रे उपस्कर तथा स्थापन पर ए ई आर बी सुरक्षा कोड ।

3. चिकित्सीय नैदानिक एक्स-रे स्थापन की संदर्भ योजनाओं की एटलस नामक ए ई आर बी का सुरक्षा मैनुअल ।

भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र के विकिरण सुरक्षा सेवा प्रभाग तथा विकिरण विज्ञानी भौतिक शास्त्र प्रभाग ने लगभग 100 चिकित्सा भौतिक विदों तथा लगभग 60 सेवा इंजीनियरों को गुणवत्ता आश्वासन तथा अन्य विकिरण सुरक्षा संबंधी उपायों पर प्रशिक्षण दिया है ।

ए ई आर बी के पास एक्स-रे यूनिटों, जैनरेटरों तथा काउचों के 200 से अधिक अनुमोदित सम्मिश्रण हैं । इससे यह सुनिश्चित होता है कि एक्स-रे उपस्कर में सभी सुरक्षा उपाय हैं ।

ए ई आर बी ने विकिरण विज्ञानियों तथा संबंधित व्यवसायियों के लिए अनेक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित किए हैं तथा एक्स-रे लगाने में विकिरण सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी उपयोगी सामग्री वितरित की है । इस तथ्य की दृष्टि से कि एक्स-रे यूनिट भारत में पिछले अनेक दशकों से औपचारिक विनियामक नियंत्रण के बिना उपयोग में रहे हैं, इस क्षेत्र में धीरे-धीरे ही सुधार लाया जा सकता है ।

फाइलेरिया रोग

5222. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नाकोटका औषधि पौधे से प्राप्त होने वाली औषध लसीका फाइलेरिया रोग (लिम्फैटिक फाइलेशियेसिल) के इलाज में

प्रभावी पायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस इलाज को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग). आयुर्वेदिक औषध शखोटक की भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जांच की जा रही है तथा रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

एड्स नियंत्रण

5223. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में देह व्यापार से जुड़ी महिलाएं एड्स की मुख्य स्रोत हैं और इनसे एड्स फैलने का अधिक खतरा है ;

(ख) यदि हां, तो एड्स के प्रसार को रोकने के लिए बम्बई के तथा देश के अन्य सभी वेश्यालयों को बंद करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) भारत में इतर लिंगी यौन सम्पर्क एच आई वी संक्रमण का प्रमुख कारण है । अत: सामान्यत: देह व्यापार करने वालों से सम्पर्क करने से एच आई वी संक्रमण का अत्यधिक खतरा रहता है ।

(ख) और (ग). चूंकि मूलत: अत्यधिक खतरे का आचरण करने वाले लोग ही देह व्यापार और/या अनेक लोगों के साथ यौन संपर्क की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं इसलिए सरकार के प्रयासों का मुख्य बल सभी लोगों को एच आई वी/एड्स के वास्तविक तथ्यों तथा उसमें निहित खतरों की जानकारी देना है ताकि इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए लोग स्वयं अपनी जानकारी के अनुसार निर्णय ले सकें ।

पवन ऊर्जा का उत्पादन

5224. श्री जे. चोक्का राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए आन्ध्र प्रदेश में कितने स्थानों की पहचान की गई है ;

(ख) इनमें कितनी पवन ऊर्जा का उत्पादन होगा ;

(ग) क्या पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन दिए जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). राष्ट्रीय पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य में पवन विद्युत उत्पादन के लिए अब तक 850 मेवा. की संभावयत वाले 12 स्थलों की पहचान की गई है ।

(ग) और (घ). केन्द्र सरकार द्वारा 100% बढ़ा हुआ ह्रास सीमा शुल्क में छूट/रियायत, उत्पाद शुल्क से राहत और पांच वर्षों का कर-अवकाश जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं । कई राज्य सरकारों द्वारा बिक्री कर प्रोत्साहन पूंजीगत आर्थिक राजसहायता और उत्पादित ऊर्जा की खरीद-वापसी, वीलिंग, बैंकिंग और तीसरे पक्ष को बिक्री की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ।

फलोराइड युक्त जल

5225. श्री धर्मभिक्षम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्यवार कितने गांव फलोराइड युक्त जल से प्रभावित हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पेयजल में अत्यधिक फलोराइड की गुणवत्ता की समस्या वाली बसावटों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	राज्य	बसावटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	4858
2.	बिहार	12
3.	गुजरात	2413
4.	कर्नाटक	860
5.	केरल	287
6.	मध्य प्रदेश	201
7.	मेघालय	33
8.	उड़ीसा	1138
9.	पंजाब	1113
10.	तमिलनाडु	527
11.	राजस्थान	14643
12.	उत्तर प्रदेश	1072
13.	हिमाचल प्रदेश	738
	योग	27895

राज्य सरकारों से गुणवत्ता समस्याओं पर ताजे सर्वेक्षण के अंतिम परिणाम आने अपेक्षित हैं ।

लाइसेंस जारी करना

5226. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनीज (ए.सी.सी.) को नागपुर स्थित बूटीबोरी औद्योगिक एस्टेट में गैर-सीमेंट परियोजनाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन परियोजनाओं में उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा ;

(घ) क्या उपरोक्त परियोजनाएं विदेशी सहयोग से शुरू की जायेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो ये विदेशी कम्पनियां कौन-कौन सी हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनियों (ए.सी.सी.) को नागपुर में एक गैर-सीमेंट परियोजना की स्थापना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जनवरी, 1991 से कोई औद्योगिक लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया है। तथापि उन्होने एक रिफ्रेक्टरी परियोजना के संबंध में नागपुर के बूटीबोरी इंडस्ट्रीयल एरिया में एक एकक की स्थापना करने के लिए फरवरी, 1995 में एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किया है ।

(घ) और (ङ). अब तक उपर्युक्त परियोजना के संबंध में विदेशी सहयोग का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

5227. डा. कृपासिन्धु भोई :

श्री तारा सिंह :

डा. जी. एल कनौजिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के परिवार कल्याण कार्यक्रमों में विभिन्न विदेशी एजेंसियां भाग ले रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक एजेंसी द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायताएं क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने भारत की दशा के संदर्भ में उन अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों की प्रासंगिकता की पुनरीक्षा की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) चिकित्सा विशेषज्ञों का इस बारे में क्या मत है ; और

(च) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). विभिन्न बाहरी एजेंसियों से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु वित्तीय, सामग्रीगत तथा तकनीकी सहायता प्राप्त की जाती है । वर्ष 1994-95 के दौरान इन एजेंसियों से प्राप्त हुई बाहरी सहायता को दर्शाने वाला विवरण उपाबंधित है ।

(ग) बाहरी सहायता उन परिवार कल्याण परियोजनाओं के लिए दी जाती है जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण के उद्देशयों के अनुरूप होती है ।

(घ) से (च). प्रश्न नहीं उठते ।

विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए प्राप्त बाहरी सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	वित्तपोषक एजेंसी का नाम	वर्ष 1994-95
1.	विश्व बैंक	309.36
2.	नारवे अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (नोराड)	0.16
3.	डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (डेनिडा)	6.97
4.	विश्व स्वास्थ्य संगठन	1.69
5.	यूनाइटेड नेशनस चिल्ड्रन्स फंड (यूनिसेफ)	65.35
6.	यूनाइटेड नेशनस पापुलेशन फंड (यू एन एफ पी ए)	37.13
7.	समुद्रपारीय विकास प्रशासन (ओ डी ए.यू.के.)	14.48
8.	संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यू एस एड)	21.29
	कुल	456.43

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी

5228. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उप-सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के पदों पर सलेक्शन ग्रेड में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों का 1993 का पैनल अभी तैयार करके जारी किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ये पैनल तैयार करने और जारी करने हेतु कोई समयावधि निर्धारित की गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन पैनलों को निर्धारित समयावधि में तैयार करके जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) और (ख). निदेशक तथा संयुक्त सचिव के स्तर पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा, पात्रता सूची, 1993 अंतिम रूप से

तैयार कर ली गई है । तथापि, अभी तक उप सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए प्रवर सूची, 1993 अंतिम रूप से तैयार नहीं की गई है । ऐसा अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठता में हुए विवाद के कारण है जिसके आधार पर फीडर ग्रेड अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड (अवर सचिव/समकक्ष) की वरिष्ठता को भी चुनौती दी गई । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ ने 22.3.1995 को विस्तृत अधिनिर्णय देते गुए अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि नए सिरे से वरिष्ठता सूची तैयार की जाए और संबंधित पक्षों से आपत्तियां आमंत्रित करके, यदि कोई हैं, उसे अंतिम रूप दिया जाए ।

(ग) से (ङ). उप सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए प्रवर सूची, जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-I तथा चयन ग्रेड में पदोन्नति) विनियमों में उपबंधित है, वर्ष-वार तैयार की जानी होती है । निदेशक तथा संयुक्त सचिव के पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कैडर पद नहीं हैं । अत: नियमों में इन स्तरों पर पात्रता सूची तैयार करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती ।

मुखबिरों को संरक्षण

5229. श्री के. प्रधानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले मुखबिरों की जान-माल की सुरक्षा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो अस्पतालों में दाखिल हुए मुखबिरों और इनके परिवार के सदस्यों पर किए जा रहे हमलों से सुरक्षा नहीं प्रदान करने के क्या कारण हैं; और

(ग) जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने में सरकार कहां तक सफल हुई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). सरकार को, ''मुखबिरों'' सहित उन सिविलियनों के जान और माल को संभावित खतरे की जानकारी है जिन्हें आतंकवादी अपना दुश्मन समझते हैं । सरकार का, सतत, प्रयास ऐसी परिस्थिति बनाने का है जिसमें राज्य में सभी लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें ।

आतंकवादियों को बाहर खदेड़ने और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए उन पर निरन्तर दबाव बनाए रखा गया है । उनका पुरजोर से पीछा किया गया है और अस्पतालों सहित संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रबन्ध किए गए । हालांकि हिंसा को बनाए रखने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयास किए गए हैं लेकिन आतंकवादियों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव के साथ-साथ आतंकवादी गिरोहों में निराशा और अस्त-व्यस्तता फैल जाने, से स्थिति में अनुकूल परिवर्तन हुआ है ।

सरकार का प्रस्ताव, आतंकवादियों के खिलाफ सतत अभियान जारी रखने के साथ-साथ सामान्य हालात बहाल करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने और राजनीतिक प्रक्रिया को पुन: सक्रिय बनाने, लोगों की भागीदारी प्राप्त करके विकास कार्यों को तेज करने और स्थानीय प्रशासन को पुन: सक्रिय बनाने का है ।

राष्ट्रीय पुन: प्रयोज्य ऊर्जा नीति

5230. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुन: प्रयोज्य ऊर्जा नीति के उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) उक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चालू योजनावधि के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :

(क) सुव्यवस्थित और सतत् उपायों द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों की पर्णसंभाव्यता का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा एक व्यापक अक्षय ऊर्जा नीति तैयार किए जाने का प्रस्ताव है जिससे जन-जागरूकता पैदा करने, प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास करने तथा उसके प्रदर्शन और वाणिज्यीकरण में तेजी लाने में मदद मिलेगी । (ख) से (घ). अभी यह नीति तैयार की जा रही है । इसके तैयार हो जाने और इसके अनुमोदन के पश्चात् ही अतिरिक्त निधियों के प्रावधान/आवश्यकताओं के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध होंगे ।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन

5231. डा. रमेश चन्द तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन हेतु कोई समिति गठित की थी ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या कार्य पूरा कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) से (घ). जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने, जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन करने के प्रयोजन के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया । आयोग को समय-समय पर पुर्नगठित किया गया और पिछली बार इसका पुनर्गठन करते समय, इसमें जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के सेनानिवृत्त न्यायद्दधीश श्री केके. गुप्ता अध्यक्षया, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश श्री बी.ए. नाज कि और उप निर्वाचन आयुक्त, श्री एन. ए. विश्वनाथन, सदस्य थे । जम्मू-कश्मीर को 87 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमित करने संबंधी आयोग का अंतिम आदेश, राज्य के राजपत्र में 27 अप्रैल, 1995 को प्रकाशित किया गया है और आदेश उसी तारीख से प्रभावी हो गया है।

पेयजल योजनाएं

5232. श्री रतिलाल वर्मा :

मेजर डी.डी खनोरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी सहयोग से चल रही पेयजल योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनसे परियोजनावार और राज्य-वार कितने गांव लाभान्वित हुए हैं अथवा लाभान्वित होंगे; और

(ग) उन पेयजल योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में 1994-95 के दौरान विदेशी कम्पनियों के साथ समझौते हुए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी सहायता से चलाई जा रही पेयजल आपूर्ति योजनाओं तथा लाभान्वित/लाभान्वित होने वाले गांवों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) नीदरलैंड की सरकार ने 3250 गांवों में 40.10 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 16,000 इंडिया मार्क-3 हैंडपम्पों को लगाने के लिए यू.पी.परियोजना-8 हेतु सहायता देने के लिए अगस्त 1994 में सहमति दी थी ।

विवरण

क्रमांक	राज्य	चलाई जा रही परियोजना का नाम	वित्तपोषण करने वाली एजेंसी	लाभान्वित/ लाभान्वित होने वाले गांवों की संख्या/जनसंख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	ए.पी.0-2	नीदरलैंड	277 गांव
2.	गुजरात	1. गुजरात जल सप्लाई -2 सनतालपुर	"	195 गांव
		2. गुजरात जल सप्लाई-2 लाठी लिलाया	"	37 गांव
		3. गुजरात जल सप्लाई-2 सभी हरिंज	"	111 गांव
3.	कनार्टक	1. ग्रामीण जल सप्लाई-1	"	191 गांव
		2. समेकित ग्रामीण स्वच्छता एवं जल सप्लाई परियोजना	डेनमार्क	492 गांव
		3. कर्नाटक ग्रामीण जल सप्लाई एवं पर्यावर्णीय स्वच्छता परियोजना	विश्वबैंक	1200 गांव

1	2	3	4	5
4.	केरल	1. नाटिका फिरका जल सप्लाई योजना	नीदरलैंड	9 पंचायतों में 4.0 लाख जनसंख्या
		2. माला जल सप्लाई योजना	"	6 पंचायतों में 2.0 लाख जनसंख्या
		3. कुन्डारा जल सप्लाई योजना	"	w.18 लाख जनसंख्या
		4. पावराती जल सप्लाई योजना	डेनमार्क	3.60 लाख जनसंख्या
		5. ग्रामीण/पेयजल सप्लाई योजना कोलाढेरी	डेनमार्क	8 पंचायतों में 2.49 लाख जनसंख्या
		6. व्यापक जल सप्लाई	"	10 पंचायतों में 0.87 लाख जनसंख्या
		7. चैकोड योजना तथा इसके आसपास की पंचायतें		
5.	मध्य प्रदेश	1. जल सप्लाई परियोजना चरण-1	जर्मनी	483 गांव
6.	महाराष्ट्र	1. महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल सप्लाई योजना	ब्रिटेन	210 गांव
		2. महाराष्ट्र ग्रामीण जल सप्लाई एवं पर्यावर्णीय स्वच्छता परियोजना	विश्व बैंक	576 गांव
7.	उड़ीसा	पेयजल सप्लाई परियोजना चरण-2 ख	डेनमार्क	264 गांव
8.	राजस्थान	ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना	जर्मनी	956 गांव
9.	तमिलनाडु	समेकित ग्रामीण स्वच्छता एवं जल सप्लाई परियोजना	डेनमार्क	243 गांव
10.		1. यू.पी. 4 पाइप द्वारा जल सप्लाई	नीदरलैंड	237 गांव
		2. यू.पी. 6	"	17792 हैंडपम्प
		3. यू.पी. 8	"	3250 गांव

सतीश चन्द्र समिति

5233. श्री राम पूजन पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी भाषा के संबंध में सतीश चन्द्र समिति की रिपोर्ट कब दी गई थी ;

(ख) इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को लागू कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) रिपोर्ट 1990 में प्राप्त हुई थी ।

(ख) से (घ). डा. सतीश चन्द्र समिति ने संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में लागू करने तथा इन परीक्षाओं में अंग्रेजी का अनिवार्य प्रश्न-पत्र समाप्त करने की मांग की जांच की थी । इस समिति की सिफारिशें इस समय सरकार

के विचाराधीन हैं । चूंकि मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा इनके संबंध में विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, अत: सरकार एक मत बनाने का प्रयास कर रही है जिसके लिए मुख्यमंत्रियों के विचार भी मांगे गए हैं ।

राजमार्ग त्रासदी संबंधी आयोग

5234. कुमारी उमा भारती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर की राजमार्ग त्रासदी की जांच के लिए कोई आयोग गठित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने आयोग के प्रति असहयोग का रुख अपनाया हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस त्रासदी के कारणों की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु उपचारात्मक उपायों को सुझाने के लिए, राज्य के उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आई.के. कोटवाल की अध्यक्षता में एक-एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है । आयोग से, अपनी रिपोर्ट मई, 1995 के अन्त तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

[अनुवाद]

गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा रोजगार उत्पन्न किया जाना

5235. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में पर्याप्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु संगठित गैर सरकारी क्षेत्र के साथ इन मामले पर बातचीत करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

परिवार न्यायालय

5236. श्री तारा सिंह :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1995 के "स्टेट्समैन" में "नीड टू सैट अप मोर फैमिली कोर्ट्स स्ट्रेस्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने तथा और अधिक परिवार न्यायालयों की स्थापना हेतु कानून को सुदृढ़ बनाने की मांग की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा और परिवार न्यायालय खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 3 के उपबंधों के अधीन कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की जाती है । केन्द्रीय सरकार, इस बाबत कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर केवल राज्यों में अधिनियम के प्रवर्तित किए जाने को अधिसूचित करती है जिसे न केवल अधिक तत्परता से किया जाता है बल्कि ऐसे राज्यों को, जहां अभी कुटुम्ब न्यायालयों का गठन नहीं किया गया है, स्मरण भी कराया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग को, महिलाओं से संबंधित इन विभिन्न विधियों की समीक्षा करने की आज्ञा है जिनमें उनके संवैधानिक और विधिक रक्षोपायों का उपबंध है । इसके अतिरिक्त, महिला और बाल विकास विभाग, इससे संबंधित चार विधानों अर्थात् दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, सती (निवारण) अधिनियम, 1987, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 का पुनर्विलोकन कर रहा है ।

[हिन्दी]

तापमान स्तर

5237. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम विज्ञानियों ने यह घोषणा की है कि 15 मई और 10 जून, 1995 के बीच देश के कई भागों में तापमान 50 सेंटिग्रेड को छू सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उक्त भविष्यवाणी की सत्यता की जांच कराई है; और

(ग) इसका लोगों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा और इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). जी, नहीं । भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ऐसा पूर्वानुमान नहीं जारी किया है तथापि गरमी के महीनों में एक अथवा दो जगहों पर थोड़ी अवधि के लिए तापमानों का 50 सेंटीग्रेड की ऊंचाई तक पहुंचना कोई असाधारण घटना नहीं है । उदाहरण के लिए राजस्थान में धोलपुर तथा अनूपगढ़ ने 1994 की गरमी के दौरान 50 सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया ।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश

5238. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण की नीति पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित करने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में भारतीय न्यायिक प्रणाली की जटिलता में संशोधन करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, नहीं । सरकार की विदेशी निवेश नीति से विदेशी निवेशकर्ताओं में पर्याप्त रूचि पैदा हुई है जो निम्नलिखित स्वीकृत विदेशी निवेश अनुमोदनों के स्पष्ट है :-

वर्ष	विदेशी निवेश वाले अनुमोदनों की संख्या	परिकल्पित विदेशी निवेश (रू. करोड़ में)
1990	194	128.30
1991	289	534.11
1992	692	3887.54
1993	785	8859.33
1994*	1062	14187.19
1995* (मार्च 1995 तक)	254	2427.73

* इनमें यूरो-इश्यू के लिए अनुमोदन शामिल हैं

(ग) से (ङ). जी, नहीं । किन्तु, विदेशी निवेश को प्रभावित करने वाली नीति और कार्य-प्रणाली की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है । इससे भारत में विदेशी निवेश अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतियोगी बनेगा और यह निवेशकर्त्ता की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक

5239. डा. साक्षीजी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 को उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी थी ;

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया गया ; और

(ग) राज्य में शेष भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों के पास कुल मिलाकर 2,10,885 भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत थे ।

2. वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्रों में पुनर्नियोजित किए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्रमश: 2855 और 3374 है । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्व:रोजगार योजनाओं के तहत वर्ष 1993-94 के दौरान 139 भूतपूर्व सैनिकों को और वर्ष 1994-95 के दौरान 118 भूतपूर्व सैनिकों को ऋण/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

3. भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया जाना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाने से संबंधित बहुत-सारी योजनाएं बनाई हैं । केन्द्रीय सरकार ने अपने विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह ''ग'' और ''घ'' पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विभागों और उपक्रमों में समूह ''क'' और ''ख'' पदों (ई सी ओ) में 8% और समूह ''ग'' तथा ''घ'' पदों में 3% आरक्षण की व्यवस्था भी की है ।

4. बहुत सारी केन्द्रीय योजनाएं भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व:रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं । इनमें सैम्फैक्स-1 योजना जो लघु उद्योग परियोजनाएं स्थापित किए जाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, सैम्फैक्स-2 जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी कृषि और गैर-कृषि संबंधी कार्यों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं तथा सैम्फैक्स योजना-3 में ग्रामीण क्षेत्रों, में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देकर स्व:रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों का वरीयता - आबंटन, भारतीय यूनिट ट्रस्ट एजेंसियों, कोयला परिवहन

आदि के आबंटन शामिल हैं । उनके लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था भी की जाती है जिनसे रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षार्थियों के लिए 250 रुपये प्रतिमाह की वृत्तिका ।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए गोरखपुर, गाजीपुर, लखनऊ, आगरा और मेरठ में शुरू की गई पैकसैम योजना ।

(ग) राज्य मार्ग परमिट के आबंटन में 15% का आरक्षण ।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों और उन सैनिकों के आश्रितों को जो संक्रिया के दौरान मारे गए हों, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और राज्य विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई दुकानों के आबंटन में 5% आरक्षण ।

(ङ) बैंकों से लिए गए ऋण पर कम दर पर ब्याज लेना ।

(च) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, संक्रिया के दौरान निशक्त हुए कार्मिकों और अन्य भूतपूर्व सैनिकों को उचित दर की दुकानों के आबंटन में प्राथमिकता ।

साइनतला में रक्षा उत्पादन एकक

5240. श्री एम. जी. रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइनतला में रक्षा उत्पादन एकक में उत्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपरोक्त एकक द्वारा रोजगार के कितने अवसर पैदा किए गए; और

(ग) इस एककों में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निर्माणी स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है ।

(ख) और (ग). वर्तमान जनशक्ति 995 है । 933 अराजपत्रित कार्मिकों में से 883 कार्मिकों को स्थानीय जिला रोजगार केन्द्र के माध्यम से भर्ती किया गया है ।

[हिन्दी]

दवाओं की आपूर्ति

5241. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य को दी जा रही दवाओं की आपूर्ति मांग से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी दवाओं की मांग की गई तथा उन्हें इसकी कितनी आपूर्ति की गई ; और

(ग) पर्याप्त मात्रा में दवाओं की आपूर्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). स्वास्थ्य चूंकि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों द्वारा अपने निजी संसाधनों से दवाएं खरीदकर उनकी आपूर्ति की जाती है। फिर भी मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एड्स, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों (उप केन्द्रों हेतु दवाएं) आदि जैसे प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए मानकों के अनुसार आम तौर पर पर्याप्त रूप से औषधों की आपूर्ति की जाती है ।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश

5242. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस भारतीय कम्पनियों के साथ 15 संधियों पर हस्ताक्षर करने हेतु सहमत हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) फ्रांस भारत के साथ किस विशेष क्षेत्र में सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो यह सहयोग किस सीमा तक किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). भारतीय और विदेशी कम्पनियों के बीच हुए समझौतों का रिकार्ड सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है । किन्तु, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992, 1993 और 1994 में भारतीय और विदेशी कम्पनियों के बीच 166 तकनीकी और निवेश संबंधी सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत किये गए हैं ।

(ग) और (घ). फरवरी, 1995 में नई दिल्ली में हुई भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक के दौरान फ्रांस के उद्योगपतियों ने परिवहन, पावर जनरेशन, भेषज, पेट्रो रसायन, हाइड्रो कार्बन, दूर-संचार, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सहयोग में अपनी रूचि दिखाई है ।

[हिन्दी]

लोक अदालतें

5243. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि ;

(क) विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के कार्यान्वयन के पश्चात् उत्तर प्रदेश में अभी तक कितनी लोक अदालतों का गठन किया गया है ;

(ख) इन अदालतों में किस तरह के मामले स्वीकार किए जाते हैं और निपटाए जाते हैं ;

(ग) इनके द्वारा अभी तक कितने मामले निपटाए गए हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा देश में लोक अदालतों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) लोक अदालतें नियमित रूप से गठित न्यायालयों के समान नहीं है किंतु ये समझाने-बुझाने और सुलह कराने के ढंग से विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक प्रयास हैं ।

उत्तर प्रदेश विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 1986-87 से 1994-95 तक उत्तर प्रदेश राज्य में 1949 लोक अदालतें आयोजित की गई थीं ।

(ख) लोक अदालत के सम्मुख निम्नलिखित प्रवर्गों के मामले, निपटारे के लिए भेजे जाते हैं :-

(एक) सिविल, राजस्व और आपराधिक मामले, जो शमनी या जुर्माने से दंडनीय हैं ;

(दो) विवाह संबंधी विवाद, जिनके अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 185 के अधीन भरण-पोषण संबंधी मामले भी हैं ;

(तीन) मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावे संबंधी मामले/अपीलें ; और

(चार) श्रम संबंधी मामले और अन्य प्रकीर्ण प्रवर्गों के मामले ।

(ग) 31-3-1995 को उत्तर प्रदेश राज्य में लोक अदालतों के माध्यम से 21,89,361 मामले निपटाए गए हैं ।

(घ) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा समय-समय पर आयोजित किए गए विधिक साक्षरता शिविरों में लोगों को लोक अदालतों की उपयोगिता की जानकारी दी जाती है ।

[अनुवाद]

कार्य अध्ययन

5244. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास रांची स्थित केन्द्रीय मनोरोग संस्थान में कार्य अध्ययन कराने संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह अध्ययन कब तक पूरा हो जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की स्टाफ निरीक्षण यूनिट ने वर्ष 1995-96 के दौरान अपने कार्य अध्ययन कार्यक्रम में केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची को शामिल किया है ।

आयुर्वेदिक इकाइयां

5245. प्रो. श्रीमती सावित्री लक्ष्मणन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में लघु आयुर्वेदिक इकाइयों के निर्माताओं को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है ;

(ख) क्या निर्माताओं को अन्य राज्यों से कच्चे माल की खरीद और पैकेजिंग सामग्री पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत करेल की लघु आयुर्वेदिक इकाइयों के निमार्ताओं को वित्तीय सहायता दी जाती हो । अन्य राज्यों से उनके द्वारा खरीदे गये कच्चे माल/पैकेजिंग सामग्री पर कोई सहायता नहीं दी जाती है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद

5246. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1995 से अब तक जम्मू क्षेत्र में कितने बम विस्फोट हुए ;

(ख) इन विस्फोटों में कितने व्यक्ति मारे गए ;

(ग) क्या अब आतंवादियों ने विद्युत केन्द्रों को अपना निशाना बनाया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में आतंकवाद पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू क्षेत्र में 1.1.1995 से 2.4.1995 तक की अवधि के दौरान आई.ई.डी/सुरंग/बम विस्फोट की 18 घटनाएं घटीं जिनके परिणामस्वरूप 19 व्यक्ति मारे गए ।

(ग) यह एक तथ्य है कि उग्रवादियों ने जम्मू क्षेत्र में, मुख्य तौर पर छिट पुट विस्फोट और तोड़-फोड़ की घटनाओं के द्वारा हिंसा को बढ़ाने का अत्यधिक प्रयास किया है। हाल ही के महीनों के दौरान वे जम्मू क्षेत्र के ऊर्जा संस्थानों को भी अपना लक्ष्य बना रहे हैं ।

(घ) उग्रवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाए रखा जा रहा है तथा सुरक्षा बलों के अभियानों का भरपूर प्रभाव बनाए रखने के लिए भी उपाय किए गए हैं । इन उपायों में लक्षित अभियान चलाने के लिए आसूचना तंत्र को और अधिक सुचारू बनाना, विभिन्न आपरेशनल एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क सुनिश्चित करना, आतंकवाद-विरोधी अभियानों में राज्य पुलिस की भागीदारी को बढ़ाना, आदमियों और शास्त्रों की घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा पर लगातार चौक रखना, संवेदनशील स्थानों और दूर-दराज के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और गश्त को मजबूत करना, तथा सूचना की बेहतर आवा-जाही के लिए जनता का सहयोग सुनिश्चित करना, तथा इसके साथ-साथ सुरक्षा अभियानों के दौरान सिविलियनों के जान व माल को पहुंचने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के प्रयास करना, शामिल हैं ।

शहरी स्वास्थ्य ढांचा

5247. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या में ज्यादा तेजी से वृद्धि होने के बावजूद शहरी स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में लगभग न के बराबर विस्तार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा शहरी स्वास्थ्य ढांचे में विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). शहरी क्षेत्रों में उप प्रभागीय/जिला/मेडिकल कालेजों/राज्य के अस्पतालों के माध्यम से व्यापक संवर्धक, निवारक, उपचारात्मक तथा पुनर्वासीय स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं । तृतीय स्तर की चिकित्सा परिचर्या संस्थाएं जो मुख्यत: शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, भी शहरी लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं । इसके अलावा शहरी स्वास्थ्य परिचर्चा सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश के अनेक शहरी क्षेत्रों में एलोपैथिक, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी पद्धति के बहुत से औषधालय/क्लिनिक/अस्पताल केन्द्र/ राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों गैर सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा खोले गए हैं । परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत रोग प्रतिरक्षणों सहित शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व पर जोर दिया गया है तथा व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने हेतु शहरी गंदे क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों की स्वास्थ्य चौकियां (शहरी स्वास्थ्य केन्द्र की तरह) स्थापित की गई हैं ।

यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अस्पतालों की संख्या जो 1961 में 2694 थी से बढ़ कर 1992 में 13692 होने तथा कालेजों की संख्या जो 1961 में 28 थी से बढ़ कर 1992 में 146 होने से शहरी स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे का काफी विस्तार हुआ है ।

तथापि, स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि ये संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरी स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त उपाय करें । शहरी स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए अनेक राज्यों के प्रस्ताव विश्व बैंक को प्रस्तुत कर दिए गए हैं ।

सी.जी.एच.एस. औषधालय

5248. श्री अंकुशराव टोपे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सी.जी.एच.एस. के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी बार यह मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) मूल्यांकन के क्या निष्कर्ष रहे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां ।

(ख) एक बार ।

(ग) मूल्यांकन के निष्कर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता देना, आने वाले रोगियों के बारे में विस्तृत आंकड़े, आर्थिक स्तर की दृष्टि से रोगियों के वितरण की प्रतिशता, आयु तथा निवास स्थान, शामिल हैं : स्थिति में सुधार लाने की प्राथमिकताएं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार, करना अधिक नैदानिक सुविधाएं, दवाइयों की सप्लाई बढ़ाना तथा इस क्रम में और अधिक नैदानिक उपकरणों की खरीद करना थी ।

जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र

5249. श्री चेतन पी.एस.चौहान: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थित जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों को कोई अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक केन्द्र को कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान कोई नया केन्द्र खोला गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक केन्द्र को दी गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

पिछले दो वर्षों अर्थात् 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान किया गया सहायतानुदान

क्रम संख्या	जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों का स्थान	राशि (लाख रुपये में)
1.	सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बैंगलूर	27. 94
2.	एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा	39.72
3.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	11.04
4.	ग्रामीण एवं औद्योगिकी विकास अनुसंधान केन्द्र, चण्डीगढ़	10.75
5.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	12.71
6.	आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली	43.38
7.	जे. एस. एस. आर्थिक अनुसंधान संस्थान, धारवाड़	31.36
8.	गांधी ग्राम, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान, दिंडीगुल, अन्ना जिला, तमिलनाडु .	26.34
9.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	12.71
10.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	27.57
11.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	21.29
12.	गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे	19.33
13.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	13.31
14.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	8.24
15.	केरल विश्वविद्यालय, तिरुननन्तपुरम	44.60
16.	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	9.83
17.	आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापतनम	11.10
18.	आर्थिक एवं खांख्यिकी निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	9.80
	कुल	381.10

औषधीय पौधे

5250. मेजर डी.डी. खनोरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में औषधीय पौधे, जड़ी-बूटियां, और मसाले प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में इन जड़ी बूटियों और मसालों की चिकित्सीय संभावना का आकलन और उसका उपयोग करने हेतु कोई विशेषज्ञ अध्ययन तथा परियोजना शुरू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) जी, हां। हिमाचल प्रदेश में पुष्पण पादपों की लगभग 3200 किस्में हैं । इनमें लगभग 1200 किस्में औषधीय महत्व की हैं । हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पाये जाने वाले आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले औषधीय पादप हैं : कुथ तलिसपत्र, वत्सनाब, आतिस वछ, दारुहरिद्र, पशनमेद, केतुकी भुर्जपत्र, प्रियंगु, बन्य कर्कटी, सिंगली-मिंगली, देवदारु, काली जीरी , तमालपत्र, अमलकी हरीतकी, सोमभेद, ककड़सींगी, किरातिक्त, पुष्करमूल, हुपुष, भूतकेशी, टागर टुमरु दाड़िम, गुलबनफ्शा, तथा अनेक दशमूल तथा अष्टवर्ग, संघटक ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद ने हाल ही में मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थित अपने क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आयुर्वेद) के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कच्ची औषधों के स्रोत के मात्रात्मक सर्वेक्षण एवं अध्ययन हेतु उपाय शुरू किए हैं ।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद

5251. श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर के किन-किन जिलों में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान आतंकवादियों की सहायता करने के आरोप में कितने सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मलेरिया पर नियंत्रण

5252. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या प्रधान मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष सहायता प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान राज्य को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य के बीच लागत के 50 : 50 के हिस्से के आधार पर गुजरात राज्य को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है ।

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात राज्य को वर्ष 1993-94 में 502.00 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी है ।

(ग) राज्य से प्राप्त मलेरिया के कुल रोगियों के जानपदिकरोग विज्ञानी आंकड़ों से जिसमें पी. फाल्सीपेरम के रोगी भी शामिल हैं, यह पता चला है कि राज्य में मलेरिया की घटना में कमी हो रही है ।

डेंटल कालेज

5253. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने दन्त चिकित्सकों ने गैर-मान्यता प्राप्त डेंटल कालेजों में अपने कोर्स पूरे किए हैं ;

(ख) क्या इन चिकित्सकों ने "डोनेशन" सहित अपने अध्ययन पर भारी धनराशि खर्च की है ;

(ग) क्या उनकी डिग्रियों की गैर-मान्यता के कारण वे अपनी आजीविका से वंचित हैं और मरीजों को अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) भारत में दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की अनुसूची के भाग-1 में शामिल किसी प्राधिकरण अथवा संस्था द्वारा दी गई दन्त चिकित्सीय अर्हताएं दन्त चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करते हुए किसी राज्य रजिस्टर में नामांकन के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त दन्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी ।

(घ) और (ङ) दन्त चिकित्सक संशोधन अधिनियम, 1993 में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना कोई डेंटल कालेज नहीं खोलेगा ।

ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सुविधाएं

5254. श्री राम निहोर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवाइयों और शल्य चिकित्सा की लागत ग्रामीण लोगों की पहुंच से बाहर है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दवाइयों और शल्य चिकित्सा की लागत को ग्रामीण लोगों की पहुंच के दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के ग्रामीण लोगों को सस्ती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकारी चिकित्सा केन्द्र/अस्पताल स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए ग्रामीण जनता को दवाओं की आपूर्ति करने और शल्य क्रियात्मक सेवाएं प्रदान करने सहित नि:शुल्क उपचार दिया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन में भेजे गये सैनिक

5255. डा. वसन्त पवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रवांडा में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में देश से कितने सैनिक भेजे गये ; और

(ख) इन सैनिकों को शांति मिशन में कितने समय के लिए भेजा गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रवांडा में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन यूनामिर-II में कुल 952 भारतीय सैन्य कार्मिकों (सभी रैंक) को तैनात किया गया है ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इसकी पुनरीक्षा तथा नवीकरण किए जाने के अधीन यूनामिर के शासनादेश के अनुसार इन कार्मिकों को नवम्बर-दिसम्बर, 1994 से प्रारंभ में छ: महीनों की अवधि के लिए तैनात किया गया है ।

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय

5256. डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में नान्दयाल में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार उपरोक्त परियोजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए सहमत है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव की कुल लागत लगभग 24 करोड़ रुपये है । राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए 200 एकड़ भूमि प्रदान करने का प्रस्ताव किया है । आयुर्वेद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अलावा, प्रस्तावित विश्व विद्यालय, कुछेक मौजूदा आयुर्वेद कालेजों को संबंधन प्रदान करेगा। प्रस्तावित विश्वविद्यालय आयुर्वेद फार्मेसी में डिग्री पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था करेगा तथा उसमें आयुर्वेद नर्सिंग तथा आयुर्वेद दन्त चिकित्सा के कालेज होंगे । शल्य चिकित्सा की उन्नत सुविधाओं सहित 500 पलंगों वाला एक अस्पताल का प्रस्ताव भी है ।

(ग) से (ङ). एक पृथक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय केवल राज्य सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत ही खोला जा सकता है । वर्तमान नीति के तहत केन्द्र सरकार स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के विकास हेतु सहायता प्रदान कर सकता है। तथापि, राज्य सरकार को प्रस्ताव के अधीन स्नातकपूर्व स्तर की शिक्षा तथा अन्य स्कीमों के लिए वित्त पोषण करना होगा ।

हिन्दी भाषी राज्य

5257. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी भाषी चार राज्यों में कुल जनसंख्या के 40% लोग रहते हैं और 47% बच्चे इन्हीं राज्यों में पैदा होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) आठवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों और अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चाटोवार) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश चार हिन्दी भाषी राज्यों में भारत की जनसंख्या 39.7% थी । नमूना पंजीयन प्रणाली द्वारा इन राज्यों में अनुमानित जीवित जन्मों की संख्या भारत में 1993 में कुल जन्मों का 48.4% थी ।

(ख) सामाजिक सुरक्षा नेट स्कीम के अन्तर्गत 90 जनांकिकीय रूप से कम निष्पादन वाले जिलों को आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा रही है । इन 90 जिलों में से 83 जिले चार हिन्दी भाषी राज्यों में हैं । इन राज्यों में विश्व बैंक/ यू.एस.एड सहायता से क्षेत्रीय परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(ग) आठवीं योजना का उद्देश्य 1997 तक जन्मदर 26 (प्रति हजार जनसंख्या) तथा शिशु मृत्युदर 70 (प्रति हजार जीवित वन्य) प्राप्त करना है। नवीनतम नमूना पंजीयन प्रणाली अनुमान के अनुसार वर्ष 1993 का जन्म दर 28.7 तथा शिशु मृत्यु दर 74% है ।

विदेशी वकील

5258. डा. आर. मल्लू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेशी वकीलों ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से भारत में वकालत करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बार काउंसिल आफ इण्डिया ने बोर्ड द्वारा ऐसा किए जाने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने कथन किया है कि उन्हें भारत में विधि व्यवसाय करने की अनुज्ञा चाहने वाले विदेशी वकीलों से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । तथापि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक विधि फर्म, मै. बेकर एंड मेकेंजी, वाशिंगटन, डी.सी. ने भारत में अपना कार्यालय स्थापित किए जाने के विषय में सरकार का मार्गदर्शन चाहा है ।

(ग) और (घ). भारतीय विधिज्ञ परिषद् भारत में विदेश की विधि फर्मों के स्थापित किए जाने के लिए अनुज्ञा देने के पक्ष में नहीं है।

[हिन्दी]

हिन्दी कम्प्यूटर

5259. डॉ. परशुराम गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी के कम्प्यूटरों की मांग का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ये कम्प्यूटर प्रयोग

हेतु कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नही उठता ।

[अनुवाद]

औद्योगिक मॉडल नगर

5260. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का विचार देश में औद्योगिक मॉडल नगरों की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां तो प्रस्तावित मॉडल नगरों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के विभिन्न भागों में इस योजना का विस्तार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) गुडगांव में औद्योगिक मॉडल नगर की स्थापना के लिए संभाव्यता अध्ययन करा रही है । परियोजना के विवरणों का पता जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा संभाव्यता अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद ही लग पायेगा । एक बार वहां औद्योगिक मॉडल नगर का अवधारणा डिजाइन तैयार हो जाने के बाद फिर अन्य इच्छुक राज्य सरकारों के लिए उसे अपने-अपने राज्यों में फिर से प्रयोग करना संभव हो सकेगा जो संसाधनों की उपलब्धता तथा विदेशी निवेश के अंत: प्रवाह की सम्भावना पर निर्भर होगा ।

विवरणिका को स्वीकृति

5261. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी विधि बोर्ड ने विवरणिका को स्वीकृति देने में लगने वाले समय को कम करने हेतु सुझाव दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने विवरणिकाओं को शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज):

(क) से (ग). कम्पनी विधि बोर्ड ने कोई प्रस्तताव नहीं किया है । तथापि, कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालयों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक पुनरीक्षण समिति गठित की थी ताकि उनकी कार्यप्रणाली को सरल और कारगर बनाया जा सके और कम्पनियों द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों को निपटाने में संबद्ध प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने के लिए परिवर्तनों के सुझाव दिये जा सकें । समिति ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की है कि कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा कम्पनियों द्वारा फाइल किए गए प्रोस्पेक्टस अधिमानत: फाइल किए जाने की तारीख को या अगले कार्य दिवस तक रिकार्ड पर ले लिए जाएं । इस सम्बन्ध में 16 फरवरी, 1995 को सभी कम्पनी रजिस्ट्रारों को प्रशासनिक अनुदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

विंड टरबाइन टेस्टिंग सेंटर

5262. डा. पी. चल्लल पेरूमान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मद्रास में विंड टरबाइन टेस्टिंग सेंटर तथा देश के अन्य भागों में इसकी इकाइयां स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस केन्द्र पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) से (ग). सरकार द्वारा डानिडा की तकनीकी और वित्तीय सहायता से तमिलनाडु में कयातार स्थान पर एक क्षेत्र परीक्षण स्टेशन के साथ मद्रास में एक पवनटरबाईन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। लगभग 80 लाख रूपए की वार्षिक प्रचालन लागत के साथ इस केन्द्र की स्थापना पर कुल 7.5 करोड़ रूपए की लागत का अनंतिम अनुमान हैं ।

[हिन्दी]

यूरेनियम की चोरी

5263. श्री केशरी लाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय परमाणु विद्युत संयंत्र से हाल ही में यूरेनियम की चोरी की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). हाल ही के कुछ महीनों में, समाचार-पत्रों में, परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के मेघालय स्थित प्रायोगिक संयंत्र से यूरेनियम की कथित चोरी होने के समाचार छपे हैं । मेघालय पुलिस द्वारा कुल मिलाकर 6 किलोग्राम सोडियम डाई-यूरेनेट जो कि यूरेनियम का एक यौगिक है (यूरेनियम का अंश करीबन 72 प्रतिशत) और 14,000 रूपए मूल्य का है, जब्त किया गया था ।

(ग) से (ङ). मेघालय में हुई इस घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं । विभाग के सभी नाभिकीय संयंत्रों में उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा बेहतर बनाने के लिए इन व्यवस्थाओं की लगातार पुनरीक्षा की जाती है । सुरक्षा व्यवस्थाओं का विवरण बताना जनहित में नहीं है ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अंशदान

5264. श्री बलराज पासी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की अंशदान दरों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अंशदान दरों में भारी वृद्धि और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के गिरते स्तरों को देखते हुए इस योजना को उपभोक्ता फोरम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). दवाइयों तथा उपकरणों की बढ़ती हुई कीमत और स्थापना लागत में वृद्धि को देखते हुए अंशदान की दरों में की गई वृद्धि अधिक नहीं है ।

(ग) से (ङ). जी, नहीं । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है ।

शेयरों के पब्लिक इश्यू

5265. श्री राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शेयरों के पब्लिक इश्यू को बन्द करने तथा उत्पादन शुरू होने के बीच कोई समय सीमा निर्धारित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). शेयरों के पब्लिक इश्यू को बन्द करने और उत्पादन के आरम्भ होने के बीच समय सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पब्लिक इश्युओं के जरिए निधियां जुटाने वाली कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 2 के अनुसार निर्धारित फार्म में विवरणिका जारी करना अपेक्षित होता है जिसमें कम्पनियों को अन्य बातों के साथ-साथ इश्यू के बन्द होने की तारीख, परियोजना के क्रियान्वयन की अनुसूची और अब तक की हुई प्रगति, भूमि अर्जन, सिविल निर्माण कार्य, संयंत्र और मशीनरी की स्थापना, परीक्षण के आधार पर उत्पादन और वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के ब्यौरे देना अपेक्षित है ।

बच्चों की देखभाल

5266. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बच्चों की देख भाल के बहुत ही कम सरकारी अस्पताल हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने-कितने सरकारी अस्पताल हैं ;

(ग) क्या सरकार का इनकी संख्या में वृद्धि करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) देश में बच्चों की देखभाल पर अधिक बल दिए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). देश के सभी जनरल अस्पताल बच्चों की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करते हैं ।

(ग) और (घ). "स्वास्थ्य" चूंकि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की समग्र उपलब्धता के मद्देनजर जनता को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रही हैं ।

(ङ) शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार लाने और नवजात शिशुओं, शिशुओं तथा मातृ रुग्णता और मृत्युदरों में कमी लाने के लिए अगस्त, 1992 से शुरू किया गया है ।

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

5267. श्री पी. सी. थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, बेल्लूर, ने इस

वर्ष मुनाफा कमाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के घाटा उठाने/लाभ कमाने वाले एककों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड एक अलग कंपनी है और इसे स्वंतत्र कंपनी बनाया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, केरल को वर्ष 1994-95 में 43 करोड़ रुपये (गैर-लेखापरीक्षित) का (कर पूर्व) निवल लाभ हुआ।

(ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की निम्नलिखित मिलों को घाटा हो रहा है :

(1) नौगांव पेपर मिल्स ।

(2) कछार पेपर मिल्स ।

(3) माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड ।

(4) नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड ।

(घ) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड का वैधानिक दृष्टि से अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और इसकी समस्त शेयर पूंजी हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा धारित है । उक्त शेयर धारिता पद्धति को बदलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण

5268. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की जनसंख्या अगले चार अथवा पांच दशकों में दोगुनी अथवा तिगुनी हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई रोलिंग प्लान बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1984 में स्थापित की गई जनसंख्या अनुमान संबंधी विशेषज्ञों की स्थायी समिति की रिपोर्ट से मात्र 2006 ईस्वी तक की भारत की जनसंख्या का पता चलता है। इन अनुमानों के अनुसार भारत की जनसंख्या 2006 ईस्वी में लगभग 108 करोड़ हो जाएगी ।

(ख) और (ग). स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक रोलिंग प्लान तैयार करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं किया है ।

[अनुवाद]

एड्स नियंत्रण

5269. श्री गुरूदास कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी चिकित्सालयों में एड्स रोगियों हेतु अलग वार्ड खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बलात्कार की शिकार महिलाएं

5270. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला संगठनों, विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न के शिकार अवयस्कों की जांच के लिए कोई नई प्रक्रिया अपनाई जाए; और

(ख) यदि हां, तो बलात्कार और यौन उत्पीड़न के शिकार अवयस्कों की मन: स्थिति को ठीक रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं / उठाने का विचार किया गया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). सरकार को इस बाबत किसी महिला संगठन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । किंतु राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 7 और 8 अक्तूबर, 1992 को 'बाल बलात्संग' विषय पर नई दिल्ली में एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें अनेक विशेषज्ञों ने भाग लिया था और उन्होंने अनेक सिफारिशें की थीं । सिफारिशें मुख्य रूप से, बाल बलात्संग, चिकित्सा-विधिक पहलुओं, पीड़ित बालकों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित सारभूत और प्रक्रियात्मक विधियों और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्रवाई और उन्हें समाज द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य बनाने से, संबंधित हैं । राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित की गई विधि विशेषज्ञ समिति ने, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से इन विधानों का और संशोधन करने के लिए एक विधेयक का सुझाव दिया है । सरकार इस विधेयक पर ध्यान दे रही है ।

[हिन्दी]

उपकरण कक्ष-सह-प्रशिक्षण केन्द्र

5271. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में उपकरण कक्ष-सह-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं और ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले गए हैं ;

(ख) क्या राजस्थान में आर.आई.सी.ओ. और आर.सी.एफ. की स्थापना के बाद लघु, मझौले और बड़े उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी संख्या का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त राज्यों में उपकरण कक्ष-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कम होने के कारण राज्य के उद्योगपतियों को अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजस्थान में और उपकरण कक्ष-सह-प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है ;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि दिए जाने का प्रस्ताव है और यह धनराशि कब दी जाएगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री(श्री एम. अरूणाचलम) : (क) लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग के लघु उद्योग विकास संगठन ने निम्नलिखित औजार कक्षों की स्थापना की है :-

क्र.सं.	उपकरण कक्ष का नाम	स्थापना-स्थल	राज्य
1.	केन्द्रीय औजार कक्ष	लुधियाना	पंजाब
2.	केन्द्रीय औजार कक्ष-सह-प्रशिक्षण केन्द्र	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
3.	केन्द्रीय औजार डिजाइन संस्थान	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
4.	केन्द्रीय दस्ती औजार संस्थान	जालंधर	पंजाब
5.	केन्द्रीय औजार कक्ष-सह-प्रशिक्षण केन्द्र	भुवनेश्वर	उड़ीसा
6.	केन्द्रीय औजार कक्ष	जमशेदपुर	बिहार
7.	भारत जर्मन औजार कक्ष	अहमदाबाद	गुजरात
8.	- वही -	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
9.	- वही -	इंदौर	मध्य प्रदेश
10.	हस्त औजार डिजाइन विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र	नागौर	राजस्थान
11.	औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र	पणजी	गोआ
12.	औजार कक्ष-सह-प्रशिक्षण संस्थान,	लखनऊ	उ.प्र.
13.	सरकारी औजार कक्ष-सह प्रशिक्षण केन्द्र	बंगलौर	कर्नाटक
14.	- वही -	मैसूर	कर्नाटक
15.	औजार कक्ष-सह-प्रशिक्षण केन्द्र	दिल्ली	दिल्ली

नोट :- क्रम सं. 1 से 9 तक के कक्ष भारत सरकार की समितियों के रूप में कार्यरत हैं, क्रम संख्या 10 पर अंकित कक्ष सीधे विभाग के तहत कार्य कर रहा है और क्रम सं. 11 से 15 तक के कक्ष संबंधित राज्य सरकारों की समितियों के रुप में कार्य कर रहे हैं ।

(ख) जी, हां । 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार आर.आई.आई.सी.ओ. के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 11,775 एकक उत्पादन कर रहे हैं । आर.एफ.सी. ने प्रारंभ से अब तक 46981 लघु तथा मझौले उद्योगों को वित्तीय सहायता मुहैया की है ।

(ग) जी, हां । राजस्थान में नागौर स्थित हस्त औजार डिजाइन, विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र को छोड़कर उक्त ऐसे केन्द्रों के अभाव के कारण वहां की औद्योगिक इकाइयां अन्य राज्यों पर आश्रित रहती हैं ।

(घ) राजस्थान सरकार ने यू.एन.डी.पी./जापान की सहायता से जयपुर में एक औजार कक्ष-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा था । भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को उक्त औजार कक्ष की स्थापना राज्य सरकार की पस्थियोजना के रूप में करने की सलाह दी थी । उक्त मामलें पर अभी राजस्थान सरकार के साथ विचार-विमर्श चल रहा है ।

(ङ) और (च). राज्य सरकार की परियोजना के रूप में उक्त औजार कक्ष की स्थापना के लिए राज्य सरकार की सहमति मिल जाने के बाद ही केन्द्रीय सहायता मुहैया करने का प्रश्न उठेगा ।

मतदाता सूचियां

5272. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन मतदाता सूचियों को अंतिम रूप कब तक दे दिया जाएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (घ). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है संलग्न है ।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3
	अर्हता की तारीख 1.1.1995 के प्रति निर्देश से	
1. अरूणाचल प्रदेश	2.01.1995	
2. गुजरात	2.01.1995	
3. बिहार	4.01.1995	
4. मणिपुर	4.01.1995	
5. उड़ीसा	4.01.1995	
6. महाराष्ट्र	7.01.1995	
7. हिमाचल प्रदेश	9.03.1995	
8. केरल	9.03.1995	
9. नागालैंड	9.03.1995	
10. पंजाब	9.03.1995	
11. राजस्थान	9.03.1995	
12. तमिलनाडु	9.03.1995	
13. पश्चिमी बंगाल	9.03.1995	दो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 2 (3) के अधीन विशेष पुनरीक्षण का आदेश किया गया है । अंतिम प्रकाशन 3 जुलाई, 1995 को किया जाना है ।
14. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.03.1995	
15. दादरा और नगर हवेली	9.03.1995	
16. दमन और दीव	9.03.1995	
17. पांडिचेरी	9.03.1995	
18. लक्षद्वीप	9.03.1995	केरल उच्च न्यायलय द्वारा नामावलियों के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है ।
19. मध्य प्रदेश	9.03.1995 और 24.03.1995	
20. मिजोरम	9.03.1995 और 26.06.1995	
21. उत्तर प्रदेश	9.03.1995 और 14.03.1995	
	18.05.1995	आठ पर्वतीय जिलों में 19 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम प्रकाशन किया जाना है ।
22. हरियाणा	27.07.1995	81 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में
	21.08.1995	9 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में
23. मेघालय	27.07.1995	

1	2	3
24. चंडीगढ़	27.07.1995	
25. असम	30.9.1995	गहन पुनरीक्षण के लिए आदेश किया गया था किन्तु गुवाहटी उच्च न्यायालय तारीख 22.12.94 के आदेश द्वारा रोक दिया गया ।
26. जम्मू-कश्मीर		87 नए परिसीमित निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार शीघ्र ही नामावलियां अंतिम रूप से प्राकाशित की जाएंगी ।
27. आंध्र प्रदेश	निर्वाचन आयोग द्वारा पुनरीक्षण के लिए आदेश दिया जा रहा है ।	अंतिम रूप दिया जाना है ।
28. गोवा	- यथोक्त -	
29. कर्नाटक	- यथोक्त -	
30. सिक्किम	- यथोक्त -	
31. त्रिपुरा	- यथोक्त -	
32. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	- यथोक्त -	

[अनुवाद]

महिलाएं और पंचायत राज

5273. श्री पी. सी. चाको : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में "महिलाएं और पंचायत राज" पर सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) राज्य-वार किन-किन और किस-किस स्तर के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था;

(घ) क्या इस सम्मेलन में कुछ विचार व्यक्त किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने हाल ही में महिलाएं एवं पंचायती राज पर कोई सेमिनार आयोजित नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

संक्रमण रोग चिकित्सालय में एड्स हेतु प्रकोष्ठ

5274. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के संक्रमण रोग चिकित्सालय में एड्स हेतु प्रकोष्ठ खोलने का था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह प्रकोष्ठ कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

परमाणु ऊर्जा अनुसंधान

5275. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर कितना वार्षिक खर्च किया जाता है ; और

(ख) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाल ही में की गयी खोजों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) 1991-94 तक के तीन वर्षों में परमाणु ऊर्जा अनुंधान पर किए गए वार्षिक व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	योजनागत	योजना-भिन्न (करोड़ रुपए)	कुल
1991-92	82.33	218.09	300.42
1992-93	85.35	246.43	331.78
1993-94	107.17	285.13	392.30

(ख) उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों जैसे कि विद्युत तथा अनुसंधान रिएक्टर, रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन तथा उनका उपयोग, लेसरों, त्वरकों, संलयन, नियंत्रण प्रणालियों, रोबोटिकी, सुपर कम्प्यूटरों, निम्नतापिकी, पदार्थ प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा जैव-प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां हासिल की गई हैं ।

भारत में अमेरिका द्वारा पूंजी निवेश

5276. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका के वित्त मंत्री द्वारा अप्रैल, 1995 में अपनी भारत यात्रा के दौरान केन्द्र सरकार के मंत्रियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विशेष रूप से भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका के पूंजी निवेशों के संबंध में इस बातचीत के क्या निष्कर्ष हैं ;

(ग) क्या अमेरिका के वित्त मंत्री की यात्रा तथा उपर्युक्त चर्चा से भारत में विभिन्न परियोजनाओं में अमेरिका के पूंजी निवेशों आदि के मार्ग में हाल ही के महीनों में आने वाली सभी बाधाएं दूर होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). अमरीका के वित्त सचिव श्री रोबर्ट रोबिन ने 17 से 20 अप्रैल, 1995 तक भारत का दौरा किया था और वित्त, विदेश और वाणिज्य आदि मंत्रालयों सहित विभिन्न प्राधिकारियों से बातचीत की थी । इस बातचीत में दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने व मजबूत बनाने पर बल दिया गया था । दौरे पर आए विशेष पदाधिकारी को वर्तमान नीतिगत उपायों से अवगत कराया गया था जो निदेशकों के अनुकूल है ।

अमरीकी निवेश की विशेषतया मूल आधारभूत सुविधा क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए विस्तृत अवसरों का उल्लेख किया गया था । सुधार प्रक्रिया को वापिस न लेने पर भी जोर दिया गया था । चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए यह माना गया था कि दोनों देश अमरीका से भारत में और निवेश को बढ़ावा देने के लिए और द्विपक्षीय आर्थिक व वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भी एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते रहना जारी रखेंगे ।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान

5277. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की शाखाएं कहां-कहां पर स्थित हैं ;

(ख) क्या हाल ही में महाराष्ट्र में प्लेग फैलने पर रक्त के नमूने बंगलौर शाखा को भेजने पड़े थे जिसके कारण नमूने की जांच में काफी विलम्ब हुआ था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव अन्य राज्यों में भी इस संस्थान की नई शाखाएं खोलने का है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये शाखाएं कहां-कहां पर खोली जाएंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की शाखाएं निम्नलिखित स्थानों में स्थित हैं :

अलवर (राजस्थान), बेंगलूर (कर्नाटक), कालीकट (केरल), कुन्नूर (तमिलनाडु), जगदलपुर (मध्य प्रदेश), पटना (बिहार), राजामुंदरी (आंध्र प्रदेश) और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) ।

(ख) महाराष्ट्र से प्राप्त रक्त नमूने बेंगलूर शाखा को भेज दिए गए थे । तथापि, नैदानिक अभिकर्मकों की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता तथा अल्पावधि में जांच हेतु अपेक्षित बहुत से नमूनों के कारण नमूनों की जांच में विलम्ब हुआ ।

(ग) और (घ). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, राज्य में कुछेक मेडिकल कालेजों/अस्पतालों को प्रयोगशालीय सुविधाओं के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता दी गई है ।

[हिन्दी]

कैंसर पर नियंत्रण

5278. श्री एन. जे. राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कैंसर उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई नई योजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ख) केन्द्र सरकार ने गुजरात को कैंसर पर नियंत्रण हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के लिये कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) तीन नई स्कीमें नामत : (1) स्वास्थ्य शिक्षा रोग का शुरू में पता लगाना तथा दर्द हारक उपायों के लिए जिला परियोजनाओं हेतु स्कीम, (2) मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में

आँकोलाजी विंग का विकास तथा (3) कैंसर में स्वास्थ्य शिक्षा एवं रोग का शुरू में पता लगाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता वर्ष 1990-91 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई थी ।

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता इस प्रकार है :-

1992-93 = 85.00 लाख रु.

1993-94 = 140.00 लाख रु.

1994-95 = 100.00 लाख रु.

वर्ष 1995-96 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, अहमदाबाद, गुजरात के लिए 50.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में भर्ती नियम

5279. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत वैज्ञानिकों के बारे में 12 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1091 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रत्येक ग्रेड के लिए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भर्ती नियमों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा प्रत्येक स्तर पर सीधी भर्ती वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति तथा योग्यता के आधार पदोन्नति का कितना-कितना प्रावधान है ;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान ग्रेडवार कितने कार्मिकों को सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त किया गया ;

(घ) वरिष्ठता के आधार पर किस-किस निचले ग्रेड से ऊपरी ग्रेड में कितने कार्मिकों को पदोन्नत किया गया ;

(ङ) योग्यता के आधार पर किस-किस निचले ग्रेड से ऊपरी ग्रेड में कितने कार्मिकों को पदोन्नत किया गया ; और

(च) 1 अप्रैल, 1994 को तथा 1 अप्रैल, 1995 को ग्रेडवार कितने कितने पद रिक्त थे ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्टॉफ की भर्ती के लिए सी एस आइ आर सेवा नियमावली, 1994 को अन्तिम रूप दे दिया गया है और 1-4-1994 से इसे लागू कर दिया गया है । इन नियमों के अन्तर्गत वैज्ञानिक स्टॉफ की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती निर्धारित अर्हता एवं अनुभव के आधार पर की जाती है । वैज्ञानिक स्टॉफ को ग्रुप IV में 7 विभिन्न ग्रेडों में रखा गया है । वैज्ञानिक के पद पर प्रवेश स्तर पर भर्ती ग्रेड IV (1) (2200-4000 रु.) में पूर्णत: सीधी भर्ती द्वारा की जाती है तथापि, कोई विशेष आवश्यकता होने या विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाने पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से शेष छ: ग्रेडों में भर्ती किए जाने का प्रावधान भी दिशा-निदेशों में है । वैज्ञानिक काडर में पदोन्नति योग्यता एवं सामान्य मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत की जाती है जिसकी प्रमुख विशेषताएं है - न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि का पूरा होना, थ्रेशहोल्ड (निर्धारित अंक), मानदण्ड, अंकों की योग्यता में समानता, फियर रिव्यू पद्धति इत्यादि ।

(ग) 1994-95 में की गई वैज्ञानिक कार्मिकों की ग्रेडवार सीधी भर्ती की संख्या निम्नांकित है :

IV(1)	IV(2)	IV(3)	IV(4)	IV(5)	IV(6)	IV(7)
84	15	4	4	-	-	1

कुल : 108

(घ) वैज्ञानिक स्टॉफ के बीच वरिष्ठता की कोई अवधारणा नहीं है । उनकी पदोन्नतियां सक्षमता सम्बंधी कुछ शर्तों को पूरा करने के आधार पर की जाती हैं ।

(ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(च) स्थिति निम्न प्रकार से है :

1.4.1994 रिक्त पद	1.4.1995 रिक्त पद
1121	1226

वैज्ञानिक कार्मिकों द्वारा हुए रिक्त सभी स्थान/पद ग्रुप IV में निम्नतम ग्रेड अर्थात ग्रेड IV (1) (रु. 2200-4000) में प्रत्यावर्तित हो जाते हैं ।

जम्मू कश्मीर में बरामद किये गये विस्फोटक

5280. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर में सीमा पर 26 फरवरी, 1995 को छापों के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक, हथियार और गोला-बारूद बरामद किये गये ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में गोलाबारूद बरामद किया गया; और

(ग) सरकार ने उग्रवादियों के विरुद्ध चौकसी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

पुर्तगाल द्वारा निवेश

5281. श्री अमर पाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने देश में निवेश करने के संबंध में पुर्तगाली उद्यमियों को कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) इस पर पुर्तगाली सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारत-पुर्तगाल संयुक्त व्यापार परिषद की नई दिल्ली में 5 अप्रैल, 1995 को हुई दूसरी बैठक में भारतीय पक्ष ने पुर्तगाली उद्यमियों को देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया था ।

(ख) निवेश के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में जहाजों की मरम्मत तथा रखरखाव, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, सेरेमिक, मार्बल, फार्मास्यूटिकल, पर्यटन, बुनियादी सुविधाएं एवं निर्माण क्षेत्र शामिल हैं ।

(ग) उक्त संयुक्त व्यापार परिषद के भारतीय वर्ग से प्राप्त सूचना के अनुसार, डा. लुइस पाल्हा पुर्तगाल के व्यापार राज्य मंत्री ने संयुक्त व्यापार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करने के लिए पुर्तगाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

5282. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने देश में चालू वर्ष सहित गत दो वर्षों के दौरान परिवार कल्याण और परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने हेतु अनुदान राशियां मंजूर की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत बिहार को कितनी धनराशि प्रदान की गई है अथवा मंजूर की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए अनेक बाह्य एजेंसियों से वित्तीय, सामग्री रूप में तथा तकनीकी सहायता प्राप्त होती है। वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान विश्व बैंक, नार्वेजियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, डेनिस अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, येनीसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए, ओ.डी.ए (यू.के) और यू एस एड से सहायता प्राप्त हुई थी ।

(ग) विश्व बैंक की सहायता से बिहार में नवम्बर, 1990 से एक क्षेत्र परियोजना चल रही है जिसका कुल परिव्यय 88.18 करोड़ रुपए है । वर्ष 1993-94 और 1994-95 में इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार को 33.43 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई थी जिसमें से राज्य ने 12.14 करोड़ रुपए का उपयोग किया है ।

[अनुवाद]

कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

5283. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियां कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी कार्य विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाही शुरू की गई है?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां ।

(ख) सामान्यत: नोटिस की गई चूकें तुलनपत्रों तथा वार्षिक विवरणियों को फाइल करने में विलम्ब का होना है ।

(ग) 1989-90 से 1993-94 की अवधि के दौरान अभियोजित कम्पनियों की संख्या को दर्शानेवाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान अभियोजित कम्पनियों की संख्या	वर्ष के दौरान शुरू किये गये अभियोजनों की संख्या
1	2	3
1989-90	3761	9716
1990-91	1498	5307
1991-92	1664	5881
1992-93	1087	7120
1993-94	1981	8780

भविष्य निधि खातों का निपटान

5284. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड जल्हाली, बंगलौर द्वारा भूतपूर्व कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों का शीघ्रता से निपटान नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने खातों का निपटान किया जाना अभी शेष है ;

(ग) क्या भविष्य निधि खातों का अंतिम रूप से निपटान करते समय सरकार की जानकारी में दुर्विनियोग की कुछ शिकायतें आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ङ) सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों का शीघ्र निपटान करने के संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों का निपटान कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का अनुपालन करते हुए शीघ्र किया जाता है । अनिर्णीत पड़े अधिकांश मामलें ऐसे हैं, जिनमें इस योजना के प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि से धनराशि वापस लेने के आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1056 खाते निपटाए जाने हैं जिनमें 27,16,113 रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

पेंशनभोगियों की शिकायतें

5285. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में आल इंडिया फेडरेशन आफ पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से उनकी शिकायतों की सूची और पेंशन प्राप्त करने वालों की लम्बे समय से चली आ रही मांगों सहित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस परिसंघ ने अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान पेंशन नीति में संशोधन करने और सेवारत कर्मचारियों के समान पर्याप्त अंतरिम सहायता मंजूर करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो पेंशन धारकों की शिकायतों और मांगों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) जी, हां ।

(ख) फेडरेशन द्वारा की गई विभिन्न मांगें हैं -- पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत की मंजूरी, पेंशन नीति में सुधार, पूर्व पेंशन भोगियों को समान पेंशन, समान रैंक, समान पेंशन की बहाली, कुटुम्ब पेंशन में संशोधन, पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधा (मेडीकेयर), पेंशन निधि को बनाना, कर्मचारी भविष्य निधि वाले तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना, पेंशन अधिनियम, 1871 में परिवर्तन तथा एस.आर.पी.एफ./अंशदायी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुग्रह पेंशन की मंजूरी ।

(ग) तथा (घ). सरकार ने पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति की है आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ पेंशनभोगियों के लिए समुचित पेंशन ढांचा प्रदान करने के लिए मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधा सहित विद्यमान पेंशन ढांचे की जांच करना तथा उससे संबंधित सिफारिशें करना जो वांछनीय तथा व्यवहार्य हों। फेडरेशन की अधिकतर मांगों पर वेतन आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

फलदार वृक्ष लगाना

5286. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलदार वृक्ष लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को परती भूमि और वन भूमि आबंटित करने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ धन आबंटित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव रामसिंह) : (क) और (ख). फलदार वृक्षों के वृक्षारोपण सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पात्र ग्रामीण गरीबों को गैर-वन वाली भूमि का आबंटन किया जाता है । तथापि, आबंटित भूमि पर किस तरह की खेती करनी है, इस बारे में निर्णय आबंटिती को लेना है जो भूमि के स्वरूप और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भूमि का उचित उपयोग करने के बारे में निर्णय लेगा जिसमें फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण भी शामिल है । वन क्षेत्र वाली बंजर भूमि का आबंटन वन संरक्षण अधिनियम, 1980, जिसके अन्तर्गत

किसानों को वनक्षेत्र वाली भूमि का आबंटन करने की कोई योजना नहीं है, के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ।

(ग) और (घ). बंजर भूमि सहित अन्य भूमि पर फलदार वृक्षों सहित विभिन्न किस्म के पौधों/वृक्षों का रोपण 20 सूत्री कार्यक्रम के मूत्र संख्या 16 के अन्तर्गत किया जाता है जिसके तहत वर्ष दर वर्ष आधार पर भौतिक लक्ष्य तय किए जाते हैं जो कि विभिन्न केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं । विगत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार आबंटित निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं । इन गतिविधियों में बंजर भूमि विकास विभाग की निम्नलिखित योजनाएं भी शामिल है :-

1. समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना
2. अनुदान सहायता
3. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण
4. निवेश प्रोत्साहन योजना
5. बंजर भूमि विकास कार्यबल

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन 1992-93	आबंटन 1993-94	आबंटन 1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2510.52	3324.70	2579.47
2.	अरूणाचल प्रदेश	434.55	511.00	1324.00
3.	असम	1520.00	1217.00	267.69
4.	बिहार	2112.46	3381.46	4715.60
5.	गोवा	156.95	150.80	154.66
6.	गुजरात	6713.93	6684.04	6881.12
7.	हरियाणा	4576.57	3777.40	3669.10
8.	हिमाचल प्रदेश	4746.00	6063.13	असूचित
9.	जम्मू व कश्मीर	1795.95	1108.02	असूचित
10.	कर्नाटक	6157.87	7548.06	11513.51
11.	केरल	1215.00	695.05	330.00*
12.	मध्य प्रदेश	5512.96	7350.68	5800.98
13.	महाराष्ट्र	7624.11	8936.45	9525.86
14.	मणिपुर	573.65	284.49*	542.61
15	मेघालय	1164.07	1084.20	असूचित
16.	मिजोरम	870.00	906.09	927.44
17.	नागालैंड	155.38	150.11	744.00
18.	उड़ीसा	4208.00	4069.50	978.35
19.	पंजाब	1159.50	1672.70	908.35
20.	राजस्थान	9583.00	12550.44	14339.17
21.	सिक्किम	383.87	364.82	असूचित
22.	तमिलनाडु	4640.70	5199.39	8868.00
23.	त्रिपुरा	1158.04	1163.63	861.67
24.	उत्तर प्रदेश	6790.16	9043.33	12983.49

1	2	3	4	5
25.	पश्चिम बंगाल	2880.00	2098.30*	3057.27
26.	अडंमान व निकोबार	116.25	114.85	127.50
27.	चण्ड़ीगढ़	30.00	170.00	45.00
28.	दादर व नगर हवेली	97.20	200.00	146.87
29.	दमन व द्वीप	13.00	13.00	22.50
30.	दिल्ली	281.00	197.00	193.00
31.	लक्षद्वीप	16.00	16.50	असूचित
32.	पांडिचेरी	91.33	131.00	92.00
	योग :	79288.02	90177.14*	91599.21*

* संभावित
असूचित

[अनुवाद]

थलसेना के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि

5287. श्री एम. जी. रेड्डी :

डा. आर. मल्लू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 1995 के ''स्टेट्समैन'' में ''आर्मी नीड्स फंड् फार माडर्नाइजेशन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या थलसेनाध्यक्ष ने भारतीय थलसेना और उसके शस्त्रों आदि के आधुनिकीकरण के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) भारतीय थलसेना का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). मानवीय तथा भौतिकीय दोनों प्रकार के संसाधनों का दर्जा बढ़ाकर सेना का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है ताकि सेना को बदलती हुई खतरे की संभावनाओं, प्रौद्योगिकीय एवं भूराजनैतिक पर्यावरण के अनुरूप बनाया जा सके । प्राथमिकता के आधार पर योजना तैयार करने और निर्धारित कार्यक्रम का अनुपालन करने के लिए नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास किया जाता है, ताकि संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके संक्रियात्मक तैयारी का उच्च स्तर सुनिश्चित किया जा सके ।

[हिन्दी]

कैंसर रोगी

5288. श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में कैंसर के रोगियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और देश में कितने प्रतिशत रोगी ऐसे हैं जो एक प्रकार के या दूसरे प्रकार के कैंसर से पीड़ित हैं ;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में मुहं के (ओरल) कैंसर के रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने इस घातक रोग की रोकथाम के लिए कोई विशेष अभियान चलाया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं । तथापि, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इस संबंध में एक रजिस्टर रख रही है ।

(ख) कैंसर के रोगियों में मुंह के कैंसर, फेफड़े के कैंसर और अमाशय के कैंसर के रोगियों की प्रतिशतता अधिक है । महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और स्तन-कैंसर भी सर्वाधिक सामान्य हैं ।

(ग) और (घ). भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्र किए गए आंकड़ों से पता

चलता है कि वर्ष 1982 से मुंह के कैंसर की आयु समायोजित घटना-दर न्यूनाधिक रूप से समान है ।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रोकथाम, शुरु में पता लगाने और उपचार सुविधाओं में वृद्धि पर जोर दिया जाता है । सरकार ने तम्बाकू के बुरे प्रभावों और कुछ सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान निषेध के बारे में शिक्षा जैसे अनेक उपाय शुरू किए हैं।

सरकारी उपक्रमों का पुनर्गठन

5289. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) क्या इन उपक्रमों के पुनर्गठन के बाद उनके विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में दिनांक 16 मार्च, 1994 के द्वारा जारी किए गए मार्गनिदेशों का पालन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). किसी वाणिज्यिक उद्यम का पुनर्गठन एक सतत् प्रक्रिया है और यह विभिन्न रूपों में होता है जैसा कि पूंजी पुनर्गठन, पद्धति पुनर्गठन व्यापार पुनर्गठन, सर्वोच्च प्रबंध आदि । ऐसे पुनर्गठन पर सरकारी उद्यम विभाग के दिनांक 16-3-1994 के कार्यलय ज्ञापन संख्या 18(8)/92-जी.एम. की शर्तें लागू नहीं होती।

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा

5290. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से उड़ीसा की जनता को स्वास्थ्य की समुचित देख-रेख उपलब्ध कराने के लिए उस राज्य में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) आठवीं योजना में इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ). आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवाओं का समेकन और उन्हें सुदृढ़ करना है । इसमें उड़ीसा राज्य के केन्द्र भी शामिल हैं । योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा के लिए 170 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लक्ष्य निश्चित किया है । इनमें से 31.1.1995 तक 58 केन्द्र खोले जा चुके हैं।

[हिन्दी]

व्यापार संवर्धन केन्द्र

5291. श्रीमती शीला गौतम :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुटीर उद्योग विकास संगठन और लघु उद्योग विकास संगठन में व्यापार संवर्द्धन केन्द्रों की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य क्या हैं; और

(ग) अब तक इन केन्द्रों का कार्य निष्पादन कैसा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते हैं ।

[अनुवाद]

भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड द्वारा रेल डिब्बों का निर्माण

5292. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन् : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान भारत अर्थ मूवर्स लि. द्वारा कितने रेल डिब्बों का निर्माण किया गया ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इंडियन रेलवे ने कितने रेल डिब्बों के निर्माण का क्रयादेश दिया ;

(ग) मांग और निर्माण में अंतर रहने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या 1994-95 के दौरान किसी अन्य देश ने रेल डिब्बों के निर्माण हेतु भारत अर्थ मूवर्स लि. को क्रयादेश दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कार्य-निष्पादन कैसा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 के दौरान रेल डिब्बों का कोई निर्माण नहीं किया गया था । तथापि, रेल विभाग ने वर्ष 1994-95 के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को 150 रेल डिब्बों के निर्माण के लिए आदेश दिया था। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अनुरोध पर रेल विभाग ने वर्ष 1994-95 के लिए दिए

गए 150 रेल डिब्बों के निर्माण से संबंधित आदेश को वर्ष 1993-94 के लिए अंतरित कर दिया (भारत अर्थ मूर्व लिमिटेड ने वर्ष 1994-95 के दौरान रेल विभाग के लिए एक रेल बस, डी सी ई एम यू के तीन सेटों और 5 स्पवाइल डिस्पोजल यूनिटों का निर्माण किया)।

(ग) हाल ही में, पर्याप्त धनराशि न होने, प्रस्तावित सवारी गाड़ी न चलाए जाने तथा रेल विभाग द्वारा अपनी रेल डिब्बा निर्माण यूनिटों को तरजीह दिए जाने के कारण रेल विभाग से कम आदेश मिले हैं। तदनुसार, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में रेल डिब्बों के उत्पादन में कमी आई है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

तीव्र भूकम्प ध्वनि प्रणाली

5293. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीव्र भूकम्प ध्वनि प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक विशेषज्ञ/सलाहकार की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) खदानों में अल्प केन्द्री भूकंप तथा चट्टानों में विस्फोट कभी-कभी बूमिंग आवाज के साथ होते हैं । यह घटना कई स्थानों पर खास तौर से समय-समय पर प्रायद्वीपीय भारत में ध्यान में आई है ।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने भूकंप मानीटरिंग तथा उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए पद्धति का सुझाव देने हेतु विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है । भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना आरंभ कर प्रायद्वीपीय शील्ड में भूकंप मानीटरिंग की क्षमता का दर्जा बढ़ाने के लिए बड़ी पहल की है ।

[अनुवाद]

मौसम का पूर्वानुमान

5294. श्री तारा सिंह :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1995 के दैनिक समाचार पत्र "स्टेट्समैन" में "वैदर फोरकास्टिंग गोज हाई-टैक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मौसम का सही पूर्वानुमान लगाने के लिए विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में मौसम के पूर्वानुमान हेतु अपने नवीनतम उपकरण लगाए हैं;

(घ) क्या फसलों पर मौसम के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए "एग्रोमेट एडवायजरी" सर्विस नामक नेटवर्क के द्वारा तीन दिन पूर्व मौसम बुलेटिन जारी किए जाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सेवा के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार द्वारा मौसम का सही पूर्वानुमान सुनिश्चित करने हेतु और क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एन.सी.एम. आर.डब्ल्यू.एफ) ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के मुख्यालयों में स्थित कृषि मौसम विज्ञानी क्षेत्रीय इकाइयों को प्रायोगिक आधार पर 3 दिन पहले मौसम का पूर्वानुमान उपलब्ध कराना आरंभ कर दिया है । इस प्रयोजन के लिए अंकीय मौसम पूर्वानुमान तकनीक इस्तेमाल की जाती है ।

(ग) अंकीय मौसम पूर्वानुमान तकनीकों के माध्यम से मौसम के पूर्वानुमान के लिए एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ, नई दिल्ली में सुपरकम्प्यूटर तथा अन्य सुविधाएं स्थापित की गई हैं । एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ के द्वारा प्रदत्त 3 दिवसीय पूर्वानुमान पर आधारित कृषि मौसम परामर्शी बुलेटिनों को तैयार करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को एक पर्सनल कम्प्यूटर सहित दूरसंचार सुविधाएं उत्तरोत्तर प्रदान की जा रही हैं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) फिलहाल, सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालययें तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को नयी ए.ए.एस के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

(च) राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ) और अधिक सही पूर्वानुमान तैयार करने के लिए अपनी संगणक सुविधा और वातावरणीय माडलों को उन्नत करने का निरन्तर प्रयास कर रहा है ।

ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र

5295. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों की भूमिका के मूल्यांकन हेतु कोई अध्ययन कराया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या मुख्य निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या इस अध्ययन के अन्तर्गत सभी राज्य शामिल किए गए है; और

(घ) यदि नहीं, तो बाकी राज्यों को इसके अन्तर्गत शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां । ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के कार्यकरण पर एक अध्ययन हाल ही में आयुर्विज्ञान सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आई सी एम आर) नई दिल्ली द्वारा पूरा किया गया है ।

(ख) अध्ययन के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

(एक) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली में मिलाया गया है ।

(दो) अधिकतर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र खंड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से कार्य कर रहे थे जबकि कुछ केन्द्र नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में कार्य कर रहे थे।

(तीन) विभिन्न राज्यों में इन केन्द्रों में कार्यरत स्टाफ 66% से 85% (चिकित्सा अधिकारियों के मामले में) और 81% से 97% (पराचिकित्सा कार्मिकों के मामले में) के बीच था ।

(चार) विभिन्न राज्यों में वाहनों की उपलब्धता 38% से 93% के बीच थी ।

(ग) इस अध्ययन में सात राज्यों अर्थात राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और हरियाणा को कवर किया गया।

(घ) चूंकि यह नमूना सर्वेक्षण था इसलिए सभी राज्यों को कवर करने का प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

5296. श्री अकुंशराव टोपे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को पुनर्गठित करके उसमें सुधार लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). सरकार का इस योजना के लिए आबंटित किए गए बजटीय प्रावधानों के भीतर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्य में सुधार लाने का सतत प्रयास है । हाल ही में किए गए सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोगशालाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए नए उपकरण खरीदना, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियों की उपलब्धता में आने वाली कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए स्थानीय कैमिस्टों की नियुक्ति करना, चिकित्सीय दावों के निपटान के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, आंचलिक अधिकारियों द्वारा औषधालयों का निरीक्षण करना, पेंशन भोगियों के लिए जीवन भर के लिए के.स.स्वा.यो. का कार्ड जारी करने के लिए अंशदान का एक बार में भुगतान करना, निजी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में के.स.स्वा.यो. के लाभार्थियों के उपचार के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए इसके संबंधित औषधालायों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शक्तियों का प्रत्यायोजन करना और अस्पताल आदि में दाखिल होने की स्थिति इत्यादि में चिकित्सा अग्रिम मंजूर करने का प्रावधान करना शामिल है ।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना धनराशि का दुरुपयोग

5297. श्री राम निहोर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रधान मंत्री रोजगार योजना जैसी योजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय धनराशि के दुरुपयोग के बारे में कई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार की इस योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक केन्द्रीय निगरानी कोष की स्थापना करने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना केन्द्रीय निधि के दुरुपयोग के बारे में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) और (घ). प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन भौतिक, वित्तीय एवं परिमाणात्मक रुप में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए सचिव (ल. उ. एवं कृ. तथा ग्रा. उ.) की अध्यक्षता में, केन्द्र में, एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है । इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री रोजगार योजना हेतु एक राज्य समिति गठित की गई है जो योजना खर्च की समीक्षा सहित समग्र क्रियान्वयन एवं निगरानी की समीक्षा करेगी।

लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट

5298. डा. वसन्त पवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी और कौन-कौन सी कम्पनियां सरकार को अपेक्षित

लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत करने में असफल रहीं ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख के अन्तर्गत उन कम्पनियों को लागत लेखापरीक्षा आदेश जारी किए जाते हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 209(1) (घ) के तहत जारी विभिन्न लागत लेखा रिकार्ड नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित उत्पादों का विनिर्माण करते हैं । जिन कम्पनियों को लागत लेखापरीक्षा आदेश जारी किए गए हैं उन्हें सरकार को निर्धारित अवधि के अन्दर लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत करना अपेक्षित है । उन कम्पनियों के नामों के ब्यौरे, जो वर्ष 1993-94 की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत करने में असफल रही हैं, संकलित किए जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

फ्लुरोसिस रोग

5299. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फ्लुरोसिस रोग के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो कौन-कौन से राज्य इस रोग की चपेट में हैं; और

(ग) इस रोग पर काबू पाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). 15 राज्यों नामत: राजस्थान, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, बिहार, पंजाब, उड़ीसा और दिल्ली में 150 जिलों का भूजल में फ्लोराइड की अधिकता से प्रभावित होने का पता चला है ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ने, राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत नियंत्रण के उपाय शुरू किए हैं, जिनमें फ्लोराइड युक्त पानी के वैकल्पिक स्रोतों अथवा नालगोंडा तकनीक जैसी, पानी साफ करने की प्रक्रिया की सहायता से फ्लोराइड से दूषित पानीं को साफ करना या सक्रिया बहिष्करण प्रक्रिया की लागू करके, 1.5 पी.पी.एम. की अनुमत्य सीमा के अंतर्गत फ्लोराइड युक्त पानी की आपूर्ति शामिल हैं । अब तक देश में इस प्रकार के 415 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं ।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

5300. श्री राजेश कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के लिए वर्ष 1994-95 हेतु आबंटित योजना और गैर-योजना राशि में से भारी राशि अप्रयुक्त बची है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस धनराशि के अप्रयुक्त रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस अस्पताल के वर्ष 1995-96 के योजना बजट में भारी कटौती की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसमें की गई शीर्षवार कटौतियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 में 4158 लाख रुपए (प्लान एवं नॉन-प्लान) के आवंटन में से वास्तविक खर्च 3681 लाख रुपए था । 477 लाख रुपए की राशि का उपयोग नहीं किया गया । इसका कारण मशीनरी और उपस्करों, सामग्री तथा आपूर्तियों के लिए दिए गए आदेश कार्यान्वित नहीं हो सके ।

(ग) और (घ). वर्ष 1995-96 के बजट आवंटन अस्पताल की प्रत्याशित आवश्यकताओं के आधार पर किए थे । इनमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधित अनुमान तैयार करते समय वृद्धि की जा सकती है ।

[हिन्दी]

सैनिक स्कूल में भोजन भत्ता

5301. डा. परशुराम गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए भोजन भत्ते में वृद्धि किए जाने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). सैनिक स्कूलों में छात्रों के भोजन भत्ते में वृद्धि करने के बारे में कहीं से भी कोई मांग नहीं की गई है ।

(ग) वर्ष 1992 में सैनिक स्कूल सोसाइटी ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया था कि यदि वे चाहें तो प्रत्येक बोर्डर को प्रतिदिन 5/-रुपए की राशि पूरक खुराक के रूप में उपलब्ध करवा सकते हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में जैव-प्रौद्योगिकी परियोजना द्वारा उत्पादन

5302. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में देश की सबसे बड़ी जैव-प्रौद्योगिकी परियोजना द्वारा पेंसिलिन का उत्पादन कब से आरम्भ कर दिया जाएगा ;

(ख) क्या उपरोक्त परियोजना के लिए कोई विदेशी सहयोग मांगा गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) परीक्षण उत्पादन अप्रैल, 1995 में आरम्भ हो गया है । परीक्षण उत्पादन के परिणामों के आधार पर, वाणिज्यिक उत्पादन मई, 1995 के अन्त तक शुरू होने की आशा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कम्पनी ने प्रारम्भ में मैसर्स बायोटिका एस.पी. चैकोस्लोवाकिया से सहयोग किया है । आगे मैसर्स पनलैब इनक., यूएसए और मैसर्स बायो-इंजीनियरिंग ए.जी.स्विट्जरलैंड से सहयोग किया ।

(घ) संयंत्र में पेंसिलिन फर्स्ट क्रिस्टल की 1500 एम.एम.यू स्थापित क्षमता होगी । पूर्ण क्षमता का उपयोग प्राप्त कर लेने पर संयंत्र घरेलू पेंसिलिन की उपलब्धता में बड़े हिस्से का योगदान करेगा ।

नर्सिंग स्कूल

5303. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान नए नर्सिंग स्कूल खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 के दौरान कितने स्कूल खोले गए तथा 1995-96 के दौरान कितने स्कूल खोले जाएगें?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान निम्नलिखित राज्यों में छः नर्सिंग स्कूलों की मंजूरी दी गई है :

राज्य का नाम	स्कूलों की संख्या
मिजोरम	एक
मणिपुर	एक
केरल	एक
पश्चिम बंगाल	दो
कर्नाटक	एक

वर्ष 1995-96 के दौरान चार और नर्सिंग स्कूलों को मंजूरी देने का प्रस्ताव है ।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

5304. कुमारी उमा भारती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु हाल ही में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस कार्यशाला में क्या निर्णय लिए गए ; और

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत तकनीक के लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठा जा रहे हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से संबंधित विभिन्न पहलुओं/प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलनों/कार्यशालाओ / संमीनारों के आयोजन को समय-समय पर सहायता दी जाती है । अभी हाल ही में सरकार ने सार्क देशों के बीच वैकल्पिक/अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया ।

(ख) इस कार्यशाला की प्रमुख सिफारिशों में विस्तृत अक्षय ऊर्जा नीति निर्माण, संसाधन आकलन उपयुक्त संस्थागत और वित्तीय ढांचा और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र हेतु विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना शामिल है ।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापक श्रेणी के विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है । इन प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं : बायो गैस, उन्नत चूल्हा, बायोमास, पशु ऊर्जा एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम और प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय । इन कार्यक्रमों की संचय उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

संचयी वास्तविक उपलब्धियां एक नजर में

क्रम सं.	कार्यक्रम	यूनिट	आरंभ से लेकर मार्च, 1995 तक*
1	2	3	4
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	लाख संख्या	21.11
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	संख्या	1231
3.	उन्नत चूल्हा	लाख संख्या	189.32
4.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम	ब्लॉक	552
5.	सौर तापीय प्रणालियां	वर्गमीटर क्षेत्र	3,03,487
6.	सौर कुकर	संख्या	3,66,642
7.	सौर प्रकाश वोल्टीय		
क.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत यूनिटें	केडब्ल्यूपी	575.86
ख.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी/टीवी और सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	954
ग.	प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां	संख्या	24,968
घ.	प्रकाशवोल्टीय लालटेन	संख्या	28,470
ङ.	प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनियां	संख्या	32,444
च.	प्रकाशवोल्टीय पम्प और प्रकाशवोल्टीय सिंचाई पम्प	संख्या	1,373
8.	पवन पम्प	संख्या	3,289
9.	पवन बैटरी चार्जर	संख्या	145
10.	मिनी-माइक्रो जल विद्युत	मेवा.	138,67
11.	ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं	संख्या	306
12.	बायोमास स्टैंडएलोन गैसीफायर	मेवा.	20

* आकड़े सुनिश्चित किए जा रहे हैं ।

[अनुवाद]

एंटी बायोटिक दवाईयां

5305. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में एंटी बायोटिक दवाइयों की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी.सिल्वेरा) : (क) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च न्यायालयों की खंडपीठ

5306. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की खण्डपीठों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से कितनी खण्डपीठों के मुख्य न्यायाधीश अनुसूचित जातियों से हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) (क) और (ख). देश भर में इस समय 18 उच्च न्यायालय और उनकी 13 स्थायी न्यायपीठें विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रही हैं । इस समय एक उच्च न्यायालय ऐसा है जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति अनुसूचित जाति का है । उच्च न्यायालयों के प्रधान स्थानों से दूर कार्य कर रही न्यायापीठों की अध्यक्षता मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा नहीं की जाती है, मुख्य न्ययमूर्तियों द्वारा समय-समय पर इन न्यायपीठों में प्रधान स्थानों से न्यायधीशों की प्रतिनियुक्ति की जाती है ।

अमरीकी सैनिकों का प्रशिक्षण

5307. श्री गुरुदास कामत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारतीय युद्ध प्रशिक्षण विद्यालयों में अपने सैनिकों हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

एम आई 35 हेलिकाप्टर की दुर्घटना

5308. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पालमपुर से 22 किलोमीटर दूर बागड़ी महादेव स्थान पर एम आई 35 हेलिकाप्टर की हुई दुर्घटना की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ). बागडी महादेव नामक स्थान पर एम आई-35 हेलिकॉप्टर की कोई दुर्घटना नहीं हुई ।तथापि, 18 अगस्त, 1994 को पालमपुर के पास एम आई-25 हेलिकॉप्टर की एक दुर्घटना हुई थी। चूंकि यह हेलिकॉप्टर दुर्घटना के बाद लगी आग में बुरी तरह जल गया था इसलिए कोई प्रमाण शेष न रहने से जांच अदालत दुर्घटना के सही कारण का निर्धारण नहीं कर सकी ।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद

5309. श्री पी.सी. चाको : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल) की गाजियाबाद इकाई को ब्रिटिश सेफ्टी कॉन्सिल (यू.के.) द्वारा लगातार सातवें वर्ष ''नेशनल सेफ्टी अवार्ड 1994'' दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कर्मचारियों तथा प्रबंधन के समर्पित प्रयासों के परिणामस्वरूप लगातार यह उपलब्धि प्राप्त हुई है ;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों विशेषकर केरल में स्थित उपक्रमों को भी बी. ई. एल. की गाजियाबाद इकाई का अनुसरण करने हेतु कुछ मार्ग-निर्देश जारी करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की गाजियाबाद स्थित यूनिट ने 1988 से 1994 तक लगातार सात वर्षों तक ब्रिटिश सेफ्टी काउन्सिल (यू.के.) से राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ). ब्रिटिश सेफ्टी काउन्सिल (यू.के.) अपने केवल उन्हीं सदस्यों को पुरस्कार देती है जो इस काउन्सिल द्वारा निर्धारित सुरक्षा संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं । उद्योग पर लागू होने वाले सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत तथा मानदंड पहले से ही मौजूद हैं।

जन सुविधाएं

5310. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, सफाई और अन्य जन-सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) भूकंप के परिमाणस्वरूप बेघर हुए 52 गांवों के सभी परिवारों के लिए अस्थाई टिन शैडों का निर्माण किया गया था । इन आश्रय स्थलों में सडकें, जल निकासी, विद्युत और जल आपूर्ति की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी नए स्थानों में पुनर्वास कार्यक्रम, जिसमें ढह गए मकानों का निर्माण और क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के कार्य को तीन चरणों में वर्ष 30.6.1997 तक पूरा किया जाना है । ये कार्य प्रगति पर हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी प्रौद्योगिकीविद

5311. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नियुक्त चीनी प्रौद्योगिकीविदों ने कई राज्यों और चीनी मिलों का दौरा किया है ताकि इन राज्यों में चीनी की नई प्रौद्योगिकी अपनाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तुत की गई नई प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने इन नई चीनी प्रौद्योगिकियों को अपनाया है;

(घ) अब तक इसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) किस हद तक इससे चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां, चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकियों संबंधी मिशन पद्धति परियोजना, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक परियोजना है, से जुड़े चीनी प्रौद्योगिकीविदों ने कुछ चीनी मिलों का दौरा किया है जिनमें प्रौद्योगिकी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) 1994-95 की अवधि में जो नई प्रौद्योगिकियां आजमाई गई हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) सबसाइडर अंतप्रवाह का डी-लिकरिंग करने के लिए डी-केन्टर सेंट्रीफ्यूज का प्रयोग ।

(2) पुन: संचरण से बचने के लिए फास्फोफ्लोटेशन तकनीक के माध्यम से निर्वात छन्नकों का ट्रीटमेंट ।

(ग) उपर्युक्त प्रौद्योगिकियों को दो चीनी मिलों में, एक गुजरात तथा एक महाराष्ट्र में आजमाया जा रहा है ।

(घ) और (ङ). प्रौद्योगिकियां प्रयोग और मूल्यांकन चरण में हैं।

[हिन्दी]

एपिकल्चर को प्रोत्साहन

5312. श्री अमर पाल सिंह :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय किसान एपिकल्चर कृषि क्षेत्र में शहद का उत्पादन करके पर्याप्त लाभ कमा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार एपिकल्चर कृषि उत्पादों पर आधारित एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में मान्यता देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि मधुमक्खी पालन उद्योग भारत में एक सहायक व्यवसाय है जो बहुत बड़ी संख्या में उद्यान विशेषज्ञों और कृषि विशेषज्ञों को अतिरिक्त आमदनी प्रदान करता है।

(ख) से (ङ) कृषि मंत्रालय ने 1994-95 से 1996-97 की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 'फसल की उत्पादकता में सुधार करने के लिए मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास' के बारे में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है जिसका कुल परिव्यय 18.87 करोड़ रुपये है । इस योजना में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :

(1) अनुसंधान और विकास सुविधाओं का संवर्धन ।

(2) मधुमक्खी कालोनियों का उत्पादन ।

(3) मधुमक्खी पालन उद्योग/सरकारी समितियां/एसोसिएशनों/महासंघों की सहायता ।

(4) प्रशिक्षण

(5) संवर्धनात्मक ।

(6) दीर्घकालीन विकास के लिए योजनाएं ।

इस योजना के एक हिस्से के रूप में और कृषि उद्योग से एक संघटक के रूप में कृषि के महत्व को महसूस करते हुए सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को धन राशि का आबंटन किया है:

(1) सुगन्धित यौगिकों और मधु पराग का पोषण महत्व और रायल जैली का अध्ययन करना ।

(2) एपिस सेरीना और एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी पालन पद्धति के दबाव में सुधार करना ।

(3) न्यूक्लिस स्टॉक और मल्टी पालीकेशन एजेन्सियों के लिए एपिस सेरीना और मेलीफेरा के पोषक स्टॉक का विकास और आपूर्ति करना ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सारे देश में मधुमक्खी पालन उद्योग में वैज्ञानिक पद्धति शुरू करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया है । इसने शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश के अधिकतर भागों में ज्यादा शहद पैदा करने वाली शहद की मक्खियों की किस्मों को भी शुरू किया है । मधुमक्खी पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी

और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किये गए अन्य उपायों में बुनियादी सुविधा सहायता का प्रावधान, रियायती दर पर सेवाओं और मानक मधु बक्सों का पैकेज, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता शामिल हैं ।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा एकक

5313. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार से राज्य में सौर ऊर्जा एकक स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सौर ऊर्जा कार्यक्रम के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितना पूरा किया गया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). सरकार बिहार सहित, देश में सौर ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है । सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत सौर कुकर, सौर जल तापन प्रणालियां, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां और सौर लालटेन जैसी विभिन्न युक्तियों का संवर्द्धन किया जा रहा है ।

सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार को दी गई वित्तीय सहायता और लक्ष्य एवं उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

(क) सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बिहार को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता :

क्रम सं.	वर्ष	सौर तापीय कार्यक्रम (लाख रुपये में)	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम
1.	1992-93	9.86	31.50
2.	1993-94	—	56.00
3.	1994-95*	—	—

(ख) सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं.	प्रणालियां/युक्तियां	1992-93		1993-94		1994-95**	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	सौर कुकर (संख्या)	200	730	400	—	500	—
2.	सौर तापीय प्रणालियां (संग्राहक क्षेत्र वर्गमीटर में)	1830	—	—	1004	—	—
3.	सड़क रोशनी प्रणालियां (संख्या)	25	25	—	—	—	—
4.	घरेलू रोशनी प्रणालियां (संख्या)	40	50	200	—	—	—
5.	सौर लालटेन (संख्या)	800	800	5000	4000	10000	—

* चूंकि पहले जारी की गई धनराशि के बारे में राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए इसलिए वर्ष 1994-95 में धनराशि जारी नहीं की गई ।

** राज्य सरकारों द्वारा अब तक उपलब्धि संबंधी आकंड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं ।

नेत्र चिकित्सा विज्ञान संबंधी सम्मेलन

5314. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1995 में नई दिल्ली में दिल्ली नेत्र चिकित्सा विज्ञान सोसायटी "आफ्थालमोलोजी अपडेट-1995" नाम से सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञों ने भाग लिया ;

(ग) इस सम्मेलन में की गई मुख्य सिफारिशों और टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली नेत्र विज्ञान सोसाइटी से एकत्र की गई सूचना के अनुसार इस सम्मेलन के लिए भारत-भर से पंजीकृत प्रतिनिधियों(नेत्र विज्ञानियों) की कुल संख्या लगभग 700 थी ।

(ग) इस सम्मेलन की मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. नेत्र रोगों के संबंध में लोगों में और अधिक जागरूकता की आवश्यकता ;
2. जिला स्तरों तक उपलब्ध कराये जाने वाले अत्याधुनिक उपकरणों सहित विकासशील बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जायेगा ;
3. दृष्टि बचाने वाले उपकरणों के लिए सभी पूरक पुर्जों और कल-पुर्जों पर शुल्क की छूट ; और
4. नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में नये विकासों के बारे में नेत्र विज्ञानिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता।

(घ) राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकलापों में जागरूकता, प्रशिक्षण के संघटकों और आधुनिक चिकित्सीय और शल्य चिकित्सीय उपचार के लिए बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है । दृष्टि बचाने के उपकरणों के लिए पूरक पुर्जों और पुर्जों पर शुल्क में छूट इस कार्यक्रम के लिए लाभदायक होगी ।

स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

5315. श्री सुकदेव पासवान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में आरंभ किए जाने वाले आधारभूत स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन कर लिया है अथवा चयन किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को दिए गए प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) स्वास्थ्य (पी. वी. ओ. एच.-II) के लिए निजी स्वैच्छिक संगठन योजना के अंतर्गत 10 सहायता सेवा परियोजनाएं छोटे गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करती हैं । प्रायोगिक नवीन योजना के अंतर्गत ऐसे ही कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं ।

तपेदिक

5316. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने तपेदिक के प्रसार को रोकने में सरकार की सहायता करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा इस प्रयोजनार्थ वित्तीय तथा मानव संसाधन के रूप में कितनी सहायता दिए जाने की संभावना हैं;

(ग) क्या इस संबंध में विश्व बैंक की सहायता से देश में पहले से ही कुछ पायलट परियोजनाएं प्रगति पर हैं ;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) तपेदिक के उन्मूलन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ङ) विश्व बैंक ने परियोजना आयोजन सुविधा अग्रिम के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु संशोधित कार्यनीति के आरंभिक चरण-II के कार्यान्वयन के लिए 1996 मिलियन अमरीकी डालर प्रदान करने पर सहमति प्रदान की है । भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सीडा द्वारा संयुक्त रूप से की गई समीक्षा के बाद यह परियोजना जून, 1995 के अंत तक आरंभ की जानी है । परियोजना का उद्देश्य औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, निदान के लिए थूक परीक्षण सुविधाएं बढ़ाना, प्रशिक्षण और औषध सेवन की देखरेख के लिए संगठनात्मक प्रबन्धों और जनशक्ति को बढ़ाना है ताकि अधिक लोग अच्छे हो सकें ।

इस समय आरंभिक परियोजनाएं बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और मेहसाना (गुजरात) में विश्व स्वास्थ्य संगठन/स्वीडिस अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से आरंभ की गई हैं । आरंभिक परियोजना वाले क्षेत्रों में रोगियों के ठीक होने की दर लगभग 80 प्रतिशत है। व्यापक कवरेज होने पर रोगियों के ठीक होने की इस दर से क्षय

रोग की व्याप्तता में और कमी हो सकती है । वर्तमान व्याप्तता दर 1.5 प्रतिशत बनी हुई है यद्यपि इस रोग से होने वाली मृत्यु दर में भारी कमी आई है ।

परिवार कल्याण सेवाएं

5317. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परिवार कल्याण सेवाओं के प्रभावी पर्यवेक्षण और विस्तार हेतु प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे कब से शुरू किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग). बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए परिवार कल्याण पर एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

दवाइयों की सूत्र संहिता

5318. श्री अकुंशराव टोपे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी. जी. एच. एस.) में दवाइयों की सूत्र संहिता रखी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो सूत्र संहिताओं की संख्या कितनी होती है ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सूत्र संहिताओं की संख्या में वृद्धि की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां ।

(ख) केवल एक ।

(ग) और (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा फार्मूलरी की एक बार समीक्षा की गई है और इसमें 221 मदों से 305 मदों तक वृद्धि की गई है । यह 28.1.1994 से प्रभावी हो गई है ।

पिछड़े क्षेत्रों में परिवार कल्याण योजनाएं

5319. डा. वसंत पवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के पिछड़े क्षेत्रों में फिर से तैयार की गई परिवार कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त परिणामों से संतुष्ट है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस और अधिक व्यावहार्य तथा परिणामोन्मुख बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ; और

(ग) इन योजनाओं पर 1994-95 के दौरान 31 मार्च, 1995 तक राज्य-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क)और (ख). विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम के कार्य निष्पादन में पर्याप्त भिन्नता है । सामाजिक सुरक्षा नेट योजना के अन्तर्गत आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कम कार्य निष्पादन वाले 90 जिलों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विमुक्त किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य/संघ राज्य का नाम	1994-95 के दौरान रिलीज की गई राशि (नगर + सामग्री)	(लाख रुपये में)
1.	2.	3.
1. आन्ध्र प्रदेश	8701.45	
2. असम	3488.39	
3. बिहार	10272.98	
4. गुजरात	5910.79	
5. हरियाणा	2541.11	
6. हिमाचल प्रदेश	1360.70	
7. जम्मू व कश्मीर	2794.87	
8. कर्नाटक	6974.61	
9. केरल	1383.61	
10. मध्य प्रदेश	10385.16	
11. मणिपुर	408.88	
12. महाराष्ट्र	9349.27	
13. मेघालय	308.54	
14. नागालैंड	292.20	
15. उड़ीसा	6312.40	
16. पंजाब	3760.93	
17. राजस्थान	9612.90	
18. सिक्किम	205.15	
19. तमिलनाडु	7358.60	
20. त्रिपुरा	489.93	
21. उत्तर प्रदेश	23783.52	

1.	2.	3.
22. पश्चिम बंगाल	6447.51	
23. अरूणाचल प्रदेश	178.93	
24. गोवा	166.67	
25. मिजोरम	194.08	
कुल/राज्य	124491.17	
26. पांडिचेरी	97.13	
27. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	84.38	
28. चण्डीगढ़	166.86	
29. दादरा व नगर हवेली	39.32	
30. दमन व द्वीव	25.73	
31. दिल्ली	1541.06	
32. लक्षद्वीप	14.33	
कुल	1968.71	
राज्य/संघ राज्य कुल	126459.88	
केन्द्रीय क्षेत्र	12340.12	
राज्यों को बकाया का भुगतान	15000.00	
कुल	153800.00	

एड्स के बारे में जागरूकता

5320. श्री पी.सी. चाको : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर फोर्स स्कूलों ने हाल ही में सेंटर फार रिसर्च एण्ड अवेयरनेस डेवलपमेंट आन एड्स, नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से एड्स के बारे में जागरूकता पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सेंटर फार रिसर्च एंड अवेयरनेस डेवलेपमेंट आन एड्स के साथ भविष्य में केरल में संयुक्त रूप से एड्स पर कार्यक्रम आयोजित करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी.सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) स्कूलों में एड्स की समीक्षा शुरू करने तथा जागरूकता के प्रश्न पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है । इस अवस्था में किसी अन्य राज्यों में यह कार्य करने के लिए किसी निजी संस्थान से कहने से संबंधित मुद्दा उपयुक्त नहीं है ।

कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5321. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री गुरूदास कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू और कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तते तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण 22 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के विरोध में, कश्मीर घाटी में राज्य सरकार के कर्मचारी चरणबद्ध रूप से हड़ताल पर चले गए । हड़ताल का पहला चरण 25 अप्रैल, 1995 को समाप्त हुआ । एम्पलाइज एक्शन फोरम द्वारा 12 मई, 1995 से अगले चरण के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया है । राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिए समुचित उपाय कर रही है ।

परिवार कल्याण योजनाएं

5322. श्री सुकदेव पासवान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी संगठनों के माध्यम से जन्म नियंत्रण और अन्य चिकित्सा कल्याण क्रियाकलापों हेतु गैर-योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) परिवार कल्याण योजनाओं के लिए दिये जाने वाले प्रोत्साहनों हेत क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) इस योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक परियोजना लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है ।

विवरण

	योजना	बजटीय समर्थन
1.	मिनी परिवार कल्याण योजना (संशोधित)	4,95,000 रु. (ग्रामीण क्षेत्र) 6,60,000 रु. (शहरी क्षेत्र)
2.	प्रायोजित तथा नवीन परियोजनाएं (संशोधित) विशिष्ट लक्ष्य प्रदत्त	15.00 लाख रुपए तक
3.	जन्म में अन्तर रखने तथा बन्धयकरण योजना को प्रोत्साहन	1.5 करोड़ रुपए तक
4.	शून्य-कक्ष सहित छह बिस्तर वाला नसंबंदी वार्ड ।	7,36,000 रु. (ग्रामीण क्षेत्र) 7,96,000 रु. (शहरी क्षेत्र)
5.	पोलिपैथी	8.61 लाख रुपए (3 वर्ष के लिए पेशगी)
6.	मातृत्व एकांश योजना (संशोधित)	10.00 लाख रुपए और 50 गैर सरकारी संगठनों का कवरेज
7.	स्वास्थ्य (पी.वी.ओ.एच) योजना के लिए निजी क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठन	20.00 लाख से 1.20 करोड़ रुपए तक

* 1 अप्रैल, 1995 से इस योजना को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

आयात शुल्क में छूट

5323. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डी.सी.एम. देवू मोटर्स को आयात शुल्क में छूट देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने सभी ऐसे उद्योगों के लिए एक समान दिशानिर्देश बनाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन दिशा-निर्देशों का क्या ब्यौरा है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). 1.4.95 से प्रभावी निर्यात आयात नीति के अनुसार, आयातित पूंजीगत माल के मूल्य (सी.आई.एफ.) का चार गुना निर्यात दायित्व लेने पर जिसे पांच वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना होता है, 15 प्रतिशत रियायती दर पर पूंजीगत माल का आयात किया जा सकता है । यदि पूंजीगत माल का सी.आई.एफ. मूल्य बीस करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक है तो सी.आई.एफ. का 6 गुना निर्यात दायित्व लेने पर जिसे आठ वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना होता है, इस प्रकार का माल शून्य सीमा शुल्क पर आयात किया जा सकता है । इन सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट प्रस्तावों के लिए सरकार की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी ।

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी

5324. श्री सुधीर सावंत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत "एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी केन्द्र" की भी बैठक का आयोजन करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा इस बैठक का आयोजन कब किया जायेगा और इसमें किसने देशों के भाग लेने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). जी, नहीं । एशिया और प्रशान्त क्षेत्रीय अन्तरिक्ष प्रद्योगिकी और उपयोग केन्द्र की बैठक के आयोजन के लिए भारत की कोई योजना नहीं है ।

राजस्थान को विद्युत आपूर्ति

5325. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र एकक II में कम विद्युत उत्पादन आदि के कारण और एकक III एवं IV के निर्माणाधीन होने के कारण राजस्थान को विद्युत की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में राजस्थान में बिजली की कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से क्षतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). राजस्थान परमाणु बिजली घर-2 को, जिसकी निर्धारित क्षमता 200 मेगावाट है और जिसने एक दशक से अधिक समय तक संतोषजनक रूप से काम किया, शीतलक चैनलों के सेवाकालीन निरीक्षण के लिए और उनके संभावित सामूहिक प्रतिस्थापन के लिए अगस्त, 1994 से बंद रखा हुआ है। राजस्थान परमाणु बिजली घर-3 और 4 निर्माणाधीन हैं। भारत सरकार राजस्थान में बिजली की सप्लाई की वर्तमान स्थिति से बहुत परेशान है और राजस्थान को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए उत्तरी क्षेत्र में सभी स्रोतों का पता लगा रही है। राज्य सरकार ने भी मौजूदा कठिन स्थिति से उबरने के लिए, बिजली के और अधिक आबंटन के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। निम्नलिखित उपाय काम में लाकर राजस्थान को बिजली की अतिरिक्त सप्लाई उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है :

(1) उत्तरी क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादक बिजलीघरों में से केन्द्रीय सरकार के अधिकार में अनाबंटित बिजली में से लगभग 400 मेगावाट बिजली राजस्थान को सप्लाई की जा रही है।

(2) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन एन्टा गैस आधारित बिजलीघर के एक यूनिट को राजस्थान को समर्पित कर दिया गया है ।

(3) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के एन्टा, औरय्या और दादरी गैस टरबाइनों को उनके इष्टतम लोड पर चलाया जाएगा ताकि राजस्थान को उसके हक का हिस्सा पूरा मिल सके ।

(4) जैसे ही राजस्थान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के पक्ष में साख-पत्र खोलेगा, वैसे ही दादरी गैस टरबाइन में उत्तर प्रदेश के हिस्से का 50 प्रतिशत भाग राजस्थान को आंबटित कर दिया जाएगा।

गुजरात उच्च न्यायालय की खण्डपीठ

5326. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बार एसोसिएशनों तथा अन्य संगठनों ने केन्द्र सरकार को राजकोट या राज्य में किसी अन्य स्थान पर गुजरात उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) राज्य में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायपीठें राजकोट, सूरत और बड़ौदा में स्थगित करने के लिए बार एसोसिएशनों, आदि से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं किन्तु गुजरात सरकार से, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ

5327. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को गून्टूर तथा विजयवाड़ा से आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

चिकित्सा जांच शुल्क

5328. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री रामसिंह कास्वां :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री महेश कनोडिया :

श्री पंकज चौधरी :

श्री राम पाल सिंह :

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा अन्तरंग/बहिरंग मरीजों की चिकित्सा जांच हेतु लिए जाने वाले शुल्क में संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक चिकित्सा जांच की संशोधन पूर्व और संशोधित दरों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन शुल्कों में हाल की वृद्धि की समीक्षा करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). वाह्य रोगियों के लिए नैदानिक परीक्षण शुल्क में संशोधन नहीं किया गया है । प्राइवेट वार्डों में नेमी जांचों के लिए प्रभार 10 अप्रैल, 1995 से 150/-रुपए प्रतिदिन होगा । पहले यह नहीं किया जा रहा था । सामान्य वार्ड के रोगियों के लिए अस्पताली प्रभार 5/रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 35/-रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है । इस प्रभार में आहार, औषधि, प्रयोगशाला जांच और शल्य क्रिया प्रक्रियाएं शामिल हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

5329. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक उपलब्ध है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन स्वास्थ्य केन्द्रों में निजी चिकित्सकों की सेवाएं प्राप्त करने का हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है और इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों को नियुक्ति और तैनाती राज्य सरकारों द्वारा की जाती है ।

तथापि, सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राय: सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में डाक्टर कार्यरत हैं ।

(ग) और (घ) गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों को संविदात्मक नियुक्तियों जैसे वैकल्पिक उपायों का सुझाव दिया गया है ।

[अनुवाद]

भारतीय सीमेंट निगम

5330. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट उद्योग द्वारा उत्पादित सीमेंट देश में आसानी से उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों 1992-93, 1993-94, और 1994-95 के दौरान इस सीमेंट की बिक्री का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादित सीमेंट की बिक्री की तुलना में निगम के सीमेंट की बिक्री में गिरावट आ रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (अनन्तिम) दौरान बेचे गए सीमेंट की मात्रा और उसके मूल्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	मात्रा (मी.टन.)	मूल्य (लाख रुपये)
1992-93	29,63,140	505.26
1993-94	28,54,142	480.26
1994-95 (अनन्तिम)	22,02,013	408.62

(ग) और (घ). सीमेंट की बिक्री में गिरावट का कारण इसका कम उत्पादन है। सी.सी.आई. के उत्पादन में बाधा बिजली की कटौती, कार्यशील पूंजी की कमी इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों से होती है ।

लघु पन-विद्युत संयंत्र

5331. श्री एस.एम.लालजान बाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों द्वारा वर्ष 1995-96 में लघु पन विद्युत संयंत्रों के निर्माण हेतु कोई वित्तीय सहायता की पेशकश की गई है ;

(ख) यदि हां तो उन देशों का ब्यौरा क्या है और उनके कितनी-कितनी सहायता की पेशकश की गई है ;

(ग) तत्संबंधी अंतिम रूप दिए गए संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अप्रयुक्त विदेशी सहायता तथा ऋण प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). देश की लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु भारतीय पुन: प्रयोज्य ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से दी जाने वाली नार्वे सहायता की संभावना का पता लगाया जा रहा है । प्रस्तावित ऋण को दिये जाने के तरीके का अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

आयातित प्रौद्योगिकी की सूची

5332. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयातित प्रौद्योगिकी की और भारी उपकरणों की एक सूची तैयार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में सूचना की एक डायरेक्टरी प्रकाशित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कौन सी तारीख तक जारी कर दी जायेगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग सरकारी प्रयोग के लिए एक वार्षिक संकलन प्रकाशित करता है जिसमें केवल अनुमोदित विदेशी सहयोगों की सूचना होती है न कि वास्तविक आयात की। नवीनतम संकलन वर्ष 1993 के लिए तैयार किया गया था ।

सतत उपलब्ध ऊर्जा स्त्रोत

5333. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे समय में जबकि परम्परागत ऊर्जा की लागत में वृद्धि होती जा रही है सतत उपलब्ध ऊर्जा स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा (रिन्यूएबल इनर्जी) की लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ;

(ख) क्या परम्परागत ऊर्जा की तुलना में सतत उपलब्ध ऊर्जा के वाणिज्यिक लाभ प्रदत्ता संबंधी अनुमान का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास मांग और उत्पाद की मात्रा में वृद्धि के लिए संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहनों की ओर सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत में कमी आ रही है । पवन, नहर आधारित लघु पन-बिजली, बायोमास, सह--उत्पादन से विद्युत उत्पादन की प्रौद्योगिकियां पहले से ही नई पारंपरिक विद्युत परियोजनाओं की तुलना में प्रतियोगी बन रही हैं । कुशलता और विश्वसनीयता को बढ़ाने और अन्य संभाव्य प्रौद्योगिकियों के संबंध में लागत को कम करने के लिए निरन्तर अनुसंधान एवं विकास प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ख) और (ग). अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय भारत में और विदेश में विभिन्न सर्वेक्षणों और अन्य स्त्रोतों से पारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तुलना में अक्षय ऊर्जा की व्यवहार्यता का निरन्तर आकलन करता है । विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के तकनीक आर्थिक आकलन पर समय-समय पर. अध्ययनों को सहायता भी दी जाती है ।

[हिन्दी]

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम

5334. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी बढ़ाने के कार्य में सहायता मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी राज्य में पंजीकृत संगठन को दूसरे राज्यों में मान्यता मिले, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच आर. भारद्वाज) : (क) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में व्यापक संशोधन के लिए किसी समिति के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं को बढ़ावा देने या उपयोगी जानकारी के प्रचार-प्रसार आदि के लिए स्थापित सोसाइटियों के पंजीकरण हेतु एक केन्द्रीय अधिनियम है । तथापि, राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन हेतु अब अलग

कानून बना लिए हैं या केन्द्रीय अधिनियम को ही ऐसे संशोधनों सहित, जिन्हें उनके द्वारा आवश्यक समझा गया हैं, संबधित राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सोसाइटियों के पंजीकरण हेतु अंगीकृत कर लिया है । इस प्रकार, किसी सोसाइटी को मान्यता देने के उपबंध एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं । अत:, सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि एक राज्य में पंजीकृत किसी सोसाइटी को दूसरे राज्य में मान्यता दी जाए ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डारों में न्यूमेरिक मशीनें

5335. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डारों में अपनी सभी शाखाओं में एल्फा न्यूमेरिक मशीनें लगा दी हैं जिनसे वस्तुओं के नाम और उनकी दरों का पता चल जाता है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित दर से अधिक पैसे वसूल करने के संबंध में शिकायतें भी मिली है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार, शाखावार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) दिल्ली में केन्द्रीय भण्डार की चार चलती फिरती गाड़ियों के अतिरिक्त 66 शाखाओं में से 46 शाखाओं में एल्फान्यूमेरिक मशीनें लगा दी गई हैं ।

(ख) तथा (ग). जी, हां । पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं :-

1992 - 2

1993 - 12

1994 - 3

इन शिकायतों का शाखावार तथा वर्ष-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) केन्द्रीय भण्डार द्वारा इन शिकायतों की जांच की गई थी तथा 6 शिकायतों के संबंध में जहां प्रथम दृष्टया अधिक दाम वसूल करना पाया गया दोषी कर्मचारियो पर उपयुक्त शास्तियां लगाई गई ।

विवरण

केन्द्रीय भण्डार

अधिक दाम वसूल करने के संबंध में प्राप्त हुई शाखावार शिकायतों की संख्या

शाखा का नाम	शिकायतों की संख्या		
	1992	1993	1994
एम.एस.यू.	1	1	2
सी.आर. पार्क	1	-	-
वसन्त विहार	-	8	1
मोती बाग (नार्थ वैस्ट)	-	1	-
पुष्प विहार	-	1	-
सामान्य	-	1	-
कुल	2	12	3

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

5336. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मानदंडों के अनुसार इन राज्यों में कितने स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की आवश्यकता है और 1981-90 के दशक के दौरान राज्य की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों को चलाने हेतु इस समय दी जा रही धनराशि की सीमा बढ़ाने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों के लिए लक्ष्य योजना आयोग द्वारा जनसंख्या मानदंडों, स्थान की दूरी, संसाधनों और जनशक्ति आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते हैं ।

(ख) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं :

	प्रा. स्वा. केन्द्र	उप केन्द्र
उत्तर प्रदेश	300	4,000

(ग) और (घ). प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था राज्य राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है । वित्तीय कठिनाइयों के कारण केन्द्रीय सरकार के लिए उपकेन्द्रों के रख-रखाव की लागत में वृद्धि करना सम्भव नहीं है।

जनसंख्या वृद्धि

5337. श्री जे. चोक्का राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का जनसंख्या वृद्धि रोकने हेतु अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोगों को उन्हें मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों के सम्पूर्ण प्रकरण की जांच की जा रही है ।

भूकम्पीय केन्द्र

5338. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अमेरिका की वित्तीय और तकनीकी सहायता से भारतीय सीमा के निकट एक भूकम्पीय केन्द्र की स्थापना की थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान का इरादा भारत द्वारा भविष्य में किये जाने वाले अन्तरिक्ष संबंधी प्रयोगों पर निगरानी रखने का है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विकास और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां । पाकिस्तान चकवाल में भूकम्पीय मानीटरिंग केन्द्र की स्थापना कर रहा है । इस भूकम्पीय केन्द्र की स्थापना अमेरिका की तकनीकी और वित्तीय सहायता से की जा रही है ।

(ख) यह रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान द्वारा इस भूकम्पीय मानीटरिंग केन्द्र की स्थापना का आशय नि:शस्त्रीकरण पर (जिनेवा) सम्मेलन, जिसमें इस समय व्यापक न्यूक्लियर परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर वार्ता की जा रही है, वे तत्वाधान के अन्तर्गत आयोजित किए जा रहे जी.एस.ई.टी.टी-3 परीक्षण में पाकिस्तान की भागीदारी को संभव बनाना है ।

जन शिकायतें

5339. श्री राम निहोर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कुल कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं ;

(ख) इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) ऐसे कितने मामलें पाए गए जिनमें सरकार की तरफ से चूक हुई; और

(घ) इस चूक के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) भारत सरकार, के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संगठनों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई लोक शिकायतों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है :

वर्ष	प्राप्त हुई संख्या (लाख में)
1992-93	12.52
1993-94	11..53
1994-95	07.84

(ख) इन सभी मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

(ग) और (घ). इस प्रकार की चूकों के लिए सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध की गई दण्डात्मक कार्रवाई के बारे में अलग-अलग तथा केन्द्रीयकृत रूप से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते । लेकिन, ऐसे मामलों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

एमबीए की डिग्री को मान्यता

5340. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीएमसी हैदराबाद द्वारा भर्ती और पदोन्नति के मामलें में उस्मानिया और वेंकटेश्वर विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई एमबीए की डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी डिग्रियों वाले कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन पदों पर कार्यरत है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). जी, नहीं । अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), जिसमें

उस्मानिया तथा वेकटेश्वर विश्वविद्यालय शामिल हैं, द्वारा मान्यता प्राप्त सभी एमबीए तथा समकक्ष अर्हताओं को सीएमसी भर्ती तथा समुचित ग्रेड के स्तरों में नियुक्ति के प्रयोजन से स्वीकार करता है। तत्पश्चात कर्मचारियों की योग्यता और साथ ही उच्चतर ग्रेड के दायित्वों को निभाने की उनकी क्षमता (उनके ठीक ऊपर कार्य करने वाले प्रबंधक द्वारा दिए गए औचित्य के आधार पर) पर विचार करते हुए पदोन्नतियां की जाती हैं।

(ग) एमबीए की अर्हता प्राप्त कर्मचारियों/स्टाफ की संख्या तथा सीएमसी में उनके पद नीचे दिए अनुसार हैं :

एमबीए की अर्हता प्राप्त स्टाफ की संख्या	वर्तमान पद
1	विशेषज्ञ (विपणन सहायता)
2	वरिष्ठ प्रणाली इंजीनियर
3	विशेषज्ञ (आईटीएण्डओ)
1	प्रशासनिक कार्यकारी
1	प्रबंधक (कार्मिक)

भारतीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

5341. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंटरनेशनल कन्सलटेंट्स फॉर द इंडियन कंज्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन रिपोर्ट में की गई प्रमुख टिप्पणियों और सुझावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के फलस्वरूप विशेष रूप में विदेशी इक्विटी को प्रतिबंधित करने और देश में 100 विदेशी प्रतिशत सहायता से लगने वाली सहायक कम्पनियों की स्थापना संबंधी सुझावों की जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (छ). मैसर्स आर्थर डी.लिटल. जापान द्वारा टीवी विनिर्माण एवं इलेक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जो उद्योग पर एक अध्ययन किया गया है। किन्तु, अन्तिम रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान

5342. श्री सुखदेव पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान हेतु गैर-सरकारी संस्थाओं को सुविधाएं प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सामाजिक विज्ञान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान के रूप में दी जा रही मान्यता को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान कार्यक्रम जैसे सामाजिक बुराईयों और कुप्रथाओं के समाधान/निदान व कार्यक्रमों को विज्ञान और प्रौद्योगिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी तथा उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के एक हिस्से के तौर पर सरकार बहु संस्थानिक परियोजनाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है जिनमें निजी संस्थान भी भाग ले सकते हैं।

(ग) और (घ). सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र के बीच अन्त:क्रिया की आवश्यकता को समझती है। सरकार ने विज्ञान और दर्शन एवं विज्ञान और पर्यावरण के समान विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक-विज्ञानों के बीच अन्त:क्रिया से जुड़ी सहयोगी परियोजनाओं की सहायता की है।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

5343. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) इन्हें कहां तक प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ग) इन योजनाओं को इन राज्यों में कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण एक से तीन में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से परामर्श लेते हुए तैयार की गई एक कार्य योजना का पूरे देश में कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसकी विशेषताओं में सेवाओं की किस्म तथा दूर-दराज के क्षेत्रों

में सेवाओं को पहुंचाने में सुधार करना, युवा आयु के दम्पतियों में बच्चों के जन्म में अन्तर रखने के तरीकों में बढ़ावा देना, 90 पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देना, सामुदायिक सहभागिकता को बढ़ावा देने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए उपायों को सुदृढ़ करने के लिए स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित करना शामिल है ।

विवरण - एक

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के परिवार कल्याण के लक्ष्य/उपलब्धियों का संभावित स्तर और उपलब्धियों की प्रतिशतता

राज्य : गुजरात

क्र. सं.	प.नियो. की विधियां/टीकाकरण कार्यक्रम	1992-93		1993-94		1994-95	
		लक्ष्य	लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धता	उ.प्र. का संभावित स्तर	उप. का संभावित स्तर/लक्ष्यों की प्रति. उप.	उप.का संभावित स्तर	उपलब्धियों का संभावित स्तर/लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**परिवार नियोजन की विधियां**						
1.	बंधकरण	285000	90.3	270000	106.5	280000	107.6
2.	आई.यू.डी निवेशन	430000	81.1	450000	95.5	460000	102.9
3.	संमीकृत प्रचय गर्भ. के उपयोग	720000	104.0	917000	117.0	925000	142.7
4.	समीकृत मुखसेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता	153000	59.3	160000	92.7	165000	108.5
II.	**टीकाकरण उपयोगकर्ता**						
1.	टी.टी (गर्भ महि.)	1299586	87.1	1324763	94.7	1298600	96.9
2.	डी.पी.टी	1175321	92.2	1198090	100.0	1177800	99.7
3.	पोलियों	1175321	93.7	1198090	100.9	1177800	103.4
4.	बी.सी.जी	1175321	97.7	1198090	102.2	1177800	102.9
5.	खसरा	1175321	88.3	1198090	95.0	1177800	96.5
6.	डी.टी	839119	88.4	854557	95.5	941970£	77.6£
7.	टी.टी (10 वर्ष)	797163	78.5	811830	90.5	911810£	77.4£
8.	टी.टी (16 वर्ष)	755207	65.9	769102	77.4	797410£	70.0£

£ अप्रैल, 94 से फरवरी तक की अवधि से संबंधित अनन्तिम आंकड़ें पर आधारित

विवरण - दो

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के परिवार कल्याण के लक्ष्य/उपलब्धियों का संभावित स्तर और उपलब्धियों की प्रतिशतता

राज्य : महाराष्ट्र

क्र. सं.	प.नियो. की विधियां/टीकाकरण कार्यक्रम	1992-93		1993-94		1994-95	
		लक्ष्य	लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धता	उ.प्र. का संभावित स्तर	उप. का संभावित स्तर/लक्ष्यों की प्रति. उप.	उप.का संभावित स्तर	उपलब्धियों का संभावित स्तर/लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**परिवार नियोजन की विधियां**						
1.	बंधकरण	526000	106.7	525000	102.8	560000	103.7
2.	आई.यू.डी निवेशन	485000	97.3	525000	86.3	566000	84.1
3.	संमीकृत प्रचय गर्भ. के उपयोग	1176000	94.5	1498000	89.1	1648000	82.4
4.	समीकृत मुख्सेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता	453000	56.7	475000	75.8	514000	80.8
II.	**टीकाकरण उपयोगकर्ता**						
1.	टी.टी (गर्भ महि.)	2324019	85.6	2377738	85.5	2246100	88.3
2.	डी.पी.टी	2123489	97.0	2172573	96.5	2049200	101.1
3.	पोलियों	2123489	99.4	2172573	97.3	2039200	102.1
4.	बी.सी.जी	2123489	101.0	2172573	101.8	2039200	107.0
5.	खसरा	2123489	91.2	2172573	90.0	2049200	93.2
6.	डी.टी	177068₹	95.0	1810469	96.5	1745240£	96.8£
7.	टी.टी (10 वर्ष)	1690195	98.6	1728346	99.8	1652570£	98.9£
8.	टी.टी (16 वर्ष)	1770681	85.5	1810649	84.3	1499940£	88.9£

£अप्रैल, 94 से फरवरी तक की अवधि से संबंधित
अनन्तिम आंकड़ें पर आधारित

विवरण - तीन

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के परिवार कल्याण के लक्ष्य/उपलब्धियों का संभावित स्तर और उपलब्धियों की प्रतिशतता

राज्य : राजस्थान

क्र. सं.	प.नियो. की विधियां/टीकाकरण कार्यक्रम	1992-93		1993-94		1994-95	
		लक्ष्य	लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धता	उ.प्र. का संभावित स्तर	उप. का संभावित स्तर/लक्ष्यों की प्रति. उप.	उप.का संभावित स्तर	उपलब्धियों का संभावित स्तर/लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**परिवार नियोजन की विधियां**						
1.	बंधकरण	225000	88.1	275000	73.8	250000	81.2

1. 2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2. आई.यू.डी निवेशन	250000	71.5	250000	65.5	282000	55.3
3. संमीकृत प्रच्छय गर्भ. के उपयोग	450000	86.9	573000	85.8	677000	69.7
4. समीकृत मुखसेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता	98000	48.5	110000	76.5	126000	73.8
II. टीकाकरण उपयोगकर्ता						
1. टी.टी (गर्भ महि.)	1562741	80.2	1602302	82.0	1730300	78.9
2. डी.पी.टी	1401853	93.9	1437341	90.2	1545200	90.2
3. पोलियों	1401853	92.0	1437341	90.2	1545200	90.5
4. बी.सी.जी	1401853	93.0	1437341	91.0	1545200	90.2
5. खसरा	1401853	89.4	1437341	86.0	1545200	84.1
6. डी.टी	1079148	57.1	1105250	NA	1021330£	33.0£
7. टी.टी (10 वर्ष)	944254	46.7	967094	NA	971920£	28.0£
8. टी.टी (16 वर्ष)	854325	34.5	874989	NA	841750£	21.4£

£अप्रैल, 94 से फरवरी तक की अवधि से संबंधित
अनन्तिम आंकड़ें पर आधारित

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

5344. डा. वसन्त पवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान, कितने नए इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग स्थापित किए गए ;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने दूसरे देशों के साथ भी समझौते किए हैं;

(ग) यदि हों, तो उन देशों के क्या नाम हैं ;

(घ) इन नए इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में कितने लोगों को रोजगार मिला है ; और

(ङ) तत्संबंधी उद्योग-वार ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ). नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीति के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है ।इसलिए पिछले दो वर्षों के दौरान स्थापित इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों की वास्तविक संख्या और रोजगार सृजन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

किन्तु विदेशी सहयोग के 118 प्रस्तावों को वर्ष 1993 तथा 1994 के दौरान विदेशी पूंजीनिवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है । इनमें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना, इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना, शतप्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाइयों और घरेलू टैरिफ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों शामिल है । वर्ष 1993 तथा 1994 के लिए अनुमोदित इकाइयों के नाम और उनके विदेशी सहयोगकर्ताओं के नाम संलग्न विवरण एक और दो में दिए गए हैं।

विवरण - एक

विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा वर्ष 1993 में अनुमोदित विदेशी सहयोग

क्र. सं.	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम
1.	फ्री पोर्ट सॉफ्टवेयर (प्रा.) लिमिटेड	फ्री पोर्ट सॉफ्टवेयर लैबस, जर्मनी
2.	कोलम्बिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	बोन मरखम लिमिटेड एण्ड मैग्नेटिक एण्ड मैमोरी टेक्नोलॉजी, ग्रेट ब्रिटेन
3.	इंडो मेक्सवेल लिमिटेड	डीईजी जीएमबीएच जर्मनी एण्ड एलीसीसी कम्पनी यूरोपियन डी कम्पोसेंटज फ्रांस

क्र. सं.	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम
4.	खण्डेवाल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड फाइसेंस लिमिटेड	डीसी कम्पोनेटस लिमिटेड, ताइवान
5.	तोलाराम इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा.) लिमिटेड	तोलाराम गुप्र ऑफ कम्पनिज़, सिंगापुर
6.	डेटाबोरो इंडिया	डेटाबोरो लिमिटेड, ग्रेट ब्रिटेन
7.	यमुना सिंडीकेट	एफईएलएप्लींग्ज़ एजी, स्विटजरलैण्ड
8.	लवण्या इलेक्ट्रॉनिक्स	इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन ग्रेट ब्रिटेन
9.	जियोटेक डिजीटल भारत प्रा. लिमिटेड	डिजीटल इंटरनेशनल इन्कार्पोरेड संयुक्त राज्य अमेरिका
10.	आरसी लेज़र टेक (इंडिया) लिमिटेड	सीईडीसी कारपोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका
11.	धनपाल राजू	इंटरनेशनल स्टील सर्विसेज, संयुक्त राज्य अमेरिका
12.	एचटीई इन्फोटेक (आई) लिमिटेड	एचटीई इन्कार्पोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
13.	मोसर बेयर (इंडिया) लिमिटेड	आरईएस ओडीएस जीएमबीएच, जर्मनी
14.	इमेजिन इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड	इमेंजिन इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी, ग्रेट ब्रिटेन
15.	सीमन्सइन्फोरमेशन सिस्टम सिस्टम्स लिमिटेड	सीमन्स निक्सड्रॉफ इन्फोरमेशन सिस्टम्स, जर्मनी
16.	गल्फटेक इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	अराबिक कम्प्यूटर सिस्टम्स लिमिटेड
17.	ओसीएसं इंटरनेशनल (प्रा.) लिमिटेड	ओसीएस लिमिटेड, मास्कट
18.	एएमपी	एएमपी, संुयुक्त राज्य अमेरिका
19.	स्क्वेयर ही सीएही बीएस	अल्टीएम इन्कार्पोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
20.	नेबुलस इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स प्रा. लिमिटेड	बिनी इलेक्ट्रॉन इंटरप्राइजेज कम्पनी लिमिटेज, ताइवान
21.	सक्लमबर्गर इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर प्रा. लिमिटेड	सक्लमबर्गर होलिंडग्ज लिमिटेड ब्रिटिश वर्जिन आईलैंडस
22.	डन एण्ड ब्राडस्ट्रीट कार्पोरेशन	डन एण्ड ब्राडस्ट्रीट, संयुक्त राज्य अमेरिका
23.	एटीएण्डटी (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	एएटीएण्डटी, संयुक्त राज्य अमेरिका
24.	हेस्टैक इंडिया लिमिटेड	हेस्टैक सिस्टम्स, संयुक्त राज्य अमेरिका
25.	कम्प्यूटर विज़न कारपोरेशन	कम्प्यूटर विज़न इन्कार्पोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
26.	टेंजिबल विजन इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	टेंजिबल विज़न इन्कापोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
27.	इन्फोरमेशन रिसोसेंज इन्कार्पोरेटेड	इन्फोरमेशन रिसोर्सेज़ इन्कार्पोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
28.	शिवा मैग्रेटिक्स लिमिटेड	मैग्रेटिक्स इन्टरप्राशिज लिमिटेड, हांगकांग
29.	एसएस फर्टीलाइजर्स	एचएम इन्टरनेशनल कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
30.	एडवांसड कम्पयूटिंग सिस्टम्स कम्पनी (आई) प्रा. लिमिटेड	एडवांसड कम्प्यूटिंग सिस्टम्स कम्पनी, संयुक्त राज्य अमेरिका
31.	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	फूब्रा हंस कोलवे एण्ड कम्पनी जर्मनी
32.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	यूएसएक्स इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेंटस इन्कापपोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
33.	डिजीटल इमेज स्टिम्स	डिजीटल एमेज सिस्टम्स एजी स्विटजरलैण्ड
34.	सोना एजुकेशनल एण्ड ट्रेनिंग सिस्टम्स प्रा. लिमिटेज	इनोवेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन लिमिटेडड, ग्रेट ब्रिटेन
35.	नूक्रो इन्फोरमेशन सिस्टम्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	नूक्रो इन्फोरमेशन सिस्टम्स इन्कार्पोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका

क्र. सं.	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम
36.	एमपावर इंडिया	एमपावर कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
37.	लिट्टन डिस्पप्लेज़ लिमिटेड	वन्ट्रॉन इन्टरप्राइजेज कम्पनी लिमिटेड, ताइवान
38.	हानिवेल इंडिया प्रा. लिमिटेड	हानिवेल इन्कापोरेटेड संयुक्त राज्य अमेरिका
39.	रिसोर्स्स टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	एचडब्ल्यूए लिन इलेक्ट्रॉनिक कम्पनी, ताइवान
40.	राथवेल सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड	राथवेल इंटरनेशनल, संयुक्त राज्य अमेरिका
41.	इसई टेक्नलॉजीज (आई) (प्रा.) लिमिटेड	एसई टेक्नोलॉजीज इन्कापोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
42.	एक्सटर सिस्टम्स (आई) प्रा.) लिमिटेड	एक्सटर ग्रुप इन्कापोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
43.	सिल्किन ग्राफिक्स (प्रा.) लिमिटेड	सिल्किन ग्राफिक्स, संयुक्त राज्य अमेरिका
44.	स्क्वेयर ही सॉफ्टवेयर लिमिटेड	कॉमनवेल्थ टेवलपमेंट कारपपेरेशन, ग्रेट ब्रिटेन
45.	वीकेप सेमीकण्डक	टंस प्रा. लिमिटेड यूनीवर्सल सेमीकर्णडक्टर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका
46.	हाईताइसम मैग्नेटिक्स लिमिटेड	लाइ-क्वान लिमिटेड हांगकांग

विवरण - दो

विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा वर्ष 1994 में अनुमोदित विदेशी सहयोग

क्र. सं.	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम
1.	भारत भूषण	ईएएल लिमिटेड, ग्रेट ब्रिटेन
2.	इंडे इन्टरप्राइजे (प्रा.) लिमिटेड	इंदिरा टेक कार्पेरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
3.	टंथप	टंथाप इन्कार्पोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
4.	ट्रॉन जॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड	ट्रॉन जॉन टेक सर्केट्ज प्रोटक्डटस इन्कापोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
5.	सेल्सियटेक सिस्टम्स एबी	सेल्सियसटेक सिस्टम्स, स्वीडन
6.	सीमन्स कम्यूनिकेशन	सीमन्स, एजी जर्मनी
7.	आईएचएस (इंडिया) लिमिटेड	इन्फोरमेशन हैंटलिंग सर्विससेडज़ लिमिटेड संयुक्त राज्य अमेरिका
8.	स्वाति आर्कान प्रा. लिमिटेड	अर्कान जीएमबीएच कम्यूनिकेशन प्रा. जर्मनी
9.	क्सओ ड्रॉनिक्स लिमिटेड	अस्ट्रॉनिक्स संयुक्त राज्य अमेरिका
10.	इनटेक मैग्नेटिक्स लिमिटेड	गोल्टस्टार कम्पनी लिमिटेज, दक्षिण कोरिया
11.	आईसीईएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	सॉफ्टेक मैनेजमेंट समिर्वसेज इन्कार्पोरेटड, कनाडा
12.	पेन्टाफोर सोलेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड	सोलेक इंटरनेशनल इन्कापोरेटेड,, संयुक्त राज्य अमेरिका
13.	मस्कट सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड	मस्कट सिस्टम्स, संयुक्त राज्य अमेरिका
14.	आईआईसी सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड	इन्डोट्रॉनिक्स इंटरनेशनल कारपपेरेशन, संयुक्त रज्य अमेरिका
15.	स्प्रिट आरपीजी इंटिया लिमिटेड	सिंप्रट ग्रुप, संयुक्त राज्य अमेरिका
16.	अशोक लेलैण्ड आईटी लिमिटेड	आईवीईसीओ, फियेट एसपीए, इटली
17.	एसपीएसएस इंटरनेशनल	एसपीएसएस इंटरनेशनल लिमिटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
18.	पटेल वाइटकम (इंडिया) लिमिटेड	वाइडकम आरएण्डडी इन्कार्पोरेटड, कनाडा
19.	इंडिकॉन इलेक्ट्रानिक्स (प्रा.) लिमिटेड	असर इंजीनिरिंग कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
20.	ख्रिरजेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	आईटीएन इन्कापोरेटड, संयुक्त राज्य अमेरिका

क्र. सं.	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम
21.	भार्गे कम्प्यूटर कंसलटेंस प्रा. लिमिटेड	इंडोट्रॉनिक्स इंटरनेशनल कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
22.	ताज इनवेस्टमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड	फिडेलियर्येसॉफ्टवेयर जीएमबीएच, जर्मनी
23.	एचटीआर सॉफ्टवेयर (इंडिया) (प्रा.) लिमिटेड	एचटीआर इन्कार्पोरेटड, संयुक्त राज्य अमेरिका
24.	पैरामैट्रिक होलिंडगज़	पैरामैट्रिक हहेल्डिगज़, संयुक्त राज्य अमेरिका
225.	श्री मैक्स सॉफ्टवेयर (प्रा). लिमिटेड	इन्नलिंक नेटवर्क सिसटम्स इन्कार्पोरेटड संयुक्त राज्य अमेरिका
26.	टेक्ना डिजीटल सर्विसेड प्रा. लिमिटेड	टेक्ना इंटरनेशनल कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
27.	अमेरिकन एक्सप्रेस इंडया प्रा. लिमिटेड	अमेरिकल एक्सप्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका
28.	एडवांसड इन्फॉरमेशन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	एडवांसड इन्फॉपमेशन सर्विसेज, संयुक्त राज्य अमेरिका
29.	जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	बीएमबी प्रोटक्षन सिसटम्स जीएमबीएच, जर्मनी
30.	वेस्टर्न हाई बाइट लिमिटेडड	टडेटरेक्स इन्कार्पोरेटड, संयुक्त राज्य अमेरिका
31.	डन एण्ड ब्राडस्ट्रीट सत्यम सॉफ्टवेयर प्रा. लिमिटेड	डन एणॅड ब्राडस्ट्रीट, संयुक्त राज्य अमेरिका
32.	नेटवर्क प्रोग्राम्स इन्कार्पोरेटड	नेटवर्क प्रोग्राम इन्कार्पोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
33.	केलिफोर्निया क्वार्टज (इंडिया) (प्रा.)	केलिफोर्निया क्वार्टडड इन्कार्पोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
34.	यूनिवर्सल टेक्निकल सर्विसेज	युनिवर्सल टेक्निकल सर्विसेज, सयुक्त राज्य अमेरिका
35.	वापना मोटर्स लिमिटेड	ईसुटा एडीएन बीएचडी, मलेशिया
36.	कोक रेंजिज सीडी इंडस्ट्रीज (प्रा.)	क्रोक डिजटल डिस्कस जीएमबीएच एण्ड कोफ इंरनेशनल, अस्ट्रीया
37.	मारक्विय मेगाट्रेंड्स (प्रा.) लिमिटेड	अमेरिकन मेगाट्रेंड्स इन्कापोरेटेड, संयुक्त राज्यय अमेरिका
39.	अल्फा पेरिफरल्स लिमिटेड	अस्प पेरिफरल्स इन्कापोरेटड, सयुक्त राज्य अमेरिका
40.	वर्ल्डवेयर इंडिया	वर्ल्डवेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका
41.	नॉवल सॉफ्टवेयर (इंडिया) (प्रा.) लिमिटेड	नॉवल संयुक्त राज्य अमेरिका
42.	विजियोनिक्स इँडिया (प्रा.) लिमिटेड	नोरल इन्वेस्ट लिमिटेड, स्वीडन
43.	स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा.) लिमिटेड	एन्जाइन लिमिटेड, ताइवन
44.	सॉफ्टेकक कंसलटेंटस प्रा. लिमिटेड	मिस्टर ए.एम. अबुबेकर, संयुक्त अरब अमीरात
45.	कैप्टन शेषाद्री एण्ड एस. के. रमन	एडवांसज सेंसर टेक्नोलॉजी, संयुक्त राज्यअमेरिका
46.	एससीआई सॉफ्टवेयर (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	एससीआई सॉफ्टवेयर जजीएमबीएच, जर्मनी
47.	ईस्टर्न माइट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	इंटरनेशनल लिमिटेड, ग्रेट ब्रिटेन
48.	अस्ट्रलटेली फाउंडेशन (प्रा.) लिमिटेड	एक्स इंटरनेशनल लिमिटेड, ग्रेट ब्रिटेन
49.	नेटवेस कम्प्यूटिंग (इंडिया) (प्रा.) लिमिटेड	नेटवेस कम्प्यटिंग, सयुंक्त राज्य अमेरिका
50.	नामटेक ताई (प्रा.) लिमिटेड	ताई तियन इलेक्र्टिक कम्पनी, ताइवान
51.	राव इंसुलेटिंग कम्पनी लिमिटेड	टेडा स्विफ्ट एशिया लिमिटेड, हांगकांग
52.	रिमांस कम्यूनिकेशन (प्रा.) लिमिटेड	रिमांस टेक्नालॉजीज, इन्कार्पोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
53.	आईसीस इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	[illegible] कम्पोजिशन कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका

क्र. सं.	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम
54.	केस कैसल्ट इंडिया लिमिटेड	केस कैंसल्ट जीएमबीएच, जर्मनी
55.	फार्मा सिस्टम प्रा. लिमिटेड	फार्मा सिस्टम इन्कार्पोरेटड, सुय्क्त राज्य अमेरिका
56.	सिस्टम्स बेवलपमेंट इंटरनेशनल	सिस्टम्स टेवलपमेंट इंटरनेशनल संयुक्त राज्य राज्य अमेपिका
57.	स्तुति इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	ब्रिज इन्फोरेमेशन कम्पनी, ताइवान
58.	रक्शन पब्लिशिंग (प्रा.) लिमिटेड	कनेक्टसॉफ्ट इन्कार्पोरेटड
69.	वेबल मिडियाट्रोनिक्स लिमिटेड	टेलीटेक इन्कार्पोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका
60.	टेडाक्राफ्ट आईसीआईएम (प्रा.) लिमिटेड	टेंडाक्राफ्ट एशिया (प्रा.) लिमिटेड, आस्टेलिया
61.	हॉटलाइन सीपीटी लिमिटेड	गोल्डस्टार कम्पनी लिमिटेड, कोरिया
62.	वालनर इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	ठल्सिक वालनर, जर्मनी
63.	वर्जया ग्रुप, मलेशिया	वर्जया ग्रुप, मलेशिया
64.	ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर सर्विसेज कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड	मैंक नील सक्रडतर संयुक्त राज्य अमेरिका एण्ड मॉल्डफ्लों (प्रा.) लिमिटेड, आस्ट्रेलिया
65.	यूनिसिस इंडिया लिमिटेड	यूनिसिस, संयुक्त राज्य अमेरिका
66.	सनवेयर सिस्टम्स लिमिटेड	अक्कुरा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आस्ट्रेलिया

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन

5345. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के लिए परिवार नियोजन हेतु कितना वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया ; और

(ख) इन वर्षों में मध्य प्रदेश में वास्तविक उपलब्धि क्या रही?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994--95 के दौरान मध्य प्रदेश के परिवार नियोजन की विधियों के लक्ष्य/उपलब्धियों के संभावत स्तर

परिवार नियोजन की विधियां	1992-93		1993-94		1994-95	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियों के संभावित स्तर/लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियों के संभावित स्तर/ लक्ष्य	उपलब्धियां
बध्याकरण	400000	330673	400000	364175	400000	400220
आई यू डी निवेशन प्रचलित गभनिरोधक	390000	291807	1000000	704414	1000000	822846
उपयोगकर्ता समीकृत मुख-सेव्य पोलियों के उपयोग-कर्ता	1300000	1139020	1656000	1611583	1957000	1965589
	349000	204364	400000	348611	453000	473262

*अनन्तिम

भारत में पाक सैनिक

5346. डा. जी. एल. कनोजिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 1995 के "जनसत्ता" में "कश्मीर में अपने फौजियों को भेजने की योजना बनाई है पाकिस्तान ने" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पाकिस्तान ने चीन से एम-11 प्रक्षेपास्त्र प्राप्त किए हैं जोकि भारत के अनेक शहरों और कस्बों को अपना निशाना बना सकते हैं ;

(घ) भारत और चीन के बीच हुए अनेक द्विपक्षीय समझौतों और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को एक दूसरे देशों की यात्रा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को इस तरह के हथियार आपूर्ति करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). सरकार, संबंधित समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना से अवगत है । समाचार पत्र में प्रकाशित इस सूचना के संबंध में कि भारत मे अशांति फैलाने के उद्देश्य से छापामार युद्ध में अनुभव प्राप्त पाकिस्तानी सैनिकों को भेजे जाने की पाकिस्तानी सेना की योजना है, का उल्लेख रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट में नहीं किया गया है । यह बात सर्वविदित है कि पाकिस्तान अपने भूतपूर्व सैनिकों और भाड़े के विदेशी सैनिकों को कश्मीर घाटी में भेजने के लिए सहायता प्रदान करता है तथा अन्य उग्रवादी दलों को सहायता प्रदान कर उन्हें उग्रवादी कार्रवाइयों के लिए उकसाता है ।

(ग) से (ङ). सरकार को, चीन से एम-11 प्रक्षेपास्त्र प्राप्त किए जाने के संबंध में पाकिस्तान की योजनाओं की जानकारी है । इस बात की रिपोर्ट मिली है कि चीन की सरकार हमारी इस चिन्ता के बारे में अवगत है। चीन की ओर से ऐसे संकेत मिले हैं कि जिन सिद्धांतों के आधार पर चीन शस्त्रों का निर्यात करता है उनमें से एक सिद्धांत यह है कि ऐसे शस्त्रों की बिक्री से क्षेत्र में कोई नई समस्या अथवा तनाव पैदा न हो । क्षेत्र में होने वाली इस प्रकार की गतिविधियों से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर बराबर नजर रखी जाती है और हमारे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय किए जाते हैं ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

5347. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों और उद्यमों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने उपक्रमों और उद्यमों के चेयरमैन अनुसूचित जातियों के हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसे उद्यमों की संख्या कितनी है जिनके चेयरमैन और प्रमुख नहीं हैं ; और

(ग) अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को सरकारी उद्यमों के चेयरमैन और प्रमुख नियुक्त करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के 346 उपक्रम हैं । ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है जिनके अध्यक्ष अनुसूचित जाति के हैं । यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) उपर्युक्त में से 31.3.95 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 33 उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक) के पद रिक्त पड़े हैं ।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियां लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी.ई.एस.बी.) की सिफारिशों के आधार पर की जाती है । पात्र उम्मीदवारों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित) को छांटकर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है । बुलाए गए व्यक्तियों में से योग्यता, कार्य अनुभव और सम्पूर्ण योग्यता आदि के आधार पर उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों की सिफारिश की जाती है । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है ।

गर्भपात

5348. श्री पी.सी. चाको : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न कालमों में छपे ऐसे कतिपय विज्ञापनो की ओर गया है जिनमें गैर-सरकारी क्लिनिकों द्वारा दो घंटे मे दर्द रहित गर्भपात का दावा किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसे क्लिनिक सरकार की औपचारिक अनुमति के साथ कार्य कर रहे हैं ;

(घ) क्या इन क्लिनिकों द्वारा प्रयोग में लाई गई उपचार की तकनीक सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में शुरू नहीं करने के क्या कारण है ; और

(च) यदि नहीं, तो उनके इस तरह अवैध रूप से कार्य करने के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम के अनुसार राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार चिकित्सीय रूप से गर्भ समाप्त करने के लिए निजी क्लीनिकों को मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत हैं ।

(घ) और (ङ). सरकारी अस्पतालों में इसी प्रकार की तकनीक उपलब्ध है ।

(च) चिकित्सीय रूप से गर्भ समापन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत हैं ।

गरीबी उन्मूलन

5349. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी उन्मूलन से संबंधित बनाए गए नए विभागों का गरीब लाभार्थियों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ा हैं;

(ख) क्या इससे इस क्षेत्र में नौकरशाही बढ़ेगी; और

(ग) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में नौकरशाही के प्रभाव को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ग). नए विभागों के सृजन का उद्देश्य गरीबी उपशयन पर विशेष बल देते हुए उच्च आर्थिक प्रगति के लक्ष्यों से प्राप्त करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इनके लाभ पूरी तरह से लक्षित समूहों को मिलें। चूंकि सृजित नए विभाग गरीबी उपशमन से संबंधित है जिनमें विभिन्न विशिष्ट कार्यक्रमों की ओर ध्यान दिया जाएगा । इन कार्यक्रमों में गरीबी पर सीधे और प्रत्यक्ष प्रभाव की परिकल्पना की गई है जिससे अफसरशाही से होने वाले विलम्ब में कमी होने की संभावना है ।

विगत में गरीबी अपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लालफीताशाही को कम करने के कई उपाय किए गए हैं । उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक कार्यान्वयन एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संबंध में निधियों को सीधे रिलीज करना है । ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का तीव्र और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा संविधान के प्रावधानों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की ठोस स्थापना से यह अपेक्षित है कि लोगों की भागीदारी से ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को न केवल और तेज किया जाएगा बल्कि ये अधिक प्रभावी भी होंगे ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

5350. श्री राम पूजन पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति कितनी राशि खर्च की जा रही है ;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का कोई कार्यक्रम है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ). राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम शत-प्रतिशत एक केन्द्रीय प्रयोजित कार्यक्रम है । उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी और ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों, जिला अस्पतालों और नगर अस्पतालों का नेटवर्क परिवार कल्याण और स्वास्थ्य परिचर्या के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं । केवल परिवार कल्याण पर अलग से प्रति व्यक्ति व्यय का पता लगाना संभव नहीं है । फिर भी, परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1995-96 के लिए योजना-वार आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

अपेक्षत और कार्यरत स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :

	1987 के मध्य प्रेक्षेपित जनसंख्या के अनुसार अपेक्षित स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	31.12.94 को कार्यरत स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
उपकेन्द्र	138665	131476
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	23097	21254
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	2282	2328

विवरण

(लाख रुपये में)

15.81 करोड़ रुपये का (बजट अनुमान 1995-96 ब्यौरा

योजना	राज्य	विधानसभा सहित संघ राज्य क्षेत्र	विधानसभा सहित संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	कुल
1. 2.	3.	4.	5.	6.	7.
(क) सेवा एवं आपूर्तियां					
1. 5435 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों का रखरखाव	15930.00	50.00	20.00		16000.00
2. उपकेन्द्रों का रखरखाव	18949.50		38.50	12.00	19000.00
3. शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का रख-रखाव	1315.00	150.00	35.00		1500.00
4. शहरी स्तर के संगठनों का संशोधन	1700.00	100.00			1800.00
5. राज्यों में जिला परिवार कल्याण ब्यूरों का रखरखाव/ अतिरिक्त लघु ब्यूरों की स्थापना	3484.00	48.00	68.00		3600.00
6. नसबंदी पलंग योजना के अंतर्गत मौजूदा पलंगों का रखरखाव	98.00	2.00			100.00
7. जिला स्तर पर 554 प्रवोत्तर कार्यक्रम	1696.00	65.00	39.00	99.00	1900.00
8. उपजिला स्तर प्रसवोत्तर कार्यक्रम	2975.50	16.50		8.00	3000.00
9. पुनर्नालिकाकरण की व्यवस्था	2.00	1.00	1.00	40.00	50.00
10. आई.यू.डी नसबंदी का मुआवजा	9791.30	81.00	27.70	100.00	10000.00
11. पहले से उपलब्ध वाहन का रख-रखाव	1384.95	8.90	6.15		1400.00
12. मौजूदा वाहनों को बदलने के लिए वाहन को प्राप्ति	1180.00				1180.00
13. रेल मंत्रालय के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम					
14. रक्षा मंत्रालय के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम					
15. श्रम मंत्रालय के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम				120.00	120.00
16. कार्मिक एवं प्रशिक्षण महा निदेशालय के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17.	सीमा सड़क महानिदेशालय के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम					
18.	स्वैच्छिक संघटन की भागीदारी जिनमें महिला मंडलों एवं युवा क्लबों को सहायता शामिल है				850.00	850.00
19.	परम्परागत गर्भनिरधकों का निशुल्क वितरण	6400.00	250.00	10.00	130.00	6800.00
20.	लिप्पियों, लूपों और कापर टी की नि:शुल्क आपूर्ति	2200.00				2200.00
21.	मुखसेव्य गोलियों की निशुल्क आपूर्ति	1600.00				1600.00
22.	निरोध का वाणिज्यिक वितरण				3000.00	3000.00
23.	मुखसेव्य गोलियों का वाणिज्यिक वितरण				1000.00	1000.00
24.	लैपरोस्कोपों की आपूति/ वसूली	300.00				300.00
25.	हिन्दुसेतान लेटेक्स लि.				5.00	5.00
26.	फ्लेक्जिबल एप्रोच योजना	130.50	6.00		13.50	150.00
	कुल: सेवाएं और आपूर्तियां	69137.75	794.40	245.35	5377.50	75555.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(ख)	प्रशिक्षण					
1.	ससवास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों का रख-रखाव और सुदृढ़िकरण	440.00	10.00			450.00
2.	सहायक नर्सधात्री/लेडी हैल्थ विजिटर का प्रशिक्षण	983.40	0.10	7.50	9.00	1000.00
3.	बहुउद्देश्य कार्यकर्ताओं के लिए बुनियादी प्रशिक्षण	246.50	3.00	0.50		250.00
4.	परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं निवास केन्द्र बम्बई				17.00	17.00
5.	चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कार्मिकों का विषय परिचायक प्रशिक्षण	80.00				80.00
6.	आई.यू.डी निवेशन में सहायक नर्सधात्री/लेडी हैल्थ विजिटरों का प्रशिक्षण	88.00	3.00	0.50	8.50	100.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	दाईयों का प्रशिक्षण	745.30	2.10	2.60		750.00
8.	भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की भागीदारी				10.00	10.00
9.	लैपरोस्कोपिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	9.60	0.40			10.00
10.	आई.एम.ए को सहायता				5.00	5.00
11.	नॉनस्काल्पल नसबंदी में प्रशिक्षण				35.00	35.00
12.	एम टी पी कार्यक्रम	140.30	9.00	1.70		150.00
	कुल: प्रशिक्षण	2733.10	26.50	12.80	84.50	2857.00
	(ग) सूचना, शिक्षा एवं संचार					
1.	राज्यों में जनशिक्षा एवं संचार प्रचार माध्यम	270.00	21.00	9.00		300.00
2.	नवीन प्रचार	1380.00			350.00	1730.00
3.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				700.00	700.00
4.	जनशिक्षा एवं प्रचार माध्यम प्रभाग परि. कल्याण विभाग				450.00	450.00
5.	जनसंख्या शिक्षा				5.00	5.00
6.	सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्य कलाप (प.क.) प्रशिक्षण	8.00			85.00	165.00
	कुल: सूचना, शिक्षा एवं संचार	1730.00	21.00	9.00	1590.00	3350.00
	(घ) अनुसंधान और मूल्यांकन					
1.	जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र	5.00			215.00	220.00
2.	समवर्ति मूल्यांकन				10.00	10.00
3.	तदर्थ अनुसंधान/मूल्याकन अध्ययन				40.00	40.00
4.	राष्ट्रीय स्वा..और प.क. संस्थान, नई दिल्ली				274.00	274.00
5.	आई आई पी एस, बम्बई				50.00	50.00
6.	केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ				96.00	96.00
7.	प्रायोगिक अनुसंधान परियोजनाएं				10.00	10.00
8.	भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान				29.00	29.00
9.	जनसंख्या पर वैज्ञानिक अध्ययन के अन्तरराष्ट्रीय यूनियन को भारत का योगदान				1.00	1.00

1. 2.	3.	4.	5.	6.	7.
10. यू.एन.एफ.पी.ए को भारत का योजना				102.00	102.00
11. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, नई दिल्ली				750.00	750.00
12. ई.सी.आर.का मुद्रण	20.00				20.00
13. आई आई टी नई दिल्ली में आई यू डी के परिक्षण सुविधाएं				50.00	50.00
14. प्रबोधन तथा निगरानी	10.00				10.00
15. नवीन आई सी ओ एम पी परियोजना				20.00	20.00
16. रूग्णता दर तथा मृत्यु दर पर अध्ययन					
कुल: अनुसंधान और मूल्यांकन	35.00			1647.00	1682.00
(ङ) मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य					
1 उपकेन्द्रों का रख-रखाव					
2. सहायक नर्स, दाईयों और लेडी हैल्थ विजिटरों का प्रशिक्षण					
3. देशी दाईयों का प्रशिक्षण					
4. शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व परियोजना	21595.00	150.00	55.00	200.00	22000.00
5. एम.टी.पी. कार्यक्रम					
6. क्षेत्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान	5.00			5.00	10.00
	21600.00	150.00	55.00	205.00	22010.00
(च) संगठन					
1. राज्य स्तर के संघटन जिनमें कर्मचारियों को सुदृढ़ करना शामिल है	850.00				850.00
2. क्षेत्रीय कार्यालय				121.00	121.00
3. अन्य कार्यालय				190.00	190.00
कुल संगठन	850.00			311.00	1161.00
(छ) ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना					
1. स्वास्थ्य गाइड योजना को जारी रखना	994.15	1.00	2.85	2.00	1000.00
कुल: ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना	994.15	1.00	2.85	2.00	1000.00
(ज) क्षेत्रीय परियोजनाएं					
1. क्षेत्र परियोजना को जारी रखना	23500.00	1000.00	5.00	495.00	25000.00
कुल: क्षेत्र परियोजना	23500.00	1000.00	5.00	495.00	25000.00

1. 2.	3.	4.	5.	6.	7.
(झ) अन्य योजनाएं/नई पहलें					
1. महाराष्ट्र में कम अपनाने वाले क्षेत्रों में परिवार कल्याण परियोजना					
2. प्रबंधन एवं प्रबोधन (पोपिन केन्द्र)					
3. नए गर्भनिरोधकों की आपूर्ति/वितरण				50.00	50.00
4. नई साप्ताहिक मुखसेव्य गर्भ निरोधक गोली				10.00	10.00
5. सामाजिक सुरक्षा योजना					
6. नई आई सी ओ एस पी परियोजना					
7. प्रबोधन एवं निगरानी					
8. 90 पिछड़े जिलों के लिए	4500.00				4500.00
9. नर्स स्काल्पल नसंबदी में प्रशिक्षण					
10. प्रौद्योगिकी मिशन				3475.00	3475.00
11. शहरी गंदी बस्तियां				50.00	50.00
12. स्कोवा समिति				180.00	180.00
13. कोआपरेटिव शकर मिलों के लिए योजना				50.00	50.00
14. नई संगठित क्षेत्र परियोजनाएं				50.00	50.00
15. गर्भ निरोधकों के निर्माण के लिए संयुक्त सहयोग परियोजना				10.00	10.00
16. नई गर्भ निरोधक गोली सेंटक्रोमन				10.00	10.00
कुल: अन्य योजना	4500.00			3985.00	8385.00
कुल :	125080.00	1993.00	330.000	13597.00	141000.00
(ट) बकाया के लिए व्यवस्था	14100.00				14100.00
(ठ) उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवा परियोजना में नवीनताएं	500.00			2500.00	3000.00
(ड) सामाजिक सुरक्षा नेट					
कुल योग	139680.00	1993.00	330.00	16097.00	158100.00

[हिन्दी]

दर्द निवारक औषधियां

5351. श्री अमर पाल सिंह :

श्री शिव शरण वर्मा :

श्री माणिकाराव होडल्या गावीत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्प्रिन, क्रोसिन, एनालजिन जैसी दर्द निवारक दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग से पैप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक और कई अन्य प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार दर्द निवारक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग से होने वाली जटिलताओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). ऐस्प्रिन, क्रोसिन (पैरासिटामोल), एनालजिन इत्यादि जैसी दर्द निवारक दवाएं औषधों के उस समूह से संबंधित हैं जो नान स्टेरायडल प्रदाहक-रोधी औषधों (एन.एस.ए.डी.) के रूप में जानी जाती हैं । इस समूह की औषधियों के सभी घटकों के कुछ सामान्य गौण प्रभाव हैं । इस समूह में ऐस्प्रिन सबसे आम प्रयोग की जाने वाली औषधि है । यह बात सामान्यतौर पर स्वीकार की जाती है कि त्वचा की प्रतिक्रियाएं शायद सबसे ज्यादा बार-बार होने वाले सभी नसेड इन्डयूस्ड गौर प्रभाव हैं, इसके जठरान्त्रीय रक्तस्राव/अल्सर और अन्य प्रतिकूल प्रभाव होते हैं जिसमें सी.एन.एस. रक्त जिगर और गुर्दे भी शामिल हैं ।

(ग) और (घ). सरकार जनता को सामान्यत: अपने आप दवाई लेने के खतरों के विरूद्ध सावधान कर रही है ।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए गर्भनिरोधक

5352. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के लिए "क्वीनाक्राइन" नामक गर्भ निरोधक शुरू करने के सरकार के विचार को धक्का लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार ने वियतनाम से प्राप्त सम्बद्ध आकंड़ों का अध्ययन किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या यह गर्भ निरोधक भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पाया गया है ; और

(च) यदि हां, तो भारत में इस गर्भ निरोधक को शुरू करने के विलंब किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) और (घ). स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से एक दल ने महिला बन्धयकरण की एक गैर-शल्य चिकित्सीय विधि के रूप में क्वीनाक्राइन के स्वीकारकर्ताओं के चल रहे भूतलक्षी अध्ययन से संबंधित आंकड़ों पर विचार-विमर्श करने के लिए वियतनाम का दौरा किया था। चूंकि अध्ययन नमूना किसी निश्चित परिणाम के लिए बहुत ही छोटा था इसलिए वियतनाम सरकार इसी प्रकार के स्वरूप का एक व्यापक अध्ययन कराने का प्रस्ताव कर रही है ।

(ङ) और (च). भारतीय महिलाओं के लिए क्वीनाक्राइन की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षण नहीं किया गया है ।

12.02 म.प.

शुक्रवार 12 मई, 1995 को सभा की बैठक रद्द किया जाना।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : आज, आपके द्वारा बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि शुक्रवार को हमारी सभा की होने वाली बैठक को रद्द कर दिया जाएगा, और शुक्रवार को कोई बैठक नहीं होगी । रक्षा मंत्रालय की अनुदान माँगों पर माननीय प्रधान मंत्री जी का जवाब सोमवार को प्रश्नकाल के बाद दिया जाएगा। तत्पश्चात् अगले मंत्रालय की अनुदान मांगों को उठाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया था कि विदेश मंत्रालय के स्थान पर संचार मंत्रालय की अनुदान माँगों को उठाया जाएगा ।

मुझे उम्मीद है कि सभा इसमें सहमत होगी ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : विदेश मंत्रालय के बारे में आपकी क्या राय है ? (व्यवधान)

12.04 म.प.

चरारे-ए-शरीफ में आग लगने की घटना के बारे में

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, हमारे देश के लोगां के मन में लगातार कश्मीर का ऐसा सवाल है जो पूरे देश को उद्वेलित करता रहता है । चरार-ए-शरीफ का मामला कई दिनों से चला हुआ है और यह लकड़ी का बना हुआ है वहां पर जिस तरह से आग लगाने का काम हुआ है । अखबारों, टी.वी. रेडियों की खबर के मुताबिक वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर एक्स्लोसिव्ज और विंध्वसंक हथियार लगे हुये है । आंतकवादी बहुत दिनों से उसके अंदर बैठे हुये है और चरार-ए-शरीफ का मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है । जब यह मामला गंभीर बना हुआ है तो सारी दुनिया में आज कश्मीर को चर्चा में ला दिया है । जब से रूस टूटा तब से अमरीका ने कश्मीर को दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया और यह आज बहस में हैं। मैं सोचता था कि इस पर सवाल उठाने से पहले सरकार पूरी जानकारी इस सदन को देती लेकिन वहां पर दुबारा आग लगी । एक बार आग बुझा दी गयी परन्तु वहां फिर से आग लग गयी । अब वहां क्या स्थिति है, कितने आतंकवादी उसमें बैठ हुये हैं, कितना एम्युनिशन वहां पर जमा है, इन सब बातों के संबंध में सच्ची जानकारी इस सदन और राष्ट्र को मिलनी चाहिये। अध्यक्ष जी, मेरे बोलने से पहले यदि सरकार वक्तव्य दे देती तो ज्याद बेहतर होता । मैने तो अखबार में दी हुई जानकारी के आधार पर यह सवाल उठाया हैं । इस सारे प्रकरण पर राष्ट्र को चिन्ता है ।

हम कश्मीर में चुनाव कराने जा रहे हैं । प्रधान मंत्री सब नेताओं को बुलाकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ग्राउंड रियेलिटी चुनाव की है । लेकिन उसके साथ-साथ वहां परिस्थिति बहुत गंभीर है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर उनका बयान आना चाहिए । वहां दोबारा आग लग गई हैं और अगर वह चरार-ए-शरीफ़ को उड़ाने में कामयाब हो गए तो हमें बहुत नुकसान होगा । हम जो चुनाव कराने वाले हैं । उस पर भी इसका बहुत असर होगा ।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चरारे-ए-शरीफ में हो रही घटनाओं के संबंध में हमारे द्वारा निरन्तर सरकार की चुप्पी को लेकर प्रश्न उठाया गया है और इस बारे में अनेक अवसरों पर आवाज भी उठाई गई है यह अभी भी अस्पष्ट है कि यह अन्तिम घटना क्यों और कैसे हुई हैं जिसमें तीन सौ घर जल कर राख हो गए है । प्रश्न यह उठता है कि सरकार विदेशी भाड़े के सैनिकों को भारतीय संघ क्षेत्र में घुमने की अनुमति क्यों देती है और इस दुर्ब इच्छाशक्ति और प्रणाली की अनुमति क्यों देती हैं ।

दूसरे आज तक हम यह नहीं जानते हैं कि सरकार किस प्रणाली और योजना के अन्तर्गत चरारे-ए-शरीफ से आतंकवादियों को हटाने जा रही है ।

तीसरे, सरकारी यदा-कदा संचार माध्यमों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से देश को यह बताना चाहती है कि वे इन भाड़े के सैनिकों को सुरक्षित पाकिस्तान वापस चले जाने की पेशकश कर रही है और हर बार यह पेशकश किराए के सैनिकों द्वारा मजाक में उड़ा दी गई है ।

चौथे, यदि यह घटना चरारे-ए-शरीफ में हो जाती जैसा कि सम्भवतः यह घटित हो चुकी है, इसके पीछे क्या कारण हैं ? समाचार पत्र कहते हैं. ......(**व्यवधान**) । महोदय, यहां भी सभा में बहुत चरारे-शरीफ जैसी अव्यवस्था विद्यमान है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी यही विचार है लेकिन सबको सहयोग देना चाहिए ।

श्री जसवंत सिंह : मैं जानता हूं महोदय, मैंने तो केवल वैसे ही इस वास्तविकता का उल्लेख किया है ।

चरारे-ए-शरीफ का चौथा और वर्तमान पहलू, जो हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है, वह यह है कि यह कैसे सम्भव हुआ कि आग लग गई क्योंकि यह नगर कोई बड़ा नगर नहीं है । यदि आग लग भी गई और वहां एक अलग किस्म के तीन सौ घर जल गए, जैसा कि वहाँ अधिकतर लकड़ी के ढांचे के घर हैं, तो हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि वे घर कैसे जल गए । समाचार पत्र कहते हैं कि यह आग भाड़े के सैनिकों द्वारा जानबूझ कर लगाई गई थी जो सरकार द्वारा दी गई चिन्ताजनक रिपोर्ट है । हम यह जानना चाहेंगे कि क्या यह सही बात है, यदि यह बात सही है, तो सरकार के अनेक दावे गलत हैं कि आतंकवादियों को रोका जा रहा है वे सीमित क्षेत्र में ही है । यदि उन्हें दरगाह को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नगर में आग लगाने की आजादी प्राप्त हैं तो निश्चय ही यह दावा गलत है । यदि ऐसा नहीं है तो समाचार पत्र में प्रकाशित यह रिपोर्ट सही नहीं है । इसलिए, हम यह जानना चाहेंगे इस आग लगने की घटना से कितना नुकसान हुआ और वहां पहले से ही विद्यमान इतने अधिक सुरक्षा प्रबंध के रहते हुए आग कैसे लगी इससे पहले कि आज भी सभा समाप्त हो,, हम निश्चय ही सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहेंगे । हम सरकार से विशेष रूप से इसलिए भी स्पष्टीकरण चाहते हैं क्योंकि प्रायः सरकार कहती रहती है कि हम जम्मू और कश्मीर मे चुनाव करवायेंगे जबकि सभी यह अच्छी तरह जानते हैं कि घाटी में पच्चीस-सत्ताईस निर्वाचन क्षेत्र ऐसी स्थिति में हैं कि वहां शायद एक भी वोट नहीं पड़ेगा । यह सभा तथा यह राष्ट्र सरकार से स्पष्टीकरण चाहता है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं भी चरारे-ए-शरीफ तथा आस-पास के इलाकों में घटित घटना के संबंध में सरकार से स्पष्टीकरण की मांग का समर्थन करता हूं ।

मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में विशेष उल्लेख किया जाए जबकि बाहर के देशों से आकर आंतकवादी पवित्र दरगाह को अपवित्र कर रहे है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं । जब वहां अन्दर लोग हैं, तो वे उस तरह की स्थिति से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं । वे लोगों को

आतंकवादियों से कैसे अलग कर रहे हैं, और वे आतंकवादियों के लोगों के साथ संपर्क को कैसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं कि लोग उन कार्यवाहियों का समर्थन कर रहे हैं जो भारत सरकार घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए करने जा रही है ? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । इस विशेष संदर्भ का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि विगत में इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटित हुई हैं हजरत बल घटना के दौरान क्या हुआ, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि अनेक धार्मिक व्यक्ति इस अवधि के दौरान मारे गए। लोंगो में काफी उत्तेजना फैली। लेकिन, हमने उस समय भी अवसर को खो दिया । अब मैं चाहता हूं कि सरकार वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए, विशेष रूप से इस घटना के संबंध में एक वक्तव्य दे ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजामगढ़) : अधयक्ष जी, यह जो कश्मीर की समस्या है इस मायने में और गंभीर हो जाती है क्योंकि यह मालूम हैं कि पिछले कई वर्षो से कश्मीर की वादी में खास तौर से ऐसे स्थान हैं जैसे वहां की जानी-मानी दरगाह है, पवित्र स्थान हैं, वे ऐसे तत्वों के निशाने बन रहे हैं । जिससे वहां कुछ न कुछ घटना हो, उससे लोगों के धार्मिक भावना को ठेस लगे और वह आम जनता के असंतोष का एक कारण बने। इसलिए जान-बूझकर एक योजना के तहत ये सब निशाने बनाये गये हैं। मैं इस सरकार पर चार्ज लगाना चाहता हूं कि सरकार इन बातों से पूरी तरह से आगाह नहीं है । वह छोटा सा कस्बा चरारे-ए-शरीफ केवल पवित्र दरगाह नहीं है बल्कि उस छोटे से कस्बे को 8 मार्च से सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर रखा है । 8 मार्च से सुरक्षा बलों की घेराबंदी के बावजूद वहां यह आग लगने की घटना हुई है । इसका मतलब यह है कि वहां जो सतर्कता बरतनी चाहिए वह सतर्कता नहीं बरती जा रही है और इसलिए ऐसे तत्वों को वह मौका मिल रहा है जो इस प्रकार की घटना घटित कर उसका लाभ उठाना चाहते हैं ।

दूसरी गंभीर बात यह है कि कश्मीर वादी के विभिन्न संगठनों के जाने-माने नेताओं ने, जिनसे सरकार वार्ता भी कर रही है, उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि यह उग्रवादियों का काम नहीं है बल्कि मनमाने ढंग से वहां जो गोली चलायी गयी, बारूद का इस्तेमाल हुआ यह आग उसकी वजह से लगी है । यह कहा जा रहा है कि यह रहस्यमय तरीके से आग लगी है । इसका क्या रहस्य है उसका पता चलना चाहिए । 300 से ज्यादा मकान जलकर राख हो गए। दुख इस बात का होता है कि वहां घटना की जानकारी जानने के लिए जब लोग वहां जा रहे थे तो उनको नहीं जाने दिया गया । उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया । जब लोगों का दुख-दर्द सुनने के लिए लोगों को रोक दिया जायेगा, वहां के नेताओं को नहीं जाने दिया जायेगा तो असंतोष का कारण और बढ़ जाता है । दूसरा, वहां दमकल के संगठन ने, जिसका काम आग बुझाने का था, उन लोगों से कहा कि पूरा का पूरा यह जलकर खाक हो गया .....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण मिल जाने के बाद कोई राय कायम कीजिए। यदि ऐसा ही करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन्, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां सूफी संत शेख नुरुद्दीन नूरानी की जो पवित्र दरगाह है उसके साथ लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है और उसकी भी सुरक्षा अगर यह सरकार करने में असमर्थ है और जब प्रधानमंत्री खुद कश्मीर के इंचार्ज है तो लोगों के मन में यह भाव पैदा होता है कि हम लोगों को आवश्यक सुरक्षा नहीं दे रहें है उसकी वजह से ऐसी गड़बड़ी होती हैं ।

वहां 5-5 हजार रुपए की सहायता दी गयी है । उनके मकान पूरे जलकर खाक हो गए। 5 हजार में किसका मकान बनेगा ? इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार रिहेबिलिटेट करने के लिए उनके मकान बनवाएं। जिनके मकान जलकर खाक हो गए है उनको आवश्यक सहायता फौरन दी जाये और इसकी ज्यूडिशियल इन्कवायरी करवाये । मैं ज्यूडिशियल इन्कवायरी की मांग इसलिए करता हूं क्योंकि यह मिस्टिरियस फायर की बात की जा रही है इसके तथ्य सदन के सामने और देश के सामने आने चाहिए । खाली सरकार का बयान काफी नहीं होगा। एक हमारे मित्र और सहयोगी, नीतीष कुमार जो आज एक आवश्यक मामला सदन में उठाना चाहते हैं क्योंकि बिहार में एक विशेष समुदाय के साथ वहां जुल्म और ज्यादती बदले की भावना से हो रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि जब तथ्य उनके पास हैं तो आप उन्हें मामले की उठाने की इजाजत दें ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उनके लिए वकालत क्यों करें ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : चूंकि उनके पास तथ्य हैं, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं भी चरारे-ए-शरीफ पर बोलना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिये समय दूंगा । आपको सबसे बाद में बोलना चाहिये । आपका भाषण आखिर में होगा ।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि चरारे-ए-शरीफ में जो कुछ हुआ हैं, उसके बारे में सरकार की ओर से एक अधिकृत वक्तव्य आना चाहिये । हमारी कठिनाई यह है कि जम्मू-कश्मीर के बारे में, वहां होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध

में, हमें या तो समाचार पत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है या हम सरकार से पूछते हैं कि वहां क्या हो रहा है । मेरा सुझाव है कि संसदीय प्रतिनिधि मंडल जम्मू-कश्मीर भेजने के बारे में विचार करें । पहले भी एक प्रतिनिधि मंडल वहां गया था, ...(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उसकी रिपोर्ट पर कुछ नहीं हुआ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप मुझे बीच में टोक रहे हैं कि रिपोर्ट पर कुछ नहीं हुआ । क्या आपने कुछ नहीं किया, जिससे कुछ नहीं हुआ । जब उस रिपोर्ट पर कुछ नहीं हुआ तो इस चर्चा से भी कुछ नहीं होगा।

अध्यक्ष जी, यह सदन जम्मू-कश्मीर की घटनाओं से चिन्तित है और हम स्वंय अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि वहां क्या स्थिति है । लोगों को हम धैर्य बचाना चाहते हैं, हिम्मत देना चाहते हैं, उनकी आपबीती सुनना चाहते है । वहां के लोगों को ऐसा अनुभव होना चाहिये कि यह संसद उनके मामलों में प्रत्यक्ष रूचि ले रही है।

अब जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला हो रहा है लेकिन उसके लायक स्थिति है या नहीं, हम यहां उसके बारे में अटकलें लगा रहे हैं, राय दे रहे हैं लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हममें से कुछ लोग, जिन्हें अपकी ओर से अधिकृत किया जाये,, वहां जायें। वैसे तो लोग जा सकते हैं और जा रहे हैं लेकिन अगर एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर घाटी तीनों जगह के दौरे पर जायें, लोगों से बातचीत करे तो मैं समझता हूं कि उसकी रिपोर्ट के आधार पर कम से कम इस सदन में ठीक तरह से चर्चा हो सकती हैं। सरकार करे या न करे, क्योंकि यह सरकार जाने वाली हैं, वह अलग बात है लेकिन इस संसद में जब चर्चा हो तो यह तथ्यों के आधार पर होनी चाहिये और हमने वहां जो कुछ अपनी आंखों से देखा और लोगों से बात करके जो निष्कर्ष निकाले, उनके आधार पर चर्चा होगी तो वह ज्यादा लाभदायक होगी, यही मेरा निवेदन है।

श्री भोगेन्द्र झा : यहां चरारे-ए-शरीफ के बारे में चर्चा हो रही है और संयोगवश पिछले दो दिन मैं जम्मू में ही था । सरकार की तरफ से कई लोग श्रीनगर गये है लेकिन मुझे चरारे-ए-शरीफ जाने का अवसर नहीं मिला, सरकारी तबके का भी ऐसा ख्याल नहीं हुआ कि अभी वहां जाने लायक स्थिति है या वे तैयार नहीं हुए । लेकिन जैसी हालत है और जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का ऐलान भी हो रहा है तो हमें ऐसी घटनाओं और दुर्घटनाओं के लिये तैयार रहना है। सीमा के पार से और कुछ भीतर से ऐसी घटनाएं होगीं क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि वहां चुनाव न हों, वे ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं करने की कोशिश करेंगें । मैं आशा करूंगा कि इस संसद से और बाहर हममें से कोई ऐसी आवाज न दें जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले और वे दो जगह हत्याएं कर दें, चार जगह आग लगा दें या किसी तरह भारतीय जनतंत्र उनके हाथों बंधक पड़ जाये, देश के 90 करोड़ लोगों का जनतंत्र उनके हाथों बंधक पड़ जाये और चुनाव न हो पायें। दृढ़ता से चुनाव कराने के निर्णय पर हमें अमल करना चाहिये ।

इसके साथ-साथ ब्लैक थंडर का तजुर्बा हमें है, जजरत बल का तजुर्बा हमें है, उसे भी विकसित करके चरारे-ए-शरीफ में हमें ठोस कदम उठाने होंगे । मजहबी स्थानों को राजनैतिक हत्याकांड का सहारा बनाने में यदि हमने एक जगह दिलाई की तो सारी जगह यह बीमारी फैल सकती है । कुछ न कुछ यह बीमारी दूसरी जगह भी है, मन्दिर, मस्जिद और गुरूद्वारों का बेजा इस्तेमाल होता है मगर हथियारबंद इस्तेमाल के रूप में जिस तरह फिर से वहां हो रहा है, वह हमारे सुरक्षा तंत्र की विफलता का द्योतक है। मैं समझता हूं कि पूरे संसद को विश्वास मे लेकर, सभी दलों के नेताओं को विश्वास में लेकर, सरकार ठोस कदम उठाये । चरारे-ए-शरीफ की पवित्रता की रक्षा की जाये और जो हथियारबंद लोग उसके अंदर बैठे हैं, उनको बुद्धिमानी से, मगर दृढ़ता के साथ निकाल बाहर किया जाये ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि वह बुद्धिमानी से काम करे ताकि चरारे-ए-शरीफ की पवित्रता पर आंच न आए और सरकार इस प्रकार की दृढ़ता से काम करे कि भारत का जनतंत्र किसी भी विदेशी के हाथ में बंधक नहीं पड़े ।

मैं आशा करता हूं कि हमारे मित्र उनकी आवाज में आवाज नहीं मिलाएंगे कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे । वे कहते हैं कि हम चुनाव बम से नहीं होंने देंगे, जब तक हम नहीं होने देंगे, तब तक वहां चुनाव नहीं होंगे । इस तरह से दो तरफ से आवाज नहीं मिलनी चाहिए । हमें तैयार रहना चाहिए । बाधा पहुंचाने वाले बाधा पहुंचाएंगे । हमें एक तरफ से चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और दूसरी तरफ सुरक्षा की तैयारी भी करनी चाहिए । सुरक्षा बलों को अत्यधिक धैर्य से काम लेना होगा । उनकी हत्याएँ हो रही है । उनकी जानें जा रही है । उन पर बहुत खतरा है । इसलिए दृढ़ता और धैर्य से हमें इस मामलें से निपटना चाहिए। पवित्रता की रक्षा करते हुए और जो इसको नापाक बना रहे हैं, उन्हें निकाल कर हमें बाहर करना पड़ेगा। हमारा जनतंत्र किसी विदेशी के सामने नाक नहीं रगड़े कि यह काम हथियारबन्द किसी विदेशी के हाथ में है, इस बात का ख्याल नहीं करें और न ही यह सोचें कि विदेश में, उस और सीमापार क्या स्थिति होगी ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि सरकार इस पर वक्तव्य दे और मेरी आशा है कि संसद एक साथ, एक आवाज से ऐसे सवालों पर कदम बढ़ाने के लिए देश के सामने अपनी आवाज उठाएगी । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : चरारे-ए-शरीफ पर स्टेटमेंट के सम्बन्ध में।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, देखिए, अब सीरियस इश्यू को आप ऐसा मत कीजिए ।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण

शुक्ल) : महोदय, जब ऐसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, तब कोई मजाक नहीं होना चाहिए और ऐसे मामलों पर कोई लापरवाही से भरी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिएं। हम मामले पर सोच-विचार कर रहें हैं और प्रत्येक शब्द को सुन रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वे वक्तव्य की मांग कर रहे हैं ।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी, हां। हम वक्तव्य देने के लिए तैयार है ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव किया है उसमें स्टेटमेंट की बात नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ कहें ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं स्टेटमेंट देखने के बाद कहूंगा ।

[अनुवाद]

श्री ओस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया है जो दलित ईसाइयों और सम्पूर्ण ईसाई समाज को आन्दोलित कर रहा है। हम मांग करते आ रहे हैं कि दलित ईसाइयों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमने बार-बार इस मामले को उठाया है। सरकार ने हमें इस बात का आश्वासन दिया था कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि संसद के इस सत्र में ही एक उपयुक्त विधेयक लाया जाए और पूरे देश में आन्दोलनकारी दलित ईसाइयों को कुछ राहत दी जाए। महोदय, यह मेरा विनम्र निवेदन है ।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, पिछले 6 वर्षों से अनुसूचित जातियों के साथ समान व्यवहार करने के संबंध में यह प्रश्न सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा है। मैं भी इस गरिमामय सदन का ध्यान आकार्षित करता हूं कि वे कोई विशेष अनुग्रह की मांग नहीं कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15,16 के अंतर्गत यह अधिकार उन्हें दिया गया है और अनुच्छेद 16 स्पष्ट कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनके साथ भेदभाव किया गया है। मेरे मित्र श्री पासवान यहां पर मौजूद हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने भी हमें समर्थन करने का निश्चय किया है। जब नव-बौद्ध विधायक पारित किया गया था, हम उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिले। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। किन्तु उस समय यदि समस्या को उसमें जोड़ दिया जाता, तो समस्या समाप्त हो गयी होती। रिकार्ड अनुसार मंत्री महोदय ने कहा है कि वह दूसरा विधेयक लाएंगे। किंतु दुर्भाग्यवश उनके पास समय नहीं था और आज वे सब मेरे साथ है। मेरा तर्क यह है कि इस मुद्दे पर सर्वसम्मति होनी चाहिए जैसी कि मछुआरों के मुद्दों पर कल और आज थी इस मुद्दे पर पूरी सभा एकमत थी मेरा कहना है कि दलित वर्ग के एक छोटे-से वर्ग से संबंधित इस मानव-अधिकार के संबंध में सर्वसम्मति होनी चाहिए क्योंकि इस वर्ग को अनुसूचित जातियों के लाभ से वंचित रखा गया है ।

यहाँ तक कि अनुसूचित जाति संघ भी उनके समर्थन में आगे आया है। मैं अपने भा.ज.पा के दोस्तों के साथ इस बात का समर्थन करता हूं कि एक सर्वसम्मति बनाएं। जिससे सभा के इसी सत्र में उन्हें समान अधिकार देने के लिए विधेयक पारित किया जा सके ।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : मैंने और राजनीतिक दलों में बहुत से नेताओं ने भी प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन दिया है तथा प्रधानमंत्री ने न केवल राजनीतिक दलों के नेताओं को ही बल्कि चर्चा में नेताओं तथा दलितों को भी आश्वासन दिया है कि एक विधेयक लाया जाएगा। हमारा निवेदन है कि अब इस विधेयक को लाने में कोई और विलंब नहीं होना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार ने जो विधेयक लाने का आश्वासन दिया हैं उसे संसद में इसी सत्र में लाया जाए जिससे इस देश में जो अन्याय कुछ दलितों के साथ हुआ है या हो रहा है उसे रोका जा सके ।

मैं यह भी कहता हूं कि इसे एक संवैधानिक मुद्दे के अतिरिक्त एक मानवाधिकार मुद्दे की तरह भी लिया जाए क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिससें एक व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है केवल इसलिए कि वह एक धर्म विशेष में आस्था रखता है ।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय का समर्थन करता हूं.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको मैं एलाऊ कर रहा हूं मगर आप बार-बार मत बोलिये ।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने 2.5.1995 को धनंजय शर्मा वरसैस स्टेट ऑफ हरियाण के संबंध में जो निर्णय दिया है और उसी संबंध में श्री जसवंत सिंह व श्री जार्ज फर्नाड्रीस ने भी मामला उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, वह इशु पहले उठाया जा चुका है।

श्री राम विलास पासवान : मैं दूसरा इशु उठा रहा हूं। यह इशु इतना गंभीर न होता यदि 5 सत्ताधारी दल के एम.पी. ने स्टेटमेंट जारी न किया होता इन 5 एम.पीज के अलावा एक मिनिस्टर, कर्नल राम सिंह, जो भारत सरकार के मंत्री है उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी करके यह कहा है कि हरियाणा में डेमोक्रेसी का बुचरिंग हो रहा है। और उनके ये शब्द है कि

[अनुवाद]

हरियाणा में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। यह कर्नल राम सिंह का वक्तव्य है और उन्होंने मांग की है कि मुख्य मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सम्मान पद त्याग कर देना चाहिए ।

[हिन्दी]

इसलिए मैं कहता हूं कि जो भारत सरकार के एक मंत्री को, जो कि स्टेट का मंत्री हो, उस पार्टी का मंत्री हो और उसके साथ 5 एम.पीज भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, एस.एस. सुरजेवाला, अवतार सिंह भड़ाना, पंडित घिरंजी लाल शर्मा (व्यवधान).

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : वह यह मामला नियमों का उल्लंघन करके शून्य-काल में कैसे उठा सकते है ? यह मामला पहले भी उठाया गया था। उन्हें इसे सभा में इसे बार-बार नहीं उठाना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : हम परसों उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर चुके हैं। हम बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कर चुके है। यहाँ मामला है लोकतंत्र का, लोकतंत्र की हत्या का।

[हिन्दी]

सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार उन अफसरों को दंडित करके यह साबित करने का काम किया है कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी अफसर को लॉ एंड आर्डर के मुताबिक काम करना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल : सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वो आप नहीं कह रहें है। आप उससे ज्यादा कह रहे हैं।

[अनुवाद]

जो आप कह रहें है, इसे उच्चतम न्यायलय ने नहीं कहा है। जो कुछ आप कह रहे हैं क्या इसे आप साबित करने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि यह मामला सिर्फ अफसर का नहीं हैं। अफसर को दंडित किया गया, यह सही किया गया है जिससे कि वह पालोटिशयन का टूल न बने।

अध्यक्ष महोदय, यह मामूली चीज नहीं है* कि जब सुपरीटेंडेट ऑफ पुलिस जेल जा सकता है तो हमारी आपसे मांग हैं कि आप चीफ-मिनिस्टर को यह बतायें कि यह मामूली मामला नहीं है। .....(व्यवधान)

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): वह झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्हें इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए और इसे कार्यवाही वृंतात से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह संघ निरपेक्षता की हत्या के बारे में कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा में उपस्थित सदस्यों के विरुद्ध आरोप हैं। यदि वे उसका खण्डन करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि जब पिछली बार मैंने इस प्रश्न को उठया था तो वह न्यापालिका से जुड़े हुए पुलिस कर्मियों का प्रश्न था। परन्तु जिस प्रकार से केन्द्रीय मंत्रियों के वक्तव्य आए हैं इससे तो इसका आयाम और दायरा कई गुना बढ़ गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में वहां की विधान सभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए। आप इसे यहां क्यों उठा रहें हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : मंत्री जी और सासंद यहां के हैं। .....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम यहां संसद में किसी राज्य सरकार के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब तक कि उस सरकार के विरुद्ध कोई उचित प्रस्ताव नहीं हो।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : इसके लिए प्रोपर मीशन कहां से लाया जाए। .....(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि जीरो आवर में प्वाइंट् ऑफ आर्डर नहीं होता लेकिन जो मुद्दा आपके सामने आया है और आपने अभी जो टिप्पणी की .....(व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि जो कांउसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यदि उनमें से कोई मंत्री बयान देता हैं तो वह अपनी निजी राय के तौर पर बयान देता है या मंत्री रहते हुए मंत्रिमण्डल की राय के तौर पर देता है, यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना चाहता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यदि कर्नल राम सिंह का यह कहना है ....(व्यवधान) बूचरिंग ऑफ डैमोर्कसी है। .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने पोलिटिक्ली जो कहना था कह दिया, अब उसको लम्बा मत खिचिए।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, गृह कलह तो गृह युद्ध हो गया है और जब गृह कलह गृह युद्ध हो जाएगा तो कहीं युद्ध तो नहीं होगा ।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : गृह युद्ध कि बातें पार्लियामेंट में क्यों की जाएं।

(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि या तो केबिनेट मिनिस्टर को इस्तीफ देना चाहिए या भजन लाल को देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया महिला सदस्यों को बोलने दीजिए । मैंने उन्हें कई बार बिठा दिया है ।

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनंद (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश के करोड़ों युवक-युवतियों के साथ बरते जा रहे लगातार अन्याय के खिलाफ एक सवाल रखना चाहती हूं कि जब सरकार ने काम के अधिकार को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया है तो वह हमारी गर्दन पर उम्र सीमा की तलवार लटकाने वाली कौन होती है ? आज 28, 32 और 35 वर्ष के बाद हम केन्द्र और राज्य सरकार की नौकरी के लायक नहीं रहते लेकिन सदन में बैठे दर्जनों माननीय सदस्य रिटायरमैंट के बाद भी राष्ट्र की सर्वोपरि संस्था में कानून बनाने, राष्ट्र का भाग्य निर्माण करने में सक्षम है । हम 28, 32 और 35 वर्ष के बाद सरकारी नौकरी नहीं कर सकते लेकिन एम.एल.ए., एम.पी., मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनकर देश चला सकते हैं । हम भी तो वेतन उठाते हैं और इस तरह भले ही हम जन-प्रतिनिधि कहलाते हों लेकिन वास्तव में तो जनता के नौकर है। नौजवानों के साथ यह भेदभाव और ज्यादती खत्म होनी चाहिए और इसपर राष्ट्रीय बहस करवाकर उम्र सीमा के इस अन्यायपूर्ण कानून को खत्म कर काम के अधिकार को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए।

मेरी समझ से यदि रिटायरमैट की सीमा हो तो लेकिन ज्वीयनिंग की सीमा नहीं होनी चाहिए ।

बिहार में जो शैक्षणिक माहौल है उसके हिसाब से दो वर्ष मैट्रिक में, तीन वर्ष इंटर में और चार वर्ष ग्रैजुएशन में लग जाते है । कभी ऐन परीक्षा के समय वेतन के लिए हड़ताल, कभी परीक्षाफल के प्रकाशन के समय शिक्षेत्तर कर्मचारियों की हड़ताल, कभी प्रश्न पत्र आउट, कभी छात्रों का परीक्षा से बॉयकाट, इस तरह से पढ़ाई पूरी नहीं होती कि नौकरी के लिए उम्र सीमा खत्म हो जाती है । इसलिए भी उम्र सीमा समाप्त होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तालीम लेकर तनावमुक्त होकर अच्छी नौकरी की तलाश कर सके ।

यदि नौजवानों की नौकरी के लिए उम्र सीमा निर्धारित है तो एम.एल.ए.,एम.पी. बनने की भी उम्र सीमा तय होनी चाहिए वर्ना नौजवानों की गर्दन पर उम्र सीमा की जो तलवार लटका दी गई है, उसे भी समाप्त कर देना चाहिए ।

यदि सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमैंट की सीमा है तो राजनेताओं के लिए क्यों नहीं है ? यह भेदभाव भरा कानून कब तक चलेगा और कब तक इस देश के लोग यह सब बर्दाश्त करते रहेगें। अब समय आ गया है जब इस पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए और यह पक्षपातपूर्ण कानून खत्म होना चाहिए ।

देश के करोड़ों नौजवानों की भावनाओं और दर्द को मैं इस सदन में राष्ट्रीय बहस के लिए रख रही हूं । यह न समझे कि यह सिर्फ लवली आनंद की और बिहार पीपल्स पार्टी की आवाज है बल्कि यह देश की करोड़ों जनता की आवाज है । हम यह कहेगें कि नौजवान, पत्रकार, भाई, बहन सब कलम तोड़कर इसमें हमारा साथ दें ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक विचारोतेजक मामला है ।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर नोटिस दिया है यह एक बहुत गम्भीर स्थिति है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक बाद दूसरा ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत पीड़ा के साथ एक सवाल सदन में उठाना चाहता हूं और सदन का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

इस महीने की दो तारीख को पटना में दो मासूमों का अपहरण हुआ। अपहरणकर्ताओं से किसी की हमदर्दी नही हो सकती है । अपहरण एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है और बिहार या पूरे देश में इस पर काबू पाने के लिए जो भी सख्ती की जरूरत हो और जिस प्रकार के सख्त कानून की जरूरत हो, उसके लागू किया जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं सकती है ।

इस एक अपहरण की घटना को लेकर, खास तौर पटना के इर्द-गिर्द एक समुदाय विषय के कम से कम 90 गांवों में छापे डालें गये हैं और निरपराध लोगों को, सम्मानित लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका समाज में स्थान है । थानों में पकड़कर उनके साथ बदसुलूकी की जा रही है, उनको पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है । जब घर में मर्द नहीं मिलते है तो बगैर किसी कानूनी वारण्ट के पुलिस घरों के अन्दर घुस रही है और महिलाओं के साथ बदसुलूकी कर रही है, उनकी बेइज्जती कर रही है । पिछले आठ दिनों में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई है, जिसको लेकर पटना के इर्द-गिर्द जो कानून पसन्द लोग है उनके मन में सामान्य तौर पर और विशेष तौर पर एक

समुदाय विशेष के लोगों के मन में भारी उत्तेजना पैदा हो रही हैं ।

इसलिए में आप के माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि केन्द्र सरकार अपनी तरफ से पहल करे ।

अगर इस ढंग की कोई वारदात होती है तो उसका परिणाम बुरा होता है और इससे एलिनियेशन पनपात है । इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, उनका जो अंजाम होता है, वह हम इस देश में एक जगह नहीं, अनेक जगहों पर देख चुके हैं । उसके पीछे राजनीति होती है। चुनाव के दौरान जिस खास समुदाय का मत हासिल नहीं होता है, उसको टार्गेट बनाकर इस ढंग की घटनाएं की जा रही है, उनको सबक सिखाने के उद्देश्य से की जा रही है । अगर यह भावना घर करती चली गई, समय रहते केन्द्र ने हस्तक्षेप करके इस प्रकार की कार्रवाइयों पर पहल करके रोक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की और इस सदन ने भी इस आवाज पर ध्यान नहीं दिया तो सम्भव है कि एलिनियेशन बढ़ता जायेगा, समस्याएं गम्भीर होती जायेंगी और समुदाय विशेष के लोगों को लगेगा कि वहां के शासन के रहते उनका कोई स्थान नहीं है ।

वैसी परिस्थिति में जो वातावरण पैदा होगा, उसकी कल्पना आप कर सकते है । उस विस्फोटक स्थिति की कल्पना आप कर सकते है । ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो और इसको बचाया जा सके, इसलिए मैं पीड़ा के साथ आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करता है और चाहता हूं कि सभी राजनैतिक दल के लोग भी इस स्थिति पर गम्भीरपूर्वक विचार करे और केन्द्र सरकार भी इस स्थिति को संज्ञान में ले और लेकर वाजिब और माकूल कार्रवाई करे और राज्य प्रशासन को, खासकर पुलिस प्रशासन को इस गुण्डागर्दी करने से रोक लगाये।

यही मेरी प्रार्थना है ।

श्री शरद यादव : माननीय सदस्य नीतीश कुमार जी ने जो कहा, उसमें मै इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामले बहुत गम्भीर होते है। किडनैपिंग देश भर में एक बहुत घिनौने रूप में है और बच्चों को पकड़ने का जो काम चला हुआ है, वह पूरे देश में फैला हुआ है, धन्धा बना हुआ है । उन्होंने जो सवाल उठाया है, उस पर केन्द्र सरकार निश्चित तौर पर जानकारी लें । मेरी जानकारी दूसरी तरह की है । आप जानकारी लें और यदि सत्य हो, इसमें सच्चाई हो, तो उसे देखे । मैं कोई सरकार की तरफ से बोलने में सक्षम नहीं हूं लेकिन वहां हमारी सरकार है । मैं आपके माध्यम से सदन से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जाति एक बड़ा रोग है और इस रोग को मिटना ही चाहिए । यह जलन इस देश पर भी बनी हुई है, और इसको बढ़ाने का काम किसी के द्वारा किसी तरीके से हो और चुतराई से किया हो, वह ठीक काम नहीं है । मै आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यदि सरकार चाहे तो इसमें जाये । माननीय सदस्य ने जो बात कहीं, अगर उसमें ऐसी कोई बात होगी तो उसके खिलाफ हम कड़ी कार्यवाही करेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : अपहरणकर्ता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये । सदन को यह भी मांग करनी चाहिए कि जो अपहरणकर्ता हो, उसको फांसी देने की सजा होनी चाहिये। यह कोई मामूली बात नहीं है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं ।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, कल विश्व के सभी लोगों ने फासिस्टवाद पर विजय की 50 वीं वर्षगांठ मनाई । विश्व के लोगों के साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के समर्थन में न केवल इस देश में बल्कि विश्व में संसद की महान भूमिका रही है । हमारे नेताओं, महात्मा, गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरु, टैगोर और अन्य नेताओं ने अपने क्रियाकलापों और लेखों में फासिस्टवाद के नाम पर विशेषकर नाजीवाद के नाम पर जो कुछ किया जाता था, उसकी निंदा की । कल लोगों ने फासिस्टवाद पर विजय की 50 वीं वर्षगांठ मनाई जो मानवता का कट्टर शत्रु था । यह एक सुन्दर संयोग था कि कल रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस भी था जिसे हमने कल संसद मे मनाया था । उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम दिनों में रहा था कि फासिस्टवादी शक्तियों सोवियत भूमि को कभी जीत नहीं सकती हैं जहां बोल्शेविक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी और जोसेफस्टासिल के नेतृत्व में उन्होंने आक्रमण का मुकाबला किया और एक नए इतिहास की संरचना की । इसे संसद के रिकार्ड में जाना चाहिए कि मानवता के सबसे बड़े शत्रु पर इसकी विजय पर यह संसद गर्व महसूस करती है ।

महोदय, उसी दिन जब हम समझदारी की आवाज मानवता की आवाज सुन रहे थे, तो हम लोग दूसंरचार विभाग की रिपोर्ट को पढ़कर दुखी थे कि लोकतांत्रिक संघर्ष की महान धरोहर के रूप में इस देश के लोगों ने जो मजदूर संघके अधिकारों को प्राप्त किया था, उसे बहुत ही अप्रत्याशित रूप से संचार विभाग ने तीन संगठनों की मानयता समाप्त करके छीन ली है वह केवल इसलिए क्योंकि वह गिरवीकरण विशेषकर डाट के निर्णय का विरोध कर रहे थे कि इसका उपयोग निजी क्षेत्र में होगा जबकि सारी परिसम्पत्तियां डाट की ही है । वह इनकी आवाज को दबाने के लिए इसका सहारा लिया है । यद्यपि दूरसंचार के चेयरमैन ने कहा है कि उन्हें उनके संघ की मान्यता समाप्त करने मैं कोई रूचि नहीं है वे इस कार्मिक विभाग के इशारे पर कर रहे हैं । कार्मिक विभाग संघ और संगठन के बीच अन्तर की तकनीकियों में फैंसा है । हमारे

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

देश में 26 वर्षों में ऐसे संघ कार्य कर रहे हैं और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मजदूर संघों में अधिकारों का भी प्रयोग कर रहे हैं और अपनी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक सहयोग दे रहे हैं, और अपने सामुहिक सौदेबाजी के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं ।

महोदय, में सरकार से अनुरोध करुंगा कि वह तत्काल आवश्यक कार्यवाही करे अन्यथा इस कठोर एवं अलोकतांत्रिक कदम के विरोध में कर्मचारियों ने जुलाई के प्रथम सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि हमारे विपक्ष के नेता यहाँ मौजूद नहीं है । हमारा संविधान हमारे देश के पंथ निर्वेक्ष ढांचे पर आधारित है । यही प्रत्येक की प्रतिबद्धता है । हम यहां पर भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं । हम यहाँ पर इस सभा में अपने को इसके प्रति समर्पित किए बिना नहीं बैठ सकते हैं । समाचार-पत्रों में जो कुछ भी विपक्ष के नेता के बारे में आया है, जो कि सभा के बहुत ही सम्माननीय सदस्य हैं, मुझे खेद हैं कि में इसे सभा में उठा रहा हूं ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) क्या आपने नोटिस दिया है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इसके बारे में सारा विश्व अवगत हो चुका है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह आ गये हैं । मुझे विश्वास है कि वाजपेयी जी इन तकनीकी बातों पर विचार नहीं करेंगे । वह तकनीकी बातों पर ध्यान देने में कभी विश्वास नहीं करते .....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मेरी गैर हाजिरी में मेरे ऊपर हमला होगा । .....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई हमला नहीं होगा।.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, कृपया एक मिनट के लिए रूकिये। मैं जानता हूं कि इस सभा में सभी नेतागण और सदस्य एक-दूसरे को समझते है और एक-दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते हैं । मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यही बात कहकर अपनी बात शुरू की थी ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन सोमनाथ जी यह तब अच्छा होता जब आप पूर्व नोटिस देते और फिर इस मामले को उठाते । अगर आप चाहते हैं तो हम इसे बाद में कर सकते है । उन पर आश्चर्यचकित मन होइये ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अगर वह नोटिस चाहते हैं तो वह बताएं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उन्होंने पूर्व नोटिस के बिना ही लेख लिख डाला है । समस्या यह है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक संसद्विज होने के नाते वह जो भी स्थिति हो उसका सामना कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह भी कर सकते हैं और आप भी समस्या को सुलझा सकते हैं । लेकिन कृपया ऐसा मत कीजिए ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर वह नोटिस चाहते हैं तो मैं नोटिस दे सकता हूं मेरे विचार में आप नोटिस नहीं चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस उन्हें भी और मुझे भी दीजिये । मुझे मालूम होना चाहिये कि आप कौन सा मामला उठाना चाहते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे विचार में लगभग पांच मिनट का नोटिस पर्याप्त है ।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, मेहरबानी कीजिये ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए , मैं इसे नहीं उठाऊंगा लेकिन मुझे राम विलास जी अथवा भजन लाल जी के साथ बोलने की अनुमति दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, राज्य में आपकी अपनी सरकारें है और आपके अपने नेता हैं । यह दुधारी तलवार है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के पैमाने पर अपहरण का मामला इन दिनों व्याप्त है, चाहे दिल्ली, राजस्थान या कोई भी प्रदेश हो । .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अब आप इसको लम्बा मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : पिछले दिनों बिहार में भी ऐसी ही कुछ घटनाएं घटी हैं । पिछले दिनों पटना में एक बड़े व्यापारी के दो मासूम बच्चों का अपहरण कर लिया गया था । अपहरणकर्ता किसी खास जाति विशेष के हैं जिसके संबंध में माननीय सदस्य नीतिश कुमार जी ने कहा है कि राज्य सरकार ने यह संकल्प लिया है कि अपराधी किसी भी जाति विशेष का हो उसको बख्शा नहीं जाएगा और एक संकल्प लिया है कि हम ऐसे सारे अपहरणकर्ता और अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे और उन पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। जो संदिग्ध अपराधी

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है उनके खिलाफ सरकार ने अभियान चल दिया है और इसी अभियान के तहत कार्यवाही की जा रही है । वहां पर किसी जाति विशेष की महिलाओं को या सभ्य परिवार के लोगों को तंग नहीं किया जा रहा है । सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि किसी खास जाति विशेष को वह तंग करे । .....(व्यवधान)

महोदय, किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती है । मेरे संसदीय क्षेत्र पटना में इस तरह का जो आरोप माननीय सदस्य ने लगाया है वह बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है । बिहार की राज्य सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि किसी भी कीमत पर हम लॉ एंड आर्डर खराब नहीं होने देंगे । व्यपारियों को पूरा संरक्षण देंगे । बिहार की जनता और व्यापारियों को अमन-चैन देने का काम करेंगे। माननीय सदस्य ने जो आरोप राज्य सरकार पर लगाए है वे सभी बेबुनियाद हैं । .....(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : इस सवाल को जैसे ही मैने छेड़ा, किडनेपिंग की निन्दा की और कहा कि इसके खिलाफ जो भी सख्ती हो सकती है वह बरतनी चाहिए । अगर अपराधी किसी जाति का है तो जितने अपराधी है उनको पकड़ा जाए, जो कुछ भी किया जाए । लेकिन सिर्फ इसलिए पकड़ा जाए कि वह किसी खास जाति का है और इसलिए डिसएफेक्शन पनप रहा है, यह बात बिल्कुल निराधार है । ...(व्यवधान)

केन्द्र सरकार पता कर ले, अखबार इस तरह की घटनाओं से रंगे हुए हैं। यदि वहां की सरकार सामाजिक उत्तेजना पैदा करना चाहती है तो फिर कोई शांति स्थापित करने में सहायता नहीं कर सकता, अवश्य उत्तेजना फैलेगी। यदि सरकार अपनी जवाबदेही समझती है तो हर तबके को साथ लेकर चलना होगा । किसी विशेष समुदाय या महिलाओं पर अन्याय और जुल्म होगा तो इससे उत्तेजना फैलेगी । मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार जांच पड़ताल करके पूरी स्थिति से सदन को अवगत कराए । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए यह रिकार्ड में नही जा रहा हैं । आप दोनों बैठ जाइए । नीतीश जी ने मामला उठाया और शरद जी ने बहुत अच्छे ढंग से उस पर कह दिया, अब इसको लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठ जाइए ।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा ।

[हिन्दी]

श्री दारू दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति की महत्ता को ब्रिटिशकाल में भी समझा गया और 1896 में लार्ड हार्डिंग्स ने अपनी जेब से 500 रुपए दे कर दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में 30 एकड़ जमीन आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के लिबिया कालेज के लिए उपलब्ध कराई । तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष हकीम अजमल खां की देखरेख में इस कालेज का निर्माण किया गया और 13 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया ।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि जिस आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति पर आज हम इतना जोर दे रहे हैं, उसी पद्धति का यह कालेज उपेक्षा का शिकार हो रहा है । कालेज जरजर हालत में है, 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं । प्रिंसीपल के दो कमरे हैं, लेकिन वे भी लोगों ने किराए पर दे दिए हैं । सारी संपत्ति खुर्द-बुर्द की जा रही है । कालेज में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, रोज हड़तालें होती रहती हैं मेरा अनुरोध है कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति के इस महत्वपूर्ण कालेज का काम केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले और एक ट्रस्ट का निर्माण करके इस कालेज को चलाया जाए, ताकि आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति को महत्ता मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : आज बहुत लोगों को मौका मिलेगा, एक-एक करके बोलिए ।

श्री नंदी यल्लैया (सिद्दीपेट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के जिला मेदक में पुलकाल मंडल के कारकोल गांव के निवासियों ने बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म दिवस पर एक नाटक का मंचन करना चाहा, लेकिन वहां के उच्च वर्ग के लोगों ने हनुमान मंदिर के पास माइक लगाने से मना कर दिया । इस स्थिति मे उन लोगों ने विना माइक के नाटक किया । इसके पश्चात मंदिर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के आने पर बंदिश लगा दी तथा उनका पीने का पानी तक बंद कर दिया गया । और राशन की दुकान लेने से भी मना किया । वहां के निवासियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई लेकिन सब-इन्सपेक्टर ने केस को वापिस लेने के लिए दबाव डाला । जिलाधिकारी ने छूआछूत अपनाने वाले दोषी जनों पर अभियोग चलाने के बजाय हरिजनों के लिए अलग से एक राशन की दुकान खुलवा दी तथा बोर-वेल खुदवा दिया ।

12.56 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

इससे साबित होता है कि वहां के जिलाधिकारी वहां को हरिजनों को सुरक्षा देने के बजाए अलग से बोर-वेल खुदवा रहे हैं । इसी तरह से पेड्डीरेड्डी पेटा क्षेत्र में जब देवी-पूजा का धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा था तो सरपंच मालप्पा ने पड़ोसी गांव के ड्रम बजाने वालों को अनुबंधित कर लिया । जब अनुसूचित जाति के स्थानीय ड्रम वादकों ने यह पूछा कि इस कार्य के लिए उन्हें क्यों नहीं लगाया गया तो सरपंच श्री मालप्पा ने अपने गुंडा तत्वों की मदद से अनूसूचित जाति के स्थानीय लोगों को बुरी तरह पिटवाया और संबंधित प्राधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके, अपराध के मामलें दर्ज करवा दिए । मैं गृहमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल स्तर पर हर जिले में एक कमेटी कायम होनी चाहिए जिसमें एक एस.सी, एक एसटी

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

और एक महिला पूरे समय इन बातों की मॉनिटीरिंग करने के लिए होनी चाहिए तथा एक वकील भी होना चाहिए जो मामले को अदालत तक ले जा सके। आंध्र प्रदेश में बहुत सी घटनाएँ हरिजनों पर अत्याचारों की हुई हैं लेकिन किसी भी केस में कोई सजा नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि हरिजनों की महिलाओं पर बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए होम-डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐसी कमेटी कायम हो।

दूसरे जो पुलकल मंडल के अंतर्गत सुल्तानपुर क्षेत्र के विधायक एस.सी है, कलेक्टर एस.सी हैं, मंत्री जी भी एस.सी है लेकिन वहां पर किस तरह से अत्यचार हो रहे हैं, यह सब जानते हैं। मैं चाहता हूं कि इनको रोकने के लिए नेशनल लेवल पर एक कमेटी का गठन होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, माननीय अध्यक्ष जी श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य का नाम पुकारने के लिए सहमत हो गये हैं। तीन दिनों से वह उस मामले को उठाने का प्रयास कर रही हैं। यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है। माननीय अध्यक्ष जी उनका नाम बुलाने के लिए सहमत हो गये हैं। मुझे आशा है कि उनका नाम सूची में है। .....(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों के नाम मेरे पास हैं। मैं एक-एक करके नाम पुकारूंगा .....(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों के नाम मेरे सामने है, कृपया सभा का समय बचाने का प्रयास कीजिये। .....(**व्यवधान**)

***श्री वी. एस. विजयराघवन** (पालघाट) : मूल्यों संबंधी मंत्रि-मण्डलीय समिति के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 टन प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति देने संबंधी निर्णय ने देश के रबड़ उत्पादकों को विक्षुब्ध कर दिया है। इसका तत्काल परिणाम यह होगा कि स्वदेशी बाजार में रबड़ की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। इसका रबड़ उत्पादकों के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा और यह केरल जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। यह निर्णय, रबड़ बोर्ड एवं रबड़ निगरानी दल से परामर्श करके नहीं लिया गया है। अत: इस निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। सरकार ने 20,000 टन प्राकृतिक रबड़ का आयात करने का पहले ही निर्णय ले लिया है। इससे भी स्वदेशी रबड़ उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। रबड़ आयात को बढ़ाने का नहीं बल्कि उचित समय पर समाप्त कर देने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। नारियल हेतु समर्थन मूल्य की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इसकी घोषणा भी की जानी चाहिए। इसके लिए कम से कम 3500 रू का न्यूनतम मूल्य रखा जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम उसमें है, आप चिंता क्यों करते हैं ?

* मूलत: मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

1.00 म.प.

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा) : मैं इस विचार का पुरजोर समर्थन करता हूं कि 50,000 टन रबड़ का आयात करने का निर्णय बहुत ही गलत है और बड़े गलत समय पर लिया गया है। अब सरकार ने स्वयं कहा है और रबड़ बोर्ड ने भी कहा है कि कमी सिर्फ 10,000 टन रबड़ की है लेकिन सरकार ने कुछ ही महीने पहले 20,000 टन रबड़ आयात करने का निर्णय लिया है और नि:संदेह, अब किसानों को और अधिक चोट पहुंचाने के लिए जो होने जा रहा है वह यह है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर 50,000 टन रबड़ का आयात करने का निर्णय लिया है। इससे भारत के किसानों में असंतोष उत्पन्न होगा, इनमें से 90 प्रतिशत लोग लघु क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनके पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं और इस आयात से, जो भारत में रबड़ रोपण के लिए विनाशकारी होगा, इन लोगों में अत्यधिक असंतोष फैलेगा। महोदय, रबड़ वृक्षारोपण ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व में रबड़ है उत्पादन के क्षेत्र में हमारे देश का चौथा स्थान है और उत्पादकता के क्षेत्र में हम विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। यह इन निर्धन लघु श्रमिकों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है अब यह कोई बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि विदेशों में रबड़ की कीमतें बहुत अधिक हैं और कोई भी रबड़ का आयात नहीं कर सकता। बाहर कीमतें बहुत ऊंची हैं और माल यहां उतारने की लागत बहुत अधिक है, बड़े व्यपारी आयात करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे : लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को हतोत्साहित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि सरकार की ओर से यह अभ्यावेदन होना चाहिये कि इसे वापिस लिया जाता है। .....(**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) भारतवर्ष में प्राचीनतम 60,000 ईंट लघु उद्योग चल रहे हैं, जिसमें एक करोड़ ग्रामीण श्रमिक रोजगार पाते है। यह उद्योग देश की मूलभूत समस्याओं रोटी-कपड़ा-मकान में मकान की पूर्ति में सहायक है एवं भारी मात्रा में देश के निर्माण में ईंटों की भूमिका रहती है। ईंट उद्योग का यह सीजनकाल हैं, जो 15.6.95. तक ही रहता है।

विगत दो माह से रेल मंत्रालय द्वारा बी.आर.के. की कोयला ढुलाने हेतु रेल वैगनों की आपूर्ति बंद कर देने के कारण पूरे देश में ईंट उद्योग प्रभावित हो गया है और तमाम ईंट उद्योग कोयल के अभाव में बंद हो गये हैं। ईंट उद्योग को बिचौलिय/माफिया गिरोहों से अधिक मूल्य पर चन्दौसी, मुगलसराय से कोयला रोड द्वारा खरीदने पर विवश कर दिया गया है, जिसके कारण ईंटों के मूल्य में भारी वृद्धि हो रही है।

मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय से मांग करता हूं कि तुरंत वैगनों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के बी.आर.के. नान कोक सैक्टर एल.एस.एस

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

को प्रारंभ की जाये ताकि देश का विशेषकर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ग्रामीण ईंट लघु उद्योग की रक्षा हो सके । वर्तमान समय में देश में विशेषत: उत्तर प्रदेश में डीजल की भारी कमी के कारण सड़क द्वारा कोयला नहीं मिल पा रहा है । इसलिए तुरंत कार्यवाही की जाये और ईंट उद्योग को वैगन उपलब्ध कराया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : रासा सिंह रावत जी, कृपया इसे सुनिये, पढ़िए मत, पढ़ने की अनुमति केवल नियम 377 के अन्तर्गत दी जाती है। सिर्फ समस्या, उसका समाधान अथवा समस्या सुलझाने के सुझाव बताइये।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हं । अजमेर जिले में पुष्कर नामक एतिहासिक स्थान हैं । जिसका सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्व है । विदेशों से हजारों पर्यटक भी यहां आते हैं । भारत सरकार को लाखों रुपये की आमदनी होती है । लेकिन वहां के पवित्र सरोवर में पिछले कुछ समय से पहाड़ों की मिट्टी वर्षा के साथ बहकर पर्यावरण खराब होने से, आ-आकर जमा हो गई हैं। जिससे उसका प्राकृतिक स्रोत बंद हो गया है । देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां आते है और पुष्कर सरोवर के अंदर डुबकी लगाकर पवित्रता का अनुभव करते हैं । राष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्रीजी से लेकर तमाम मंत्री भी जब अजमेर आते है तो पुष्कर भी जाते हैं । यहां के पंडितों के संगठन ने भी कई बार ज्ञापन दिया है कि पुष्कर सरोवर से मिट्टी निकाली जाये और उसका प्राकृतिक स्रोत साफ किया जाये तथा चैक डैम बनाया जाये । भारत सरकार के पर्यटन विभाग और पर्यावरण विभाग को भी लिखा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । सरोवर का पानी सूख गया है । वहां जाने वाले लोगों को निराश हो रही है और पर्यटकों की संख्या में कमी हुई है । वहां के पंडितों और पुरोहितों के संगठनों ने बार-बार मांग की है और मैं भी भारत सरकार के पर्यावरण और पर्यटन विभाग से मांग करता हूं कि वे इस ओर विशेष रूप से प्रयत्न करे और राजस्थान सरकार को विश्व सहायता प्रदान करें ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध यह है कि इसे दोहराइये मत। अन्य मित्रों से सहयोग करने का प्रयास कीजिए । मेरे विचार से चार-पांच सदस्यों को अभी बोलना है पिछले एक सप्ताह से उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला क्योंकि बड़े लोग ही अधिकांश समय ले लेते हैं छोटे लोगों को समय ही नहीं मिलता ।

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में पिछली बैंच पर बैठे हुये लोगों को अवसर नहीं दिया जाता है । यहां पर जीरो ऑवर में कई लोग 6-6 बार बोल जाते है और पीछे बैठे हुये लोगों के साथ अन्याय हो रहा है । .....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राम प्रसाद जी का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (बिक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को ध्यान बिहार में बिजली संकट की ओर दिलाना चाहता हूं । सरकार की ओर से कोयलकारो बिजली परियोजना दो वर्षो से स्वीकृत है । यह साढ़े बारह हजार करोड़ रुपये की परियोजना है तो न आज तक भारत सरकार ने इसके लिया राशि के आबंटन नहीं किया है । बिहार ऐसे राज्य है जहां पर सम्पदा है लेकिन केन्द्र सरकार की दोहरी नीति द्वारा बिहार को लूटा जाता है । आज देश में 70 हजार मेगावाट बिजली पैदा होती है जिसमें 7 हजार केवल बिहार में पैदा होनी चाहिये थी लेकिन मात्र 4-500 मेगावाट बिजली पैदा होती है । पिछली सरकारों ने भी बिहार को लूटा है । बिहार गरीबी के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रान्त है । वहां पर बिजली के अभाव में उद्योग-धंधे चौपट हो रहे है । व्यवसायी अपने उद्योग बाहर खड़े करते जा रहे है । बेरोजगारी की समस्या बड़ रही है । मान्यवर, यदि बिहार को बिजली नहीं दी जायेगी तो बिहार बिलकुल ही पिछड़ जायेगा। उसका नक्शा भी इतिहास से गायब हो जायेगा । इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बिहार की कोयलकारो बिजली परियोजना, जो पिछले दो वर्षो से स्वीकृत है, को धन आबंटन किया जाए ताकि बिजली की गति बढ़े और वहां पर उद्योगों का विकास हो सके ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम प्रसाद जी, यदि आपका नाम सबसे अंत में पुकारा जाना होता तब आपको कितनी बैचेनी महसूस होती? कृपया अपने साथियों के लिए भी समय बचाइए ।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल (गौड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में समय पब्लिक अंडरटेकिम्स में पैसे के कारण सारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स बंद हो रहे है और दूसरी तरफ माडर्निइजेशन के नाम पर SAIL ने बोकारों, राऊरकेला, दुर्गापुर और भिलाई में 4600 करोड़ रुपया लगाना है तथा इस काम के लिये फेज-1 में 1700 करोड़ रुपया लगाना है लेकिन उस पैसे को सिर्फ कागज पर खर्च करके बर्बाद किया जा रहा है। HEC बंद होने के कगार पर है । इसी HEC ने ही बोकारो को बनाया है और आज वह बंद हो रहा है । HEC बोकारो को अब काम नहीं देता है । बोकारो में ही HSL है जिससे काम करने के लिये उस कम्पनी को बनाया गया था । इसमें 8 हजार मजदूर काम करते हैं जो ट्राईबल्स हैं, लोकल आदमी और डिस्पलेस्ड लोग है, उनसे काम नहीं लेते है । SAIL बोकारो स्टील प्लांट से मिलकर 32 करोड़ रूपये का ठेका देता हैं और उसका काम 50 करोड़ में होता

हैं । तब वे रिवाईज्ड एस्टीमेट्स बनाते हैं । इस तरह से दो कम्पनियां है -बाल किशन एंड कम्पनी को बिना टैंडर निकाले 32 करोड़ रुपये का ठेका दिया और गोयल कम्पनी, दिल्ली को बिना टैंडर निकाले 35 करोड़ रुपये का काम दिया है । उन लोगों के मजदूरों की मजदूरी SAIL निर्धारित करता है लेकिन ठेकेदारों की प्रतिदिन मजदूरी 180 रुपये रखी है । उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदारों से काम नहीं होता है । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि SAIL का चेयरमैन तीन महीने में रियाटर होने वाला है । इसलिये सारा 1700 करोड़ रुपये का टैंडर वह अपने रिजिम में कर देना चाहता हैं । उस चेयरमैन का नाम Fairgrowth में भी था, उस आदमी को SAIL का चेयरमैन बनाया गया और माडर्नाइजेशन के नाम पर प्राइवेट ठेकेदारों में बांटकर*

उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि जहां चार करोड़ रुपए की लागत से एक होटल बन जाता है, वहां चार करोड़ रुपए रिपेयरिंग और मोडर्नाइजेशन के काम में लगाये हैं । मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और मांग करता हूं कि एक संसदीय समिति बनाकर इसकी जांच करे और पब्लिक अंडरटेकिंग्ज का पैसा लुटने से बचाने का काम करें।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अध्यक्ष के विरुद्ध कटु टिप्पणियां कर रहे है । उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां सब कुछ हैं । यदि कोई आपत्तिजनक बात है तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल : क्या बोल रहे हैं मंत्री जी ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि यदि नियमों तथा प्रक्रिया के विरूद्ध कुछ है तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप बिना नोटिस दिये हुए या बिना बताए हुए किसी पर इस प्रकार आरोप नहीं लगा सकतें ।

श्री सूरज मंडल : मैंने कहा है कि वह जांच का विषय हैं । मैं संसदीय समिति बनाने की मांग करता हूं ।.....(व्यवधान) इसलिए समिति बनाकर इसकी जांच की जाए । मैं प्रमाण दे सकता हूं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप प्रमाण दीजिए । तब तक ये गलत बात मानी जाएगी ।

अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

[अनुवाद]

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : महोदय, कृपया मुझे एक निवेदन करने की अनुमति दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आपके नाम मेरे पास हैं। मैं एक-एक करके बुलाऊँगा । आपके धैर्य क्यों नहीं। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं कि इस तरह के हस्तक्षेप से अधिक समय बरबाद होता है ।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक को अवसर मिलना चाहिए बशर्ते कि आप सब मुझे सहयोग दें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। मैं नियमें से परे कैसे जा सकता हूं । आप मुझसे ये उम्मीद न करें।

[हिन्दी]

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालसौर) : जीरो आवर तो खत्म हो गया है। यह सब कितनी देर चलेगा ।

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य : कृपया हमें भी अपनी बात कहने की अनुमति दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह आप सब को बता दिया है कि आज सभी को बोलने का अवसर दिया जाएगा । अब मैं श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह को बुलाता हूं ।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में अनाज का उत्पादन भण्डारण क्षमता से अधिक हो रहा है । हम अपने यहां रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे और भूमि की शक्ति को इतनी ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि जमीन को निचोड़कर उससे तीन सौ प्रतिशत तक अधिक उत्पादन हम कर रहे हैं । लेकिन सन् 2000 के बाद आपको यह देखने को मिलेगा कि हमारी जमीन एकदम मरुभूमि हो जाएगी । महाराष्ट्र में कुछ जगहें ऐसी हैं, जैसे सांगली और सतारा में आज भी रासायनिक खाद का प्रयोग करने के बाद वहां घास भी जल जाती है । घास उगती ही नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को यह जानकारी है कि चौधरी चरण सिंह कृषि महाविद्यालय में एक खाद का आविष्कार किया गया है जो जीवाणु

खाद कहलाती है । उसकी खूबी यह है कि 25 रूपये की जीवाणु खाद प्रति एकड़ गेंहू की उपज में 150 किलो तक उत्पादन बढ़ाती है । हम चाहते हैं कि उस खाद का सरकार इस्तेमाल करे और आने वाले दिनों में जमीन की उर्वरा शक्ति जो खत्म होने जा रही है, उसको बचाए । यहि कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कपड़ा मंत्री द्वारा एक छोटा सा अनुरोध किया गया है। वे एक वक्तव्य देना चाहते हैं । उसके बाद हम इस विषय को जारी रख सकते हैं । क्या सभा मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम सब इससे सहमते है । यह एक अच्छा वक्तव्य है ।

1.14 म.प.

मंत्री द्वारा व्यक्तव्य

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड समूह के आधुनिकीकरण हेतु पैकेज

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने एन.टी.सी ग्रुप की मिलों के आधुनिकीकरण पैकेज को अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी है। यह पैकेज सामान्यत श्रम मंत्रालय की एन.टी.सी. से सम्बन्धित विशेष विपक्षीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप है वित्तीय संस्थानों के परामर्श से वस्तु अनुसंधान संघों टेक्सटाइल रिसर्च ऐसोसिएशन तैयार किये गए पैकेज को बी.आई.एफ.आर. के समक्ष उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत करना होगा । पैकेज का ब्यौरा सदन के सभा पटल पर शीघ्र ही रखा जाएगा।

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमारी मांग है कि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाए । हम जानना चाहते हैं कि इस संबंध में विधेयक संसद में कब पुन:स्थापित किया जाएगा । क्या यह इसी सत्र में लाया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप वक्तव्य पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे इसका विस्तृत जानकारी सभा पटल पर रखेगें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते । नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं । श्री सुदर्शन राय चौधरी जो अब कभी भी कोई माननीय मंत्रीगण वक्तव्य देते हैं तो कोई उस पर स्पष्टीकरण नहीं माँगा जाता और कोई अनुपूवक प्रश्न नहीं पूछा जाता । यह नियम आपने ही बनाया हैं ।

(व्यवधान)

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय जब इसे संसद में घोषित किया जा चुका है तो एक लघु चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि कई मुद्दे हैं जिन्हे संसद के सामने रखा जाना चाहिए और आश्वासन दिए जाने चाहिएं ।

श्री बसुदेव आचार्य : बहुत अच्छा । कृपया आप चर्चा की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियमें में संशोधन करने की बात कर रहे हैं । यह बहुत अच्छी बात है नियमों में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री तरित वरण तोपदार : महोदय, इस कार्यवाही के दौरान यह पाया गया है कि केवल यदि मूलभूत मुद्दे हैं जिनके आधार पर आधुनिकीकरण हो सकता है । अनेक मुद्दों को संशोधित किया गया है । इस पैकेज की समाप्ति के बाद डेढ़ वर्ष का समय बीत गया है .....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है । श्री जार्ज फर्नान्डीज।

मेरा आपसे अनुरोध है कि समय बचाने की कोशिश कीजिए । और भी सदस्य हैं जिन्हें अवसर नहीं मिलता । कृपया उन्हें भी अवसर दीजिए ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, में लक्षद्वीप से जुड़े एक मामले को उठाना चाहता हूं । आप जानते हैं कि उस द्वीप में रहने वाले तमाम लोग अनुसूचित जनजाति के माने जाते हैं। अभी जब वहां चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं का नाम दर्ज करने की बात शुरू हुई तो वहां के चीफ इलेक्ट्राल आफिसर की तरफ से जो आदेश गया उसमें यह कहा-

[अनुवाद]

"चुनाव कानून के अन्तर्गत वह प्रत्येक व्यक्ति, जो अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं है और वह सामान्य रूप से किसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है, उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवाने का पात्र है ।"

[हिन्दी]

आगे इसी में उन्होंने कहा कि आर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब है।

[अनुवाद]

"कर्तव्य-निर्वाह या रोजगार के कारण अथवा स्वेच्छा से भी किसी व्यक्ति की अस्थाई अनुपस्थिति को सामान्य निकास की अवधारणा में बाधा के रूप नहीं लिया जाना चाहिए । कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहने मात्र से ही कोई व्यक्ति सामान्य निवास की अर्हता से वंचित नहीं हो जाएगा, यदि वह वापस लौटाने की क्षमता रखता हो और उसका उसी स्थान पर वापस लौटने का इरादा हो ।"

[हिन्दी]

आप जानते हैं कि लक्षद्वीप में कोई उद्योग या रोजगार की बात लगभग नहीं के बराबर है । वहां पर मछली पकड़ने का काम या सब्जी उगाने का काम किया जा सकता हैं, इससे बढ़कर कोई रोजगार नहीं है । चूंकि वह संघ शासित प्रदेश है, वहां के लोग केरल के समुद्र के किनारे पर आकर कुछ न कुछ रोजगार करते हैं और देश के अन्य इलाकों में भी रोजगार के लिए जाते है मगर सबसे ज्यादा वे जहाजों में काम करते हैं । वे सी-फेरर्स का काम करते हैं । वहां अजीब घटना घटी है कि कवरट्टी निर्वाचन कार्यालय ने 3 अक्टूबर, 1994 को यह आदेश निकाला कि -

[अनुवाद]

"निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्य करने वाले व्यक्तियों का नाम गणना कार्ड से काट देने चाहिए क्योंकि उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से रहना छोड़ दिया है ।"

[हिन्दी]

इसके आधार पर 1800 लोगों के नाम अभी तक हटा दिये गये तथा और भी नाम हटने की संभावना है । इसके दो नतीजे हैं । उस प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 20 हजार है और 20 हजार में से अभी तक 2 हजार का नाम हट गये तो 10 प्रतिशत मतदाता हो गए । यानी कमाने वाला हर घर का व्यक्ति या हर दो-तीन घर का एक आदमी मतदाता सूची से हटा दिया गया, और भी लोग हटाये जायेंगे ।

बात बहुत साफ है मगर इसके दो नतीजे सामने आयेगें । पहले तो उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है । चूंकि वहां के लोग अपना रोजगार कमाने के लिये, अपने परिवार की देखभाल करने के लिये, कुछ समय के लिये बाहर जाकर काम करते हैं, इसलिये उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है । इससे भी भंयकर चीज जो वहां होनी है वह शेड्यूल्ड ट्राइब्स से संबंधित कानून को लेकर है । कांस्टीट्यूशन शैड्यूल्ड ट्राब्स आर्डर, 1951 के मुताबिक शैड्यूल्ड ट्राइब्स उसी को माना जाता है जो ऑर्डिनरीली उस द्वीप का रैजिडैंट हो परन्तु जब चुनाव आयोग या वहां के स्थानीय चुनाव अधिकारी ऐसा निर्णय ले रहा है कि जो लोग रोजगार कमाने के लिये बाहर गये हैं, उन्हें वहां का ऑर्डिनरी रैजिडैंट नहीं माना जायेगा, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिये जायेंगे तो उसका नतीजा यह सामने आयेगा कि वहां के लोग शैड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी से वंचित कर दिये जायेंगे । एक तरफ तो वहां रोजगार के साधन न होने के कारण, दूसरी जगह रोजगार कमाने के लिये जाने के कारण, उनके नाम वोटर्स लिस्ट से हटाये जायेंगे, दूसरी तरफ जो कानून उन्हें शैड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा प्रदान करता हैं, उस कानून से बाहर निकालने का काम आपके हाथों से हो रहा हैं । ऐसी भयंकर परिस्थिति वहां पैदा हो रही है। आपको मालूम होना चाहिये कि उस समूचे द्वीप पर अकलियत के लोग रहते हैं और उनके सामने जो खतरनाक परिस्थिति आज उत्पन्न हो गयी है, वहां पहले ही एक आन्दोलन पिछले कुछ सालों से उभरता रहा है कि हमें अलग होना चाहिये, हम हिन्दुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वह हल्का सा आन्दोलन एक जमाने से वहां चलता आया है, सरकार को उसके बारे में मालूम है, मैंने स्वयं गृह मंत्री जी को इस बारे में एक बार नहीं कई बार अवगत कराया है और आज सरकार की तरफ से या वहां के जिन अधिकारियों की तरफ से ऐसा मामला हो रहा है, इसे तत्काल रोका जाना चाहिये । मैं चाहूंगा कि सरकार इस विषय पर अविलम्ब जो आदेश वहां के अधिकारियों को देना है, उसे देने का काम करे ताकि चुनाव आयोग भी इस मामले में सही निर्णय ले सके और वहां के लोगो को उनके अधिकार से वंचित न किया जाये।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष जी, तत्कालीन कांग्रेस सरकार और वर्तमान कांग्रेस सरकार बोफोर्स के मुद्दे पर शंका के घेरे में है । अब यह देशहित में जरूरी हो गया है कि बोफोर्स के मायाजाल से देश को मुक्ति दिलाई जाये । भारत सरकार को बोफोर्स दलाली के कागजात न सौंपे जाने के संबंध में हिन्दुजा भाईयों द्वारा स्विस अदालत में पैरवी की गयी है । मैं चाहता है कि केन्द्रीय सरकार को इस मामले मैं जानकारी हासिल करनी चाहिये कि उनके द्वारा क्यों ऐसा किया गया और ऐसा करने के पीछे उन लोगों का क्या हित इन्वौल्व है । या तो निजी हित में उन्होंने ऐसा काम किया है अथवा वे किसी अन्य व्यक्ति के हितों की रक्षा करने में लगे हुये हैं । इस देश की गरीब जनता की करोड़ें रूपये की गाढ़ी कमाई कुछ मुट्ठी भर लोग खा जाते हैं, हम लोगों को उसकी जानकारी तक नहीं मिलती और हम लोग यहां सदन में मूकदर्शक बनकर बैठे रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हैं कि आज के दिन हिन्दुजा परिवार का जितना व्यापारिक विस्तार हुआ है, वह परिवार जो भी काम करता है, अभी हमारे मंत्री जी विगत जनवरी में हिन्दुजा भाईयों की एक नई कार फैक्टरी का उद्घाटन करने गये और यहां कहा जा रहा है कि हमारे पास जानकारी नहीं है, मैं चाहता हूं कि सरकार उस घराने के व्यापारिक विस्तार पर प्रतिबधं लगाये । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी मांग करता हूं कि बोफोर्स से संबंधित कागजात सदन के पटल पर रखे जायेंगे, जिस जानकारी को प्राप्त करने के हम लोग हकदार हैं । देश में करोड़ो रूपये का घपला हुआ हो लेकिन हमें उसकी कोई जानकारी न मिले, यह अजीब स्थिति है । मैं चाहता हूं कि सरकार तत्काल इस मामलें पर सदन में वक्तव्य दे।

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की ओर सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां अत्यन्त पिछड़ापन है और जहां अपनी समस्याओं से जुझने के लिये नौजवानों को देश के दूसरे हिस्सों में पलायन करना पड़ता है । मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, बलिया जनपद में, 1988 से बिन्थरा रोड़ धर्मल पावर प्रोजैक्ट केन्द्र सरकार की ओर से बनाया जाना प्रस्तावित था। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार पर डाला और राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार पर । अनेक बार मैंने पत्र लिखा कि इस थर्मल पावर परियोजना के उस इलाके के विकास का काम आगे बढ़ेगा । इसलिए उसे पूरा किया जाए, लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में यह मामला लटका हुआ है । मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सन् 1988 से प्रस्तावित थर्मल पावर परियोजना को पुन: चालू करने का काम करें। धन्यवाद ।

डा. रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : उपाध्यक्ष जी, देश के और खास कर उत्तर प्रदेश के बुनकर आज भुखमरी के कगार पर है। पिछले एक वर्ष में सूत, रंग, केमीकल और विद्युत के दामों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है जिससे कपड़े पर महंगाई आई है और कपड़े की बिक्री कम हुई है । इसलिए बुनकर अपना कपड़े का व्यवसाय छोड़ कर अन्य व्यवसाय की तलाश में विवश हो गए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनकरों के सभी कर्जे माफ करने की घोषणा की थी । उस समय प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे, लेकिन उनके वे कर्जे अभी तक माफ नहीं हुए हैं और बुनकरों के कर्जे माफ करने के नाम पर भारत सरकार से 2400 करोड़ रुपए तब की सरकार ने प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उनके कर्जे माफ नहीं हुए । 1989 से 1995 तक बुनकरों के कर्जे दुगुने से ज्यादा हो गए है और कर्जे वसूली के नाम पर बुनकरों का उत्पीड़न किया जा रहा है । ...(**व्यवधान**) उनको जेल भेजा जा रहा है । तहसील के अमीन और बैंक के कर्मचारी को देख कर बुनकर लोग अपना घर छोड़ कर, व्यवसाय छोड़कर शहरों में छिप रहे हैं और हथकरघा योजना जो बुनकरों के हित के लिए बनी थी, उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है । अत: मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बुनकरों के समस्त कर्जे, और सरकारी कर्जे और अन्य योजनाओं मे लिए हुए कर्जे माफ किए जाएं और उनको ऋण-मुक्त सर्टीफिकेट प्रदान किया जाए ।... (**व्यवधान**)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि गन्ना किसानों की बात आपने मुझे उठाने के लिए समय दिया । मान्यवर गत सप्ताह मैंने इस मसले को उठाया था । आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत यह है कि 30 लाख परिवार हैं और अरबों रुपए किसानें के मिलों पर बकाया हैं। गत सप्ताह मैंने भारत सरकार से कहा कि 4 मिलें है जिन पर 10 करोड़ रुपए बकाया होने के अनुमानित आंकड़े मैंने बताए थे, किन्तु जानकारी प्राप्त करने पर यह मालूम हुआ कि 15 करोड़ रुपए भारत सरकार की कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड पर बकाया हैं । निगम की 30 फैक्ट्रियों को बेचने का फैसला हो गया है । हर फैक्ट्री पर करोड़ों रुपए बाकी हैं । इस प्रकार से अरबों रुपया किसानों का मिलों पर बाकी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि वहां की कैश-क्राप केवल गन्ना है । आज हालत यह है कि शादी-विवाह में लोग पर्चियां भेज रहे हैं क्योंकि उनको कोई गिरवी नहीं रख रहा है। ....(**व्यवधान**).

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई साधारण मसला नहीं हैं। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से और अपने मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों की जो दयनीय दशा है उस पर गौर किया जाए । हमें याद है कि इंदिरा गांधी जी के समय मैं भी एक अरब रुपया मिलों पर किसानों के गन्ने का बाकी था । खुद मैंने स्वयं उस समय इसके भुगतान की आवाज उठाई थी । मैं उस समय सांसद था । उस समय इंदिरा जी ने 60 करोड़ रुपया भारत सरकार से दिलवाया और 30 करोड़ रुपया केन सैस का राज्य सरकार से दिलाया और किसानों का मिलों पर गन्ने के बकाया का भुगतान करवाया । इस प्रकार से एक अरब रुपया मिला । आज किसान में यह भ्रम है कि सरकारी मिलें बिक गई है और निगम की मिले बिकने जा रही है और कानपुर शुगर वकर्स की मिल बिक गई । उसका 15 करोड़ रुपया बकाया है । लोगों को अंदेशा है कि उनका रुपया मिलेगा या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय, गत सप्ताह मैंने इस विषय को उठाया था और सरकार से कहा था कि सरकार एक स्टेटमेंट दे । उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी सरकार को कहा था कि सरकार स्टेटमेंट दे, लेकिन सरकार की ओर से वह स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है ।

मान्यवर, इतना ही नही आज मिलें चल रही है, लेकिन गन्ना खेतों में सूख रहा है । गन्ना किसानों को भ्रम है कि उनका गन्ना बिकेगा या नही । किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना गन्ना मिल को दे देता है और खुद भूखों मरता हैं । पर्ची लेकर उसको गिरवी रखने जाता है ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पहले भी भारत सरकार ने इस पर बयान देने के लिए कहा था । अत: आप सरकार से यह बयान दिलवायें कि गन्ने का दाम कब तक मिलेगा ।

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छोटा सा ही बोलूंगा । दुधवा नेशनल पार्क आग से ध्वस्त हो रहा है जिससे कि कई जानवर जैसे चीते, हिरन, नील गांय, अजगर, सर्प,

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चूहे आदि जीव जन्तु जल कर मर रहे हैं । फरवरी से लेकर अब तक उस क्षेत्र में कई बार आग लग चुकी है । पहले ऐसा होता था कि वहां के क्षेत्रवासियों को घास-फूस, शिखोझ लकड़ी फ्री में मिल जाती थी जिस कारण वह आग बुझा देते थे लेकिन अब उनको वह सब सहूलियतें देना बंद कर दी हैं इसलिये अब वे आग नही बुझाते हैं । उसके साथ-साथ वनों का जो कर्मचारियों द्वारा अवैध कटान होता हैं । उस जंगल की जड़ो को छुपाने के लिए वहां के अफसर व अधिकारी जंगल में आग लगा देते हैं जिससे कि वह आग पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं । इस आग से कई जानवर जैसे बाघ, चीते, हिरन आदि जलकर स्वाह हो गये हैं । फरवरी से यह आग दुधवा, देवड़, गोरीफलता आदि इलाकों ने फैलती जा रही हैं । वनों की सुरक्षा हेतु सरकार तत्काल कदम उठाए ।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजबाद) : उपाध्यक्ष महोदय मेरा एक निवेदन हैं । मैंने आपको जो नोटिस दिया है, उससे हटाकर मैं दूसरे प्रश्न पर बात करना चाहता हूं । अगर आपकी अनुमति हो तो मै उस पर बोलूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पुल के निर्माण की बात करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : बात तो वही हैं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीधे अपनी बात पर आइए । अन्यथा आप अवसर खो देंगे ।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : उपाध्यक्ष महोदय ठीक है, मैं उस विषय पर बोलता हूं । मैं अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद के एक विधानसभा क्षेत्र बाह की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि आगरा जनपद में आता है । चम्बल नदी पर पेनहाट से सेतघाट तक एक पुल के निर्माण हेतु सन् 1987 में स्वर्गीय राजीव गांधी, जब वह प्रधानमंत्री थे, के कर कमलों द्वारा शिलान्यास किया गया था । वह पुल अभी तक पूरा नहीं हुआ है । चम्बल नदी जब विकराल रूप ले लेती है तो अपने साथ कई नौकाओं को डूबा ले जाती है जिससे कि जान-माल की काफी हानि होती है । उसके ऊपर मध्य प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, उसे पूरा कराने में पहल कर सकती है । उत्तर प्रदेश सरकार भी, जहां कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलती है, उसे पूरा कराने में पहल कर सकती हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र बहुल्य क्षेत्र है । वहां इस पुल के बनने से मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, दोनों की सीमायें जुड़ सकती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी सीमाओं को जोड़ने के लिए इस पुल की क्या जरूरत हैं ?

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : मैं भारत सरकार से मांग करता हं कि वह इस पुल का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करवाये ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रेल विभाग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । रेल विभाग के अन्तर्गत हजारों गाड़िया चलती है लेकिन रेल विभाग द्वारा ए.सी.टू. टायर के यात्रियों के साथ बहुत शोषण हो रहा है । जो भी यात्री ए.सी.टू.टायर में अपना आरक्षण करवाता है तो उसे रिजर्वेशन के समय बिस्तर के लिए 20 रूपये अधिक जमा करवाने पड़ते हैं जबकि रेलगाड़ी के एक कम्पार्टमेंट के अंदर 38 सीटे होती है और हरेक कम्पार्टमेंट के अंदर 25 से ज्यादा बिस्तर नहीं होते हैं । इस तरह से उनसे पैसा जमा किया जाता है लेकिन उस पैसे के बदले उनको बिस्तर नहीं मिलता हैं । इसकी शिकायत कई बार हमारे द्वारा रेल विभाग को भी की गयी हैं । इसलिये मेरी आपसे मांग है कि बिस्तर की क्वालिटी भी इतनी गिरा दी गयी है कि कभी-कभी बच्चों के सिर के नीचे रखने के लिए छोटा सा तकिया दिया जाता है । यह मितव्ययतिता भी की गयी तो केवल पीलों पर की गयी । वह पीलो भी इतनी सड़ी हुई होती है कि उसको देखा तक नही जाता।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि अगर रिजर्वेशन में 20 रूपये जमा किये जाते है तो उनको बिस्तर भी देने की व्यवस्था की जाये अन्यथा इस व्यवस्था को समाप्त किया जाये । अगर उनके पास कम बिस्तर है तो यात्रियों से पैसे जमा न किये जाये तथा बिस्तरों का जो स्तर है, उसमें भी सुधार किया जाये ।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, केन्द्र सरकार ने त्रिपुरा राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से राज्य में अनवेषण कार्यो को कम करके राज्य सरकार के विरुद्ध साजिश की है । प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और यदि इनका समुचित ढंग से उपयोग किया जाये तो केवल त्रिपुरा ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को आर्थिक और औद्योगिक रूप से विकसित किया जा सकता है ।

त्रिपुरा में 21 बिलियन घनमीटर गैस का भण्डार उपलब्ध है और राज्य में तेल मिलने की बहुत अधिक संभावना है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने, जिसने 1972 में खोज कार्य आरंभ किया था उसने अभी तक 75 कुंए खोदे हैं और 38 कुओं से गैस प्राप्त हुई है जो कि देश के अन्य भागों से अधिक सफल है इसके बावजूद तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अन्वेषण कार्यो को बंद करने के उद्देश्य से अपनी गतिविधियां कम कर दी हैं ।

मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से त्रिपुरा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की गतिविधियां बहाल करने का आग्रह करता हूं ताकि प्राकृति संसाधन, गैस, जो कि राज्य में काफी मात्रा में है,

का समुचित ढंग से उपयोग हो सके और उसका राज्य के औद्योगीकरण के लिए उपयोग हो सके ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं सासंदो के अधिकार के सिलसिले में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं । आप जानते हैं कि संसद के अन्दर और बाहर सब लोग हिंसा और माफिया को लेकर बहुत चिन्तित हैं हमारे लायक दोस्त श्री बूटा सिंह जी बैठे है । गृह मंत्रालय की ओर से गृह सचिव श्री वोहरा को कहा गया था कि आप राजनीतिज्ञो, इंडस्ट्रियलिस्टस, ब्यूरोक्रैटस और माफिया के नैक्सस के बारे में पता करके रिपोर्ट दें । वह रिपोर्ट पूर्व कैबिनेट सैक्रेटरी को कई महीने पहले दी हुई है । मैं हैरान हूं कि अभी तक सांसदो को यह रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई हैं? क्या वह रिपोर्ट देश की रक्षा की दृष्टि से सांसदों को नहीं दी जा रही है ? मैं यह मांग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश का सबसे वाइटल ईशू गुंडागर्दी है । पौलीटिशियन्स, बिजनसमैन के बीच में जो नैकसस है, उसकी रिपोर्ट हमें अब तक क्यों नहीं दी गई हैं । अभी सारे मंत्री बैठे हैं, मै चाहूंगा कि कम से कम सांसदों को वह रिपोर्ट, जिसमें सब चीजों का भंडाफोड़ किया गया है, मिलनी चाहिए । इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप सरकार से कहें कि सारे पार्लियामेंट के मैम्बर्स को वह रिपोर्ट मिल जाए ताकि पार्लियमेंट के लोग समझे कि किस तरह से नैक्सस पैदा हुआ है । .....(व्यवधान)

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125 वीं जयन्ती के समारोह मना रहे हैं। प्रधान मंत्री ने इस पूरी सदी को इनके नाम सुपुर्द कर दिया है कि सन् 2000 ईस्वी तक का समय हम महात्मा गांधी के शताब्दी के रूप में मनाऐंगे । उन्होंने यह भी एलान किया है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण की भी शतवार्षिकी हम मनाऐंगे ।

ऐसे समय में महात्मा गांधी के विचारों को सर्वसुलभ बनाने में संलग्न संस्था गांधी विचार संस्थान, राजघाट, वारणसी जैसे संस्थानों की अहम् भूमिका हो जाती है । यह संस्थान आज से 35 वर्ष पूर्व लोक नायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही स्थापित किया गया था। इससे न केवल उनके मन केअरमानों को ही उन्होंने पूरा किया, बल्कि पूरे दुनिया के लोगों से, पाश्चात्य देशों के जो गांधीवादी चिन्तक प्रो. ई.एप. श्यूमाचेर, रैल्फ बोरसोदी, केनेथ बाउलिंडग इत्यादि लोगों से विचार-विमर्श करके उन्होंने इस संस्था की स्थापना की । इसके चेयरमैन के रूप में शंकर राव डे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण इत्यादि लोग वहां रह चुके है । गांधीवादी विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए 'गांधियन पर्सपैक्टिव्स' और 'गांधी विचार' नामक पत्रिकाएं भी वहां से निकाली जाती है ।

हम गांधी जी की 125वीं जयन्ती तो मना रहे हैं लेकिन गांधी जी के विचारों को और गांधी जी की छवि को हम कितना धूमिल बना रहे हैं, यह स्टार टी.वी की हरकत से पता चलता हैं, जिसके ऊपर आज सारी दुनिया क्षोभ मना रही है । ऐसे समय में मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संस्थान को, 'गांधियन ईसटीट्यूट आफ स्टडीज' को यहां पर उसकी मुदद करके राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान का दर्जा दे।

डा. एस.पी. यादव (सम्भल) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसी गम्भीर समस्या की और सदन का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस पर आज भी इस सदन के बाहर जन्तर मन्तर पर छात्र आन्दोलित है और प्रदर्शन कर रहे हैं ।

दिल्ली में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों में आज बहुत बड़ी उत्तेजना है,, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की जमीन पर दिल्ली के भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं । उस कब्जें को हटाने के लिए छात्र आन्दोलित है। छात्रों ने उस भूमाफियाओं को रोकने का पूरा प्रयास किया तो उस क्षेत्र का जो एस.एच.ओ है, उसने उन भूमफियाओं से मिलकर छात्रों को मारने का काम किया और छात्रों पर असत्य प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई जिनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं थे, उनसे अलग छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । उन छात्रों की परिक्षाएं ड्यू थीं, उनको उस आधार पर जमानत मिली। इसके बाद उन छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा, सब लोगों ने कुलपति जी से कहा, यहां सरकार से, गृह राज्य मंत्री श्री पी.एम. सईद से आग्रह किया, छात्रों का डैपुटेशन मिला, लेकिन सरकार के कान पर कोई जूं नही रेंगी । आज भी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कमाल अख्तर की अध्यक्षता में जन्तर मन्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है । उन छात्रों के लिए कोई प्रोटैक्शन नहीं है । अब जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही है लेकिन छात्र शान्तिपूर्वक अपनी परीक्षाएं दे पा रहे हैं ।

केन्द्र सरकार के अन्दर वह विश्वविद्यालय आकारता है । ये सरकार से मांग करता हूं कि इन छात्रों के लिए उंचित व्यवस्था की जाए और जामिया मिलिया के छात्रों को जिस एस.एच.ओ ने जबरदस्ती पकड़कर बन्द किया है, उसका वहां से तुरन्त ट्रांसफर किया जाए ।

हमारी मांग है कि उस एस.एच.ओ का ट्रांसफर किया जाए ताकि छात्रों की परीक्षाऐं शान्तिपूर्वक हो सके ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर में केन्द्रीय एवं फुटविअर कारपोरेशन के नाम से टैफको भारत सरकार का बहुत बड़ा कारखाना है । उस कारखाने में बना हुआ माल जूता

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आदि डिफेंस में और विदेश में सप्लाई किया जाता है । कारखाने में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, वे सब अनुसूचित जाति के हैं । भारत सरकार उस कारखाने को बंद करने जा रही है । इससे स्थिति और खराब होगी । कानपुर की कई सूती मिलें भारत सरकार ने बंद कर दी हैं । हजारो कर्मचारी भुखमरी की स्थिति में खड़े हैं। टैपकों कारखाना बंद करके भारत सरकार कानपुर के लिये समस्या बना रही है हमारा भारत सरकार से हमारा अनुरोध है कि वह अधिक से अधिक ध्यान देकर टैफ्को कारखाना कानपुर में चलाने की कृपा करें।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, गत 4 तारीख को मैं दरभंगा जिले के विरोल मंडल के विरोल थाना में माथौर और पुखराम गांव में गया। वहां ऐसी घटना घटी जो जिले के इतिहास में और खास करके मेरे जीवन काल में नहीं घटी थी । डेढ़ सौ से अधिक खेत मजदूर और भूमिहीन किसान जो सब के सब हरिजन है और बिहार में मुसहर जाति के नाम से जाने जाते हैं, सबसे अधिक श्रमजीवी तबका उसी जाति में हैं, जिस में वर्ग विभाजन नहीं हुआ, धनी तबका पैदा ही नहीं हुआ, उनके ऊपर 24 और 25 तारीख को अचानक पोखरे को लेकर हमला किया गया । चूंकि वे जग चुके हैं, इसलिये उनके पीछे हमलावरों को भगाया । उस समय कीर्तन हो रहा था। कीर्तन, पूजा का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है । वहां से माइक का इस्तेमाल कर और कसम दिला कर उन पर हमला किया गया । डेढ़ सौ से भी अधिक परिवारों के घरों को जला दिया गया । बहुत सा सामान और 100 से ऊपर गाय बकरियां लूट ली गई । इस घटना में 20 लोग घायल हो गये ॥ मैंने औरतों और मर्दों को फ्रक्चैर में देखा । इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई । ऐसा जघन्य कांड इतने सामूहिक पैमाने पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेरे जीवन काल में दरभंगा जिले में नहीं हुआ । मुझे इस बात की खुशी है कि इस घटना के तुरन्त बाद यानी कि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी वहां गये । वहां कुछ राहत का काम हुआ । मैंने इस मामले की छानबीन भी की । यह हरिजनों का मामला है । वहां कोई राजनीतिक सभा नहीं हो सकती है । जिले के अगल-बगल आतंक है । पुखराम गांव के थोडे लोग कम्युनिस्ट पार्टी के हैं । उनका जीवन खतरे में है और उनसे कहा जा रहा है कि तुमने क्यों उन हरिजनों का साथ दिया .....(व्यवधान) मुख्यमंत्री दूसरे दिन वहां गये ये और राहत काम शुरू करवाया । इस घटना के लिये अनुमंडलाधिकारी को दंडित किया जाना चाहिये । उसे 2 बार खबर दी गई लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं की । साढ़े तीन घंटे तक गांव को जलाया गया, फूंका गया । ढ़ाई किलोमीटर की दूरी पर गांव था । राज्य सरकार वहां कुछ राहत कार्य चला रही है । भारत सरकार का कल्याण विभाग इसमें उनकी मदद करें और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय इस बात को देखे कि संगठित रूप में इतना बड़ा अत्याचार कैसे हो गया ? हम सभी जाति के लोगों को साथ लेकर स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं । अगर इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं हुई तो स्थिति दूसरा रूप धारण कर सकती हैं । इतना ही कह कर भारत सरकार से अपनी जिम्मेदारी निभाने का अग्रह करता हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य । चार और लोगों को अपने विचार प्रकट करने हैं । मैं चारों लोगों को बोलने के लिए बुलाऊंगा, मैं नाम के लिए नहीं कहता हूं ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जाधवपुर) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे मेरे धैर्य का पुरस्कार दिया, मैने इतना धैर्य इसलिए रखा क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि मैने सोचा कि कभी भी अवसर न मिलने से देर से अवसर मिलना बेहतर है।

अब विश्व व्यापार संघ व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत से विकासशील देशों पर आपने पेटेंट कानूनों को संशोधित करने और बदलने का दबाव है पेटेंट की सीमा के बारे में भी प्रश्न सामने आ रहा है । किन वस्तुओं को पटेंटे की सीमा सस बाहर रखा जाना चाहिए । क्या जैव वस्तुओं को भी पेटेंट किया जाना चाहिए । क्या जैविक प्रक्रियाओं को भी पटेंट किया जाना चाहिए । क्या टेस्ट ट्यूब दशाओं से विकसित प्राणियों पशुओं ओर मनुष्यों को भी पेटेंट किया जाना चाहिए ? अब ये सब प्रश्न सामने आ रहे हैं और हमें आशंका है कि पेटेंट अधिकारों का विस्तार करवाना, जोकि लाभ के लिए एकाधिकार का दूसरा नाम है, विशेष रूप से उत्पाद पेटेंट क्षेत्र में मानवहितों का निर्धारक कारक बनने जा रहा और विशेष रुप से विकासशील देशों के लिए जो कि जैव विविधता में संपन्न हैं लेकिन जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोई वर्चस्व नहीं है ।

डंकल प्रस्ताव पर बहस के दौरान जब हमने यह मामला उठाया तो मंत्री महोदय ने इस बात का उपहास किया कि नीम उत्पादों को पेटेंट किया जा रहा है । अब हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण है कि अमेरिका की डब्लू.आर. ग्रेस लारसन और अन्य जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने नीम के कम से कम 13 उत्पादों का पेटेंट किया है ।

साधारत: नए अविष्कारों पर पेटेंट लिया जा सकता है तथापि इस मामले में हमने देख है कि कोई अविष्कार नहीं हुआ है । केवल नीम के पेड़ का रस निकालकर उस पर उत्पाद पेटेंट लिया जा रहा है । यह नई वस्तुओं के अविष्कार के समान नहीं है ।

यही काम भारतीय वैज्ञानिकों ने भी किया है । नीम का रस निकालने की बहुत सी परंपरागत् विधियां है । लेकिन बहुत से भारतीय वैज्ञानिक समझते हैं कि नीम के लाभकारी गुणवत्ता पर वैज्ञानिक ज्ञान के विकास पर नीम उत्पादों को पेटेंट करने का बुरा प्रभाव पड़ेगा । लेकिन आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि जिसमें सरकार जैसे ही उत्पाद पेटेंट व्यवस्था करने का निर्णय लेती हैं वैसे ही नीम के वृक्ष पर एकाधिकार अधिकार ले लिए जाएंगे। अमेरिका में नीम के पेड़ नहीं हैं । इन परीक्षणों के लिए हमारे पेड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे यह आभास हो सकता है कि हम एक ऐसी स्थिति में होंगे जब हमारे नीम के वृक्ष हमारे नहीं रह जाएंगे ।

अत: मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे अवसर दिया,

लेकिन मैं चाहती हूं कि सरकार अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए नीम उत्पादों को पेटेंट करने के मामले को विश्व व्यापार संगठन में उठाए क्योंकि यह पूरी तरह से तर्कहीन है । यह बौद्धिक सम्पदा की चोरी का एक रूप हैं।

श्री वीर सिंह महतो (पुरुलिया) : 5 मई, 1995 को जी.आर.पी. और 85 टाटा बुरखाना पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों के बीच पांश्चम बंगाल के पुरुलिया जिले मे दक्षिण पूर्व रेलवे के बीच स्यूसा रेलवे स्टेशन पर टकराव हुआ।

जी.आर.पी ने गोली चलाई और बहुत से यात्री घायल हो गए। उनमें से एक की अस्पताल में मृत्यु हो गई । अन्य लोगों की हालत भी गंभीर है। मैं रेल मंत्री से इस घटना की जांच करने और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कदम उठाने का आग्रह करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुमानमल लोढा ।

श्री मोहन रावले, आपका विषय पहले ही आ गया है ।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) जी नहीं, यह एक गंभीर विषय है ।

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता है ।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र में जीरो आवर में कभी भी समय नहीं दिया गया । इसलिए मैं अपना रोश प्रकट करते हुए आज दिन भर के लिए सदन का त्याग करता हूं ।

1.54 म.प.

तत्पश्चात् श्री सूर्यनारायण यादव सभा से बाहर चले गये

.....(**व्यवधान**)

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला सदन में उठाना चाहता हूं इसलिए मुझे अवश्य समय दिया जाना चाहिए, कल बकरीद है और कोई बड़ी घटना घट सकती हैं। एक कम्यूनिटी की भावनाओं का सवाल है । .....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने दस बजे से पहले सूचना दी थी वे यहां पर हैं । केवल उन्हीं सदस्यों को बुलाया जा रहा है ।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए श्री लोढा जी बोल सकते हैं ।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : श्रीमन्, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कई वर्षों से संघर्ष चल रहा है । स्वर्गीय जयनारायण जी व्यास जी ने भी संविधान की आठवीं अनुसूचि में राजस्थानी को लाने के लिए संघर्ष किया था और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में कार्रवाई की जाएगी । आज चार करोड़ लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। राजस्थानी भाषा का अपना महान साहित्य है तथा चन्द्रवरदाई जैसे कवि इस भाषा की देन हैं । मेरा निवेदन है कि चार करोड़ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जाए और राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए। अगर राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दी गई तो इसके लिए आंदोलन उग्र हो जाएगा । अत: आपसे मेरा निवेदन है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाएं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावले जी आप कल और परसों भी उपस्थित थे। इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई भी ।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : श्रीमान, कलकत्ता से मुझे फोन आया था कि वहां गऊ-हत्या हो रही है । महोदय, संविधान के आर्टिकल 48 के अंदर भी लिखा हुआ है कि गऊ-हत्या नहीं होनी चाहिए । .....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावले जी आप कल और परसों भी उपस्थित थे। इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई थी ।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : आज मुझे फोन आया है कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम लीग ने कहा है कि हम (**व्यवधान**)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : ये जानबूझ कर दिए गए भड़काने वाले वक्तव्य हैं । वे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने पर तुले हुए हैं । ...(**व्यवधान**)

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र रखे जाएंगे।

1.56 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इलैक्ट्रॉनिक ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे समय पर सभा-पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल.डी-7557/95]

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च , 1994 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन संघ सरकार (1995 का संख्या1) -(वाणिज्यिक) -लेखाओं आदि की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1995 का संख्या 1) -(वाणिज्यिक)-लेखाओं की समीक्षा। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.डी.-7558/95]**

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1995 का संख्या 2) -(वाणिज्यिक)-लेखाओं की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.डी.-7559/95]**

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1995 का संख्या 3) -(वाणिज्यिक)-लेखापरीक्षा टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.डी.-7560/95]**

(2) (एक) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी-7561/95]**

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : महोदय, मैं श्री एम. अरूणाचलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधार (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड,, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड,, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-7562/92]

शुष्क नारियल श्रेणीकरण और चिन्हनांकन नियम, 1994 ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हनांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत शुष्क नारियल श्रेणीकरण और चिन्हनांकन नियम, 1994, जो 17 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 632 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-7565/92]

इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण :

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-7564/92]

(3) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें ।

(दो) केन्द्रीय होम्योयोपैथी परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-7565/92]

(5) शिक्षा (संशोधन) विनियम, 1994 को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-7566/92]

---

* शिक्षा (संशोधन) विनियम, 1994, 26 अप्रैल, 1995 को सभा पटल पर रखे गए थे।

1.56 1/2 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम(6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1995 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 4 मई, 1995 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं ।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक विधेयक, 1995 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 4 मई, 1995 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा के इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

1.57 म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चालीस्वां प्रतिवेदन

श्री संत राम सिंगला (पटियाला) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चालीस्वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

1.58 म.प.

संचार संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं संचार संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :-

(1) संचार मंत्रालय -(एक) डाक सेवाएं और (दो) दूर-संचार सेवाएं की अनुदानों की मांगों (1994-95) के संबंध में संचार संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में अठारहवां प्रतिवेदन ।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) के संबंध में संचार संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन

1.59 म.प.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक (मथुरापुर) : महोदय, मैं अंतरिक विभाग की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

1.59 ½ म.प.

परिवहन और पर्यवरण संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, 1994-95 के संबंध में परिवहन और पर्यटन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

2.00 म.प.

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 29 मार्च, 1995 को हुई बैठक के कार्यवाही सारंश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह अब समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : क्योंकि मेरी बात नहीं सुनी जा रही इसलिए मैं वाकआउट करता हूं ।

2.01 म.प.

तत्पश्चात् श्री मोहन रावले सभा-भवन से बाहर चले गये ।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, यह सब कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया जाना चाहिए ।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, मैं आशा करता हूं, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां ।

2.01 ½ म.प

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पश्चिम बंगाल में दिधा को उड़ीसा में जलेश्वर से जोड़ने के लिए एक नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, पश्चिम बंगाल के दिधा से उड़ीसा में जलेश्वर बरस्ता चंदनेश्वर तक यातायात की सघनता अधिकतम बिन्दु पर पहुंच गई है । राज्य सरकार द्वारा जलेश्वर से चंदनेश्वर तक सड़क के विकास का कार्य पहले शुरू नहीं किया गया था, इस प्रकार सड़क की स्थिति अत्यंत दयनीय स्थिति है । दिधा को उड़ीसा के जलेशवर से जोड़ने के लिए एक नई रेल लाइन के निर्माण की मांग की गई है । इस परियोजना का तुंरत सर्वेक्षण कर कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए ताकि इस इलाके के लोगों की चिरकालिक शिकायतों का निवारण हो सके ।

(दो) हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को आयकर से छूट दिये जाने की आवश्यकता

डा. पी. बल्लभ पेरूमान (चिदम्बरम) : महोदय तमिलनाडु में लगभग एक हजार सात सौ हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां हैं जो पूरे राज्य में फैले पन्द्रह लाख के अधिक बुनकरों और उनके

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

परिवारों का भरण-पोषण कर रही हैं, तीन दशकों से अधिक समय तक बुनकर-समितियों को कुटीर उद्योग के नाते छूट मिल रही थी लेकिन 1989 के दौरान इस आधार पर उन्हें कर के अधीन लाया गया कि वे बुनने की प्रक्रिया में मजदूरों का प्रयोग करते हैं । तथापि समुचित स्पष्टीकरणों और अनुदेशों के बाद उनकी कर संबंधी समस्या का समाधान किया गया था ।

1994 के दौरान, बल्लार जिले में दक्षिण आरकट के कुर्रीजीपाडी की समितियो को छोड़कर तमिलनाडु में सभी बुनकर समितियों को छूट प्रदान की गड थी, जबकि उन्होंने इस शर्त को पूर करते थे कि उन्होंने बाहर से भाड़े पर मजदूर को काम में न लगाने की शर्त मान ली थी । विभाग ने कुर्रीजीपाडी की समितियों पर इस आधर पर कर लगाना शुरू कर दिया थे कि उत्पादों की रंगाई, निरंजन, लपेटने, बनाने और विपणन के कार्य समितियों द्वारा आम सुविधा के रूप में किया जाता है और न कि सदस्यों द्वारा । इसी प्रकार, कच्चे माल की कीमत और बुनकरों की मजदूरी के निर्धारण में सरकार का हस्तक्षेप, उत्पादों को बनाने में बुनकरों की सहायता और निर्वाचित निकाय के अभाव में सरकारी अधिकारियों द्वारा समितियों का प्रशासन चलाए जाने की बहुत अधिक आलोचना हुई थी और उपरोक्त आधारों पर समितियों से छूट को वापस ले लिया गया है । कर लगाने से, एक हजार छः सौ से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं ।

मेरा माननीय मंत्री के अनुरोध हैं तमिलनाडु में समितियों के पुनः छूट दिए जाने और कुर्रीजपाडी में रह रहे गरीब बुनकरों को न्याय दिलाएं ।

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रस्तावित विश्वविद्यालय को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है । इस दृष्टि से मेरा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद (उ.प्र.) उपयुक्त हैं, जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ता हैं । यह औद्योगिक क्षेत्र हैं तथा एक विकसित जनप्रद हैं और विश्वविद्यालय के लिए जो भी जरूरी चीजों की आवश्यकता हैं वे सारी सुविधायें गाजियाबाद में उपलब्ध हैं । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह अकेला नगर निगम हैं तथा यहां पर 12 ग्रेजुएट एवम् पोस्ट ग्रेजुएट कालेज है वहां पर हर विषय की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती हैं ।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खुलने वाला विश्वविद्यालय गाजियाबाद में ही खोला जाये ।

[अनुवाद]

(चार) असम के करीमगंज जिले में करीमगंज दुल्लभचेरा सेक्शन में दुल्लभचेरा से रनपुर तक रेल मार्ग का विस्तार करने की आवश्यकता

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज): महोदय असम के करीमगंज जिले में करीमगंज दुल्लभचेरा सेक्शन में दुल्लभचेरा से रनपुर तक रेल मार्ग का विस्तार किये जाने की मांग निरन्तर की जा रही है । यह रेल मार्ग निजोरम को जोड़ने के लिये अन्तर्राज्यीय रेल सम्पर्क होगा । वर्षा के दौरान दक्षिणी करीमगंज के लोगों को सम्पर्क मार्ग न होने के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है । यह एक अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र है और वहां पर कम से कम 2.5 लाख की आबादी है जिसमें जनजातीय लोगों की संख्या भी काफी अधिक है। वर्ष 1977-78 से इस बड़े भू-भाग के लोग सरकार से इसके विस्तार किया जाने के सम्बन्ध में मांग करते रहे हैं ।

मैं सरकार से इस 25 किलोमीटर लम्बे रेलमार्ग का सर्वेक्षण कराने और इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने का अनुरोध करता हूँ ।

(पांच) उड़ीसा के नयागढ़ जिलें में गनिया और नौगांव प्रखण्डों को एम्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत लाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों के आई.टी.डी.ए खण्डों के अलावा, जहाँ पर एम्प्लायमेंट एश्योरेन्स स्कीम आरम्भ की गई थी, कई सामुदायिक विकास खण्ड और है जहाँ पर 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इनको एम.ए.डी.ए खण्डों के रूप में माना जाता है और यहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केलोगों के आर्थिक विकास हेतु विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं । पिछले नवम्बर में भारत सरकार ने राज्य सरकार को कहा था कि एम.ए.डी.ए क्षेत्रों में एम्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम का विस्तार किया जाए । तदुपरांत, राज्य सरकार द्वारा जिले के दासपल्ला गनियां और नौगांव एम.ए.डी.ए खण्डों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया हैं । परन्तु केन्द्र सरकार ने इस योजना को तीन में से सिर्फ एक खण्ड में ही संचालित करने की स्वीकृति दी हैं । गनिया और नौगांव प्रखण्डों को, जहाँ क्रमशः 33.72 प्रतिशत और 31 प्रतिशत जनजातीय लोग रहते हैं और जो जिले के अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र हैं, को उक्त योजना के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है जिसके कारण वहां के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों में काफी असंतोष व्याप्त है ।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा के नायागढ़ जिले के गनिया और नौगांव प्रखण्डों में एम्प्लायमेंट एश्योरेन्स स्कीम के विस्तार की स्वीकृति दी जाए ।

(छः) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के इतने दिनों बाद उ.प्र. का पुर्वांचल आज भी उद्योगविहीन हैं। पूर्वांचल की गरीबी के दूर करने के लिये पटेल कमीशन बना । पटेल कमीशन की रपट को भी नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण घनी आबादी

वाले उक्त क्षेत्रों के ग्रामीणगण गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं और अपना जीविकोपार्जन करने के लिये देश के सूदूर अंचलों में पड़े हुये हैं । देवरिया, पडरौना जनप्रद में जो चीनी मिलें स्थापित हुई है। वे अंग्रेजी शासनकाल की हैं । किन्तु उन्ही के आधार पर आज तक कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया और उक्त जनप्रद को केन्द्र सरकार ने उद्योग-शून्य कर दिया है ।

अत: मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि देवरिया, पडरौना, बलिया जनप्रद को उद्योग शून्य से हटाकर इन जनप्रदों में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाकर बेरोगजारी दूर करने की व्यवस्था की जाये ।

[अनुवाद]

(सात) किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिये नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता .

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : महोदय, मै सरकार का ध्यान नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत शक्तियों का दुरूपयोग किये जाने के फलस्वरूप शहरी क्षेत्रों के आसपास कृषि भूमि के सम्बन्ध में गरीब किसानों द्वारा सीमा की जा रही गम्भीर दिक्कतों की ओर दिलाना चाहता हूँ। शहरीकरण के कारण शहरों का सीमा से अधिक विस्तार हो रहा है तथा शहरी क्षेत्रों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र घोषित किया जा रहा है । शहरी क्षेत्रों के आसपास के गाँवों के किसानों की भूमि कम से कम कीमतों पर अधिगृहीत कर ली जाती है जिसके फलस्वरूप किसानों को उनके आजीविका अर्जन के साधनों से वंचित हो जाते हैं । नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्रों को कभी नहीं अधिगृहीत किया जाता हैं और इस अधिनियम के कारण केवल गरीब किसानों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

सभी पक्षों ने अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किये जाने की माँग बार-बार की है अपितु फिर भी उन गरीब किसानें की दिक्कतों को दूर करने के लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया है जिन्हें अकसर अजीविका अर्जन के साधनों से वंचित कर दिया जाता है ।

इसलिये, मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करके गरीब किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिये प्रभावी कदम उठाये जाए ।

2.09 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले उठाने के लिए सूचना देने के संबंध में घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के आज के निर्णय के अनुसार शुक्रवार, 12 मई, 1995 को नियत सभा की बैठत रद्द कर दी गई है । इसलिये, 15 मई, 1995 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये नियम 377 के अधीन मामलें उठाने की सूचनाएँ आज 5.00 म.प. से स्वीकार की जायेंगे । 5.00 म.प. से 6.00 म.प. के बीच प्राप्त सूचनाओं को एक ही समय प्राप्त हुआ माना जायेगा और सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं की पूर्ववर्तिता बैलट द्वारा की जायेगी। तत्पश्चात प्राप्त की गई सूचनाओं को उनकी प्राप्ति के समय और तारीख के अनुसार क्रमबद्ध किया जायेग।

सदस्यगण शून्य काल के दौरान विषयों को उठाने की सूचनाएं 9.00 म.प. से 10.00 म.प. के बीच दे सकते हैं और सिर्फ 9.00 म.प. से 10.00 म.प. के बीच प्राप्त की गई सूचनाएं देने वाले सदस्यों के नाम ही पीठासीन अधिकारी, माननीय अध्यक्ष के समक्ष रखे जाते हैं । तत्पश्चात सदस्यों के नाम पुकारे जायेंगे । आज सूचीबद्ध सभी नामों को पुकारा गया था ।

अब, सभा 3.10 म.प. तक के लिये स्थगित की जाती हैं ।

2.10 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 3.10 म.प. तक के लिये स्थगित हुई ।

3.17 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 3.17 म.प. पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बजट सामान्य, 1995-96 अनुदानों की मांगे रक्षा मंत्रालय जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम रक्ष मंत्रालय पर चर्चा शुरू करते हैं ।

मेजर डी. डी. खनोरिया (कांगड़ा) : मै वर्ष 1995-996 के लिये 25,500 करोड़ रूपये के रक्षा बजट का विरोध करने हेतु खड़ा हुआ हूँ ।

वित्त मंत्री, श्री मनमोहन सिंह के इस कथन के विपरीत कि वर्ष 1995-96 का 25,500 करोड़ रूपये का प्रस्तावित परिव्यय राष्ट्रीय रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है । लगातार दूसरे वर्ष वास्तविक रूप में रक्षा मंत्रालय के बजटीय आबंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है ।

चालू बजट में रक्षा आबंटन (संशोधित अनुमान) 23,544 करोड़ रूपये है ।

प्रस्तावित 1,956 करोड़ रुपये की वृद्धि 9 प्रतिशत है जबकि मुद्रास्फीति की दर 11 प्रतिशत है ।

थल सेना के लिये आबंटन 12,432.81 करोड़ रूपये का है और नौसेना के लिये 1,534.91 करोड़ रूपये आबंटित किया गये हैं । आयुध कारखानों के लिये 43.07 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं जबकि सभी रक्षा सेवाओं हेतु पूजीगंत परिव्यय 7,354.49 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

पूजींगत परिव्यय का श्रेणीवार अध्ययन करने से मालूम चलता

है कि मुख्य रूप से नौसेना को ही फायदा दिया गया हैं । क्योंकि उसके जहाजी बेड़े तथा विमानन अंग को मजबूत बनाने के लिये सबसे काफी बढ़ा दिये गये हैं । नौसेना के जहाजी बेड़े के लिये परिव्यय 1,132.97 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 1,286.71 करोड़ रूपये कर दिया गया है ।

इस प्रकार से इस बजट शीर्ष के अंतर्गत वायु सेना का आबंटन कम कर दिया गया हैं क्योंकि वायुयान तथा वायुयान इंजनों के लिये आबंटन 2,232.10 करोड़ रूपये से घटाकर 1,963.24 करोड़ रूपये कर दिया गया है ।

वर्ष 1995-96 के बजट आवंटन का घटकीकरण है : थल सेना के लिये 12,432 करोड़ रूपये जबकि 1994-95 का संशोधित अनुमान 11,340 करोड़ रूपये है : नौसेना के लिये 1,534 करोड़ रूपये जबकि संशोधित अनुमान 1439 करोड़ रूपये है और वायु सेना के लिये 4,135 करोड़ रूपये जबकि संशोधित अनुमान 3,771 करोड़ रूपये है ।

आयुध कारखानों के लिये आबंटन चालू वर्ष के संशोधित अनुमान 59.43 करोड़ रूपये से घटाकर 43 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

तीनों रक्षा सेनाओं में थल सेना, जो कि सबसे बड़ी है, को बजट आबंटन का सबसे बढ़ा हिस्सा आबंटित किया गया है यानि कि 9 प्रतिशत अर्थात 12,432.81 करोड़ रूपये आबंटित किये गये हैं जबकि संशोधित अनुमान 11,340.17 करोड़ रूपये है । थल सेना के आबंटन में 1,092 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी की गई है ।

रक्षा बजट में आधुनिकीकरण तथा कलपुर्जों को शामिल करने हेतु आबंटन में बढ़ोतरी की गई है । इसके लिये भंडारण हेतु 4,422 करोड़ रूपये आबंटित किये गये हैं जबकि पिछले वर्ष का संशोधित अनुमान 4,025 करोड़ रूपये है अर्थात 397 करोड़ रूपये की वृद्धि की गई है ।

वायु सेना के लिये आबंटन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 3,771.76 करोड़ रूपये से बढ़कर 4,134.91 करोड़ रूपये कर दिया गया है यानि कि इसमें 363.15 करोड़ रूपये की वृद्धि की गई हैं। वायु सेना के बजट का प्रमुख हिस्सा भंडारण के लिये रखा गया है। पिछले दो वर्षों से वायु सेना सरकार को उन्नत प्रशिक्षण जेट विमान शामिल करने के लिये दबाव डाल रही है ।

कश्मीर में सुरक्षा बलों की सतत् कार्यवाही के कारण बड़ी संख्या में कट्टर उग्रवादियों और विदेशी भाड़े के सैनिकों का सफाया कर दिया गया है । इसके फलस्वरुप आतंकवादियों और उनके विदेशी आकाओं का मनोबल काफी गिरा है । कश्मीर जनता के व्यवहार में काफी बदलाव आ रहा है। आतंकवादियों में अंतरगुटीय झगड़ों के बढ़ने के कारण और उनके मनोबल के गिरने के कारण पाकिस्तान विदेशी भाड़े के सैनिकों को भारत में घुसाने के प्रयास कर रहा है । सीमाओं पर चौकसी और देश में आतंकवादियों के खिलाफ गतिविधियों में कमी नहीं आई है ।

पाकिस्तान द्वारा कश्मीरी आतंकवादियों तथा अलगाववादी शक्तियों को निरन्तर उपलब्ध कराई जा रही सामग्री और अन्य प्रकार की सहायता के कारण भारत की पश्चिमी सीमा में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने की जरूरत है । पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रचार प्रसार द्वारा तथा कश्मीर में मानव अधिकारों के कथित हनन के मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीय करण करने के प्रयासों के द्वारा कम लागत वाली अप्रत्यक्ष लड़ाई लड़ रहा है । यह अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई पाकिस्तान घरेलू अस्थिरता और भारत के खिलाफ अपने घिनौने राजनीतिक/प्रादेशिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के कारण लड़ रहा हैं।

पाकिस्तान और चीन के घनिष्ट सम्बंध हैं । चीन रक्षा उपकरणों विशेषकर लड़ाकू विमान, प्रक्षेपास्त्र तथा टैंकों का एक प्रमुख स्रोत चीन द्वारा पाकिस्तान को एम-11 प्रक्षेपास्त्र तथा संबंद्धित प्रौद्योगिकी की आपूर्ति चिन्ता का कारण है । हाल ही में पाकिस्तान रूस तथा अन्य सी.आई.एस. राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने का प्रयास किया है । पाकिस्तान के रूस से रक्षा उपकरणों को प्राप्त करने के प्रयास अब तक सफल नहीं रहे हैं ।

पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नवाज शरीफ द्वारा किए गए इस रहस्योदघाटन ने कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम हैं, इस क्षेत्र में सुरक्षा के नए आयम को खोल दिया है । उनका यह रहस्योदघाटन भी, कि पाकिस्तान की थल सेना और आई.एस.आई. नशीली दवाओं के अवैध व्यापार द्वारा भारत के खिलाफ शास्त्रीय गतिविधियों को चलाने के लिये धन दे रहा है, चिन्ताजनक हैं ।

रक्षा सेवाओं के बारे में रक्षा विशेषज्ञों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती विश्व में हो रहे बदलाव और इस क्षेत्र में खतरों को देखते हुए कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करना है । आने वाले समय के लिये रक्षा आवश्यकताओं के लिये योजनाएं क्षेत्रीय और विश्व में हो रहे बदलावों के मद्देनजर बनाई जा रही हैं । रक्षा विशेषज्ञों का प्रयास है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बिना भारी दबाव डाले हमारी रक्षा सेवाओं की न्यूनतम अपरिहार्य न्यूनतम आवश्यकताओं और उनका आधुनिकीकरण करने के बीच तालमेल बिठाया जाये । व्यापक तौर पर हमारी रक्षा सेवाओं को प्रतिष्ठित बहुमूल्य राष्ट्रीय परिसम्पति माना जाता है । ऐसी परिसम्पति को रखना शान की बात नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि देश की सुरक्षा को बिना गम्भीर खतरा, पहुंचाये हम इसका त्याग कर सकते हैं । हमारा उद्देश्य अपनी अग्रीय रक्षा पंक्ति को मजबूत बनाना है । हम अपने पड़ोसी देशों के खतरों का सामना तीनों रक्षा सेवाओं के लिये आधुनिकतम हथियार और उपकरण खरीद कर कर सकते हैं और ऐसा रक्षा व्यय में अधिकतम बढ़ोत्तरी कर किया जा सकता है ।

महोदय, मैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आपको मालूम है कि प्रति वर्ष लगभग 60,000 सैनिक सेवानिवृत होते हैं और उनका पुनर्वास अति महत्वपूर्ण है । जब कभी भी इनकी मांगों को उठाया जाता है सरकार कोई ध्यान नहीं देती है । इन लोगों की निम्नलिखित कुछ प्रमुख कठिनाइयां है : पेंशन भोगियों को अंतरिम राहत, एक उचित राष्ट्रीय पेंशन नीति, पुराने पेंशन भोगियों को तुल्य

राशि रक्षा पेंशन भोगियों के लिये 'समान पद समान' पेंशन को पुन: शुरू करना, पारिवारिक पेंशन में वृद्धि, पेंशन पाने वालों के लिये उचित चिकित्सा सुविधाऐं, पेंशन निधि का गठन, ई.पी.एफ. और सार्वजनिक क्षेत्र से सेवानिवृत्त लोगों के लिये पेंशन योजना, पेंशन अधिनियम 1871 में संशोधन लोगों के लिये अग्रिम पेंशन ।

मैं स्पष्टत: महसूस करता हूं कि रक्षा पेंशन भोगियों के लिये सिविल पेंशन सूत्र को लागू करने में कोई तर्क नहीं है । इससे नौकरशाही का यह तर्क कि अगर रक्षा पेंशन पाने वालों को सरकार समान पद समान पेंशन दे देती है तो सिविल पेंशन पाने वाले भी ऐसी ही माँग करेंगे झुठला जाता है।

महोदय, हमको मालूम है कि अंग्रेजों के समय में सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों को असैनिक नागरिको से ऊँचा समझा जाता था और उनको प्रथामिकता दी जाती थी । अच्छा वेतन, भत्ते और पेंशन का लालच देकर गुणी और अति सक्षम युवकों को रक्षा सेवाओं में आने के लिए आकर्षित किया जाता था । यह प्रणाली आजादी के पश्चात भी काफी वर्षो तक जारी रही । यह विशेष व्यवहार तर्कसंगत है क्योंकि उनको छोटी उम्र में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और रक्षा कर्मियों को 58 वर्ष तक कार्य नहीं करने दिया जाता है । आद्यावस्था में सेवानिवृत्त किये गए सैनिक को आजीविका कोई अन्य साधन ढूँढना पड़ता है जैसे कृषि स्वरोजगार और सरकारी एजेंसियों में पुनर्नियोजन, पुनर्नियोजन के पश्चात भी उनको सेवानिवृत्ति पर पूरी पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी अर्हकारी सेवा कम होंगी । इसीलिये, सैनिकों के लिये सेवा के मानक वर्षो तथा पद पेंशन के आधार पर एक विशेष पेंशन योजना तैयार की गई थी, जो कि पद के वेतनमान की अधिकतम सीमा के आधार पर निर्धारित की गई थी और सिविलियन योजना, जो कि वास्तविक सेवाकाल तथा वास्तविक परिश्रमिक पर आधारित है, से भिन्न थी । सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के साथ किया जा रहे विशेष व्यवहार के महत्व को समझकर ही इसको आजादी के पश्चात भी जारी रखा है । पहले, दूसरे तथा तीसरे वेतन आयोगो ने भी विशेष योजना को तर्कसंगत पाया और इसको जारी रखने की सिफारिश की थी ।

हांलाकि, सरकार ने 1 अप्रैल, 1979 से पेंशन ढांचे को उदार बनाया है परन्तु जारी प्रथा के अनुसार 1 अप्रैल, 1979 से पूर्व सेवानिवृत होने वाले पेंशन भोगियों को सुविधाएं नहीं दी गई थी । सिविल और रक्षा विभाग के पेंशन भोगियों ने भी सुविधाएं प्राप्त करने के लिये अदालत का दरवाजा खटखटाया था । उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने 17 दिसम्बर, 1982 को निर्णय दिया कि सभी पेंशन पाने वालों को, चाहे वह 1 अप्रैल, 1979 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों, उदारीकरण के सम्पूर्ण फायदे मिलने चाहिये ।

निर्णय में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि सिविल पेंशन भोगियों और रक्षा पेंशन भोगियों को वही थल सेना की 'समान पद समान पेंशन' की विशेष पेंशन योजना नजरअंदाज करके, एक समान समझना चाहिये, परन्तु उदारीकरण के आदेशों को सभी पर लागू करने के चक्कर में सरकार ने आदेश दिया कि सिविल पेंशन योजना को रक्षा कर्मियों पर भी लागू किया जाना चाहिये। थल सेना से पेंशन पाने वालों के लिये यह बदलाव लाना कोई तर्क संगत नहीं है । थल सेना से पेंशन पाने वालों का विरोध भी निरर्थक रहे है ।

इस कार्य के लिये 1982 में प्रधान मंत्री, श्री पी.वी. नरसिंह राव, ने रक्षा मंत्री, श्री शरद पवार, की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी ।

श्री पवार ने भी तत्काल बाद सरकार को छोड़ दिया था और समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें एक बारगी बढ़ोत्तरी की नई योजना के रूप में सामने आई जिसमें डिफेंस पेंशन भोगियों के केवल कुछ वर्गों को ही सम्मिलित किया गया था । प्रस्तावित एक बारगी वृद्धि के लाभ में अधिकांश भूतपूर्व सैनिकों को शामिल नहीं किया गया था । 1986 से पूर्व के पेंशन भोगियों को समान पद समान पेंशन 'का लाभ नहीं दिया गया' था । तथापि, एक बारगी वृद्धि योजना में कई विसंगतियां पाई गई, एक अधिकारप्राप्त विसंगति समिति गठित की गई और एक बारगी वृद्धि के लाभ को भूतपूर्व सैनिकों के कुछ और अधिक वर्गो को दिया गया था, लेकिन फिर भी एक बारगी वृद्धि के लाभ से भूतपूर्व सैनिकों के काफी वर्ग वंचित रह गये ।

इसके बावजूद 'समान पद समान पेंशन' की पेंशन योजना को असैनिक पदाधिकारियों के पद्धति के साथ प्रतिस्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है । उच्चतम न्यायालय के दि. 17.12.1982 में निर्णय के भी इस प्रकार के परिवर्तन पर विचार था सुझाव नहीं दिया गया है । इस प्रकार बिना कोई कारण सरकार द्वार बड़ा अन्याय किया गया था और इस अन्याय के निवारण के सभी प्रयास असफल हो गये । रक्षा कर्मिक मजदूर संघ की पद्धति के आधार संगठित नहीं हो सकते हैं और न अपनी मांगों के लिए दबाव डाल सकते है । इसीलिए हमारे रक्षा कार्मिक स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं इस परिप्रेक्ष्य में यह उचित नहीं है जबकि हम सशस्त्र सेनाओं को मनोबल बनाये रखना चाहते हैं ।

अत: नवयुवकों को रक्षा सेवा के प्रति आकर्षित करने ओर उनके मनोबल को बनाये रखने के लिए सरकार को ''समान पद समान पेंशन'' योजना को हमारे जवानों के लिए पुन: लागू करनी चाहिए, जैसा कि 1989 में संसद को अपने अभिभाषण के दौरान हमारे माननीय राष्ट्रपति ने घोषणा की थी ।

हमारे देश में एक संगठन हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसके अध्यक्ष डा. कलाम हैं । मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं कि यह संगठन देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है । वे हमारे देशों में विभिन्न चीजों पर प्रयोग कर रहे हैं । यह वस्तुत: देश के लिए गौरव की बात है। मैं व्यक्तिगततौर पर महसूस करता हूं कि जो भी बजट हम उनके लिए अबंटित करते है उसे जारी रखा जाए ओर हमें उन्हें और अधिक धन देना चाहिए ताकि हमारा देश इस क्षोभ में अपने पैरों पर खड़ा हो सके ।

मैं एक ओर बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में कई हजार ऐसे लोग हैं जो कि सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं और वहां पर रह रहे हैं । उन्होंने वहां एक संघ का गठन किया है। उन्होंने

कुछ ट्रक खरीदे हैं । उनके ट्रक बारमाना सीमेंट कारखानों से सम्बद्ध हैं । कुछ दिन पहले इस कारखाने के प्रबंधकों और भूतपूर्व सैनिकों के बीच समस्या खड़ी हो गई थी । हिमाचल प्रदेश की सरकार के हस्तक्षेप किया, बिलासपुर में पुलिस द्वारा उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया उन्हें जेल में डाल दिया गया । कुछ लोग अभी भी जेल में हैं और उनके विरूद्ध झूठे मामले शुरू किया हैं और उन्हें न्यायालयों में इस मामलें से निपटने में बहुत कठिनाई हो रही है । इसका परिणाम यह हआ है कि हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा हैं, हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक उससे प्रसन्न नहीं है । मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि इस स्थिति में सुधार किया जाए और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस बारे में पूछा जाए कि बरमाना सीमेंट कारखाने में भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे मे उन्होंने क्या कदम उठाए है ।

इन बातों के साथ-साथ मैं समझता हूं कि तीनें सशस्त्र सेनाओं के लिए 25,500 करोड़ रू का बजट बढ़ाया जाए ताकि वे वास्तव में हमारे देश के समक्ष खड़े खतरों के सामना कर सकें और देश की सुरक्षा कर सकें।

उपध्यक्ष महेदय : आपके इंतजार करने का परिणाम अच्छा हुआ है ।

श्री लाईता उम्ब्रे (आरूणाचल पूर्वी) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

महोदय मुझे पता है कि विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की सभी मांगों में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ये यह विषय बहुत संवेदनशील भी है । मैंने कतिपय मामले उठाने के लिए इस चर्चा में भाग लेना चाहा है जो कि मेरे राज्य और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक है, जिसकी तीन तरफ से अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं हैं । तथापि, मैं कतिपय महत्पूर्ण पहलुओं पर संक्षेप में कहना चाहूंगा।

बजट में इसके लिए कम आबंटन करने और गत चार वर्षो में अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करने में असफलता की काफी आलोचना हुई है । लेकिन मैं समझा हूं कि उन जिन परिस्थितियों में सरकार सत्ता में आई उनमं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की कीमत पर हथियारों की दोड़ में शामिल होना आत्मघाती हो सकता था । मेरे अनुसार अर्थव्यवस्था का निर्माण सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए कठोर निर्णय लिए हैं और उनके नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री ने अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठता बहाल करने में शानदार कार्य किया हैं । यह हार्दिक स्वागत योग्य बात है । जब यह सरकार चार वर्ष पूर्व सत्ता में आई थी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने कर हमने अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक सुधार किया हैं । हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है।

अब समय आ गया है जब हमें अपना ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ देना चाहिए । गत चार वर्षो के प्रत्येक बजट में लगभग सात से आठ प्र. श. तक की वृद्धि होती रही है । इस वर्ष भी केवल 8.3 प्र. श. की वृद्धि हुई है जिसका कोई औचित्य नहीं है जबकि हमारी मुद्रा स्फीति की दर अधिक हैं ओर रूपये की कीमत भी दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है ।

महोदय, अफवाहों का बाजार गरम है कि सरकार न केवल तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण मैं असफल रही है अपितु पेट्रोल, ऑयल और लुब्रीकेंटों की पर्याप्त व्यवस्था करने में भी असफल रही है, जिसके फलस्वरूप काफी बड़ी संख्या में सेना की मशीनों में जंग लग गयी है। यह अफवाह हो सकती है लेकिन यह तथ्य है कि इन तीनों सेनाओं में महत्वपूर्ण क्षेत्रों ने पैसा बचाने के लिए उनके खर्चों में कटौती हुई है । अत: रक्षा मंत्रालय के बजट में आबंटन बढ़ाना अत्यावश्यक है।

हमें प्रसन्नता है कि यह सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे पड़ोसी के सम्बन्ध रखने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान द्वारा अपनी आन्तरिक राजनीति के कारण अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करने से निरंतर खतरा बना हुआ है ।

मुझे प्रसन्नता होगी कि यदि हम चीन जैसे बड़े ओर महान देश का अपने पड़ोसी होने का लाभ उठा सकें । चीन के साथ हमारे सम्बन्ध सुधर रहे हैं । मुझे यह मालूम नहीं कि चीन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान हमारे प्रधानमंत्री के साथ सीमा के मुद्दे पर कोई बातचीत हुई या नहीं, हमारे शिष्टमण्डल चीन जाते रहते हैं। लेकिन मैं, अरूणाचल प्रदेश का प्रतिनिधि होने के कारण इस सभा मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि दुर्भाग्यवश अरूणाचल प्रदेश के नजदीक भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव हुआ था जो कि बढ़ रहा हैं, क्योंकि चीन अरूणाचल प्रदेश पर दावा करता रहता है, मैं इस समाननीय सभा को बताना चाहता हूं कि अरूणाचल प्रदेश के इतिहास में यह कभी भी चीन का अधिपत्य या चीन के अधिकार में नहीं रहा वस्तुत: अरूणाचल प्रदेश भारतीय मुख्य भू-भाग से जुड़ा ने से पूर्व तिब्बत के साथ इसका व्यपार था लेकिन तिब्बत के सममिलन के बाद चीन ने भूतपूर्व नेफा, अब अरूणाचल प्रदेश पर दावा करना शुरू कर दिया । लेकिन वस्तुत, भारत सरकार ने भी भारी भूल की है, वह यह है कि जब हमने ब्रिटिशों से सत्ता ली, भारत सरकार ने इस छोटे ओर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्पूर्ण अरूणाचल प्रदेश राज्य, पूर्व नेफा को विदेश मंत्रालय के माध्यम से शासित करने शुरू किया था ।

वह हमारी सबसे गम्भीर भूल थी, इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि चीन के साथ भविष्य में बातचीत के वक्त यह सुस्पष्ट कर दिया जाए कि यह विवादास्पद भूमि या विवादास्पद क्षेत्र नहीं हैं, अपितु यह भारत का अभिन्न अंग है । हमें इसे स्पष्ट करना होगा कि अरूणाचल प्रदेश के क्षेत्र के बारे में कोई विवाद नहीं है । मैं अरूणाचल प्रदेश के सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि क्योंकि मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि क्यों कि मैं समझता हूं कि हमारे कई मित्र इस तथ्य के बावजूद यह नहीं जानते होंगे ओर इस बारे में शंका हो सकती है कि यह विवादस्पद भूमि है । एक बार हम यह सीमा का मुद्दा सुलझा लेते हैं और चीन के साथ अच्छे पड़ोसी के सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं तो कम से कम हमें एक तरफ

से चिन्ता की आवश्यकता नहीं है और पूर्व की सीमा पार से आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए अनावश्यक रूप से हमारी सशस्त्र सेनाएं बड़ाने की जरूरत नहीं है ।

तथापि, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यद्यपि अब चीन के साथ हमारे बहुत सौहार्द पूर्ण सम्बन्ध हो सकते हैं फिर भी हमारे मौजूद सम्बन्धों से आत्म संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के भूतपूर्व प्रधनमंत्री चाउ इन ली के बीच 'पंचशील समझौते' को याद रखना चाहिए । इस समझौते के पांच वर्ष के अन्दर ही, उन्होंने हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया था और हमारे ओर को हड़पने की कोशिश कर रहे थे । युद्ध में हम उनसे बुरी तरह परास्त हुए । लेकिन दुर्भाग्यवश, में बताता हूं कि 1962 के युद्ध की शर्मनाक हार के 33 वर्षों के बाद भी, हमने इन सीमा क्षेत्रों में रह रही अपनी सेनाओं की स्थिति में सुधार के लिए और इन सीमा क्षेत्रों में देश के प्रहरी के रूप में जो सैनिक लोग रह रहे हैं, उनका मनोबल बड़ाने के लिए युद्ध भी नहीं किया है । महोदय कई कारण रहे होंगे लेकिन हमारी हार में योगदान देने में सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि हमारे पास अच्छी सड़क संचार साधन नहीं थे । संचार नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था जिसके कारण टैंक और तोपची उस क्षेत्र में हमारी सेनाओं की सहायता नहीं कर सके थे । उस युद्ध के 33 वर्षों के बाद आज भी महत्वपूर्ण क्षेत्र और प्रशासनिक मुख्यालय जो उन दिनों में आक्रमणकारियों के कब्जे में चले गए थे उन्हें आज तक सड़क द्वारा नहीं जोड़ा जा सका है । कई अन्य नाजुक स्थान हैं लेकिन वहां सड़के बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । यदि कोई प्रस्ताव है भी तो उसकी प्रगति बहुत अधिक धीमी है। जीमीथान, मेचूका, गिलींग और कीबीथू जैसे अनेक नाजुक स्थल हैं , ये स्थल अभी तक सड़क द्वारा नहीं जोड़े गए हैं और टावनी वादा बोमडीला की सड़क 1962 के दौरान आक्रमणकारियों के कब्जें में चली गई थी, बहुत संकरी है और कई जगहों पर यह एकतरफा है । आपातस्थिति के दौरान उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

इसका महत्वपूर्ण स्थान मेरे निर्वाचन क्षेत्र प्रशासनिक मुख्यालय वालंग था जहां 1962 में युद्ध हुआ था । बिल्कुल अभी हाल ही में, इसे सड़क द्वारा जोड़ दिया गया है लेकिन यह बारहमासी सड़क नहीं है। आपात समय में हम इस सड़क पर निर्भर नहीं रह सकते हैं । सामरिक और असैनिक नागरिकों के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्थान अनीनी है क्यों कि यह दिबोग घाटी जिलें का जिला मुख्यालय की है, दुर्भाग्यवश, अनीनी को जाने वाली सड़क रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत है और रक्षा मंत्रालय में प्रस्ताव केवल अनीनी के जोड़ने का है । लेकिन जो सड़क बनाई गई है वह कच्ची और बहुत संकरी है । बसें और लारियां इस पर नहीं चल सकती है । अत: असैनिक नागरिको को इससे बहुत परेशानी हो रही है । मैने मंत्रालय को लिखा है और उनसे बात भी की है । यदि वे सड़कों का रख-रखाव या उन्हें चौड़ा नहीं कर सकते हैं तो वे उन्हें राज्य सरकार या अन्य एजेंसियों को सपुर्द कर सकते हैं । इसे जल-भूतल मंत्रालय को भी दिया जा सकता है ।

दूसरी अति महत्वपूर्ण सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-52 हैं जो अरूणाचल प्रदेश से गुजरती है । यह तीन जिलों से हो कर गुजरती है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं । यह इन तीनों जिलों के नीचले स्थानों से गुजरती है । इसे 1981 में शुरू किया गया था और यह मुश्किल से 365 कि.मी. लम्बी है और अधिकांश स्थानों में उन्होंने मौजूदा सड़क को राज्य लोक निमार्ण विभाग से अपने हाथ में ले लिया है लेकिन कार्य की प्रगति इतनी धीमी है कि मंत्रालय ने मुझे लिखा है कि वे इस सड़क को इस शताब्दी में पूरा नहीं कर पायेंगे । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीमा क्षेत्र की इन सभी सड़कों को इस राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दिया गया है । ऐसा समझा जाता है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, यदि आज हमारी सीमा पर आक्रमण होता है और यदि कोई आपात स्थिति आती है तो मैं समझता हूं कि हमें फिर से नुकसान उठान होगा। इसलिए, मेार अनुरोध है कि यदि रक्षा मंत्रालय संसाधनों की कमी के कारण इस राष्ट्रीय राजमार्ग का काम अपने हाथ में नहीं ले पाता है तो इसे जल-भूतल मंत्रालय को स्थानांतरित किया जा सकता है ।

लेकिन उन्होने ऐसा नहीं किया है और कई सड़कें और पुल है जिनका निर्माण किया जाना है उन्होंने उन पर बिल्कुल भी कार्य शुरू नहीं किया है ।

मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय रक्षा राज्य मंत्री इन बातों को नोट करेंगे। सभी आधुनिक हथियारों को प्राप्त करने के अतिरिक्त, सड़क और संचार नेटवर्क भी देश की सुरक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है ।

महोदय अन्त में, मैं अन्य पहलू पर कुछ कहना चाहता हूं अर्थात् सशस्त्र सेनाओं के कल्याण के बारे में वयोवृद्ध भूतपूर्व सेना अधिकारी चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपनी बहुमूल्य राय दे रहे हैं । फिर भी वे महसूस करता हैं कि मैं भी अपनी ओर से कुछ राय दूं क्यों कि मेरे सामने कई भूतपूर्व सैनिकों के मामलें देखने में आये हैं जो न्याय के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं । हमें हर समय जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर में सेना की ज्यादितियों की सूचना मिलती रही है । हम इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते हैं । वास्तव में ज्यादितियां हुई हैं । लेकिन हमने कदापि यह समझने की कोशिश नहीं की है कि क्यों वे ये ज्यादितियां करते है । हो सकता है कि वे यह समझते हों कि सेवानिवृति के बाद उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी । इस सम्बन्ध में पहले ही कई संगठन कार्य कर रहे हैं । लेकिन वे संगठन भी जिनकी उत्पत्ति स्वयं सेनाओं से हुई है उनको न्याय दिलाने में समर्थ नहीं हुए है। काफी भ्रष्टाचार हो रहा है । इसे ईमानदारी से रोका जाना ही चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि में इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दे को विवादास्पट नहीं बनाना चाहता हूं । लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे यह अवश्य बताना चाहिए कि जब हमारे खिलाड़ी देश के लिए खेलते है तो हम उनका उत्साह बढ़ाते हैं और देश के लिए सोचते हैं लेकिन जब सैनिक या सुरक्षा से जुड़े व्यक्ति रक्षा में शत्रु से लड़ते है तो हम समझते हैं कि वे जाति, धर्म और भाषा आदि के भेदभाव के बिना

इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए है, लेकिन दुर्भाग्यवश, जब ये सेनानी सेवानिवृत्ति के बाद सामप्रदायिक ताकतों में शामिल होने का निर्णय लेते हैं तो यह पता चलता है कि ऐसे तत्व हैं जो उन्हें ऐसी चीजो का प्रतय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें स्वयं सेना में उनकी सेवावधि के दौरान और सेवानिवृति के बाद भी ऐसा सम्मान और आदर मिलना चाहिए ताकि किसी चीज का सहारा लिए बिना ही वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश, सम्भवत हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है । उनकी सेवानिवृति के बाद वे यह देखते होगें कि इन सभी राजनीति का सहारा लिए बिना वे सम्मान आदर और गौरव प्राप्त नहीं करेंगे जिसके वे योग्य हैं । वे अपने जीवन का स्वार्णिम काल देश के लिए बलिदान करते हैं । मैं समझता हूं कि हमें हमारी अपनी सेनाओं के लिए उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्वास के बारे में गम्भीरता से सोचना होगा ।

मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं । इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगो का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरोना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे रक्षा मंत्रालय की मांगों पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया ।

मान्यवर, आज रक्षा के मामले में भारत की क्या स्थिति है, यदि भारत का मित्र देखे आपको पता लगेगा कि वह चारों तरफ से घिरा हुआ है । उत्तर में चाईना ने कैलाश और मानसरोवर तक 38 हजार किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है । इतना ही नहीं

3.56 म.प.

(श्री पी. सी. चाको पीठासीन हुए)

वह कश्मीर के पास पाकिस्तान के साथ मिलकर सड़क बना चुका है । वह बर्मा और बंगाल में भी अपना फौजी अड्डा बना रहा है तथा अंडमान और निकोबार में भी अपनी फौजी शक्ति बढ़ा रहा है उसकी नौसेना भी की काफी शक्तिशाली है । इस तरह कश्मीर से लेकर पूरे बार्डर पर और दक्षिण में अडंमान और निकोबार में भी उसके सैनिक अड्डे स्थापित हो रहे हैं। साथ में पाकिस्तान भी अपनी गतिविधियां तेज कर रहा है । वह दिन कितना सौभाग्यशाली था जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ढाका में एक लाख पाकिस्तानी फौज ने आत्म-समर्पण किया था । आज वह बदला लेने के लिए अपनी सारी शक्ति केन्द्रित कर रहा है । दूसरी तरफ हमारी स्थिति क्या हैं .? हमारे मित्र ने अभी सही कहा कि जवाहर लाल नेहरू के समय में नारा लगा कि हिंदी-चीनी भाई-भाई लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ? चीन ने आक्रमण करके 38 हजार वर्गमील भूमि पर कब्जा कर लिया । उस समय तो रूस भी तैयार था हमें याद है वह दिन जब सोवियत रूस को कहना पड़ा था कि अगर भारत हमारा दोस्त है तो चाईना भाई है । लेकिन आज तो हमारा कोई मददगार नहीं है । हमारी सेना में उत्साह है लेकिन वैज्ञानिक युग में केवल मनोबल और शारीरिक शक्ति से ही काम नहीं चलता है । आज जितने हमारे अगल-बगल के देश हैं उनकी स्थिति देखिये । चाईना में परमाणु बम है, पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है और अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है ? हमारी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। रूस कहता था कि भारत के ऊपर आक्रमण मेरे ऊपर आक्रमण माना जाएगा। लेकिन आज कोई देश ऐसी गांरटी नहीं दे सकता है । जहां तक धन आबंटन का सवाल है तो मान्यवर, चईना का बजट 7570 करोड़ डालर है जबकि हमारा रक्षा व्यय केवल 25 हजार करोड़ रुपये है । यानि वह हमसे 8 गुना धन अपनी फौज पर खर्च कर रहा है । पाकिस्तान भी अनुपात में हमसे अधिक धन खर्च कर रहा है । जहां तक सामरिक शक्ति का सवाल है तो चाईना 8 हजार किलोमीटर तक मार करने वाले शस्त्रास्त्र तैयार कर रहा है । उसने 100 किलोमीटर तक मार करने वाले रासायनिक और एटमिक बम सरहद पर लगा रखे हैं । इतना ही नही पाकिस्तान भी अपनी सरहद पर चाडना से शस्त्र लेकर लगा रहा है जो इस देश पर 150 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं । लेकिन हमारी सरकार इस वक्त क्या कर रही है, जरा इसकी तरफ भी देखिये ।

4.00 म.प.

रशिया से संधि हुई थी, लेकिन अमरीका के दबाव में आकर उसने हमें प्रौद्योगिकी देने से इन्कार कर दिया जिससे शस्त्रास्त्र छोड़े जा सकते थे । इतना ही नहीं, अभी अमरीका प्रेसलर कानून में ढील देने जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सामरिक शक्ति अधिक होने जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री और वहां के भूतपूर्व मंत्री भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है । हमारे पास क्या है ? हमारे वैज्ञानिकों ने अग्नि और पृथ्वी का आविष्कार किया । अमरीका के दबाव में विश्व बैंक के दबाव में हमारी सरकार उस कार्य को भी आगे नहीं बढ़ा पा रही है । इस मुल्क का क्या होगा। इसके पहले इतिहास भरा पड़ा है कि हमारे में शक्ति की कमी नहीं थी, हमारे पास अस्त्र नही थे इसलिए हम हारते रहे । भारत के इतिहास में एक युद्ध हुआ था राम और रावण के बीच मे, तो भगवान राम की विजय हुई थी । दूसरा युद्ध बंगला देश को लेकर हुआ था। बंगला देश के लाखों शरणार्थी हमारे देश में आये थे । उस समय विश्व के मंचों पर पाकिस्तान छाया हुआ था । हमें वह दिन याद था जब इंदिरा गांधी ने विश्व में घूम-घूम कर परिक्रमा की ओर महसूस कराया कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और पाकिस्तान हमारे से युद्ध करना चाहता है । उस युद्ध में हम विजयी हुए । लेकिन आज हमारी हालत दयनीय है । क्या कारण है कि हमारे देश के रहनुमा क्या सोच रहे हैं ? हमारी आजादी खतरे में है । चीन पर विश्वास कर लिया जाये, यह ठीक नहीं है । हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू के समय में हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा किसी काम का नहीं रहा, यह ठीक बात है । आज चीन ने हमारे देश की सीमाओं को घेर लिया है, तिब्बत पर उसका कब्जा है । हमारी सरकार अपनी

रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है । हमें वह दिन याद है जब युद्ध हो रहा था तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हम एक दिन खाना नहीं खायेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे । इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि हम देश को बचाने के लिए भूखे रह लेंगे, आधा खाना लेंगे, लेकिन गुलाम बनना पंसद नहीं करेंगे । लेकिन आज की हुकुमत ऐसा कुछ नहीं कर रही है । हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, क्या कोई मंत्र पढ़ लेंगे ?

पाकिस्तान एटम बम बना रहा है, चीन के पास अपार शक्ति है, अमरीका के पास भी है । छोटा सा देश इस्राइल है, जिसकी तरफ कोई नजर उठाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन हमारे ऊपर सबकी नजरें हैं । यह विशाल देश सामरिक दृष्टि से सबसे कमजोर हैं । क्या कारण हैं कि हमारे वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं उनको ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है ?

मै रक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्यों पृथ्वी का विकास नहीं रहा है? क्या हम पाकिस्तान या चीन से 303 से युद्ध करेंगे ? एक बोफोर्स तोप हैं, उसके भी पुर्जे नहीं मिल रहे हैं । हमारे मिग और मिराज विमानों के पुर्जे नहीं मिल रहे हैं । नौसेना की भी हालत खराब है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस देश की रक्षा के लिए अगए इस देश को बचाने के लिए टैक्स भी लगाना पड़े तो लगाये। हमें याद है जब चीन से युद्ध हो रहा था तो देश में आह्वान किया, राजनेताओं ने आह्वान किया तो घरों से सोना निकाला गया, लोगों ने अरबों-खरबों रुपया दिया था । आज आप विश्व बैंक के दबाव में आकर, अमरीका के दवाव में आकर देश को गिरवी रखने जा रहे हैं, मत रखिये । मैं चाहूंगा कि जब जवाब दिया जाये तो बताया जाये कि हमारे पास कितनी सामरिक शक्ति हैं, कितने अच्छे लड़ाकू विमान हैं?

अभी तो पाकिस्तान को प्रेसलर से अच्छे विमान मिलने वाले हैं। अमरीका के अलावा चीन भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अन्य देश भी मदद कर रहे हैं । क्या आपके पास ऐसी कोई शक्ति है जो इस बात की गारंटी दे कि वे आपकी मदद करेंगे ? क्या कारण है कि हम हाथ पर हाथ धरे हुये बैठे हुये हैं । अभी पाकिस्तान आये दिन अघोषित युद्ध कर रहा है । अफगानिस्तान को जो हथियार रूस या अमरीका से मिले थे, वे अब भारत के खिलाफ कश्मीर में इस्तेमाल किये जा रहे है । कश्मीर आतंवाद का अड्डा बना हुआ है । क्या यह सही नहीं है कि अभी चीन को कश्मीर में एक बगावत करवा दी थी जिसे क्रश कर दिया जाय ? प्रधानमंत्री और अन्य यहां कहते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे में जो हिस्सा कश्मीर का हैं, वह लेंगे लेकिन इस बात को छोड़िये, जो आज कश्मीर हैं, उसे तो बचा लें। क्यों नहीं सोचते, बचाने की कोशिश क्या कर रहे हैं ? आपकी सरहद पर क्या हो रहा है ?

सभापति महोदय, यह बड़ी अजीब बात है कि 90 करोड़ का मुल्क एटम बम नहीं बना सकता है और 10 करोड़ का मुल्क पाकिस्तान एटम बम बनायेगा । हिरोशिमा में एटम बम डाला गया तो जापान नष्ट हो गया । क्या आपके जवान 303 की गोली से युद्ध करें ? यदि उनकी तरफ से एटम बम का प्रयोग होगा तो हमारे जवानों का क्या होगा । क्या उनको मरने दिया जायेगा ? आज के वैज्ञानिक युग में अमरीका हमारे वैज्ञानिकों को अच्छा पैसा देकर नये शस्त्रास्त्रों का आविष्कार करवा रहा है । इसलिये, यदि हमारा देश एटम बम नहीं बनायेगा तो यह देश पाकिस्तान, चीन और अमरीका का दास होकर रह जायेगा । इसलिये सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि अपने यहां जितनी जल्दी हो सके पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और एटम बम का निर्माण किया जाना चाहिये । यह कैसा इन्साफ है कि अमरीका, फ्रांस, इंगलैंड, इजरायल, पाकिस्तान तो एटम बम बना सकता है लेकिन 90 करोड़ वाला मुल्क भारत नहीं बना सकता है नहीं तो उसको विश्व बैंक की सहायता बंद कर दी जायेगी । क्या हम कर्जे के लिये बंधे हुये हैं? यदि आज ही यह घोषणा कर दी जाये कि हम एटम बम, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और अन्य अस्त्रों के प्रयोग करेंगे तो लोग आपकी जयजयकार करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप देश की रक्षा के लिये सब करें और अमरीका को विश्वास में ले और ऐलान करें कि देश की सुरक्षा के लिये एटम बम का निर्माण करेंगे ।

सभापति महोदय, एक जवान ही ऐसा आदमी है जो सरहद पर हमारी और हमारे देश की रक्षा करता है । जहां चाहे उसे भेज सकते हैं लेकिन उसके रहने के लिये या जब वह रिटायर हो जाता है तो उसके लिये कुछ नहीं किया जाता है । उसकी दशा दयनीय हो जाती है उनकी विधवाओं की कोई सहायता नहीं की जाती है । यहां तक कि आज के आई.ए.एस और पी.सी.एस आफिसर की तुलना में एक सिपाही से लेकर बड़े अफसर तक की हालत दयनीय हो जाती है। मैं चाहूंगा कि उनका मनोबल ऊंचा हो और उनकी सुख-सुविधाओं के लिये सरकार को विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, हमारे बहुत से मित्रों ने कई तथ्यों का जिक्र किया लेकिन हम तो गांव के सीधे-सादे आदमी हैं । गांव में लोग रहता हैं और यह 90 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है । चीन की आबादी भी एक अरब के लगभग है । उसकी सामरिक शक्ति अच्छी है और यह छोटा सा पाकिस्तान है । उसने आपको इतना तंग किया है । 80 लाख या एक करोड़ की आबादी वाला इस्राइल है और किसी की नजर उस पर नही पडती है । उसने भी ऐटम बम बना रखा है। हमारे देश में लोगों का मनोबल आज इसलिए गिर रहा है कि हम अपनी रक्षा के लिए पूर्णरूपेण तैयार नहीं है । आये दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, जहां पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में आकर बम विस्फोट कर रहे हैं । बंबई, मद्रास और कश्मीर में वह बम विस्फोट कर रहे हैं । आप इससे निपटने की जिम्मेदारी फौज को क्यों नहीं देते ? एक बार आप फौज को आदेश दे दें तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा । अगर आप फौज को आधुनिक शास्त्रों से लैस करेंगे तो उस स्थिति में देश की हिफाजत के समय उनका मनोबल ऊंचा रहेगा और युद्ध करने में आसानी रहेगी। यह बात सही है कि हमारी फौज का मनोबल ऊंचा हैं, पर उसके पास शस्त्र नहीं है । आज वैज्ञानिक युग है । एक साधारण सा बच्चा भी रिवाल्वर से गोली मारकर एक पहलवान की हत्या कर सकता है। आपकी फौज भी पहलवान

है किन्तु उसके हाथ में रिवॉल्वर नहीं है। आप बढ़िया रिवॉल्वर उनको दीजिये । आज लोग जर्मनी और दूसरे देशों का रिवॉल्वर पसंद करते हैं, अपने देश में बना रिवॉल्वर पसंद नहीं करते हैं । इसलिए आप इनकी ऐफिशिएन्सी बढ़ाइए । मैं पुन: जोरदार मांग करता हूँ कि भारत को अगर सुरक्षित रखना हूं तो अमेरिका से साफ-साफ कहिये कि जब तक सभी ऐटम बम बनाने वाले देश अपने आणविक शस्त्र बरबाद नहीं करेंगे, तब तक हम आपकी बात नहीं मानेंगे और हम भी ऐटम बम तथा परमाणु शस्त्र बनाएंगे । इससे राष्ट्र का मनोबल ऊंचा होता है ।

'अग्नि' और 'पृथ्वी' के बारे में बहुत कहा जाता है कि विश्व बैंक के दबाव में आकर आपने इनको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बंद कर दिया है । आपके पास न बढ़िया विमान हैं, न बढ़िया तोप है। आपके पास क्या है ? मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने बयान में मुल्क को बताएं कि हमारे देश के पास इतने अस्त्र-शस्त्र है जिससे किसी भी मुसीबत का सामना करने लिए हम हर समय तैयार हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: कहूंगा कि देश की रक्षा के लिए जो आपका बजट है वह बहुत कम हैं । यह बजट 1994-95 में 23,544 करोड़ रुपए था और इस वर्ष 25,000 करोड़ रुपए हैं । फिर मैंने मिसाल दी कि आपसे आठ गुना अधिक रक्षा बजट चीन का है । आप विश्वास मत कीजिए क्योंकि दुश्मनों से घिरे हुए हैं । जब आप मजबूत रहेंगे तो दुश्मन की नजर आपकी तरफ नहीं उठेगी । आप कमजोर रहेंगे तो दस बीमारियां आएंगी पाकिस्तान हमें ललकार रहा है । बंग्लादेश से लोग यहां आ रहे हैं । अंडमान और निकोबार के पास तथा दियोगर्शिया में अमेरिका अपने अड्डे बना रहा है । ऐसी स्थिति में आपको मजबूत होना होगा और रक्षा मंत्रालय में जो धनराशि आपने दी हैं । उसमें कम से कम डेढ़ गुना वृद्धि करनी होगी आप वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दीजिए और प्रौद्योगिकी का विकास कीजिए । आप ऐटम बम बनाइएं और 'अग्नि' तथा 'पृथ्वी' का विस्तार कीजिए ।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं संक्षेप में बोलूंगा । मैं सीधे मुद्दों पर बोलूंगा ।

भारत विश्व में शान्ति का प्रतीक है । वे विश्वभर में शान्ति का उपदेश देता रहा हैं और शांति का संदेश जारी करता रहा हैं । उसका उपदेश और संदेश तभी सुना जायेगा जब भारत सैन्य दृष्टि से मजबूत और शक्तिशाली होगा।

महोदय, भारत अपने आदर्शों, दर्शन और संस्कृति में बहुत ऊंचा उठ चुका है लेकिन विश्व में इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं कि ऐसी चीजों मे हमारी समृद्धि हमें ऊंचा नहीं उठाएगी । इसे सैन्य शक्ति का सहारा होना चाहिए । यही मेरा विचार हैं । इसलिए शक्तिशाली और मजबूत बनने के लिए हमारे पास परमाणु अस्त्र होने चाहिए । यह मेरा सशक्त विचार हैं । हमारे पास प्रक्षेपात्र और अन्य आधुनिक हथियार होने चाहिए । संक्षेप में, हमारे पास परमाणु अस्त्र होने चाहिए; तभी हमारी आवाज सुनी जायेगी। अन्यथा हम सौदा नहीं कर सकते हैं । हम अपनी शर्तें नहीं मनवा सकते हैं । हमारी आवाज तभी सुनी जायेगी जब हम मजबूत होंगे । इसलिए मैं परमाणु अस्त्रों को प्राप्त करने की वकालत कर रहा हूं ।

महोदय, हमारे पास कश्मीर का मोर्चा है, पाकिस्तान ने देश के कतिपय हिस्सों पर कब्जा कर रखा है । अब इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रूप में जाना जाता है । हमें उसे अवश्य खाली कराना चाहिए । हम ऐसा करने में तभी समर्थ होंगे जब हम मजबूत होंगे। हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए । यह मेरा सशक्त विचार हैं । यदि हमारे पास परमाणु अस्त्र नहीं होंगे तो हमारी शर्तों को नही माना जायेगा ।

महोदय, हमारा पूर्वोत्तर मोर्चे भी मजबूत होना चाहिए । मैंने अपने अरूणाचल के मित्र से सुना है कि जो यह कह रहे थे कि पूर्वोत्तर में रक्षा व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया जाना चाहिए । अन्यथा, हमें फिर उसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता हैं जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था । हम अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री नेहरु जी का वह दुखभरा राष्ट्रीय प्रसारण नहीं भूल सकते हैं, जब असहाय वाली स्थिति में उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र को अलविदा कहा था । नेहरू जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को अलविदा कहा था । हम रात-दिन रो रहे थे जब हमने वह प्रसारण सुना । उसे सुनना बहुत दर्दनाक था । चूंकि हम भाई-भाई के नारे से संतुष्ट थे, अत: उस समय तैयार नहीं थे। यह उसकी तरफ ध्यान न देने का नतीजा था । मैं अपने अरूणाचल के मित्र की इस बात से सहमत हूं कि सैन्य-आधारभूत ढांचा जैसे सीमावर्ती सड़के और अन्य चीजों का रख-रखाव ही, ढंग से नहीं हो रहा है, अत: मैं यह दलील देना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की तरह और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । हमें इस मैत्री या मातृ सम्बन्धों से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए । हमें किसी प्रकार की भी आकस्मिकता के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि उस क्षेत्र में हमारे पडोसी म्यांकार और चीन की शासन-प्रणाली भिन्न है ।

इस दो देशों के बारें में कुछ कंहा नहीं जा सकता हैं । कोई घटना या कोई चीज उन्हें उकसा सकती है ओर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए ।

तैयारी के लिए हमें सीमावर्ती सड़कों का निमार्ण करना चाहिए। हमें मैं भी मोरेह में हवाई-पट्टी बनाने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि अब एक कस्बे में परिवर्तित हो गया है और यहां बर्मा की सीमा लगती है । अन्यथा, इन पहाड़ी क्षेत्रों या पहाड़ी रास्ता में सैनिक कर्मचारियों का परिवहन बहुत मुश्किल होगा जिनका समुचित रख रखाव नहीं किया जाता है । इसलिए मोरेह में सैनिक उद्देश्यों के लिए एक हवाई-पट्टी अवश्य बनाई जाये ।

मैं श्री जसवंत सिंह, श्री इन्द्रजीत गुप्त और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गये विचारों का भी समर्थन करता हूं कि हमें युद्ध-

स्मारक या उन वीरों की स्मृति में स्मारक बनाने चाहिए जिन्होने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया है ।

अमेरिकी और ब्रिटिश इम्फाल, मणिपुर, नागालैंड ओर अन्य जगहों पर युद्ध स्मारक बना रहे है । यहां तक कि जापानियों ने भी मणिपुर में युद्ध-स्मारक बनाए हैं । सैंकड़ों जापानी आते हैं और अपने सैनिकों जो, मणिपुर में मारे गए थे, की दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । इसी प्रकार ब्रिटिशों ने भी अपने युद्ध-स्मारक बनाये हैं । लेकिन हमारे कोई युद्ध-स्मारक नहीं है ।

यदि आप नागालैंड में कोहिमा जाते हैं तो आप वहां युद्ध-स्मारक पायेंगे जिन पर यह लिखा है, ''जब आप वापस जाए तो उन्हें बताएं कि हमने हमारा वर्तमान आपके भविष्य के लिए बलिदान कर दिया'' यह कितना प्रेरणादायक है ? यह रोमांचित करने वाला है । यह देश-भक्ति की भी प्रेरणा देता हैं ।

अत: हमें हमारे सैनिकों की स्मृति में जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए स्वयं का बलिदान किया है, युद्ध-स्मारक बनाने चाहिए ।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव महिलाओं की सशस्त्र सेवाओं खासतौर पर वायु सेना में भर्ती के लिए हैं महिलाएं वायु सेना के लिए बहुत अधिक उपयुक्त होंगी, यदि उनकी भर्ती उसमें की जाती हैं ।

अन्तत: मैं इस सभा को ध्यान सेना द्वारा उन क्षेत्रों में की जा रही ज्यादितियों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां सशस्त्र सेना अधिनियम के तहत उन्हें विशेष शक्तियों दी गई हैं । ये शक्तियां उन्हें देश की रक्षा करने के लिए दी गई हैं लेकिन कभी-कभी उनका दरूपयोग किया जाता है । यथापि मैं सेना का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे कहना है कि कभी-कभी सेना के ये लोग उस शक्ति का दुरूपयोग करते है और उन क्षेत्रों में ज्यादितियां करते हैं जहां उनकी तैनाती की गई है ।

बिल्कुल हाल ही में एक नागरिक अधिकारी, सेनापती जिले का उपायुक्त सेना के छापामार हमले से बाल-बाल बच गया । गलतफहमी हो गई थी। इसलिए ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और विद्रोह से मुकाबला करते समय अच्छा तालमेल होना चाहिए । अत: मैं इस सभा के ध्यान में ये तथ्य लाना चाहता हूं ।

इन शब्दों के साथ, मैं अनुदानें की मांगों का विरोध करता हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : सभापति महोदय, रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं केवल एक मुद्दे पर बोलना चाहता हूं और वह है परमाणु अप्रसार संधि । मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि यह मुद्दा इस चर्चा में सबसे आगे रहा है, जबकि हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री जसवन्त सिंह जी ने चर्चा के आरम्भ में ही कहा था कि 10 मई तक अर्थात् आज तक संसद को परमाणु अप्रसार संधि के प्रश्न पर सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित कर लेना चाहिए ताकि न्यूयार्क में परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा तथा उसको बढ़ाने पर हो रहे सम्मेलन में इस मुद्दे पर भारत का एकमत विचार भेजा जा सके ।

सभापति महोदय, आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि सत्ता पक्ष की ओर से सभा के सामने ऐसा कोई संकल्प लाने के लिए कोई पस्ताव पेश नहीं किया गया है । मेरा विचार हैं कि सभा के सामने ऐसा संकल्प न लाए जाने के कारण हैं कि वास्तव में इस मुद्दे पर देश में सर्वसम्मति नहीं है कि भारत को क्या रूख अपनाना चाहिए। श्री जसवन्त सिंहजी ने यह बताने की कोशिश की कि देश में परमाणु कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक राय कायम हैं ।

महोदय, पिछले वर्ष के दौरान तथा विशेष रूप से हाल ही में गोआ में हुई विपक्ष की अति महत्वपूर्ण बैठक के बाद इस विषय पर भा.ज.पा. नेताओं के वक्तव्यों पर समाचार पत्रों की टिप्पणीयों को पढ़ने के बाद मैंने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि हमारे विपक्ष का परमाणु हथियारो तथा भारत के कार्यक्रम के बारे में उनका रवैया गैर जिम्मेदाराना है । मैंने 'गैर-जिम्मेदाराना' शब्द का इस्तेमाल किया था । मेरे गैर-जिम्मेदारना शब्द का खंडन करते हुए विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि उनके दल का रवैया बिल्कुल गैर-जिम्मेदाराना नहीं है और हम जो बात कह रहे हैं वह यह है कि भारत परमाणु विकल्प संबंधी रवैये पर अटल रहें । वे हिन्दी में बोल रहे है थे और उन्होंने 'विकल्प' शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका अनुवाद मैं 'आप्शन' के रूप में करूंगा मैंने एक चाल चली क्योंकि मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि परमाणु हथियार बनाए रखने को भा.ज.पा. की नीति उनकी औपचारिक तथा वास्तविक स्थितियों की तरह भिन्न हैं क्योंकि भा.ज.पा. ने हाल ही में गोआ में परमाणु हथियार बनाने का विकल्प खुला रखने से बिल्कुल हटकर तत्काल परमाणु हथियार बनाने की बात कही है। इसलिए मुझे सभा में भा.ज.पा. नेता की सभा में खड़े होकर परमाणु विकल्प संबंधी स्थिति को बनाए रखने की बात बुद्धिमतापूर्ण नहीं लगी जो कि उनके दल द्वारा कभी कही ही नहीं गई हैं । निश्चय ही उनकी स्थिति भिन्न है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, उसी वक्तव्य में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कि एक काबिल विदेशी मंत्री रहे हैं जिनके नीचे मैंने भी कार्य किया था, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की स्थिति परमाणु हथियार बनाने का विकल्प खुला रखने के हक में है और वे जानते हैं कि उनका अपना नेतृत्व गैर-जिम्मेदाराना रहा है जबकि उन्होंने परमाणु हथियार बनाकर उसके विकल्प को समाप्त करना चाहा था । इन दो स्थितियों के बीच बहुत अन्तर हैं । इसलिए जब यह चर्चा आरम्भ हुई और माननीय अध्यक्ष महोदय उन्हें अपनी बात पर अटल रहने की बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने यह कहकर बात को समाप्त कर दिया कि 'कल चर्चा करेंगे'। मैं सभा में पीछे से अपने स्थान से खड़ा हुआ और श्री जसवन्त सिंह से कहा कि कृपया सभा में इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें कि परमाणु हथियार के विकल्प को कायम रखना चाहिए अथवा हमें परमाण हथियार बनाने चाहिएं। उन्होंने उस दिन जवाब नहीं दिया । लेकिन, उन्होने अपने दो घंटे लम्बे भाषण की समीक्षा के दौरान परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा तथा उसको बढ़ाने के मुद्दे को उठाया ।

उन्होंने सभा में यहां कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से

मुझे लगाता है कि ''भारत को परमाणु शक्ति बनना चाहिए'' । मेरे विचार में श्री जसवन्त सिंह जी ने वास्तव में भा.ज.पा. की राय व्यक्त की थी । अब मुझे नहीं मालूम की मैं सही हूं या गलत क्योंकि यह दस्तावेज से लिया गया है जिसे परिचालित किया गया है लेकिन उसमें कहा गया है ''असंशोधित प्रकाशनार्थ'' नहीं फिर भी इसमें यह नहीं कहा गया है कि ''असंशोधित, उद्धरण के लिए नहीं।'' इसलिए जो कुछ भी दस्तावेज में दिया गया है उसे मैं उद्धरित कर रहा हूँ जिसमें श्री जसवन्त सिंह जी ने कहा था जैसा कि मैंने यहाँ पढ़ा है कि भारत को परमाणु शक्ति वाला देश बन जाना चाहिए चाहे वह इसके साथ-साथ इस बात की घोषणा कर दे कि वह इन हथियारों को पहले इस्तेमाल नहीं करेगा । जैसा कि मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि हमें परमाणु शक्ति वाला देश बन जाना चाहिए और यदि मेरे दिमाग में कोई शंका होती कि भारतीय जनता पार्टी के विचार क्या थे तो हमारे मित्र श्री राम नगीना ने अभी इस मुद्दे पर हमारी शंकाओं को पूर्णः स्पष्ट कर दिया है । चूंकि वे श्री अटलबिहारी वाजपेयी की व्यवहार कुशलता अथवा श्री जसवन्त सिंह जी की सारी बात न कहने की बातों से वाकिफ हैं, उन्होंने परमाणु हथियारों संबंधी भा.ज.पा. का रवैया हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हैं । यदि भा.जा.पा. का एक रूख होता तो वह उनकी साम्प्रदायिकता से भी बुरा है । उनकी परमाणु शक्ति बन जाने जैसी बुराई में शामिल हो जाने की इच्छा है और ऐसा हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच मूलभूत भिन्नता के कारण है और मेरा विचार है कि मैं न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से बोल रहा हूं बल्कि इस देश के अन्य सभी प्रमुख राजनीति दलों की ओर से बोल रहा हूँ चाहे वह जनता दल हो, चाहे वह भारतीय कम्युनिस्ट दल हो चाहे वह भारतीय कम्युनिस्ट दल (मार्क्सवादी) हो, चाहे वह समता दल हो, मेरा विचार है मैं यहाँ भा.ज.पा. के अतिरिक्त प्रत्येक मुख्य दल की ओर से बोल रहा हूं कि हम परमाणु हथियार बनाने का अपना विकल्प खुला रखने के पक्ष में है जबकि भा.ज.पा. तत्काल परमाणु हथियार बनाने की बात पर अटल हैं ।

यदि ऐसा है तो यह सदन किस प्रकार इस विषय पर सर्वसम्मति से कोई संकल्प पारित कर सकता हैं । हमारे कुछ सिद्धान्त है । हमारे विचार में परमाणु हथियार एक बुराई हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की शब्दावली के अनुसार यह मानवता के विरूद्ध अपराध है । हम इस बुराई का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं । यदि वास्तव में, हम परमाणु शक्ति वाला देश बनना भी चाहते तो हमने वर्ष 1974 से वर्ष 1995 तक किसी भी समय ऐसा कर लिया होता। पिछले 21 वर्षों से, जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परिक्षण के आदेश दिए थे तब से हमारे पास परमाणु विस्फोट तकनीक को परमाणु हथियारों में बदलने और अपनी रक्षा नीति में इन परमाणु हथियारों को शामिल करने की क्षमता थी । हमने जान-बूझकर इस विकल्प को पहले से ही समाप्त नहीं किया और न ही इसे अपनाया और इसके अनेक कारण हैं । पहला और सर्वप्रथम कारण यह है कि हमारा राष्ट्र महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है । अब मैं जानता हूं कि भा.ज.पा. और उनके पुरखों ने उनके जीवनकाल के दौरान गांधीजी को नकारने के बाद अचानक ही राष्ट्रपिता के रूप में अपना लिया है । मैं उनके इस परिवर्तन का स्वागत करता हूं लेकिन संघ परिवार की पूर्वधारणा में ऐसा जाहिर नहीं किया गया था ।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं मणि शंकर अय्यर जी के भाषण के बीच बोलना नहीं चाहता था लेकिन इनकी यह आदत है कि यह अपने मन की बात को बहुत लाग-लपेट कर गलत ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं । ये बड़े विद्वान हैं और उस दिन अटल जी ने भी कहा था कि ये बड़े विद्वान है तो इतिहास को तो, जानते होंगे ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपकी बारी आने वाली है । आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं कभी नहीं जाता हूं । ..**(व्यवधान)**

प्रो. प्रेम धूमल : आप बोलने से पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिये। ..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए । आपको श्री मणि शंकर अय्यर जी का भाषण समाप्त हो जाने के बाद अवसर दिया जाएगा। इसलिए कृपया उनकी बात सुनिए ।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, इस बात के बावजूद कि भा.ज.पा. अथवा जनसंघ स्वतंत्रता पूर्व विद्यामान थी अथवा नहीं हमारा कांग्रेस दल महात्मा गांधी के विचारों का सच्चे अनुदायी है और महात्मा गांधी ने सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के विरूद्ध स्वतंत्रता का आन्दोलन छेड़ा है, जो कि मानवता को हमेशा याद रहेगा ।

माहत्मा गांधी ने सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के विरूद्ध स्वतंत्रता आन्दोलन चलाया था और जो कि मानवता को हमेशा याद रहा और जैसा कि जिसने इतिहास जानता हैं जिससे इतने बड़े साम्राज्य को बिना खून-खराबे के झुका दिया । इसलिए, हमें गोलियों की शक्ति पर विश्वास नहीं हैं, जिन लोगों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में हिस्सा नहीं लिया था और वे लोग जो आन्दोलन में हिस्सा न लेने वालों की संतान है और उन्होंने अपने आपको भा.ज.पा. दल में शामिल कर लिया है ।**(व्यवधान)** मैं जानता हूं कि कुछ सरकारी गवाह भी हैं लेकिन अब हम इतिहास के उस भाग को नहीं दोहराते ।

अब यदि हमारी विदेशी नीति महात्मा गांधी के दर्शन तथा जवाहर लाल नेहरू द्वारा विदेश नीति के क्षेत्र में उस सामान्य दर्शन के कार्यान्वयन

पर आधारित होनी चाहिए, तो सिद्धान्ततः यही पहला कारण है कि हम परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र नहीं बनना चाहते । लेकिन इस सिद्धान्त की बात के आलावा, जो मेरे लिए एकमात्र आज महत्वपूर्ण कारण हैं, इसमें कई व्यवहारिक कारण भी हैं । मेरे विचार में भारतीय जनता पार्टी को इनकी पर्याप्त जानकारी नहीं है । आप एक परमाणु हथियार का निर्माण करके ही चुपचाप नहीं बैठ सकते । अगर आप परमाणु हथियार बनाने का खेल में शामिल होंगे तो यह होड़ अपने आप ही बढ़ती जायेगी । परमाणु अप्रसार का संपूर्ण सिद्धान्त ही इस बात पर टिका हुआ है कि अगर पाकिस्तान के पास एक बम हैं तो हमारे पास दो होने चाहिये और चूंकि जो एक के लिए अच्छा है, वही दूसरे के लिए भी अच्छा है । अगर हमारे पास दो हैं, तो वे चार बना लेंगे और अगर उनके पास चार होंगे, तो हम 16 बनायेंगे और अगर हमारे पास 16 हों तो वे 32 बनायेंगे ।

इसी प्रकार की बात श्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में परमाणु हथियार रहित तथा हिंसा मुक्त विश्व व्यवस्था की कार्ययोजना पेश करते हुए कही थी और इसे परमाणु प्रसार से दोहरी सुरक्षा कहा था अर्थात आप एक बम नहीं रख सकते, यहां तक कि कम शक्तिशाली बम भी नहीं रख सकते । अगर आप एक समर्थ परमाणु शक्ति बनना चाहते हैं, तो फिर आपके पास हर समय पूर्ण मारक क्षमता होनी चाहिये। यह परमाणु युद्ध का सिद्धान्त है जिसे संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ में तीन अति उपयुक्त शब्दों मयुचुअली एश्योरड डिस्ट्रक्शन अर्थात परस्पर विनाश का आश्वासन सिद्धान्त के रूप में जाना गया । यह पूर्ण तथा एक अविचारित नीति है क्योंकि उस समय परमाणु अप्रसार के सिद्धान्त को अपनाने के परिणामस्वरूप सोवियत संघ परमाणु हथियार कार्यक्रम के बोझ के तले, जिसे यह और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तहस-नहस हो गया । संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ दोनों के पास विश्व को एक बार अथवा जैकलाइन सुजान की भांति दो बार ही नहीं, बल्कि 61 बार नष्ट करने की क्षमता थी। परमाणु हथियारों की इतनी मात्रा उनके पास थी और दो संधियां स्टार्ट-। और स्टार्ट- ॥ के बाद भी, जिनका उद्देश्य इस शताब्दी के अन्त तक दोनों पूर्व महाशक्तियों के परमाणु हथियारों में कमी लाना है, उनके पास विश्व को 17 बार नष्ट करने की क्षमता होगी ।

अतः, जब भारतीय जनता पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि हम परमाणु शक्ति बन जायें, तो मेरे विचार में उनके लिए यह बताना भी आवश्यक है कि वास्तव में यह किस प्रकार का त्याग हैं। इस समय हम अपने बजट का 14 प्रतिशत रक्षा पर व्यय करते हैं और चार प्रतिशत ग्रामीण विकास पर । उन दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है ? अगर हम परमाणु हथियार की नीति को अपनाते हैं और जैसाकि उन्होंने कहा है, परमाणु हथियारों का निर्माण करते हैं तो हम रक्षा व्यय को 14 प्रतिशत तक सीमित नहीं रख सकते । अगर आप रक्षा व्यय को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत करते हैं और ऐसा आप ग्रामीण विकास के लिए जो पैसा दिया गया है उसके बल पर करते है तो ग्रामीण विकास के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा।

यह आवश्यक है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसे राष्ट्रीय विकल्प के रूप में गंभीरता से लिया जाये, तो फिर उन्हें इस आयुक्त संयोजनवाद, अतिराष्ट्रीयता और विदेशी लोगों के प्रति घृणा की भावना की भावना जिस में वे उलझे हुए है, के स्थान पर अत्यधिक स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिये कि परमाणु हथियारों के लिए वे किस चीज का त्याग करना चाहते हैं । धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान श्री जसवन्त सिंह के वक्तव्यों और उन्हीं की तरह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संपूर्ण वक्तव्यों के पश्चात् अगर वे ऐसा बताने से मना करते हैं, तो यह एक प्रकार का आडंबर ही कहा जायेगा ॥ क्या वे परमाणु-शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं ? यदि हां तो क्या वे इसके बदले राष्ट्रीय विकास की बलि देना चाहते है ? किसलिए? क्या विश्व के सर्वाधिक विनाशकारी क्लब का सदस्य बनने के लिए जिसका सदस्य बनने के लिए वह स्वयं का विनाश किए बगैर नरंसहार नहीं कर सकता।

मैंने श्री मिश्र की बात सुनी थी कि जब तक हम परमाणु शक्ति सम्पन्न नहीं बन जाते, तब तक पाकिस्तान हमारा सम्मान नहीं करेगा। मै श्री मिश्र को आश्वासन देता हूं कि अगर हम परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बन जाते हैं , तो चौबीस घंटे के भीतर पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बन जायेगा और फिर अगर हममें से किसी ने बम का प्रयोग किया, अगर कोई परमाणु बम नई दिल्ली पर गिराया गया, तो कुछ ही घंटों में, संभवत : मिनटों में लाहौर पर भी गिरा दिया जायेगा और अगर हम कराची पर हम गिराते हैं तो मुम्बई पर भी ऐसा ही कोहरा छाने में एक दिन भी नहीं लगेगा । परमाणु हथियार पहले के किसी हथियार की भांति नहीं है ।

दूसरी आवश्यक बात, जो मैं भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहता हूं, वह यह है कि इतिहास मे ऐसा कोई भी हथियार नहीं बना है, जिसका प्रयोग न किया गया हो । यह सच है कि सारे विश्व की आयुधशालाओं में परमाणु हथियारों में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद, पिछले 50 वर्षो से केवल एक हथियार क्योंकि कल वी.जी डे था अर्थात् जापान पर विजय और अगस्त में हम जापान पर विजय दिवस बनाते हैं - परमाणु हथियार ऐसा हैं, जिसका प्रयोग नहीं किया गया हैं । लेकिन 50 वर्ष तो इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है । सन् 1815 में वियना कांग्रेस से लेकर अगस्त, 1914 में प्रथम युद्ध तक की सौ वर्ष की अवधि में यूरोपीय महाद्वीप में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ और जब वे लड़ाई शुरू तो जिसके शलीपेन योजना के अनुसार 33 दिनों में समाप्त होने की उम्मीद थी, वास्तव में 9 मई, 1945 को खत्म हुई । यह लड़ाई 31 वर्षो तक चलती रही क्योंकि यूरोपीय शक्तियां यह समझने की भूल पर बैठीं कि इस पर रोक लगाने से ही शांति होगी। इस दौरान उससे भी अधिक लोग मारे गये जितने पूरे इतिहास में महाभारत समेत सभी लड़ाइयों में मारे गये होंगे । परमाणु अप्रसार के सिद्धान्त में यही कमी है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस मूढ़तापूर्ण कार्य में हम भी शामिल हो जाएं । अगर हम भारतीय जनता पार्टी की परमाणु शक्ति बनने की बात स्वीकार कर लेते हैं, तो और अधिक शक्तिशाली बनने अथवा बड़ी नैतिक शक्ति बनने का कोई तरीका नहीं रहेगा ।

इसके अतिरिक्त, हमारी कुछ महीने पहले तक परमाणु हथियारों पर विकल्प खुला रखने और परमाणु शक्ति न बनने पर जो राष्ट्रीय सहमति थी । वह भा.ज.पा के तुरन्त परमाणु शक्ति बनने के बारबर किये जाने वाले आग्रह से नष्ट हो गई है और इससे मेरे जैसे शांति प्रिय लोगों के लिए, जब हम भारत से बाहर जाते हैं और परमाणु अप्रसार संधि के लिए अपना तर्क देते हैं, बड़ी मुश्किल हो गई है । 1994 तक, मैं यह कह सकता था कि भारत में ऐसी कोई एक भी महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी नहीं है जो यह चाहती हो कि हम परमाणु शक्ति बन जायें । लेकिन अब वे हमारा उपहास करते हैं और कहते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी है और तत्पश्चात् वे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वह एक वर्ष के भीतर सत्ता में आ जायेगी । भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के अनुत्तरदायी पूर्ण रवैये से राष्ट्रीय सहमति के माध्यम से विश्व में बनाई गई हमारी स्थिति को ख़राब कर रही है । यही वजह है कि मैं इसे पूर्ण रूप से अनुत्तरदायी कहता हूं।

वर्ष 1988 से लेकर 1994 तक जिस बात पर राष्ट्रीय सहमति रहीं है वह राजीव गांधी की कार्य योजना है जिसे अनुसार परमाणु हथियार रहित तथा हिंसा-मुक्त विश्व व्यवस्था स्थापित करने की बात कही गई हैं हांलाकि श्री जसवंत सिंह यहां उपस्थित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान सदस्य यहां उपस्थित हैं और आज 10 मई है जिसकी और श्री जसवन्त सिंह ने ध्यान आकर्षित किया है और इससे पहले कि यह सभा स्थगित हो, हमारे पास अभी भी सवा घंटा है और तीनों मंत्री श्री मल्लिकार्जुन, श्री भुवनेश चतुर्वेदी और श्री भारद्वाज, जो यहां उपस्थित हैं, से मैं सरकारी सदस्य न होने पर भी भारत सरकार की ओर से अनुरोध करता हूं । मेरा अनुरोध है कि : क्या आप श्री राजीव गांधी की परमाणु हथियार रहित और हिंसा मुक्त विश्व व्यवस्था की कार्ययोजना की संपुष्टि करने वाला एक संकल्प पारित करना चाहेंगे? यह कार्य योजना वर्ष 1988 में किसी भारतीय राजनेता द्वारा ही नहीं। बल्कि विश्व में, जहां कुछ ऐसे जिनके पास परमाणु शक्ति हैं, अनेक ऐसे हैं, जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है और कुछ ऐसे हो जो इसकी दहलीज पर है, जिनमें हम स्वंय की भी गिनती करते हैं, किसी राजनेता द्वारा दियय गया इतना व्यापक वक्तव्य था जिसमें यहीं कहा गया था जैसा किये जाने की आवश्यकता है । जब श्री वी.पी. सिंह प्रधान मंत्री बने, वर्ष 1988 से लेकर दिसम्बर, 1989 तक वही कार्य-योजना भारत सरकार की कार्य योजना थी।

तत्पश्चात जून 1991 से विशेष रूप से जब प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परीषद की शिखर बैठक में गए और 30 जनवरी 1992 को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सुरक्षा परिषद की शिखर बैंक में राजीव गांधी की कार्य योजना का उल्लेख किया । यह कार्य योजना भारत सरकार की कार्ययोजना हैं । मैंने कभी भी किसी भी विरोधी दल से इस कार्य योजना का विरोध नहीं देखा ।

महोदय, हमारे पास अभी 1 घन्टे और 15 मिनट का समय हैं। मैं अपने भा.ज.पा के दोस्तों से कहता हूं कि जाए और अपने नेताओं से विचार विमर्श कर और वापस आकर हमें बताएं कि क्या श्री जसवंत सिंह का प्रस्ताव सचमुच सही प्रस्ताव हैं । यदि ऐसा है तो हमे सभा को एक पवित्र के संकल्प की आवश्यकता होगी कि सभा एकमत से परमाणु हथियार मुक्त व अहिंसक विश्व व्यवस्था को समर्थन करती है जिसे भारत के प्रधान मंत्री ने 9 जून 1988 को संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रस्तुत किया था ।

क्या वे उसे करने की इच्छा रखते हैं । यदि वे इसके पक्ष में है तो वे सभी विषय जिसके बारे में उदारहरणार्थ व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि और परमाणु विखडिंत पदार्थो का विसर्जन (न्यूक्लिअर मिसाइल मेटरियल कट आफ) इन दोनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। श्री जसवन्त सिंह जी ने अपनी चिन्ता अभिव्यक्त की है । इस कार्ययोजना में अन्तर्निहित है । यदि आप इस बात पर नजर डालें कि श्री राजीव गांधी ने स्वयं इसे कैसे प्रस्तुत किया मैं यहां उद्धृत करता हूं :

> "प्रथम चरण में, सभी परमाणु हथियारों का उत्पादन और परमाणु हथियारों के स्तर तक के विखण्डकीय पदार्थों पर तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर वार्ता करने हेतु मार्ग प्रसस्त करने के लिए तत्काल प्रभाव से परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर तुरन्त रोक लगाई जाए ।"

श्री जसवन्त सिंह द्वारा अभिव्यक्त दो सम्बद्ध विषयों की चिन्ता का श्री राजीव गांधी जी ने सात वर्ष पूर्व अनुमान लगा लिया था । और उन्होंने अपने इस पूर्वानुमान को कार्य योजना के प्रथम चरण में इन शब्दों में प्रस्तुत किया पैराग्राफ 2(1)(क)(IV) में कहा गया है "सभी परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा परमाणु हथियारों का उत्पादन बन्द किया जाए ।"

पैराग्राफ 2(1) (क) (ख) में कहा गया है सभी परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा आणविक स्तरे के विखण्डनीय पदार्थों का उत्पादन बन्द कर दिया जाए", और पैराग्राफ 2(1) (क) (vii) कहा गया है "व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर वार्ता आरम्भ और उपसंहार"। जो कुछ भी श्री जसवन्त सिंह जो चाहते हैं उसका अनुमान राजीव गांधी जी ने सात वर्ष पहले ही लगा लिया था। आज मैं जो कुछ चाहता हूं वह यह है कि हम संकल्प से संबंधित श्री जसवन्त सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करें । लेकिन लिटमस परीक्षण के अध्यधीन कि क्या हम एक परमाणु शक्ति बनने के लिए प्रस्ताव पारित कर रहे हैं या उन सभी परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों को बताने के लिए संकल्प पारित कर रहे हैं कि वे विनास के समूह से जुड़े हुए हैं और केवल उन्हें मानवता के अन्त:करण में वापस लौटने की तभी अनुमति दी जा सकती है जब वे मानवता के प्रति उस अपराध का त्याग कर दें, उस पर रोक लगायें । जो परमाणु हथियारों के उत्पादन और अधिपत्य से उत्पन्न होता है ।

मैं अपने भा.ज.पा. मित्रों के समक्ष यह चुनौती देता हूँ हमारी एक आवाज होनी चाहिए हाँ, किन्तु हमें दिखावा नहीं करना चाहिए कि हमारी सब की एक आवाज हैजब कि वास्तविकता यह है कि हममें मतभेद हैं। हमारी दो आवाज हैं। केवल साँप हीं को द्विसिखित जिह्वा होती है और उस सभा को सांप की तरह भी नहीं बनाया जा सकता

है या तो आप उस स्थिति को त्याग दें जो आपने हाल ही में बनाई है या सभा में श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी द्वारा सभा पटल पर अपनाई गई नीतियों को कायम करें लें कि परमाणु हथियारों का विकल्प बनाये रखें यहां हम पूर्णतया सहमत हैं। किन्तु भा.ज.पा. का प्रतिनिधित्व कौन करता है । क्या वह श्री अटल बिहारी बाजपेयी हैं, या श्री जसवन्त सिंह हैं अथवा श्री राय नगीना मिश्र हैं मैं नहीं जानता मुझे आशंका है कि वे स्वंय भी नहीं जानते हैं। हम इस तरह के गैर जिम्मेदाराना तरीके से विदेश नीति और सम्बद्ध प्रतिरक्षा नीति नहीं चला सकते हैं। कृपया इसे उसी तरह चलने दीजिए जैसे कांग्रेस सन् 1945 से चला रही है जब हिरोशीमा में बम विस्फोट हुआ था और उसके तुरन्त बाद गांधी जी ने चिल्ला-चिल्ला कर कहा था कि अब विश्व ने घोर विनास और अति घातक स्थिति में प्रवेश कर लिया है जो स्थिति पहले कभी नहीं थी दुर्भाग्यवश, इस देश में जैसाकि देखा गया कि श्री जसवन्त सिंह द्वारा यह कहकर शुरुआत किए जाने के बाबजूद कि चर्चा के दौरान सदस्यों का अनुपस्थित रहना इस देश के प्रति गैर जिम्मेदारी का सबूत है । इस चर्चा में भा.ज.पा. के सदस्य पूरी तरह से अनुपस्थित रहे, मैं यह कहता हूं कि यह नैतिक जिम्मेदारी है, व्यावहारिक जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मामला है और उच्च राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का मामला है जिससे यह देश पहली बार बच रहा है।.....(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : मान्यवर, सदन में फोरम नहीं है । हमारी उपस्थिति है भी नहीं है। हमारा प्वाइन्ट आप आडिट है। सदन में फोरम तो पूरा किजिए और तब कार्यवाही चलाइए । बी.जे.पी. पर आक्षेप किया गया है कि सदन में उपस्थिति नहीं है तो मेरा उस सदन में समक्ष प्वाइन्ट आप आडिट है कि सदन में फोरम नहीं है और कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है। उनको भी तो देखा जाना चाहिए और यह भी तो रिकार्ड पर आना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप गणपूर्ति के लिए कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी : नहीं, मैं तो बस यह बता रहा हूं।

प्रो० प्रेम घूमल : वह विद्वान साथियों को याद दिला रहे हैं कि ठीक तरह से बात करें.....(**व्यवधान**)

श्री मणिशंकर अय्यर : अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं। यदि आप दो मिनट और देते हैं तो में ठीक से पूरा कर लूंगा।

अत: हमें, अपने देश के क्षेत्र के और समूचे विश्व के प्रति इस अति महत्वपूर्ण मसले पर एकल राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है । और 1994 तक हमारी राष्ट्रीय सहमति इस राष्ट्रीय सहमति को एक और जिम्मेदार राजनैतिक दल द्वारा घटिया राजनीतिक फायदे के लिए यह बहाना करके छोड़ा जा रहा है कि वह तो देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं । जब कि कांग्रेस हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है इसी रवैये को मैं गैर जिम्मेदाराना कहता हूं।

हमारी एक रक्षा नीति है । यही वह रक्षा संबंधी दृष्टिकोण है जिसके अन्तर्गत सम्भवत: अत्यन्त कारगर अनुसंधान और विकास संगठन के माध्यम से, जो विश्व में कही भी रक्षा मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन संचालित है, परमाणु हथियारों का विकल्प खुला रहता है किया जाता है। मैं समझता हूं कि भारत का रक्षाअनुसंधान और विकास संगठन जैसा कि विश्व में मूल्यांकन किया गया है एक असाधारण रक्षा वैज्ञानिक प्रतिष्ठान है । यह प्रतिष्ठान व्यवहारिक रुप में हमारे विकल्पों को खुला रखता है । साथ ही हम **अग्नि** का तकनीकी प्रदर्शन भी किया है। हम इस तकनीकी प्रदर्शन कहते हैं क्योंकि हमें विश्व को दिखाने की आवश्यकता महसूस हुई कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम ऐसे प्रक्षेपात्र बना सकते हैं जिसकी भारक क्षमता महासागरों के उस पार तक हो सकती है। तब प्रश्न उठता है कि क्या हम इससे अपने निकटतम पड़ौसी पर कोई प्रभाव डाल सके । हम पृथ्वी का परीक्षण कर चुके हैं जिससे विश्व को यह पता चल गया है और एक विशेष बात यह है कि हमारे पडोसी मित्र को ज्ञात हो गया है कि यदि हम चाहें तो हमारे पास ऐसी क्षमता है । प्रधानमंत्री ने कल स्पष्ट किया है और आज मैं समाचार पत्र में भी है कि हम ऐसी सहयानी व्यवस्था का निर्माण में संलग्न हैं । जिससे पृथ्वी प्रक्षेपात्र को, जब कभी हम इस तैनात करने के लिए तैयार है तैनात करने में कामयाब रहेंगे ।

इसके बारे में निर्णय कि क्या **अग्नि** का प्रयोग किया जाएगा और यदि हां तो क्या इसका प्रयोग परम्परागत 'प्रेलोड' से किया जाएगा या आणविक हथियारों के 'पेलोड' से किया जाएगा, हम **पृथ्वी** को कैसे तैनात करें किसके विरुद्ध तैनात करें इसके बारे में निर्णय लेना राष्ट्र का एक गम्भीर मामला है और यह निर्णय गुप्त रुप से लिया जाएगा। हम गैर जिम्मेदार भाजपा की राजनीति का शिकार नहीं हो सकते हैं जो सभा में मांग कर रही है कि देश की रक्षा के महत्वपूर्ण रहस्यों को सभा में रखा जाए। क्या वे वास्तव में गम्भीरतापूर्वक चाहते हैं कि हम विश्व को चौकन्ना कर दें, हम अपने पड़ोंसियों को और **अग्नि** तकनीक के भावी विकास या **पृथ्वी** प्रक्षेपातृ के निर्माण और तैनाती के बारे में अपनी योजनाओं को विस्तार से उजागर करके अपनी सैन्य व्यवस्था को असमंजस में डाल दें? महोदय, यह कोई ऐसे निर्णय नहीं है जिन्हें हम सभा पटल पर बता सकें। यह ऐसे निर्णय है कि जो हम एक प्रभुत्तासम्पन्न राष्ट्र के रूप में एक सम्प्रभु राष्ट्रीय हित में लेते हैं। और जब यह विपक्षी सदस्यों द्वारा यह समझा जाता है कि कांग्रेस सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका की धृष्टतापूर्ण ताकत के आगे घुटने टेक रही है, तो उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज कांग्रेस सरकार के घुटने ही राष्ट्र के घुटनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब वे सुझाव देते हैं और यह सलाह देकर कि यह महान देश भारत किसी धृष्ट ताकत के आगे नहीं झुकेगा, वे राष्ट्र का अपमान करते हैं। और इस तरह से न करते हुए हम मानव सभ्यता के नैतिक प्रकाश स्तम्भ को बरकरार रखेंगे।

महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के महानतम क्रान्तिकारी नेता बने

जिन्होंने इसके लिए परम्परागत शक्ति अथवा प्रतिष्ठा के मानदण्डों को नहीं अपनाया। उन्होंने इन सभी परम्परागत मानदण्डों को नकार दिया और यदि पिछले 50 वर्षों में भारत की आवाज सुनी गई है तो यह इसलिए नहीं कि हम महान आर्थिक शक्ति हैं या न कि हम महान सैनिक शक्ति हैं, या न कि हम विश्व में हावी होने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। हमारी आवाज इसलिए है क्योंकि विश्व अन्य सभ्यता के बजाय नैतिक सभ्यता के रूप में हमारा आर्थिक सम्मान करता है ।

भारतीय जनता पार्टी का इस सर्वाधिक विनाशकारी क्लब में हमारे शामिल होने का सुझाव, हमारे सभ्य होने की नैतिकता पर एक दाग होगा। जैसाकि श्री जसवन्त सिंह ने इस सभा में कहा है कि अगर कभी हमारे पास परमाणु हथियार हो भी जाएं, तब भी इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम इसे पहले कभी भी प्रयुक्त नहीं करेंगे। अगर आप पहले इसे किसी के विरुद्ध प्रयुक्त करने नहीं जा रहे हैं, तो कृपया किसी और को अपने विरुद्ध इसे पहले प्रयोग करने के लिए मत उकसाइये।

परमाणु हथियार एक प्रकार से मानवीय समस्याओं का हिंसा के माध्यम से हल ढूंढ़ने की मनुष्य की अंधी दौड़ के लिए प्रकृति का प्रतिकार है क्योंकि परमाणु हथियार हमारे हाथों में ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से आस्ट्रेलिया आदिवासी के हाथों में बूमरैंग होता है। जब किसी बूमरैंग को फैंका जाता है, तो यह अपने शिकार को चोट पहुंचाकर आदिवासी के हाथ में वापिस आ जाता है। लेकिन यह उसे मारता नहीं है। जब परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है, तो यह वापिस आ जाता है। विजेता को भी उतना ही नुकसान होता है जितना विजित को। अत:, महोदय, मैं यह अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तत्काल परमाणु शक्ति की नीति, जो इसकी घोषित नीति है, को त्याग देना चाहिये और अगले 64 मिनट के भीतर इस सभा में आकर हमें बताना चाहिये कि हम यहां एक पंक्ति का संकल्प यह कहते हुए पारित कर सकते हैं कि एक परमाणु हथियार रहित और हिंसा-मुक्त विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए राजीव गांधी कार्य-योजना का समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे साथी मणि शंकर अय्यर जी भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से कई निराधार तर्क प्रस्तुत करके कोसने का प्रयास कर रहे थे और बार-बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम ले रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी की मृत्यु से पहले जब पाकिस्तान की सेनाओं ने हिन्दुस्तान के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय जवाहर लाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उनके मन में चिंता पैदा हुई कि यदि पाकिस्तान की सेनाओं का मुकाबला करने के लिए अगर भारतीय सेनाओं को आदेश देता हूं तो बापू क्या कहेंगे, इसलिए मन में कुछ संकोच था। वह जब गांधी जी के पास मिलने के लिए गए और उनसे कहा कि यह समस्या देश के सामने आ गई है तो शायद उस समय बापू जी ने कहा था, वह शब्द शायद अय्यर साहब ने कभी पढ़े नहीं होंगे। बापू ने कहा कि गांधी जी की अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं है, वीरों की है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाओं को भेजो। यह उन्होंने इसलिए कहा था कि जब राष्ट्र की प्रभुसत्ता और रक्षा करने का प्रश्न आता है।.....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय :रावत जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। कृपया अनुवाद की व्यवस्था कीजिए। अब सदस्यों को अनुवादित संस्करण सुनने को मिल रहा है। आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, अभी मणि शंकर अय्यर जी बड़े जोर-शोर से कई निराधार तर्क प्रस्तुत करके भारतीय जनता पार्टी की अणु बम के संबंध में जो नीति है उसके बारे में कुछ भ्रम पैदा करने का दुस्साहस कर रहे थे। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा और उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाना चाहूंगा कि जब देश की आजादी के तुरंत पश्चात पाकिस्तान ने कबायलियों को आगे करके हिन्दुस्तान की सीमाओं के ऊपर, कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया था, उस समय नेहरू जी ने देखा कि अगर पाकिस्तान की सेनाओं का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेनाओं को भेजते हैं तो बापू क्या सोचेंगे, क्योंकि वह तो अहिंसा की बात कहते रहे हैं। वह बड़े संकोच के साथ गांधी जी के पास गए और उनके पास जाकर निवेदन किया कि बापू एक समस्या पैदा हो गई है क्या किया जाए? बापू ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू जी, मेरी जो अहिंसा है वह कायरों की अहिंसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं के ऊपर कबायलियों को आगे करके आक्रमण किया है तो तुमको अपनी सेनाएं पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए लाहौर की ओर भेजनी चाहिए। इससे साफ पता लगता है कि गांधी जी की अहिंसा कोई कायरों की अहिंसा नहीं थी।

5.00 म.प.

सभापति महोदय, मैं यदि घर में हृष्ट-पुष्ट बनने के लिए व्यायाम करता हूं, आसन करता हूं, योगासन करता हूं, शक्तिशाली बनने का प्रयास करता हूं और मेरा पड़ौसी यह कहे कि यह शक्तिशाली होगा तो इससे हमको खतरा होगा। इस तरह की बातों पर ध्यान देकर क्या हम अणुबम बनाना छोड़ देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो इस बारे में नीति है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करना चाहता हूं। आज हमारे देश के चारों तरफ जिस प्रकार की स्थिति है और हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान ने आणविक हथियारों का विकास कर लिया है, जर्मनी या अन्य देशों से यूरेनियम आदि साधनों को प्राप्त कर लिया है, उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। चीन भले ही दोस्ती की बात कर रहा है, लेकिन मन में वह भारत को एशिया में अपना सामरिक प्रतिद्वंदी

अवश्य समझता है । इसलिए चीन और पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए, अफगानिस्तान में गृहयुद्ध को स्थिति को देखते हुए और सोवियत यूनियन के विघटन के बात छोटे देश दुनिया के बाजार में जिस प्रकार से परमाणु रहस्यों को बता रहे हैं और कई देश परमाणु-शक्ति संपन्न बन चुके हैं, इस सारी स्थिति को देखते हुए हमको कल्पना की दुनिया में न रह कर धरातल पर रह कर सोचना चाहिए। पहले हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा लगाया जाता था, लेकिन 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ तब नेहरू जी ने कहा था कि हम कल्पना की दुनिया में रह रहे थे, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आज भी मैं यही बात कहना चाहता हूं कि क्या आग लगने पर कुआं खोदा जाएगा। मेरी दृढ़ मान्यता है कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, शत्रुओं की स्थिति को देखते हुए सेनाओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए अणुबम का निर्माण भारत को करना चाहिए। आज पाकिस्तान आई.एस.आई. के माध्यम से कशमीर में जो स्थिति पैदा कर रहा है, चरारे शरीफ में घुसपैठियों ने शरण ले रखी है, पूर्वांचल में जो स्थिति है, ऐसे स्थिति में जल, थल और वायु सेना में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अणुबम का निर्माण करना चाहिए ।

इसी तरह से रक्षा व्यय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर बताया गया कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष रक्षा व्यय में 2500 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, लेकिन वास्तविक संशोधित बजट को देखने से पता चलता है कि यह वृद्धि केवल 8.3 प्रतिशत है और हमारी मुद्रास्फीति की दर 12 प्रतिशत बढ़ चुकी है । माननीय राज्य मंत्री यहां पर बैठे हैं रक्षा बजट में कमी से हमारी सेनाओं के विकास में कमी नहीं आनी चाहिए।

5.04 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, बोफोर्स के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के बार-बार आश्वासन देने के बाद कि विवरण सदन में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी सदन में जानकारी नहीं दी गई है कि स्वीडन से क्या विवरण मिला है, दलाली में कौन-कौन लोग शामिल हैं। ये सारी बातें देश की जनता के सामने आनी चाहिए।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि रक्षा बजट का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा नौसेना को अवश्य मिलना चाहिए। हमारी नौसेना तटवर्ती सीमाओं की रक्षा करती है और हमारी तटवर्ती सीमाओं की स्थिति को देखते हुए नौसेना की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, मैं एक भूतपूर्व सैनिक का पत्र हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने दसवीं कक्षा पास की थी उस समय मेरे पिता जी लांस-नायक के पद पर थे और उस समय उनकी प्लाटून को तोड़ दिया गया और उन्हें बिना पेंशन के घर बैठना पड़ा। आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण हमें कर्ज लेना पड़ा। सिकंद्राबाद में उनका हैडक्वार्टर था लेकिन वहां से या डी.डी.-40 से या ए.ओ.सी. से कोई मदद नहीं मिली बावजूद इसके कि उनके डिसचार्ज सार्टिफिकेट में सारी जगह गुड और एग्जैम्पलरी लिखा था। यह मैंने व्यक्तिगत उदाहरण इसलिए दिया कि भूतपूर्व सैनिकों की दयनीय स्थिति की तरफ हम ध्यान दें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। गांव के अंदर भूतपूर्व सैनिकों को जो जमीनें अलॉट होती हैं उन जमीनों के ऊपर उनको कब्जा नहीं मिलता है, उन जमीनों के ऊपर उनको अन्न बोने नहीं दिया जाता है और बहुत से लोग जो द्वितीय विश्वयुद्ध के अंदर लड़े थे या पाकिस्तान और चीन से लड़ते हुए जिन्होंने वीरगति प्राप्त की थी उनकी विधवाओं को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी विधवाओं को जो पेंशन मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिल रही है। कहते जरुर हैं कि कार्रवाई की जा रही है लेकिन कार्रवाई का पता नहीं लगता है। जो सैनिक जिला बोर्ड है उनको प्रभावी बनाना चाहिए। मान्यवर, आरक्षण का मामला बहुत चल रहा है और उसकी सीमा को भी हम 50 परसेंट से ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ भूतपूर्व सैनिकों के लिए जब नौकरियों में आरक्षण हो गया तो आरक्षण की पूर्ति किस प्रकार होगी ? क्या उनके कल्याण की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, क्या जिन पदों पर उनके लिए आरक्षण था उनकी प्राथमिकता प्रधान कर दी जाएगी। लेकिन आज वह कागजों के अंदर है यथार्थ के अंदर वह नहीं हो रहा है । उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं अजमेर का रहने वाला हूं। वह जिला ऐसा है कि वहां पर परिवार से तीन-तीन, चार-चार जवान सेना के अंदर हैं। अजमेर में, ब्यावर में आप रेलवे स्टेशन पर जाएं तो आपको बहुत से लोग अपने परिवार के सैनिकों को शान के साथ विदा करते नजर आ जाएंगे। हम सब और सारा देश जवानों के प्रति आभार व्यक्त करता है चाहे वे जवान जल, थल, या नभ किसी भी विंग से संबंधित क्यों न हो। लेकिन राजनैतिक नेतृत्व जब उनके द्वारा जीती भूमि को टेबल पर बैठकर वापिस कर देता है तो सैनिकों के दिलों पर क्या गुजरती है यह तो कोई सैनिक ही बता सकता है। मैं अपने राजनैतिक नेतृत्व से अनुरोध करूंगा कि कमजोर हाथों से शासन नहीं चला करता है । "बहादुर कब किसी का आसरा अहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं।" अरे, दिलवर, मर्द का लोहा सब मान लेते हैं, जो कमजोर होता है कान उसके सब पकड़ लेते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार देश की सीमाओं को शक्तिशाली और सुदृढ़ बनाने में तनिक भी कोताही न बरते। हम जानना चाहते हैं कि चीन के साथ में कई महीनों से बातचीत चल रही है और कई दौर हो चुके हैं। उनके अंदर हमारी सीमाओं को लेकर क्या वार्ता हुई है?

सीमाओं को लेकर क्या परिणाम रहे हैं और क्या चीन ने मैकमोहन लाइन के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, क्या उसको मान्यता प्रदान कर दी है? क्या अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीन ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है या लद्दाख का जो एरिया उसने अपने कब्जे में ले रखा है या कश्मीर का 4800 वर्गमील का इलाका जो उसे पाकिस्तान ने दे रखा है या भारत का अक्साई चीन का 14400 वर्गमील

का इलाका चीन के पास है, उसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट की है? उस जमीन को मुक्त कराने के लिए इस संसद में प्रस्ताव भी पास हुआ था कि जब तक हम देश की मातृभूमि की एक इंच जमीन भी वापस नहीं ले लेते, हम तब तक चैन से नहीं बैठें के, संसद के अंदर वे आवाजें गूंजती रही होंगी। लेकिन देश की भूमि पर शत्रुओं का कब्जा हो चुका है, उसको मुक्त कराने के लिए क्या प्रयास हुए हैं, इस सम्बन्ध में देश की जनता को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

तथाकथित मानवाधिकार संगठनों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। आज ऐसे लोग भी हैं जो छद्म धर्मनिरपेक्षता का ढिढ़ोंरा पीटते हैं और चरारे शरीफ की घटना या हजरत बल को लेकर हमारे सैनिकों पर निराधार आरोप लगाते हैं । वे सैनिक जो हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहूति देने को सदैव तत्पर रहते हैं, जी-जान से सीमाओं पर जुटे रहते हैं। अपने परिवार वालों को छोड़कर सियाचिन की बर्फीली चोटियों और लद्दाख नेफा तथा हिमालय की चौटियों पर जान की परवाह न करते हुए निगरानी करते हैं । उनके बारे में इस प्रकार की बात करना उनके मनोबल को गिराने की बात होगी । ठीक है जो अत्याचार करता है, वह सामने आना चाहिए. लेकिन केवलमात्र किसी वर्ग विशेष के तुष्टिकरण के लिए, छद्म धर्म-निरपेक्षता के नाम पर, तथाकथित मानवाधिकार संगठनों के नाम पर देश के शत्रुओं को बिरयानी खिलाई जाये और देश के जवानों की उपेक्षा की जाये, यह कहां तक उचित है? चरारे शरीफ में आग लगाने वाले जो आदमी है, वे आई. एस.आई. के लोग हैं, लेकिन आरोप लगाया जाता है कि हमारे सैनिकों का आग लगाने में हाथ था, इस प्रकार की बातें कही गई हैं, हमें ऐसी बातें से बचना चाहिए। क्योंकि हमारे सैनिकों को जब इस प्रकार की बातों का पता चलता है को उनकी आत्मा को बहुत कष्ट होता है । वह सारा कष्ट उठाकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तन-मन-धन से अर्पित हैं। तो फिर हमारे देश के तथाकथित राजनेता उनके कार्यों का मुल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं? ऐसी बातों से उनका मनोबल गिरता है । इसलिए उनके मनोबल को बनाये रखने के लिए ऐसे मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट आती है उनको सरकार रद्दी की टोकरी में डाल दे। देश की रक्षा के लिए कोई हमें कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसका भी बलिदान देना पड़े तो उसमें हमें तनिक मात्र भी संकोच नहीं करना चाहिए। देश के सैनिकों के मनोबल को बनाये रखना होगा ।

अजमेर में सैनिकों की भर्ती के केन्द्र में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पहले वहां पर भर्ती मेला लगता था। उसमें भर्ती करके उसको भेज दिया जाता था। अब फार्म का सिस्टम शुरू किया गया है। गांव का आदमी पहले फार्म भरने के लिए आयेगा, फिर भर्ती के दिन आयेगा। उसके बाद उसका टैस्ट हहेगा, फिर मेडिकल के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद कह दिया जाता है कि दूसरी जगह से डाक्टरी जांच कराकर लाओ। राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को और रक्षा मंत्रालय को अनुरोध किया है कि हमारे यहां पर विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण शैक्षिक पिछड़ापन बहुत है इसलिए दसवीं पास की जो सैनिकों की भर्ती के लिए अनिवार्यता है, उसको हटाकर आठवीं पास कर दिया जाये। इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। मुझे कहना पड़ता है कि अजमेर जिले के अंदर एक जाति विशेष के लोग जो गुर्जर हैं, उनके लिए आठवीं पास कर दिया, लेकिन बाकी जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनके लिए अभी भी अनिवार्यता की सीमा दसवीं पास ही रखी हुई है । एक ही जिले में रहने वाले लोगों के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे यहां जो कटक मंडल है, नसीराबाद का केंटोनमेंट बोर्ड है उसके विकास के लिए बार-बार यही डायरेक्टोरेट आफ इस्टेट को लिखा गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। वहां जो सक्षम अधिकारी है या सेना के ब्रिगेडियर जो इंचार्ज होते हैं, वह लगातार ध्यान रखें। कि नगर की जो सिविल पापुलेशन है उसका भली प्रकार से विकास हो रहा है, सड़कों, नालों का काम हो रहा है या नहीं, या वहां की जनता नाजायज कब्जे हटाना चाहती है, लेकिन आज तक नहीं हटे। कानूनी दांव-पंच में उलझे हुये हैं। इसलिये में रक्षा राज्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें। भर्ती दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने में प्रभावी कार्यवाही करें। अभी कुछ दिनों पहले एक जवान भर्ती के लिये आया तो दलाल ने हजारों रुपया लिया लेकिन वह पकड़ा गया और उसकी जेब से रुपया बरामत हुआ तो उसको सजा हुई और वह कैद में है। लेकिन ऐसे और भी प्रकरण हैं जिनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये।

उदाध्यक्ष महोदय, इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात यह कहते हुये समाप्त करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन हो, जैसा हमारे उप नेता श्री जयवंत सिंह जी ने कहा इसके लिये अलग से प्रतिरक्षा मंत्री होना चाहिये जैसा कि सन् 1947 के बाद से होता रहा है और कैबिनट रैंक का मिनिस्टर होने की परम्परा रही है, वैसी रहनी चाहिये।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों पर चल रही बहस में अपने विचार रखना चाहता हूं।

मैं आज कई दिनों से इस बहस को सुन रहा हूँ और मुझे ऐसा लगा कि इस प्रतिरक्षा मंत्रालय की मागों की दो विचारधारायें है। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि हमें प्रतिरक्षा के मामले में क्या क्या करना चाहिये तो वे जानते हैं कि हमारा देश शान्तिप्रय देश है । और जो बातें उन लोगों ने कही, उससे लगता है कि हमारा देश प्रतिरक्षा के मामले में कमजोर है। लेकिन यह समझ गलत है। हम तो प्रतिरक्षा मामले में मजबूत हैं। सबसे बड़ी और पहली बात यह है कि हम मानवाधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। हम इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। चाहे कितना भी विकसित देश क्यों न हो। कुछ वर्षों पूर्व इस दुनिया में दो महान शक्तियों का उदय हुआ। साम्राज्यवादी अमरीका और समाजवादी सोवियत रुस । हमारा भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्रें का नेता रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम छोटे छोटे राष्ट्रों की रक्षा करते हैं। जो लोक समझते हैं कि हमें अणु बम बनाना चाहिये, काबिले जरूरी है लेकिन जरूरत पड़ने पर यह होती है। हम पहले से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हम तो मानवाधिकार की घेराबंदी में हैं, सुरक्षा

के लिये सारा धन यहां लगना चाहिये तो फिर राष्ट्र के विकास के लिये क्या होगा? रक्षा सार्वभौमिकता को बरकरार रखना तो दूसरी तरफ जो भीतरी उलझनें पैदा हो गयी हैं, उसमें फंसे हुये हैं तो वह उलझन किस के लिये हैं? वह उलझन विकास की कमी के कारण है। अगर हम विकास की गति को कम कर दें तो हम और उलझ जाएंगे । हम अपनी घरेलू उलझनों में फंसे रहेंगे तो विदेशियों से मुकाबला कैसे करेंगे? हमारे कुछ मित्रों को यह संभावना लगती है कि शायद दुनिया में कोई तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, लेकिन हमारी प्रतिरक्षा का काम मजबूत होना चाहिए। हमारे जवान बहुत मजबुत हैं और बहुत हिम्मत से अपना काम कर रहे हैं। उसमें जरा सी भी कमजोरी नहीं आई है । हमारे अधिकारियों में कोई कमजोरी नहीं आई है । जितना लोग बोल रहे हैं, यह सब थोथी दलीलें हैं। फिर भी रक्षा के काम में जितनी जरूरत होनी चाहिए, वह हमें पूरी करनी चाहिए। हमें सामान खुद बनाना चाहिए और सिर्फ विदेशों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए।

आज दुनिया में नयी नयी टैक्नोलॉजी आ गई है । हमें उसको हासिल करना चाहिए और उन सारी चीजों को हम बना भी रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कई वर्षों पहले एक अभियान चला था कि मानवाधिकारी की रक्षा के लिए जो मानवों का विनाश करने वाले सामान हैं, उनको समुद्र में डुबा देना चाहिए। विश्व में शान्ति कायम करने के लिए यह सवाल उठा था और यह सवाल तभी तक था जब तक सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में मौजूद था। किस तरह से हमने गोवा को हासिल किया । क्या वहां एटम बम चलाने की जरूरत पड़ी। मिस्र ने एक नहर पर कब्जा किया जब वह उसके हाथ में नहीं थी। क्यूबा अमेरिका के बगल में लगा हुआ छोटा सा देश है जो पहले अमेरिका के चंगुल में था। वहां के नेता फीडल कास्त्रों ने अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वियतनाम भारत के एक प्रांत के बराबर भी नहीं है और उसने अमेरिका के छक्के छुडा दिये थे। पहले वियतनाम दो खंडों में था और बाद में वह एक हो गया और अमेरिका सारी शक्ति लगाकर भी थक गया। यह ऐसी शक्ति के कारण हुआ जो शान्ति चाहती थी। वह शक्ति आज दुनिया में नहीं रही तो भारत की चिन्ता होना स्वाभाविक है और लग रहा है कि आज भारत पर कोई बड़ा आक्रमण होने वाला है। सोवियत संघ का विभाजन भारत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ है, यह मानना पड़ेगा। हम यह कहेंगे कि अमेरिका का एकछत्र राज्य आज दुनिया पर हो गया है। जो लोग कहते हैं कि हम अमेरिका के चंगुल में चले गए हैं, वह बात ठीक है क्योंकि वह विश्व-शक्ति बन गया है और सब उसके पीछे जा रहे हैं। आज ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसको रोक सके। लेकिन दुनिया में जो शान्ति रखने बोले गुटनिरपेक्ष देश हैं, उन सबकी भारत रक्षा करेगा। यह बात नहीं है कि भारत में वह शक्ति नहीं है। भारत एक विशाल और मजबूत देश है और इस देश ने कई युद्धों में यह साबित कर दिया है। जब पाकिस्तान के पास अमेरिका से युद्ध के लिए आधुनिक से आधुनिक शस्त्र मौजूद थे, तो भी पाकिस्तान से टूटकर बंग्लादेश अलग देश बन गया और दुनिया के नक्षे पर आ गया । पाकिस्तान उसको अपनी एकता में कहां रख सका? इसलिए ऐसी बात नहीं है कि युद्ध के लिए आधुनिक शस्त्रों को रखने पर कोई देश टूट नहीं सकता है। अगर आप देश को सही तरह से नहीं चला सकते हैं तो सामान रहते हुए भी देश टूट सकता है। जब हम विकास की गति को कम कर देंगे, पिछड़ों और बेकारों की बेकारी दूर करने की बात नहीं करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं करेंगे, किसानों को उन्नत किस्म की खेती करने के लिए सहायता नहीं देंगे, मज़दूरों के लिए सुविधाएं नहीं देंगे तो युद्ध का कितना भी सामान हम जमा कर लें, देश नहीं बचेगा और देश टुकड़े-टुकड़े हो सकता है ।

आखिर कितने दिन तक देश ऐसे चलेगा? क्या न्युक्लियर बम से हम देश को बचा सकते हैं? यह तो बाहरी खतरों के लिए है लेकिन देश में अंदरूनी खतरा आयेगा तो कैसे निपटेंगे? हमारे देश में मिसाइलों के कई परीक्षण हुए हैं। कल हमारे साथी पृथ्वी के बारे में बोल रहे थे और मंत्री महोदय ने भी कहा कि वह कार्यक्रम बढ़ रहा है और इसे हम पूरा करेंगे । हमें इसको शंका की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अखबारों में हम यह प्रचार न करें कि हम इतने कमजोर हैं। बहुत सी चीजों की हमें गोपनीयता भी रखनी है । जब युद्ध होगा तब देखा जायेगा कि हमारे पास क्या है।

1962 में चीन से युद्ध हुआ था। यह 1995 है और इसे 33 वर्ष हो गए। क्या आज भारत वही है? मैं कहता हूं भारत वहीं नहीं है। इस वक्त हमने अमरीका से जो सामान लिया था वह पुराना सामान था। अमरीका ने हमको धाखा दिया था। इसलिए हमें अमरीका से सतर्क रहना जरूरी है। हमारे जवान पीछे हटने वाले नहीं है । जब युद्ध होगा तो हमारे देश का हर नागरिक, महिलाएं, बच्चे सभी लड़ाई के लिए उसी प्रकार से तैयार रहेंगे जिस प्रकार से वियतनाम के लोगों ने किया था। हमारे देश के लिए 90 करोड़ व्यक्ति फौज बनने को तैयार है। इतनी बड़ी फौज से कोई कैसे मुकाबला कर सकता है।

एटम बम की बात है। एटम बम हिटलर ने रखा था लेकिन वह जर्मनी को नष्ट होने से नहीं बचा पाया । हिटलर का पता ही नही चला कि वह कहां गायब हो गया । एटम बम रखने वाला भी नष्ट हो गया और उसका देश भी नष्ट हो गया । इसलिए देश का निर्माण एटम बम से नहीं हो सकता । हमारा देश मजबूत होना चाहिए, देश का विकास तेजी से होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।

पाकिस्तान की बात करते हैं। क्या पाकिस्तान में उद्योग है? नेहरू जी ने उद्योगों को आधुनिक मंदिर कहा था। हमारे देश में बड़े-बड़े उद्योगों के मंदिर हैं लेकिन पाकिस्तान में ऐसे मंदिर नहीं हैं। आज हम किसी चीज के लिए मोहताज नहीं हैं लेकिन पाकिस्तान एक सुई के लिए भी मोहताज है ।

रक्षा मंत्रालय एक प्रमुख विभाग है और इस विभाग पर देश का गौरव है । लेकिन इसमें भी कई विसंगतियां आ गयी हैं। भ्रष्टाचार सिर से ऊपर उठ गया है। भ्रष्टाचार का राक्षस, जो कांग्रेस का जन्म दिया हुआ है यह इतना ताकतवर हो गया है कि उस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का वध कैसे किया जायेगा यह उन्हीं लोगों को सोचना होगा। जिन्होंने जन्म दिया है, जो माता-पिता हैं, उन्हीं को सोचना होगा कि यह इतना

बड़ा हो गया है तो इसको कैसे नष्ट किया जायेगा । कई ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो रिक्रूटमेंट के जरिये लखपति-करोड़पति हो गए हैं। जो व्यक्ति 20-25 हजार देकर नौकरी में आएगा, कर्जा लेकर नौकरी करेगी तो वह कर्जा भी वह वहीं से बसूल करने की कोशिश करेगा । आज ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं। फौज का सामान क्यों बाहर चला जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है? आखिर यह सब क्या हो रहा है? सेना में खाने-पीने में भ्रष्टाचार है, दवाइयों के मामले में भ्रष्टाचार है। जब रक्षा मंत्रालय का भार पंत जी पर था। मैं उनके पास सारे सबूत ले गया था और उन्हें बताया था कि किस तरह से इन लोगों द्वारा दवाओं का व्यापार हो रहा है, किस तरह इन लोगों द्वारा दवाओं को बेचा जाता है और किस तरह दुसरे काम हो रहे हैं। मैंने सारी चीजों को उनके सामने रखा था। इसलिये मैने कहा कि रक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार आ गया है वह बहुत खतरनाक चीज है। बोफोर्स का मामला तो है ही, सारे सबूत आपके सामने हैं, इसलिये में कहूंगा कि मंत्री जी जब यह विभाग आपके पास है और इस रक्षा विभाग में तमाम भ्रष्टाचार दिखाई देता है, आपको उसे निकालना होगा और एकदम कठोर बनकर निकालना होगा क्योंकि यह देश की रक्षा का मामला है और इसमें भ्रष्टाचार की बू तक नहीं आनी चाहिये, गंध तक नहीं आनी चाहिये, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा।

अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोल गये हैं कि देश बड़ी भयावह स्थिति में है, देश ख़तरे में है लेकिन देश किसी खतरे में नहीं है क्योंकि यह बनने वाली चीज है और जरूरत पड़ेगी तो हम देश को बनायेंगे। आपसे पूछने की जरूरत नहीं हैं। अगर किसी समय देश की जनता पागल हो गयी, उसकी सोचने की ताकत खत्म हो गयी, कोई और दुर्भाग्य हो गया या कहीं इनके हाथ में सत्ता आ गयी तो प्रकृति और भगवान के अलावा कोइ नहीं जानता कि देश का विनाश होगा या क्या होगा लेकिन इस देश की जनता धन्य है कि उसने अभी तक इनको आने नहीं दिया अन्यथा यह देश बचने वाला नहीं है। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक (बोलनगीर): उपाध्यक्ष महोदय, श्री मणिशंकर अय्यर ने इस सभा में जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं और मेरे विचार में विपक्षी सदस्य भी उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

महोदय, परमाणु अप्रसार-संधि पर प्रधान मंत्री जी के साहसिक दृष्टिकोण के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। वर्तमान सुरक्षा वातावरण को देखते हुए, हमारी रक्षा क्षमता और सेवाओं को उन्नत बनाये जाने की आवश्यकता है। निजीकरण के साथ, रक्षा क्षेत्र को भी उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए खोला जाना चाहिये। छावनी क्षेत्रों में पड़ी फालतू भूमि का वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिये ताकि राजस्व की प्राप्ति हो सके। आयुध कारखानों को अर्थक्षम बनाने के लिए उनका नवीकरण किया जाना चाहिये। रक्षा बलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिये। यह खुशी की बात है कि हमारे सशस्त्र बलों ने विश्व के गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की भूमिका अदा की है।

जहां तक प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी का संबंध है, पड़ोसी देशों के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस कार्यक्रम का और विस्तार किया जाना चाहिये। इस कार्यक्रम के लिए 1995-96 के बजट में और अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। हमारे रक्षा बल कठिन परिस्थितियों के बीच आतंकवाद का मुकाबला करते हुए जम्मु और कश्मीर में अच्छा काम कर रहे हैं। और अधिक प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए रक्षा सेवाओं में वेतन तथा पदोन्नति के अवसरों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

उड़ीसी में रक्षा प्रतिष्ठानों की पड़े पैमाने पर उपस्थिति को देखते हुए, वहां एक छावनी स्थापित की जानी चाहिए। माननीय मंत्री से यह मेरा अनुरोध है। बदलती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए चिल्का लेक में नौसेना प्रशिक्षण स्कूल का विस्तार किया जाना चाहिये। उड़ीसा में प्रादेशिक सेना की एक यूनिट स्थापित की जानी चाहिए। इस देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय को एक कार्यक्रम चलाने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिये । यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है।

अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में, मैं यह बात माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा। वर्ष 1984 में, उड़ीसा के बोलंगीर जिले में बड़मल में श्रीमती गाँधी ने एक आयुध कारखाने की स्थापना की है । शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण बोलंगीर जिले में लगभग 1,000 युवक, जिनके पास 'विस्थापित-कार्ड' हैं, आयुध कारखाने में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

अत:, मेरा अनुरोध है कि वहां के लोगों को पात्रता शर्तों में छूट दी जानी चाहिये ताकि विस्थापित तथा स्थानीय बेरोजगार युवकों को इस आयुध कारखाने में रोजगार मिल सके। यह दुर्भाग्य की बात है कि परियोजना अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही है। इसे 1984 में शुरु किया गया था और 1995 है । ग्यारह वर्ष बीत गये, जिसके परिणामस्वरूप इसकी लागत बढ़ गई है । अत: माननीय मंत्री से मेरी मांग है और अनुरोध है कि बड़मल में आयुध कारखाने की परियोजना को चालू वर्ष के दौरान पूरा किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि उन्हें बोलंगीर जिले के बड़मल क्षेत्र के विस्थापित लोगों के मामले पर विचार करना चाहिये क्योंकि पिछले दस वर्षों में वे अपनी जमीनें, घर और सभी कुछ गवां चुके हैं। केन्द्रीय सरकार ने संपूर्ण धनराशि राज्य सरकार के पास जमा कर दी है परन्तु पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार ने इन विस्थापित लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। यहां तक कि आज भी वे हर प्रकार की मुसीबतें उठा रहे हैं। चौथी और पाँचवी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी कारखाने में श्रमिक के तौर पर काम करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें कारखाने में काम नही मिल पाता, अत:, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इस क्षेत्र के लोगों के रहन-सहन के स्तर के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करें ।

इन शब्दों के साथ, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों का मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय की मांगों पर बहस चल रही है और राष्ट्र की रक्षा की रक्षा के लिए सभी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रावधान हो। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमने जो विदेशी ऋण ले रखा है, उस पर हम, जितना हमने इस बार रक्षा बजट में प्रावधान किया है, उससे लगभग दुगना ब्याज ही दे रहे हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर जी ने अणु प्रसार संधि के विषय को उठाकर जो उनकी कल्पना में बातें आती हैं, वे उन्होंने कही। लेकिन मुझे एक बात की प्रसन्नता है कि जो साम्यवादी सदस्य श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह जी उनके बात बोले, उन्होंने भी इनकी ही बात का समर्थन किया। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कांग्रेस का ही सदस्य बोल रहा है। जब मैं इतिहास को देखता हूं, तो मुझे याद आता है कि जिस-जिस सरकार का कम्युनिस्टों ने समर्थन किया वह ज्यादा दिन तक नहीं रही इसलिए यह सरकार भी जाने वाली है, यह बात मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। चाहे इन्होंने इमर्जेंसी में कांग्रेस का समर्थन किया हो, चाहे अंग्रेजों के समय में किया हो और चाहे 1962 में चीन के आक्रमण के समय किया हो। जिस-जिस सरकार के समर्थन में ये आए, उस-उस सरकार को लेकर बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मणि शंकर अय्यर जी ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया कि हम ग्रामीण विकास के लिए चार प्रतिशत खर्च कर रहे हैं और रक्षा पर 14 प्रतिशत। इनको 14 प्रतिशत चुभ रहा है। हमारा ग्राणीण विकास से कोई विरोध नहीं है। मैं आपसे ज्यादा पिछड़े गांव से आता हूं, लेकिन मेरे गांव में हर घर से सेना में भी एक व्यक्ति कार्यरत है। मणि शंकर अय्यर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ग्रामीण विकास पर चार प्रतिशत खर्च कर रहे हैं, तो यह पिछली 48 साल की कांग्रेस सरकार की अक्षमता के कारण ही है जो इतना कम धन ग्रामीण विकास के लिए खर्च किया है । इसके लिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं ।

आपने एक बात की तुलना की है और पूछा है कि हमें देश की रक्षा के लिए अधिक धन देना चाहिए या ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए? अगर दोनों में चुनना है, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि देश की रक्षा के लिए हमें ज्यादा धन देना चाहिए। देश रहेगा, तो गांव का विकास भी होगा। उपकी थोथी दलीलों से गावों का विकास होने वाला नहीं है। मैं मानता हूं कि आप बहुत विद्वान हैं और अपने आर्गूमेंट को, असत्य बात को, गलत बात को भी, घुमा-फिरा कर पुट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मन में खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि अगर हम हिन्दुस्तान की रक्षा ही नहीं कर सके, तो कौन से गांव का विकास होगा? इसलिए कृपया ऐसी तुलना में मत जाईए।

आप कभी महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और महात्मा गांधी की जितनी बदनामी कांग्रेस के कारण कर रहे हैं, उसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। यह भ्रष्टाचार, यह बेईमानी, यह सांप की दोमुंह वाली बात कांग्रेस से होती है । श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की तारी कर के बाकी भारतीय जनता पार्टी को गाली देकर, पता नहीं आप अपने मन में क्या संदेश ले रहे हैं, लेकिन यहां कोई अर्जुन सिंह पैदा नहीं होते ।

आपकी पार्टी से कभी वी. पी. सिंह बाहर निकलते हैं तो कभी अर्जुन सिंह जी निकलते हैं। श्री नरसिंह राव व श्री अर्जुन सिंह में लड़ाई हो सकती है लेकिन आपके कहने पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई मतभेद पैदा हो जायेगा, यह मुश्किल है। हम स्वयं सोचेंगे कि हमारा कौन सा नेता क्या कर रहा है, इसके बारे में किस को कोई गलतफहमी नहीं है। आप इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी इसे रखना चाहते हैं तो रखिये। आपकी मजबूरी मैं समझता हूं। तमिलनाडु में आपका जो हाल हो रहा है, वह सब जानते हैं। आपको प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने कह भी दिया है।.....(**व्यवधान**) मुझे कहना तो कुछ और था लेकिन जो यह बोल रहे थे, मैं उसी को बोल रहा हूं। श्री वेकेंट स्वामी जी आप भीध्यान रखिये कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि जून में इस मंत्रिमंडल में नये चेहरे आने वाले हैं, इससे सबमें नयी आशायें जागी हैं। आप जो मर्जी चाहें दलील दें लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि देश की रक्षा के लिए अणु बम की आवश्यकता है तो वह बनना चाहिए। डिफेंस के लिए धन चाहिए...(**व्यवधान**)

श्री मणि शंकर अय्यर : आवश्यकता है या नहीं है? आप कह रहे हैं कि अगर आवश्यकता हो तो बनना चाहिए। आप स्पष्ट बताईये कि आवश्यकता है या नहीं? यदि आवश्यकता है तो स्पष्ट कहियेगा जैसे अभी राम नगीना मिश्र ने कहा है कि इसकी आवश्यकता है और हम इसे बनायेंगे । श्री अटल बिहारी बाजपेयी की जुबान आपके मुहं में नही आनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मणिशंकर अय्यर जी, आप जो कुछ बोलना चाहते हैं, अगर वह नियम और प्रक्रिया के अनुसार है तो आप बोल सकते हैं । यह मत सोचिये कि वह सभी बातों का जवाब देने की स्थिति में हैं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : उपाध्यक्ष महोदय, मणि शंकर अय्यर जी फिर उसी खेल में चल रहे हैं। वह अटल बिहारी बाजपेयी और भाजपा की बात को अलग करना चाहते हैं। मैंने पहले भी कह दिया था कि हमने जो कहा है, उसी पर हम खड़े हैं। मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास और सुरक्षा सेनाओं के लिए जो आवश्यकता है, वह उनको दीजिये. उनको आपस में मत उलझाइये। इस दलील के कारण आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि हम ग्रामीण विकास के लिए न चाहकर सेना के लिए ज्यादा चाहते हैं तो क्या

सैनिक शहरों से आते हैं? नहीं वे गांवों से आते हैं। आज सैनिकों की जो हालत है, वह सबको मालूम है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, वहां 48 छात्र थे हम सबने मैट्रिक इकट्ठे पास किया था। उनमें से 45 छात्र सेना में आये हैं। आज उनमें से कुछ समीशंड आफिसर बन गये हैं, कुछ नॉन समीशंड तो कुछ जूनियर कमीशंड आफिसर बन गये हैं। मणि शंकर अय्यर जी कुछ ऐसे भी थे जो कि 18 वर्ष की उम्र में भरती हुये थे और 33 वर्ष की उम्र में रिटार्यड होकर पेंशन प्राप्त करने लगे। यह समय उनके बच्चों का पढ़ने का था। उनकी लड़कियों की शादी का समय था लेकिन रक्षा मंत्रालय ने 15 साल के बाद उनको रिटार्यड कर दिया। जब उनको पेंशन दी गयी तो फिर उनके रीहैबिलिटेशन का कोई काम नहीं किया उन्हें पुन: रोजगार देने का कोई प्रबन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में बरमाणा, जिला बिलासपुर में एक सीमेंट की फैक्टरी है वहां भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी एक यूनियन बनाई है। उन्होंने अपने ट्रक डालकर दुलाई का काम शुरु किया लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ट्रक यूनियन सत्तारूढ़ दल के झगड़े में जिनमें एक गुट माननीय सुखराम जी, जो हमारे केन्द्र में संचार मंत्री हैं, के पक्ष से था और दूसरा वहां के मुख्यमंत्री के पक्ष से था, के झगड़े में उन पर लाठीचार्ज हुआ। मैं व्यक्तिगत तौर पर वहां गया था। मैं उन भूतपूर्व सैनिकों से मिला हूं। आपके पास मेरी रिपोर्ट भी आई होगी। मैंने रक्षा राज्य मंत्री को लिखा था। वहां एक भूतपूर्व सैनिक को, जिसकी टांग युद्ध में कट गयी थी, पुलिक लाठीचार्ज में तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया गया । संयोगवश नीचे रेत थी इसलिये उनकी जान बच गयी। उनकी 6 लड़कियां और एक छोटा सा लड़का है। जब मैं उनके पास गया तो उनकी पत्नी रो रही थी। वह खुद भी रो रहे थे कि भूतपूर्व सैनिक होने पर मैंने कौन सा दोष किया है। अगर सरकार ने उनकी मदद नहीं की तो उन्होंने कर्जा लेकर खुद का ट्रक डाला लेकिन फिर भी उन पर लाठीचार्ज हुआ। वहां माननीय सुखराम जी भी गये थे और उन्होंने वहां न्यायिक जांच की भी मांग की थी। आज आपकी पार्टी की सरकार है लेकिन अभी तक उस की न्यायिक जांच नहीं हुई है। मुख्य मंत्री दनदना रहे हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। अगर इस तरह की हालत आपने उनकी करनी है तो फिर क्यों वह अपनी जवानी देश की रक्षा के लिए देकर आये? इसके अलावा जब वह रिटार्यड होकर घर आते हैं तो उनको पेंशन भी बहुत कम मिलती है ।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पधार चुके हैं। उनके पास रक्षा मंत्रालय है । मैंने उनको भी लिखा था कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भूतपूर्व सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। वहां के मुख्यमंत्री लाठीचार्ज करवाते हैं। आपके संचार मंत्री, हम नहीं क्यों हम तो विरोधी पक्ष में हैं, हमारे कहने से तो मणि शंकर अय्यर जी बुरा मानते हैं, लेकिन आपके मंत्री जी ने खुद कहा है कि वहां ज्यादती हुई है इसलिये उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए लेकिन वहां न्यायिक जांच नहीं हो रही है । वहां की भूतपूर्व स्पीकर ने भी न्यायिक जांच की मांग की है। वे भूतपूर्व सैनिक कई दिनों तक अस्पताल में पड़े रहे । एक की तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है ? यदि भूतपूर्व सैनिकों के साथ ऐसा बर्ताव रहेगा तो उन लोगों के पुनर्वास का आप क्या करेंगे जो कर्जा लेकर अपना कारोबार कर रहे हैं।.....(व्यवधान) मैंने कहा कि आपने सुनवाई नहीं की ।

वन रैंक वन पैन्शन भूतपूर्व सैनिकों की बहुत पुरानी मांग है, वे उसके लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने वन टाइम बढ़ोत्तरी दी । उसमें बहुत सी विसंगतियां रह गई हैं। मैंने बार-बार यहां पर यह मामला उठाया। आपने डिफैंस सैक्रेटरी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी भी बनाई थी। उसमें भी वे लोक कवर नहीं हुए, अब भी बहुत से लोग रह गए हैं। मेरे पास अनेकों पत्र आते हैं। मैं आपको हर बार लिखता हूँ। द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लेने वाले जो लोग पैन्शन की वृद्धि से वंचित रह गए थे, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। अभी रासा सिंह रावत जी कह रहे थे कि उनके पिताजी की 15 साल की अवधि समाप्त होने में मात्र छ: महीने की कमी रह गई थी। उन्होंने अपने आप रिटायरमैंट नहीं मांगी लेकिन जीमोबीलाईज़ेशन के तहत कुछ लोगों को, जिनमें उनका नाम भी है, समय से पहले रिटायर कर दिया गया। यदि किसी एस.पी. के समय पूरा होने में कमी रहती है तो पैन्शन देने के लिए अमैंडमैंट कर देते हैं तो जो भूतपूर्व सैनिक है, जिसने साढ़े चौदह साल सेना में रहकर देश की रक्षा की है, क्या उसे यह लाभ नहीं दिया जाना चाहिए? मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि भूतपूर्व सैनिकों की अनेकों श्रेणियां जो एक समय की पेंशन वृद्धि से वंचित रह गई हैं, उन्हें वह लाभ देने के लिए शीघ्र ही एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करें। जो लोग द्वितीय विश्वयुद्ध में लड़े थे. उनकी जिन्दगी को कितने दिन बाकी रह गए हैं। बहुत से मार्मिक पत्र आते हैं जिनमें लिखा होता है कि हम तो 75 साल के हो गए, कितने दिन और जीयेंगे। क्या सरकार हमें न्याय देगी ?

जैसे मैंने कहा, भूतपूर्व सैनिकों के रीहैबिलिटेशन के लिए आप अवश्य कदम उठाइए। बहुत स्वागत योग्य बात है कि अधिकारियों के लिए टाइम बाउंड प्रमोशन की गई है लेकिन अंदर रैंकस के लिए ऐसा नहीं है। सैकिंड लैफ्टिनैंट जो कमिशन में आएगा, वह तो कोई न कोई प्रमोशन लेकर ही जाएगा लेकिन अदर रैंक के सिपाही के लिए प्रमोशन के चांसेस उतने नहीं होते । आप इस पर विचार कीजिए।

आवासीय सुविधाओं के बारे में सभी वक्ताओं ने जोर दिया है। मेरा अनुरोध है कि सैनिकों के लिए आवासीय सुविधाएं बढ़ाई जाएं। मेरे चुनाव क्षेत्र के सबसे अधिक लोग सेना में हैं। आर्मी के एक जे.सी.ओ. मेरे पास आए थे। उनको 24 वर्ष की सेवा के बाद क्वार्टर मिला।

प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सैनिकों को अपने बच्चों को सैन्ट्रल स्कूल में एडमीशन कराने में बहुत दिक्कत होती है । आपने दो बच्चों की अनुशंसा करने की हमारे गले में घंटी

डाल दी है कि हम एडमीशन के लिए किन्ही दो बच्चों का रिकमैनडेशन कर दें। दूसरे सैन्ट्रल गवर्नमैंट इम्प्लाईज भी चाहते हैं। हमें 16 लाख वोटर्स को रिप्रैजैंट करना है, उसमें से कौन से दो बच्चे छांटे। आप उसे वापिस ले लीजिए लेकिन जो सेना में कार्यरत है, उनके बच्चों को एडमीशन दिया जाए।

मेरे पास एक व्यक्ति आया जो पांच साल तक नागालैंड में पोस्टेड था, अब तीन साल से डोडा में पोस्टेड है । उसके तीन बच्चे हैं। उनके एडमीशन में भी दिक्कत आ रही थी। एक आई.टी.बी.पी. का इंसपैक्टर जो श्रीनगर से आया था, उसके साथ भी यही परेशानी थी। उसकी तीन साल में नौ बार ट्रांसफर हुई। आपने ऐसा प्रचार किया है कि एम.पी. सब कुछ कर सकता है, इसलिए वे हमसे आकर झगडते हैं कि हमारे बच्चों को एडमीशन नहीं दी। इस बात से मेरे साथ सभी सांसद सहमत होंगे क्योंकि यह समस्या सबके सामने आ रही है। मेरा अनुरोध है कि कम से कम सेना में कार्यरत लोगों के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर एडमीशन दी जाए। वे अपनी फैमली के साथ तो कभी रह नहीं पाते।

इस तरह एल. पी. जी. कनैक्शन का मामला है। मैं एक दिन सवेरे-सवेरे अखबार पढ़ रहा था, आपकी सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो भूतपूर्व सैनिक है, रिटायर हो गये हैं और जिन्होंने पांच साल पहले या सात साल पहले अपने आपको रजिस्टर करवाया है, अगर 5000 रुपये देंगे तो प्राथमिकता के आधार पर आप उनको गैस कनैक्शन देंगे। आप उनको क्या कनैक्शन दे रहे हैं? ऐसे निर्णय से तो उनको और दुख पहुंचता है। मैं चाहूंगा कि छोटी-छोटी सहूलियते उन लोगों को मिलनी चाहिए, जैसे सैण्ट्रल स्कूल में एडमीशन की, एल. पी. जी. कनैशन आदि की ।

मेरे चुनाव क्षेत्र हमारपुर, हिमाचल प्रदेश में ऊना और हमीरपुर में कई वर्षों से दो छावनियों का प्रस्ताव था। बड़े जोर शोर से चर्चा हुई, सर्वे हुआ, लोगों को उठाने की बात हो गई, लेकिन अब उस प्रस्ताव को ठण्डे बस्ते में जाल दिया गया है। मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया इसको रक्षा राज्य मंत्री महोदय नोट कर लें और अवश्य कोई जवाब दें। प्रदान मंत्री जी ने तो सुना ही नहीं होगा, लेकिन लिखित रूप से सूचित करिये कि वह प्रपोजल अब कहां है?

एक साम्बा जासूसी कांड हुआ। उसमें सेना के अधिकारी और कर्मचारी निलम्बित हुए, जेल में गये। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, फौज के भूतपूर्व जनरल ने कहा कि वह गलत था, उनको झूठा फंसाया गया । वह कैप्टन राठौर मेरे कास्टीट्वेंसी के हैं। वह जेल में रहे, अब वह बरी हो गये हैं। कई वर्ष तक वह केस चला । मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे झूठे केस में फंसे हुए आफिसर को आप कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे ? उनकी जवानी के दिन जो जेल में कट गये, जो देशभक्त थे, उनको देशद्रोही कह दिया । वह पहले जब हमारे पास आये तो हमने कहा कि तुम लोगों ने बड़ा बट्टा लगाया, देश का नाम बदलनाम किया, प्रदेश का नाम बदनाम किया, आप लोग तो जासूसी के केस में फंसे हुए हैं. हम आपका कोई समर्थन नहीं कर सकते, हम चुप रहे। अल्टीमेटली वह केश लड़े और केश लड़कर जीत गये। अब सरकार को उनको पूरा मुआवजा देना चाहिए और उनको फुली रिहैबिलिटेट करना चाहिए। उनका सामाजिक अपमान हुआ, जो देश के लिए लड़ रहे थे, उनको आपने गद्दार बना दिया। मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे केसेज में भ्रष्टाचार और राजनीतिकरण आ गया है, इसको दूर करने के लिए कृपया आवश्यक कदम उठायें।

आखिर बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सेना के लोग कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। निर्णय राजनैतिक होता है, मैके पर जोभी सरकार हो, वह अपने ढंग से निर्णय लेती है, कई बार निर्णय लेती ही नहीं, अनिर्णय वाली सरकार होती है। अब हजरतबल की घटना हो, चाहे चरारे शरीफ की घटना हो, इस सारे मामले में कई बार जब हम बोलने लगते हैं तो मानवाधिकार की बात को बढ़ाकर करना शुरू कर देते हैं। जो वहां पर सेना के लोग हैं, वह भी तो मानव है, वह भी अपना घर बार छोड़कर देश की रक्षा में लगे हैं और देश के लिए वहां काम कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो निर्णय ले, उसमें यह अवश्य ध्यान रखें कि वह कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे अधिकारियों और सैनिकों का मनोबल गिरे नहीं। हम उनके लिए और कुछ नहीं कर सकें तो कम से कम आडम्बर वाली आलोचना न करें, यह मेरा अनुरोध रहेगा।

उदाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, ... (व्यवधान) मैं खत्म करने वाला था लेकिन माननीय सदस्य जब आप कहते हैं...(व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : अब खत्म कर दीजिए।

प्रो. प्रेम धूमल : जब आप कहते हैं तो खत्म कर देता हूँ। आपकी पार्टी वाले तो आपकी बात मानते नहीं हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री महोदय आये थे तो मैंने दो तीन बड़े रेलेवेण्ट इश्यू उठाये हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर में आप उनको कवर करेंगे ।

[हिन्दी]

***श्री मोहन रावले** (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मराठी में बोलने की अनुमति चाहता हूँ।

[अनुवाद]

* उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मराठी में बोलना चाहूँगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष 1962 में हमारे देश की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उस समय हमारे पास आवश्यक सैन्य बल एवं हथियार तथा गोला-बारूद नहीं थे। हम केवल अहिंसा की ही रट लगाये बैठे थे। उस समय पंडित नेहरू जी देश के प्रधान मंत्री थे और जब हमारे जवानों पर हमला हुआ था, तब उनके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। उस हमले में हमारे कई सिपाही मारे गया। तब हम सचेत हुए और

* मूलत: मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

हमने महसूस किया कि हमें दक्ष होना चाहिए और अपनी क्षमता का विकास करना चाहिए। उस हमने के बाद, सरकार ने यह महसूस किया कि हमें युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। वस्तुत:, पाकिस्तान हमें 1947 से ही परेशान करता रहा है। तब से यह हमारे खिलाफ हमेशा युद्ध की घोषणा कर रहा है । कभी पाकिस्तान हमारे साथ सीधे युद्ध करता है तो कभी आतंकवादियों के माध्यम से युद्ध छोड़ता है।

चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के शब्दों को दोहराता हूँ. उन्होंने कहा था कि 'पाकिस्तान हमें बुरा-भला कह रहा है। लेकिन हम इसका जवाब गाली-गलौच से नहीं, बल्कि गोली से देंगे ।''

उस समय हमारे बहादुर जवानों ने जनरल चौधरी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर आक्रमण किया। इससे पहले भी, जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ था, तब हम आपस में लड़ने में व्यस्त थे। लेकिन, शास्त्री जी ऐसे पहले प्रधान मंत्री थे जिनके नेतृत्व में हमने पाकिस्तान पर आक्रमण किया ।

हमारे चारों ओर दुश्मन हैं। हमारा सबसे पहला दुश्मन चीन है। चीन साम्यवाद की वकालत तो करता है, लेकिन वास्तव में जो अपने आप को साम्यवादी कहते हैं, वे साम्राज्यवाद की नीति का ही अनुसरण करते हैं। 1960-70 की अवधि के दौरान हम पोलैण्ड, वियतनाम, कोरिया एवं अफगानिस्तान जैसे देशों की साम्राज्यवादी चाल को समझ पाये ।

पाकिस्तान हमें परेशान करता रहा है। लेकिन मुझे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना करनी चाहिए। हमारा उनके साथ मतभेद रहा होगा । लेकिन एक महिला होते हुए भी, उन्होंने ठोस कदम उठाये एवं 'मुक्ति वाहिनी' का गठन किया और बंगलादेश की जीत सुनिश्चित की । पाकिस्तान हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए बेचैन था और 1971 में इसने हमारे देश पर आक्रमण किया । परन्तु, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने उस आक्रमण को विफल कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप बंगलादेश का उद्‌भव हुआ। देश की सीमा पर बड़ी संख्या में हमारे जवानों ने अपने प्राण त्याग दिये। लेकिन हम राजनैतिक मोर्चे पर हार गये। हम पाकिस्तान को सीमा पर तो हरा दिया लेकिन हमने दुसरी तरफ से बंगलादेश के डेढ़ करोड़ मुसलमानों को अपने देश में आ जाने दिया है। आज भी हमें बिना किसी कारण के बंगलादेश के इन डेढ़ करोड़ मुसलमानों की देखभाल करनी पड़ रही है। हम अभी तक उनको वापस भेजने की स्थिति में नहीं है। हमारे देश में बंगला देशी एवं पाकिस्तानी राष्ट्रिक बसे हुए हैं। लेकिन हम उनको अभी तक वापस नहीं भेज पाए हैं। हम चीन, बंगलादेश और पाकिस्तान से हमेशा लड़ना पड़ता है । इसलिए, हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम रक्षा के क्षेत्र में तैयार रहें और अपने आप को मजबूत बनाएं। इस संबंध में, भूतपूर्व संसद सदस्य एवं प्रख्यात संसद्‌विज्ञ श्री मधु दंडवते जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। उन्होंने कहा था कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर नज़र रखना चाहिए और अपने पड़ोसी देशों में कुछ समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करना चाहिए। दुर्भाग्यवश, हम किसी भी समस्या का समाधान करने की स्थिति में नहीं है। हमने श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप किया । दुर्भाग्यवश, श्रीलंका में हमारे 14,000 जवान मारे गये और यह भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि श्री राजीव गांधी की भी बम विस्फोट में मृत्यु हो गई।

इस संबंध में सरकार की नीति असफल रही एक समय हमने एल.टी.टी.ई. का समर्थन किया। हमने उनके लोगों को प्रशिक्षण देने और उदार बनाने के लिए अपने जवानों को भेजा। लेकिन यही एल.टी.टी.ई. हमारे खिलाफ हो गया और दुर्भाग्यवश एक हमले में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या कर दी गई।

दंडवते ने दूसरा यह सुझाव दिया था कि हमें दीर्घकालीन रक्षानीति बनानी चाहिए। आज देश की परिस्थिति वैसी नहीं है जैसी कि 1947 में थी। पड़ोसी देश विकसित हो गए हैं। चीन विकसित हुआ है । पाकिस्तान को कई देशों से हथियार मिल रहा है। इसलिए हमें एक व्यापक रक्षानीति बनाने की आवश्यकता है। इस रणनीति को लागू करने में जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए। अभी मेरे एक सहयोगी ने सही बात कही है कि हम अपने जवानों को केवल युद्ध के समय ही याद करते हैं। हमें जवानों को केवल युद्ध के समय ही याद नहीं करना चाहिए। हमें संसद सदस्यों एवं इस देश की जनता को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि उन जवानों के कारण ही जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, हम जीवित हैं और संसद में बैठे हुए हैं। इसलिए, जवानों के कल्याणर्थ अच्छी योजनायें बनायी जानी चाहिए और लागू की जानी चाहिए। संसद को हमारी रक्षा एवं रक्षा योजनाओं पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए। दुर्भाग्यवश, हमारे देश की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमें देश की कई समस्याओं का समाधान करने के लिए सेना को भेजना पड़ता है । इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब जनता यह सोचने लगेगी कि सेना उनके खिलाफ है और इसके परिणामस्वरूप सेना और नागरिकों के बीच तनाव उत्पन्न होगा और इससे जनता के मन में सेना के प्रति नफरत की भावना उत्पन्न हो सकती है।

6.00 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय, परमाणु अप्रसार संधि को बढ़ाये जाने की मांग की गई है। क्या कुछ विकसित देश ही परमाणु बम बना सकते हैं और हम नहीं बना सकते है? क्या इस पर कुछ विकसित देशों का प्रकाधिकार है? हमने इन देशों का मनमाना व्यवहार देखा है। हो सकता है कि ईरान अथवा इराक कोई गल्ती कर रहे हों। लेकिन वे कहीं पर भी बम वर्षा कर सकते हैं और किसी को भी खत्म कर सकते हैं। यह जातिभेद का मामला है। इसलिए, मैं यह मांग करना चाहता हूँ कि भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावले जी, बस एक मिनट ।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में

राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सोमवार को प्रधान मंत्री जी उत्तर देंगे । सूची में जितने भी नाम हैं। आप आज उन सब को अनुमति दे सकते हैं । आप कृपया समय बढ़इए और यह सुनिश्चित कीजिए कि सभी वक्ता बोल सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम एक घण्टे का समय बढ़ायें? हमारे पास सूची में केवल चार नाम हैं। क्या हम इस सदन की कार्यवाही को 7 बजे तक बढ़ायें ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, श्री रावले जी के भाषण के पश्चात् आप सभा को स्थगित कर सकते हैं। यदि एक या दो सवाल शेष रह जाएंगे, तो हम सोमवार को यह चर्चा जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास मुश्किल से चार नाम होंगे ।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जैसी आपकी मर्जी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम इसे पूरा नहीं कर पायेंगे। हम यह आप पर छोड़ देते हैं। यदि सभा समझती है कि कुछ समय में अर्थात लगभग आधे घण्टे में चार सदस्य अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं, तो यह ठीक ही है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मेरा सुझाव यह है कि उनके भाषण समाप्त करते ही हम सभा स्थगित कर देंगे। हम सोमवार को आधे घण्टे का समय लेंगे और चर्चा को समाप्त करेंगे ।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : यदि ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा सदस्यों को नहीं बोलना चाहिए।

***श्री मोहन रावले** : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ वर्ष पहले बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था। हमने स्वीडन से बोफोर्स तोपें खरीदी थीं, वह उन्हें काली सूची में डाल दिया गया था। तोपों की खरीद क्यों की? इस घोटाले की जांच अभी भी चल रही है । हमें अभी तक यह पता नहीं चला है कि इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री, गृहमंत्री एवं मुख्यमंत्री अक्सर ये कहते रहते हैं कि आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर में समस्या उत्पन्न की और मुम्बई के बम विश्फोटों में भी उसका हाथ है। पाकिस्तान में, 110 केन्द्र हैं। इनमें से 25 केन्द्र पाकिस्थान में है और शेष पाक अधिकृत कश्मीर में हैं। इन केन्द्रों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । बम विस्फोटों के समय यह सूचना मिली थी कि यदि इन प्रशिक्षण केन्द्रों को ध्वस्त नहीं किया गया तो वे मजबूत दीवार खड़ी कर लेंगे और उसे सैनिक अड्डों में बदल देंगे ।

महोदय अंत में, मैं मुम्बई में हुई बम विस्फोटों का उल्लेख करना चाहता हूँ। मुम्बई बम विस्फोटों में 257 लोग मारे गये। 713 व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो गया। इस विस्फोट के कारण कई करोड़ रुपयों की हानि हुई। इन विस्फोटों में अमूल्य संपत्ति नष्ट हो गई। मुम्बई में ये विस्फोट आई.एस.आई. ने करवाये थे। जैसा कि माननीय मंत्री श्री राजेश पायलट ने बताया है, सरकार के पास इस आशय की रिपोर्ट है। जब जांच की गई, तब यह उद्घाटित हुआ कि इन विस्फोटों के पीछे आई.एस.आई. का हाथ है वास्तव में आई.एस.आई. एक खतरनाक संगठन है । वर्ष 1984 में हुए ओपरेशन ब्ल्यू स्टार के बाद यह संगठन सक्रिय हुआ और तब से यह संगठन पंजाब, कश्मीर, मुम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ता में बम विस्फोट करवाने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करता रहा है। मुम्बई में, 321 किलों के उच्च शक्ति युक्त विस्फोटकों का प्रयोग किया गया था और यह ज्ञात हुआ है कि मुम्बई शहर के चारों ओर अभी भी कई किलों के अप्रयुक्त विस्फोटक छिपा कर रखे गये हैं। पंजाब में खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स एवं कश्मीर में हिजबुल मुजाहिद्दीन वस्तुत: ये दोनों संगठन आई.एस.आई. के ही हैं। आई.एस.आई. के कुछ पदाधिकारियों ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया-उल-हक को पत्र लिखा था। दिसम्बर, 1984 में पाकिस्तान सेना के स्पेशल इन्टेलीजेन्स विंग के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। पत्र में इस मुलाकात का उल्लेख किया गया है। हिजबुल मुजहिदीन का राष्ट्रपति जिया-उल-हक के साथ सतत् संपर्क रहा है। जब कभी इस संगठन के पास धनराशि की कमी हुई उन्होंने इस संगठन की सहायता की आई. एस. आई. ने मुम्बई में कुछ लोगों की सहायता से बम विस्फोट करवाया। महोदय, मुम्बई में हुए बम विस्फोटों की घटना क्रम को यहां प्रस्तुत करना चाहूँगा । मुम्बई में 12 मार्च को ये विस्फोट हुए थे। विश्व में मुम्बई ही एक ऐसा शहर है जहाँ डेढ़ घण्टे के समय में 12 स्थानों पर लगातार बम विस्फोट हुए। 12 मार्च के दिन ही, मुम्बई में टाईगर की साली की कार मिली थी जिसमें 7 ए.के. राइफलें कई विस्फोटक यंत्र एवं विस्फोटक सामग्री पायी गयी थी। जब पुलिस ने मेमन के घर की तलाशी ली, तो उन्हें वहां पर मेमन के जूतों के निशान मिलें। इसी प्रकार, वहां पर और दूसरे प्रमाण भी मिले। 340 किलो आर.डी.एक्स. को वहां पर उतारा गया था। इस मामले में जांच की गई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.वी.आई.) की ओर से विशेष न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया गया था कि आई.एस.आई. ने ये विस्फोट करवाये थे। पाकिस्तान की गुप्तचर एजेन्सी आई.एस.आई. ने ये बस विस्फोट करवाये थे। सी.बी.आई. अभियोजक श्रीमती नटराजन ने यह बात मुम्बई में बतायी थी और उन्होंने यह घोषणा की थी कि छद्म युद्ध शुरु हो गया है । जो खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकते उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और मुम्बई के शेयर बाजार को अस्थिर बनाने की कोशिश की । बम विस्फोट करने का मूल उद्देश्य यह था कि इससे लोगों का सरकार के प्रति विश्वास न रहे। इसके साथ-साथ एक और उद्देश्य यह था कि बड़ी संख्या में लोगों की जान लें और देश की अर्थ-व्यवस्था को चरमरा दें।

जहां तक सरकार का संबंध है, मैं महसूस करता हूँ कि इस मामले से निपटने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय प्रधान मंत्री के पास है। श्रीमती नटराजन ने सरकार की ओर से न्यायालय में कहा कि मुम्बई में हुए बम विस्फोट, देशद्रोह की निशानी है। इस

* मूलत: मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर ।

आरोप को बाद में कैसे वापस ले लिया गया ? यह कहा गया था कि कुछ प्रथम दस्टया सबूत उपलब्ध हैं। इसे बाद में वापस क्यों ले लिया गया? मैंने यह मामला उठाया था कि कांडला पत्तन के पास कई कन्टेनर पाये गये हैं। गांधी धाम में भी; 27 मार्च, 1994 को 9 छोटी मशीनगनें, भारी मात्रा में कारतूस एवं 9 मी. टन विस्फोटक पाये गये। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या वह निश्चयपूर्वक यह कह सकते हैं कि अब वहाँ वास्तव में कोई आर.डी.एक्स. नहीं है । अथवा क्या आप वहां पर अब उपलब्ध आर.डी.एक्स. की मात्रा बता सकते हैं? स्थिति कुछ ऐसी है कि कहीं पर भी बस विस्फोट हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन कश्मीर में बस विस्फोट हुआ था। ब्रह्मपुत्र घाटी में बस विस्फोट हुआ था जिसमें 29 जवान मारे गये। मुम्बई शहर में वर्ष 1989 से 1994 तक 17 बम विस्फोट हुए हैं ।

सरकार हमेशा कहती है कि बम विस्फोटों में पाकिस्तान का हाथ है। फिर हम उस देश को नष्ट क्यों नहीं कर देते? सीमा पर हमारे सिपाही मारे जाते हैं। पाकिस्तान से हमारे यहा हथियारों की तस्करी होती है । पंजाब में पाये गये कई हथियारों पर पाकिस्तान के निशान हैं।

अन्त में, मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा। मेरे पास एक पत्र जो माननीय प्रधान मंत्री ने मुझे लिखा था। मैंने कहा था कि सभी सरकारी विभागों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा निर्मित कपड़े खरीदने चाहिए। प्रधान मंत्री ने सभी विभागों को इस आशय के निर्देश भी दिए हैं। इस संबंध में मुझे उत्तर भी मिला है। परन्तु, अभी तक किसी भी विभाग ने एन. टी.सी. मिलों से कपड़े की खरीद नहीं की है। यदि रक्षा मंत्रालय एन.टी.सी. से कपड़ों की खरीद करता है तो बन्द पड़ी कुछ एन.टी.सी. मिलों को पुन: चालू किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय को अच्छी गुणवत्ता वाला कपड़ा मिलेगा और इस प्रकार भ्रष्टाचार का अन्त होगा ।

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे दल शिव सेना की ओर से, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उदाध्यक्ष महोदय, विश्व यह आशा लगाये हुए था कि शीत-युद्ध के पश्चात् शांति और अमन-चैन का युग आयेगा लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, कम से कम हमारे क्षेत्र में, एशिया और अफ्रीका में तो ऐसा नहीं हुआ और हम देखते हैं कि विश्व के इस भाग में संघर्ष, तनाव और एक प्रकार की हथियारों की दौड़ पनप रही है। यह अत्यधिक दु:ख और चिंता का विषय है।

मेरे विचार में ऐसी स्थिति में हमारी सभी ये आशायें कि टकराव का नहीं बल्कि समझौतों का, आपसी समझ का एक युग आयेगा झुठला गई हैं। लेकिन हमें मालूम है कि हमारे सभी पड़ोसी देशों में स्थिति ऐसी नहीं है। हम देखते हैं कि वहां टकराव है और हमने पाया कि हमारे पडौसी देशों के कुछ नेतागण सारे विश्व में जाकर जानबूझकर टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और हमारे साथ लड़ाई करने की धमकी दे रहे हैं। जहां तक हमारे देश की सुरक्षा का संबंध है, यह बड़ी गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

मैं दुर्भाग्य से उस दिन उपस्थित नहीं था लेकिन मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि प्रधान मंत्री ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि ऐसी स्थिति में प्रधान मंत्री को ही रक्षा मंत्री होना चाहिए। मेरे विचार में उन्होंने जो कुछ कहा उससे यही लगता है कि उनका मानना है कि रक्षा संबंधी जरूरतों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। ऐसी स्थिति में अगर प्रधान मंत्री जी रक्षा मंत्रालय का प्रभार अपने पास रखते हैं तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इसे उच्च प्राथमिकता देने और इस पर ध्यान दिए जाने की जरुरत है ।

केवल एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारी रक्षा सेनाओं में एक प्रकार की संतोष की प्रवृति उत्पन्न हो गई प्रतीत होती है। जैसा कि आपने सुझाव दिया है। मैं अभी इस पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता । जब मैं पुन: भाषण दूंगा तो इस पर विस्तार से बोलूंगा। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि हमारे देश के रक्षा क्षेत्र में एक प्रकार की संतोष की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, जो कोई अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव सोमवार, 15 मई, 1995 को अपना भाषण जारी रखेंगे ।

अब सभा सोमवार, 15 मई, 1995 को 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

6.13 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 15 मई, 1995/25 वैशाख, 1917 (शक) के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।